NEXT IAS

करेंट अफ़ेयर्स

जुलाई 2024

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2024

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 जून से 30 जून 2024 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

लोक सभा के कार्य एवं पदाधिकारी 4
1. 17वीं लोक सभा की कार्यप्रणाली 4
2. अध्यक्ष 6
3. उपाध्यक्ष 8
4. विपक्ष के नेता (LoP) 9
5. लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन 13
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 16
पंचशील 18

विशेष लेख

मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी 21
राजव्यवस्था एवं शासन 21
BRICS समूह और इसका विस्तार 24
50वाँ G7 शिखर सम्मेलन 27
साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत 30
तकनीकी वस्त्र 32
जलवायु वित्त 35
उच्च सागर जैव विविधता संधि 36
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 38
विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024 40
भारत में तंबाकू महामारी 43
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 44

1 राजव्यवस्था एवं शासन

शपथ ग्रहण समारोह 47
मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण 47
संसदीय शपथ 48
कैबिनेट समितियाँ 48
वैधानिक जमानत 49
मध्य प्रदेश में नोटा ने बनाया नया कीर्तिमान 49
विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य स्व-घोषणा 50
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 50
जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छामृत्यु 51
डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना 51
लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर 51
11 उम्मीदवारों ने EVM की जली हुई मेमोरी की पुष्टि के लिए आवेदन किया 52
केरलम 52
ई-साक्ष्य ऐप 53
संसद का संयुक्त सत्र 53
पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करना 53

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन कटौती में 2025 तक विस्तार 55
नीदरलैंड: भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य 55
बायोफार्मास्युटिकल एलायंस (जैव-औषधीय गठबंधन) 55
भारत-नॉर्वे सहयोग 56
पारोस संधि 56
काफला प्रणाली 57
यूरोपीय संघ का 'चैट नियंत्रण' कानून 57
भारत और रूस के बीच रसद समझौता 58
सिंधु जल संधि 58
अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) 59
FATF की भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट 60
भारत-रूस पारस्परिक रसद समझौता 60

3 अर्थव्यवस्था

भारत, मंगोलिया से कोकिंग कोल और महत्त्वपूर्ण खनिज प्राप्त करेगा 61
भारत में मोटे अनाज का उत्पादन स्थिर 61
भारतीय म्युचुअल फंड और विदेशी निवेश के लिए SEBI का प्रस्ताव 62
भारत के FDI प्रवाह में कमी 63
RBI का स्वर्ण भंडार 64
वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2023 में 97 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचा 64
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना 65
भारत में बागवानी उत्पादन 66
CCI ने बिग टेक के लिए नियम प्रस्तावित किए 67
प्रेस्टन वक्र 68
जनरल एंटी-एवॉइडेंस रूल (GAAR) 68
GST परिषद 68
चावल की सीधी बुआई (DSR) 69
बिटुमेन (डामर) 69
राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) 69
अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना 70
कृषि सखी 70
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) 71
एंजल टैक्स 71
ग्रीनफील्ड पोर्ट वधावन 72
विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 72
दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू हुए 72
RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देशों में संशोधन किया 73
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता 74
रतले पावर परियोजना 74
K-आकार की रिकवरी 75
कॉफी निर्यात में वृद्धि और यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR) 75
सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात 76

4 पर्यावरण

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 77
भारत के पर्यावरण की स्थिति 78
वैश्विक मृदा भागीदारी 78
सियांग घाटी से चींटी की प्रजाति की खोज 79
नए रामसर स्थल: नागी और नकटी आर्द्रभूमि 79
कैटला (लैबियो कैटला) 79
PM2.5 के संपर्क से होने वाली असामयिक मौतें 80
गांधी सागर अभ्यारण्य 81
सूक्ष्म शैवाल 82
हाथी एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं: अध्ययन 82

ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क 83
UNCCD के 30 वर्ष 83
नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन 84
पैंटानल आर्द्रभूमि 84
बायोल्यूमिनसेंट मशरूम 85
अनवरत जैविक प्रदूषक (POPs) 85
विश्व मगरमच्छ दिवस 86
मियावाकी पद्धति 87
ग्रेट निकोबार परियोजना में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ 87
काजीरंगा में अंगहीन उभयचर पाया गया 88
जंगली सूअर 89
फ्लेमिंगो 89
बायोमास ब्रिकेट 89
इंडिकोनेमा: स्वच्छ जल की नवीन डायटम प्रजाति 90
भारत में भू-संरक्षण का अभाव 90
मुर्रया और दवना फूल 91

5 भूगोल

स्ट्रोमेटोलाइट्स 92
भारत में अधिसूचित आपदा 92
हीट डोम 93
केरल प्रवसन सर्वेक्षण 93
बेयेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) 93
पश्चिमी विक्षोभ और हीट वेव 94
मैक्सिको 95
सेनकाकू द्वीप 95
क्यूबा 96
सुबनसिरी नदी 96
लिपुलेख दर्रा 96
अलकनंदा नदी 96

6 आंतरिक सुरक्षा

ऑपरेशन ब्लू स्टार 98
EX RIMPAC (रिम ऑफ द पैसिफिक) 98
जिमेक्स-24 98
कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ 98
SIPRI वार्षिक रिपोर्ट 2024 99
भीष्म क्यूब 100
मिराज 2000 101
सूचना की अखंडता हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांत 101
UAPA के अंतर्गत LTTE पर प्रतिबंध 102
माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट 102
अभ्यास HOPEX 102
जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल 103

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रवाह (PraVaHa) 104
वायरस जैसे पार्टिकल्स (VLPs) 104
रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज एंजाइम 104
वैश्विक खाद्य मानक निर्धारण में परमाणु तकनीकों की भूमिका 105
हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म 106
तृष्णा मिशन 106
जाइलिटोल (EXYLITOL) 106
डोननेमैब: अल्जाइमर की एक नई दवा 106
पुष्पक 107
स्तन कैंसर का पता लगाने हेतु microRNAs 107
भाड़े के साइबर योद्धा 107
रोग निदान हेतु मल्टी-ओमिक्स दृष्टिकोण 108
डार्क नेट या डार्क वेब 109
अंतरिक्ष मैत्री मिशन 109

8 समाज

नाता प्रथा 111
वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक: WEF 111
वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड 12 करोड़ व्यक्तियों का विस्थापन 112
स्कूल इन ए बॉक्स पहल 113
सरोगेसी में मातृत्व अवकाश 114

9 संस्कृति एवं इतिहास

अहिल्याबाई होल्कर 115
पुरातत्वविदों और संस्कृत विद्वानों द्वारा ऋग्वेद को समझने में सहयोग 115
कोया जनजाति 116
छत्रपति शिवाजी के भव्य राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ 116
खीर भवानी मेला 117
जोशीमठ और कोस्या कुटौली के नाम में परिवर्तन 117
श्रीनगर को 'विश्व शिल्प शहर' की मान्यता 117
कामाख्या मंदिर 117
रज पर्व उत्सव 118
कोझिकोड को यूनेस्को की मान्यता 118
संत कबीर दास जयंती 119
सोमनाथपुरा में केशव मंदिर 119
नालंदा विश्वविद्यालय 119

10 विविध

संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 'चैंपियन' पुरस्कार 120
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी 120
बाल खाद्य गरीबी: प्रारंभिक बाल्यावस्था रिपोर्ट में पोषण की कमी 120
पूरी पढ़ाई देश की भलाई 122
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 122

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

स्वयं परीक्षण
मुख्य परीक्षा प्रश्न 124

लोक सभा के कार्य एवं पदाधिकारी

भारत में आम चुनाव के पश्चात् 18वीं लोक सभा का गठन किया गया, जो सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए सात चरणों में आयोजित किया गया था।

1. 17वीं लोक सभा की कार्यप्रणाली

संसद की कार्यप्रणाली को लेकर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इस लोक सभा के दौरान 15 में से 11 सत्र समय से पहले स्थगित कर दिए गए।

परिचय:

- **पूर्णकालिक लोकसभाओं में सबसे कम बैठकें:** 17वीं लोकसभा ने 274 बैठकें कीं, जो सभी पूर्णकालिक लोकसभाओं में सबसे कम है। केवल चार पिछली लोकसभाओं में इससे कम बैठकें हुई थीं, जिनमें से सभी को अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग कर दिया गया था। इस लोकसभा के दौरान 15 सत्रों में से ग्यारह को समय से पहले स्थगित कर दिया गया था।

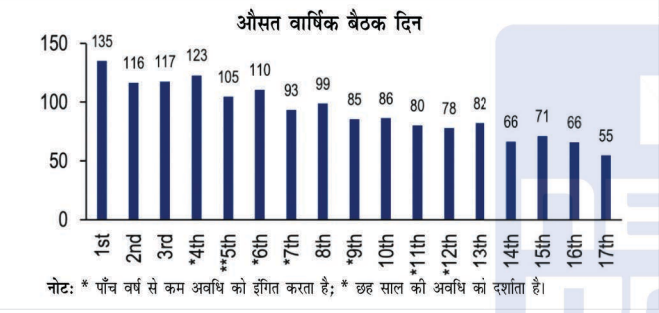

- **पहली बार उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ:** संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा को "यथाशीघ्र" अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना होता है। यह लोक सभा का ऐसा पहला अवसर था, जब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ।
- **दो सप्ताह के अंदर पारित हुए विधेयक:** 17वीं लोक सभा के दौरान पेश किए गए अधिकांश विधेयक का (58%) पेश किए जाने के दो सप्ताह के अंदर पारित कर दिया गया, उल्लेखनीय है कि, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 और महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पेश किए जाने के दो दिन के अंदर पारित कर दिया गया था।
  - लोक सभा में एक घंटे से भी कम समय की चर्चा के साथ 35% विधेयक पारित किए गए।

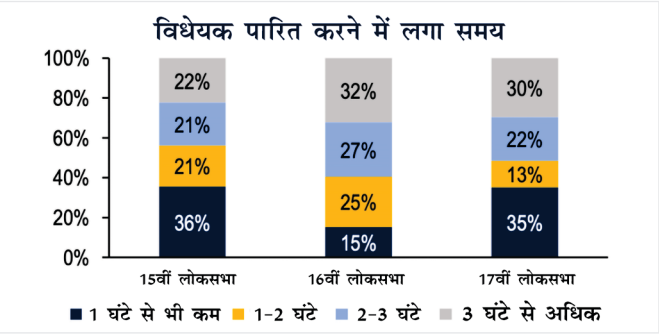

- **20% से कम विधेयक समितियों को भेजे गए:** 17वीं लोक सभा के दौरान केवल 16% विधेयकों को विस्तृत जाँच के लिए समितियों को भेजा गया, जो पिछली तीन लोकसभाओं की तुलना में कम आँकड़ा है।
- **कुछ निजी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा हुई:** 729 निजी सदस्यों के विधेयक (PMB) प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, जो 16वीं को छोड़कर पिछली अधिकांश लोकसभाओं की तुलना में अधिक है, केवल दो PMB पर चर्चा हुई।

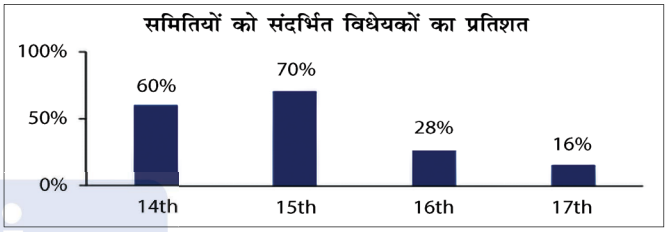

- **बजट चर्चाओं पर खर्च होने वाले समय में कमी:** विगत कुछ वर्षों में, लोक सभा में बजट चर्चाओं पर खर्च होने वाले समय में कमी आई है। 2019 और 2023 के बीच, लगभग 80% बजट बिना चर्चा के पारित हो गया। 2023 में, पूरा बजट बिना किसी चर्चा के पारित हो गया।
- **बढ़ता अपराधीकरण:** भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार, 17वीं लोक सभा में निर्वाचित सांसदों में से 43% के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित थे।

संभावित परिणाम:

- **संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर करना:** अपने विधायी कर्तव्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने में लोक सभा की विफलता संसदीय संस्थाओं की विश्वसनीयता और अधिकार को कमजोर करने का जोखिम उठाती है। यह क्षरण लोकतांत्रिक ढाँचे को कमजोर कर सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास कम कर सकता है।
- **जवाबदेही में कमी:** संसद के सत्रों में कमी और विधायकों की कम भागीदारी सरकारी कार्यों की जाँच को सीमित करती है। निगरानी की यह कमी जवाबदेही को कम कर सकती है, जिससे सांसदों के लिए नीतियों, निर्णयों और व्यय पर प्रश्न उठाने के अवसर कम हो सकते हैं।
- **कमजोर प्रतिनिधित्व:** विविध सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में भागीदारी महत्त्वपूर्ण है। भागीदारी में कमी से कुछ आवाजें हाशिए पर चली जाती हैं, जिससे नीति निर्माण में कमी आती है और सभी घटकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल हो जाती हैं।
- **नीति की गुणवत्ता में कमी:** प्रभावी संसदीय भागीदारी सांसदों के बीच मजबूत बहस, विचार-विमर्श और सहयोग को बढ़ावा देती है। भागीदारी

में कमी अपर्याप्त इनपुट, जाँच और विश्लेषण के कारण नीति निर्माण की गुणवत्ता से समझौता कर सकती है।

- **नवाचार में बाधा:** संसदीय भागीदारी जटिल चुनौतियों के लिए अभिनव समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। भागीदारी में कमी विचारों के आदान-प्रदान और नवीन नीति निर्माण दृष्टिकोणों को बाधित कर सकती है, जिससे प्रगति और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना:** अपराध और राजनीति का आपस में जुड़ना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता सत्ता में बने रहने के लिए अवैध गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास और शासन में पारदर्शिता कमजोर होती है।

आगे की राह:

- **संसद की छवि को बेहतर बनाना:** सत्रों के लाइव प्रसारण, संसदीय दस्तावेजों तक पहुँच बढ़ाने और सांसदों की उपस्थिति और प्रदर्शन रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता में सुधार करना।
- **क्रॉस-पार्टी सहयोग को बढ़ावा देना:** संसदीय समितियों के अंदर सहयोग और द्विदलीय/बहुदलीय सहयोग को बढ़ावा देना। निगरानी और जाँच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए पक्षपातपूर्ण एजेंडों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें।
- **जाँच समर्थन को मजबूत करना:** संसदीय समितियों को स्वतंत्र शोध और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करें। जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञता के लिए समर्पित शोध इकाइयाँ स्थापित करें या बाहरी संगठनों के साथ सहयोग करें।

संसद की समितियाँ

परिचय:

- संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है, जिसे सदन द्वारा नियुक्त या चुना जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
- समिति अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और सदन या अध्यक्ष/सभापति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
- संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है।
- वे संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।
  - **अनुच्छेद 105:** सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
  - **अनुच्छेद 118:** संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

आवश्यकता:

- विधायी कार्य संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से प्रारंभ होता है। हालाँकि, विधि बनाने की प्रक्रिया प्रायः जटिल होती है, और संसद के पास विस्तृत चर्चा के लिए सीमित समय होता है।
- बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और सिकुड़ते मध्यमार्ग के कारण संसद में अधिक कटु और अनिर्णायक वाद-विवाद हो रहा है।
- परिणामस्वरूप, अधिकांश विधायी कार्य संसदीय समितियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं।

विभिन्न समितियाँ:

भारत की संसद में कई प्रकार की समितियाँ हैं, जिन्हें उनके काम, सदस्यता और कार्यकाल के आधार पर पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः, ये दो प्रकार की होती हैं:

- **स्थायी समितियाँ:** स्थायी समितियाँ प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित की जाती हैं और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। इन्हें छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  1. वित्तीय समितियाँ
  2. विभागीय स्थायी समितियाँ
  3. जाँच समितियाँ
  4. जाँच और नियंत्रण समितियाँ
  5. सदन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित समितियाँ
  6. सदन समितियाँ या सेवा समितियाँ
- **तदर्थ समितियाँ:** अस्थायी समितियाँ जो अपना निर्धारित कार्य पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती हैं। इन्हें आगे निम्न में विभाजित किया गया है:
  - जाँच समितियाँ
  - सलाहकार समितियाँ
  - मुख्य तदर्थ समितियाँ विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियाँ हैं।

महत्त्व:

- **विधायी विशेषज्ञता प्रदान करती है:**
  - अधिकांश सांसद सामान्यवादी होते हैं, जो लोगों के मनोभाव को समझते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह और हितधारकों के इनपुट पर विश्वास करते हैं।
  - संसदीय समितियाँ सांसदों को विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करती हैं और उन्हें मुद्दों पर विस्तार से विचार करने का समय देती हैं।
- **मिनी संसद के रूप में कार्य करना:** ये समितियाँ मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं, जो संसद में पार्टी के अनुपात को प्रदर्शित करती हैं।
- **विस्तृत जाँच के लिए साधन:** जब विधेयक इन समितियों को भेजे जाते हैं, तो उनकी गहनता से जाँच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हितधारकों से इनपुट माँगे जाते हैं।
- **सरकार पर नियंत्रण:**
  - हालाँकि, समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट परामर्शों का सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाती हैं और सरकार पर बहस योग्य प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का दबाव बनाती हैं।
  - बंद कमरे में होने के कारण, समिति की चर्चाएँ अधिक सहयोगात्मक होती हैं, जिससे सांसदों को मीडिया के सामने बोलने के लिए कम दबाव महसूस होता है।

- **बैठकों की संख्या में वृद्धि:** संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः न्यूनतम 120 और 100 बैठकें होनी चाहिए।

- **समिति संदर्भों में वृद्धि:** सुनिश्चित करें कि सभी विधेयकों और बजटों की समितियों द्वारा अनिवार्य रूप से जाँच की जाये। विधायी प्रक्रियाओं में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग करने के लिए समिति के सदस्यों के कार्यकाल में वृद्धि की जाए।
- **सार्वजनिक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना:** शासन सुधारों को आकार देने में सार्वजनिक सहभागिता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संसदीय कार्यप्रणाली पर राष्ट्रव्यापी चर्चा को प्रोत्साहन देना।
- **आचरण के नियमों की स्थापना और प्रवर्तन:** संसदीय कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट और योग्य नियमों को लागू करें। शिष्टाचार की अपेक्षाएँ, भाषण की समय सीमा, आपत्ति प्रक्रियाएँ और विघटनकारी व्यवहार के परिणाम परिभाषित करें।

निष्कर्ष:

- भारत को संसदीय, चुनावी और न्यायिक सुधारों सहित व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत सुधारों पर कार्य करना चाहिए। विचार-विमर्श और सामान्य सहमति बनाने पर आधारित ये प्रयास देश भर में लोकतांत्रिक शासन और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

2. अध्यक्ष

ओम बिरला (राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद) को 18वीं लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में पुन: निर्वाचित किया गया है।

परिचय:

- अध्यक्ष लोक सभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है।
- उन्हें लोक सभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चुना जाता है।
- सामान्यत: अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है, जबकि उपाध्यक्ष प्राय: विपक्षी दल से चुना जाता है। हालाँकि, ऐसे अपवाद भी रहे हैं, जहाँ गैर-सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।
- **स्वतंत्रता और निष्पक्षता:**
  - अध्यक्ष को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल लोक सभा के प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है।
    - प्रभावी बहुमत सदन की प्रभावी संख्या के 50% से अधिक को संदर्भित करता है।
    - प्रभावी संख्या सदन की कुल सदस्यता है, जिसमें रिक्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं।
  - उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
  - उनके कार्य और आचरण की आलोचना केवल लोक सभा में एक मूल प्रस्ताव के माध्यम से की जा सकती है।
  - सदन में प्रक्रिया को विनियमित करने, व्यवसाय का संचालन करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यक्ष की शक्तियाँ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।
  - वे पहले चरण में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखते हुए बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

- **सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना:** अध्यक्ष निचले सदन के सत्रों की देख-रेख करता है, सदस्यों के बीच अनुशासन और शिष्टाचार सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष संसदीय बैठकों के लिए एजेंडा निर्धारित करता है तथा प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करता है।
  - अध्यक्ष स्थगन, अविश्वास और निंदा प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों को अनुमति देता है, जिससे व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित होता है।
  - सदन के अंदर अंतिम व्याख्याता के रूप में, अध्यक्ष (a) भारत के संविधान, (b) लोक सभा के प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों और (c) संसदीय वरीयताओं की व्याख्या करता है।
- **गणपूर्ति लागू करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई:** गणपूर्ति के अभाव में, अध्यक्ष आवश्यक उपस्थिति पूरी होने तक बैठकों को स्थगित या निलंबित कर देता है। अध्यक्ष के पास अनियंत्रित व्यवहार को दंडित करने की शक्ति है और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है।
  - गणपूर्ति, विचार-विमर्श सभा के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, जो अपना कार्य संचालित करती है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति, उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ हिस्सा है।
- **धन विधेयक का प्रमाणन:** अध्यक्ष के पास किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का विशेषाधिकार होता है। यह प्रमाणन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक केवल संविधान के अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित है, जैसे कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेना या भारत के समेकित कोष से व्यय।
- **दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता:** अयोग्यता के विषयों पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इससे अध्यक्ष पर विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और दल-बदल विरोधी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है।
- **समितियों का गठन:** अध्यक्ष सदन की समितियों का गठन करता है और उनके निर्देशन की देख-रेख करता है। सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति जैसी समितियाँ प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करती हैं।
- **सदन के विशेषाधिकार:** अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न को जाँच और रिपोर्ट के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजना पूरी तरह से अध्यक्ष पर निर्भर है।
- **प्रशासनिक प्राधिकार:** लोक सभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में, अध्यक्ष संसद भवन के अंदर प्रशासनिक विषयों और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करता है। अध्यक्ष संसदीय बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन और परिवर्धन को नियंत्रित करता है।

- **अंतर-संसदीय संबंध:** अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो अंतर-संसदीय संबंधों को सुगम बनाता है। अध्यक्ष विदेश में प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करता है और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 93/178:** लोक सभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 94/179:** लोक सभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद छोड़ना, त्यागपत्र देना या पद से हटाना।
- **अनुच्छेद 95/180:** उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 96/181:** अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब तक अध्यक्षता नहीं करनी है, जब तक कि उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- **अनुच्छेद 97/186:** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109:

धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया:

- **परिचय और प्रसारण:**
  - धन विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
  - लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, उन्हें सिफारिशों के लिए राज्य सभा (राज्य परिषद) में भेजा जाता है।
- **राज्य सभा द्वारा विचार:**
  - राज्य सभा के पास विधेयक को सिफारिशों के साथ लोक सभा को वापस भेजने के लिए 14 दिन का समय होता है।
  - लोक सभा किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- **अनुशंसाओं के आधार पर परिणाम:**
  - यदि लोक सभा सिफारिशें स्वीकार कर लेती है, तो विधेयक को उन संशोधनों के साथ पारित माना जाता है।
  - यदि लोक सभा सिफारिशें अस्वीकार कर देती है या 14 दिनों के अंदर कोई सिफारिश प्राप्त नहीं होती है, तो विधेयक को उसके मूल रूप में पारित माना जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110:

धन विधेयक की परिभाषा:

- **धन विधेयक के लिए मानदंड:** किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान हों:
  - किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
  - सरकार द्वारा उधार लेने का विनियमन।
  - भारत की समेकित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, इन निधियों में भुगतान या निकासी।
  - भारत की समेकित निधि से धन का विनियोजन।
  - भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की घोषणा।
  - भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गम।
- **प्रमाणीकरण:** यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

संबंधित चिंताएँ:

- **दल-बदल विरोधी कानून के तहत भूमिका:** अध्यक्ष के पास दल-बदल के आधार पर सांसदों या विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार होता है, जिसकी पक्षपातपूर्ण होने के आरोप में आलोचना की जाती है।
  - उदाहरण के लिए, 2020 में मणिपुर में अयोग्यता याचिका लगभग तीन वर्षों तक लंबित रही, जो देरी और निष्पक्षता पर चिंताओं को दर्शाती है।
- **धन विधेयक घोषित करना:** किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करके, अध्यक्ष राज्य सभा को इसकी पूरी तरह से जाँच करने से बाहर कर सकता है। आधार विधेयक जैसे विधेयकों को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने के निर्णय की आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें संभावित रूप से जाँच और संतुलन को दरकिनार किया गया है।
- **विधायी कार्यवाही:** अध्यक्ष को शिष्टाचार बनाए रखने और एक सुचारू विधायी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - हालाँकि, पक्षपात के आरोप सामने आए हैं, जैसे कि 2016 में विरोध प्रदर्शन के दौरान तमिलनाडु विधानसभा में विधायकों का सामूहिक निलंबन।

उच्चतम न्यायलय के निर्णय

- किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1993) के ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल उठाया जा सकता है। यह दुर्भावना, विकृति आदि जैसे आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा और अन्य (2020) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधानसभाओं और संसद के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, तीन महीने के अंदर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय करना चाहिए।
- नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016) मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अध्यक्ष को हटाने का नोटिस लंबित है, तो वह दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय करने से अक्षम है।
  - इस निर्णय ने प्रभावी रूप से, निष्कासन नोटिस का सामना कर रहे अध्यक्ष को दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने से रोक दिया।
- सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया।

- **पक्षपात के आरोप:** ब्रिटेन के विपरीत, जहाँ अध्यक्ष निष्पक्षता के लिए पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं, भारतीय अध्यक्ष पार्टी से जुड़े रहते हैं, जिससे निर्णय लेने में उनकी तटस्थता और निष्पक्षता पर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **सदन में व्यवधान:** बजट सत्र सहित हाल के सत्रों में कम उत्पादकता देखी गई है और 17वीं लोक सभा में 1952 के बाद से सबसे कम दिनों की बैठक हुई है। इससे व्यवस्था बनाए रखने और उत्पादक बहस को सुविधाजनक बनाने में अध्यक्ष की प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न हुआ है।

सुझाव:

- **स्थिरता बनाए रखना:** विविध राजनीतिक हितों की जटिल गतिशीलता को संतुलित करने के लिए अध्यक्ष की निष्पक्षता और न्यायसंगतता महत्त्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना, बहस के लिए समय का आवंटन और सदस्यों की मान्यता जैसे मुद्दों पर निर्णय सरकार की स्थिरता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **विवादों को सुलझाने में भूमिका:** एक गठबंधन सरकार में जहाँ अलग-अलग विचारधाराओं और एजेंडा वाले विभिन्न दल एक साथ आते हैं, संघर्ष और विवाद अपरिहार्य हैं। अध्यक्ष को इन विवादों में मध्यस्थता करने और सभी हितधारकों को स्वीकार्य समाधान खोजने में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए।
- **विधायी परिणामों पर प्रभाव:** विधायी एजेंडे को नियंत्रित करके, अध्यक्ष विधेयकों के पारित होने और सरकार की समग्र नीति दिशा को प्रभावित कर सकता है।
  - जैसा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था, "अध्यक्ष की भूमिका सिर्फ सदन चलाने तक ही सीमित नहीं है; बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच सेतु बनने और यह सुनिश्चित करने की भी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कायम रहे।"
- **गैर-पक्षपात सुनिश्चित करना:** पूर्ण गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने की परंपरा संविधान के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को और अधिक मजबूत बना सकती है।
  - उदाहरण के लिए, एन. संजीव रेड्डी ने 1967 में अध्यक्ष बनने पर अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो गैर-पक्षपातपूर्ण व्यवहार का सकारात्मक उदाहरण है।
  - ब्रिटेन में, अध्यक्ष पूरी तरह से गैर-पक्षपातपूर्ण होता है; ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है।
- **प्रदर्शन के आधार पर निरंतरता:** पेज समिति की सिफारिशों को लागू करें, जिससे अध्यक्षों को निष्पक्षता और दक्षता के आधार पर बाद की संसदों में बने रहने की अनुमति मिल सके।
- **राजनीतिक पद पर प्रतिबंध:** पात्रता मानदंड प्रस्तावित करें, जो अध्यक्षों को अपवादों के साथ भविष्य में राजनीतिक पदों पर बने रहने से रोकते हैं, जबकि उन्हें आजीवन पेंशन प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

- एक सक्रिय लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संसद आवश्यक है, जिसमें पीठासीन अधिकारी इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में संसदीय प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए अध्यक्ष के कार्यालय के निर्णय लेने में निष्पक्षता और स्वायत्तता को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

3. उपाध्यक्ष

17वीं लोक सभा (2019-24) की पूरी अवधि के दौरान कोई उपाध्यक्ष नहीं था।

परिचय:

- उपाध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन - लोक सभा के दूसरे नंबर के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
- लोक सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है।
- अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
- उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोक सभा अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है।

महत्त्व:

- **अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना:**
  - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन के सत्रों की अध्यक्षता करके संसदीय कार्यवाही की निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में उपाध्यक्ष महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि विधायी कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सके और सदन की कार्यप्रणाली कुशल और व्यवस्थित बना रहे।
- **प्रशासनिक कर्त्तव्यों में सहायता करना:** उपाध्यक्ष प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कर्त्तव्यों में अध्यक्ष की सहायता करते हैं। इसमें लोक सभा सचिवालय का प्रबंधन करने में मदद करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी विधायी दस्तावेज और प्रक्रियाएँ व्यवस्थित हैं और विभिन्न संसदीय समितियों की देख-रेख करना सम्मिलित है। यह सहायता कार्यभार को वितरित करने में मदद करती है और संसदीय मामलों के अधिक प्रभावी संचालन की अनुमति देती है।
- **निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्ण भूमिका:** अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष से भी निष्पक्ष और बिना किसी दलीय पक्षपात के अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह निष्पक्षता सदन के सभी सदस्यों का आत्मविश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चर्चा और निर्णय निष्पक्ष रूप से किए जाएं।
- **पार्टी प्रतिनिधित्व को संतुलित करना:** परंपरागत रूप से, उपाध्यक्ष विपक्ष या सत्ताधारी दल से भिन्न किसी दल से चुना जाता है। यह परंपरा सत्ता के संतुलन को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि संसदीय मामलों के प्रबंधन में विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व किया जाए।
- **उन्नत नेतृत्व:** उपाध्यक्ष की भूमिका संसदीय ढाँचे के अंदर नेतृत्व विकास का अवसर प्रदान करती है। महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ लेने से, उपाध्यक्ष को अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो एक विधायक और नेता के रूप में उनकी प्रभावशीलता में योगदान देती है।
- **समितियों में योगदान:** उपाध्यक्ष विभिन्न संसदीय समितियों में सम्मिलित हो सकते हैं, जो कानून और मुद्दों की विस्तृत जाँच के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी भागीदारी इन समितियों के अंदर विचार-विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को बढ़ाती है।

रिक्त पद के निहितार्थ:

- **अध्यक्ष के लिए कार्यभार में वृद्धि:** उत्तरदायित्व को साझा करने के लिए उपाध्यक्ष के बिना, अध्यक्ष को कार्य के बोझ में काफी वृद्धि का सामना करना पड़ता है। इससे परेशानी बढ़ सकती है और सदन की कार्यवाही, प्रशासनिक कर्त्तव्यों और अन्य जिम्मेदारियों के प्रबंधन की दक्षता में कमी आ सकती है।
- **संसदीय प्रबंधन में पक्षपात की संभावना:** उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, जो प्राय: अध्यक्ष से अलग पार्टी से होता है, निष्पक्षता के बारे में चिंता

का कारण बन सकता है। विपक्ष या किसी अन्य पार्टी के उपाध्यक्ष की उपस्थिति शक्ति संतुलन में मदद करती है और सदन के प्रबंधन में विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इस भूमिका के बिना, संसदीय कार्यवाही में पक्षपात या अनुचितता की धारणा हो सकती है।

- **विलंबित समिति कार्य:** उपाध्यक्ष प्राय: विभिन्न संसदीय समितियों के गठन और प्रबंधन में सहायता करते हैं। उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से समितियों के गठन में विलंब हो सकता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और विधायी मामलों की निगरानी कम हो सकती है, जिससे संसदीय समितियों की समग्र प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **प्रशासनिक दक्षता में कमी:** उपाध्यक्ष सदन के प्रशासनिक कार्यों में मदद करते हैं, जिसमें लोक सभा सचिवालय का प्रबंधन भी सम्मिलित है। उपाध्यक्ष के बिना प्रशासनिक कार्य संकीर्ण बन सकते हैं, जिससे संसदीय मामलों में अक्षमता और संभावित कुप्रबंधन हो सकता है।
- **कमजोर अंतर-संसदीय संबंध:** उपाध्यक्ष प्राय: अंतर-संसदीय संबंधों और कूटनीतिक जुड़ावों में भूमिका निभाते हैं। उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से ये संबंध कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंचों और आदान-प्रदान में प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के लिए कम अवसर हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

- विधायी निकायों के उपाध्यक्ष को दी गई शक्तियाँ संसदीय मर्यादा बनाए रखने और सुचारू कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बैठक की अध्यक्षता करने, प्रक्रियात्मक विषयों पर निर्णय लेने और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्त्तव्यों को संभालने में उनकी भूमिका उनके महत्त्व को बताती है।
- लोकतांत्रिक शासन में उपाध्यक्ष के पद की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए निष्पक्षता बनाए रखना और निर्णय लेने में निष्पक्षता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।

4. विपक्ष के नेता (LoP)

कांग्रेस के एक प्रमुख नेता राहुल गांधी वर्तमान में 18वीं लोक सभा में विपक्ष के नेता (LoP) के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह पद 10 वर्षों से रिक्त था, क्योंकि कोई भी पार्टी सदन की संख्या का कम से कम दसवाँ हिस्सा होने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाई थी। LoP लोक सभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का संसदीय अध्यक्ष होता है, जो सरकार में नहीं है।

परिचय:

- **वैधानिक मान्यता:** लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता की स्थिति को आधिकारिक तौर पर संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 में वर्णित किया गया था। अधिनियम के अनुसार, विपक्ष का नेता है:
  - राज्य सभा या लोक सभा का सदस्य।
  - सदन में सबसे अधिक संख्या बल वाली पार्टी का नेता जिसे सरकार के विरोध में सभापति या अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- **संख्यात्मक शक्ति:**
  - परंपरागत रूप से, यह माना जाता रहा है कि विपक्ष के नेता के पद के लिए पात्र होने के लिए किसी पार्टी के पास सदन में कम से कम 10% सांसद होने चाहिए।
  - हालाँकि, पूर्व लोक सभा महासचिव PDT आचार्य का तर्क है कि अध्यक्ष को विपक्ष में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देना आवश्यक है, जबकि 10% की सीमा को अनिवार्य करने वाला कोई नियम नहीं है।
- **वेतन और भत्ते:** विपक्ष के नेता को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

- **संस्थागत भूमिका:**
  - विपक्ष का नेता सत्तारूढ़ सरकार पर एक महत्त्वपूर्ण नियंत्रण के रूप में कार्य करता है तथा संसदीय प्रणाली के अंदर शक्ति संतुलन सुनिश्चित करता है।
  - विपक्ष के प्राथमिक प्रवक्ता के रूप में, विपक्ष का नेता वैकल्पिक नीतियों और दृष्टिकोणों को स्पष्ट करता है तथा अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक चर्चा को बढ़ावा देता है।
- **संसदीय कार्य:**
  - विपक्ष का नेता कानून की जाँच करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करता है कि पारित कानून अच्छी तरह से चर्चा किए गए हों और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें।
  - विपक्ष का नेता विभिन्न संसदीय समितियों का एक प्रमुख सदस्य होता है, जिनमें लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान समितियाँ शामिल हैं, जो सरकारी नीतियों और व्यय की विस्तृत जाँच में योगदान देता है।
- **उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ:** CBI निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों जैसे प्रमुख पदों की नियुक्ति के लिए उच्चस्तरीय समितियों में विपक्ष के नेता की भागीदारी सुनिश्चित करती है कि ये नियुक्तियाँ केवल सत्तारूढ़ पार्टी से प्रभावित न हों, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- **वरीयता क्रम:** वरीयता क्रम में विपक्ष के नेता का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के बराबर होता है, जो सरकारी ढाँचे में इस भूमिका के महत्त्व को दर्शाता है।
- **प्रतीकात्मक महत्त्व:**
  - विपक्ष का नेता असहमति और विरोध की अनुमति देने के लोकतांत्रिक सिद्धांत का प्रतीक है। यह भूमिका आपसी सहनशीलता की अवधारणा को मूर्त रूप देती है, जहाँ विविध विचारों को स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है।
  - प्राय: "छाया प्रधानमंत्री" के रूप में संदर्भित, विपक्ष का नेता और छाया मंत्रिमंडल शासन संभालने के लिए तैयार रहते हैं, यदि सत्तारूढ़ दल सदन का विश्वास खो देता है, जो विपक्ष की तत्परता और जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

छाया मंत्रिमंडल

- **परिभाषा:** छाया मंत्रिमंडल विपक्षी दल के वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह है जो सरकार की नीतियों और कार्यों की जाँच करता है, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट सरकारी मंत्री का विभाग सौंपा जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - **जाँच:** सरकारी नीतियों और निर्णयों की विस्तृत जाँच और आलोचना प्रदान करना।
  - **वैकल्पिक नीतियाँ:** वैकल्पिक नीतियों को विकसित करना और प्रस्तुत करना।
  - **प्रतीक्षारत सरकार:** विपक्ष को सरकार के लिए तैयार करना, ताकि यदि पार्टी चुनाव जीतती है, तो वह पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार रहे।
- **गठन:**
  - **नेता:** विपक्ष के नेता की अध्यक्षता में।
  - **सदस्य:** विभागों और कार्यालयों के मामले में सामान्यत: सरकारी कैबिनेट को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **कार्य:**
  - **नीति विकास:** वैकल्पिक नीतियाँ और रणनीतियाँ तैयार करता है।
  - **वाद-विवाद और चर्चा:** सरकारी मंत्रियों के साथ वाद-विवाद में भाग लेता है।
  - **उत्तरदायित्व:** सरकार को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाता है।
  - **सार्वजनिक संचार:** विपक्षी नीतियों को जनता और मीडिया तक पहुँचाता है।
- **संरचना:**
  - **सरकार को प्रतिबिम्बित करना:** प्रत्येक सदस्य एक विशिष्ट मंत्री पद की छाया में रहता है, जैसे वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि।
  - **समन्वय:** सुसंगत नीति और रणनीति सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें और समन्वित प्रयास।

केस स्टडी

- **यूनाइटेड किंगडम:**
  - यू.के. में सबसे पुरानी संसदीय प्रणालियों में से एक है और विपक्ष का नेता इसका एक स्थापित और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
  - विपक्ष का नेता सरकार में न रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करता है और सरकार को जवाबदेह बनाने में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता है।
  - यू.के. के विपक्ष के नेता को "प्रधानमंत्री-इन-वेटिंग" माना जाता है और राष्ट्रीय वाद-विवाद और नीति विकल्पों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - प्रधानमंत्री के प्रश्नों (PMQs) के दौरान विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिका होती है। यह एक साप्ताहिक सत्र होता है, जिसमें प्रधानमंत्री सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिसका नेतृत्व प्राय: विपक्ष के नेता करते हैं।
- **कनाडा:**
  - कनाडा में विपक्ष का नेता हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेतृत्व करता है।
  - इस भूमिका में सरकारी नीतियों की जाँच करना, वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना और प्रमुख संसदीय समितियों में भाग लेना शामिल है।
  - कनाडा का विपक्ष का नेता प्रश्नकाल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ब्रिटेन के PMQs के समान है, जो सरकार को जवाबदेह बनाता है।
  - विपक्ष का नेता मीडिया और सार्वजनिक जुड़ाव के माध्यम से जनमत बनाने और नीति को प्रभावित करने में भी भूमिका निभाता है।
- **ऑस्ट्रेलिया:**
  - ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष का नेता प्रतिनिधि सभा में सरकार से बाहर सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करता है।
  - ऑस्ट्रेलियाई विपक्ष का नेता संसदीय प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें प्रश्नकाल भी शामिल है।
  - विपक्ष का नेता प्राय: अगले प्रधानमंत्री के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जाता है, विशेषकर अगर उनकी पार्टी अगले चुनाव में विजय पाती है।
- **दक्षिण अफ्रीका:** दक्षिण अफ्रीका में, विपक्ष का नेता राष्ट्रीय असेंबली में सरकार में न रहने वाली सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करता है। विपक्ष का नेता सरकार को चुनौती देने और नीतिगत विकल्प प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

- **सार्वजनिक जवाबदेही:**
  - सरकार की नीतियों और कार्यों पर प्रश्न उठाकर और उनकी आलोचना करके, विपक्ष का नेता सरकार को उत्तरदायी बनाता है तथा जनता की आवश्यकताओं के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - विपक्ष का नेता उन लोगों के विचारों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुमत में नहीं हैं तथा यह सुनिश्चित करता है कि विधायी प्रक्रिया में अल्पमत की राय सुनी जाए और उस पर विचार किया जाए।
- **सुशासन को बढ़ावा देना:**
  - एक प्रभावी विपक्ष का नेता रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करके सुशासन में योगदान देता है, जिससे अधिक संतुलित और प्रभावी नीति-निर्माण संभव होता है।
  - विपक्ष का नेता राष्ट्रीय मुद्दों पर सूचित बहस की सुविधा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ और निर्णय व्यापक जनता के लिए सर्वांगीण और लाभकारी हों।

निष्कर्ष:

- विपक्ष के नेता का पद स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और संसदीय प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

5. लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

हाल के लोक सभा चुनावों में कुल 74 महिलाओं ने विजय प्राप्त की है, जो 2019 में निर्वाचित 78 महिलाओं की तुलना में मामूली गिरावट है।

18वीं लोक सभा में महिलाओं के संबंध में:

- भारत ने 2024 में लोक सभा के लिए 74 महिला सांसदों को चुना है, जो 2019 की तुलना में चार कम है, लेकिन 1952 में भारत के पहले चुनावों की तुलना में 52 अधिक हैं।
- ये 74 महिलाएँ निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% हैं, जो अगले परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित 33% से बहुत कम है।

विगत वर्षों से तुलना

- विगत कुछ वर्षों में, लोक सभा की लैंगिक संरचना में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है। हालाँकि, प्रगति धीमी है और निरंतर नहीं रही है।

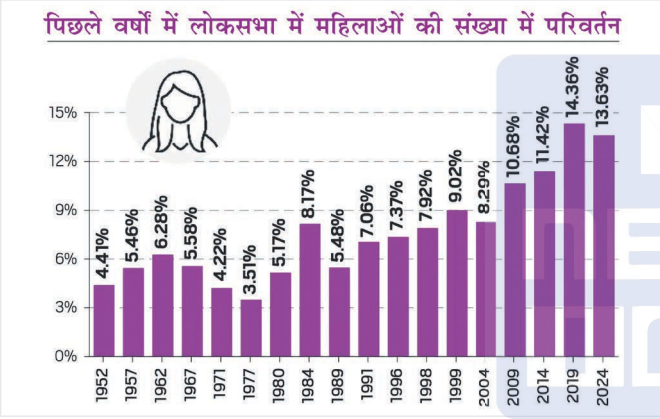

- 1952 में निचले सदन में महिलाओं की संख्या मात्र 4.41% थी तथा एक दशक बाद हुए चुनाव में यह बढ़कर 6% से अधिक हो गयी, किंतु 1971 में यह पुनः घटकर 4% से नीचे आ गयी।
- उसके बाद, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीमी, लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है (कुछ अपवादों के साथ), जो 2009 में 10% का आँकड़ा पार कर गई और 2019 में 14.36% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई थी।
- 2014 के लोक सभा चुनावों के बाद यह संख्या बढ़कर सिर्फ 12.15% रह गई। भारतीय संसद में महिला या पुरुष उम्मीदवारों के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है।

वैश्विक तुलना

- अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, विश्व भर में लगभग 26% महिला सांसद हैं।
- महिला विधायकों के बहुमत वाले कुछ देशों में से एक न्यूजीलैंड है।
- उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में 46%, ब्रिटेन में 35% तथा अमेरिका में 29% महिला सांसद हैं।

महिलाओं की कम भागीदारी के कारण

- **कम साक्षरता:** महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक निरक्षरता है। सामान्य तौर पर, महिला उम्मीदवार पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में कम शिक्षित और अनुभवी होती हैं।
  - भारत में, पुरुषों की 82% की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर 65% है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** यह तथ्य है कि महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक का बार-बार असफल होना, यह दर्शाता है कि सांसदों में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।
  - सभी दलों के मंचों पर अभी भी यह उपाय शामिल है, लेकिन इसे कभी भी अमल में नहीं लाया गया।
- **पहचान छुपाना:** 2019 के चुनावों में 206 महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, लेकिन उनमें से केवल एक ही जीत प्राप्त कर सकी।
  - यह दर्शाता है कि राजनीतिक दल और व्यक्ति का पालन-पोषण उसकी राजनीतिक सफलता को निर्धारित करने में क्या भूमिका निभाता है। उसकी असली पहचान पार्टी और परिवार द्वारा छिपाई जाती है।
- **पितृसत्तात्मकता:** बहुमत होने के बावजूद भी महिलाओं को वास्तव में अपने अधिकार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनके फैसलों में प्रायः पुरुष पति या परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका होती है। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच पति का गठन इसका स्पष्ट उदाहरण है।
- **लैंगिक असमानताएँ:** महिलाओं को अभी भी शिक्षा, संसाधन स्वामित्व और दृष्टिकोण में लैंगिक पूर्वाग्रह और असमानताओं के रूप में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **आत्मविश्वास और वित्त की कमी:** ये अन्य मुख्य बाधाएँ थीं, जो महिलाओं को राजनीति में अपना करियर बनाने से रोकती थीं।
- **श्रम का लैंगिक विभाजन:** एक ऐसी प्रणाली जिसमें घर की महिलाएँ या तो स्वयं ही सारा घरेलू काम संभालती हैं या घरेलू सहायकों के माध्यम से इसकी व्यवस्था करती हैं।
  - इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं।
- **निंदा और दुर्व्यवहार:** यह उन प्राथमिक बाधाओं में से एक है, जो महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकती हैं, जिसका सामना उन्हें प्रचार के दौरान करना पड़ता है। सुरक्षा की कमी एक अतिरिक्त कारक बताया गया है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का महत्त्व:

- **वैधता और विश्वास:** राजनीति में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता को बढ़ाता है और आबादी के बीच, विशेष रूप से महिला मतदाताओं के बीच अधिक विश्वास को प्रोत्साहन देता है, जो अपनी चिंताओं को संबोधित होते हुए देखती हैं।
- **नीतिगत प्राथमिकताएँ:** महिला विधायक प्रायः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, लिंग आधारित हिंसा, बाल देखभाल और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जो सामाजिक विकास और कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके समर्थन के बिना उन्हें अनदेखा या प्रतिनिधित्व कम किया जा सकता है।
- **संघर्ष समाधान:** राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को संघर्ष समाधान के लिए अधिक सहयोगी और सामान्य सहमति बनाने वाले दृष्टिकोणों में योगदान करते हुए दिखाया गया है, जिससे अधिक सतत् शांति प्रक्रियाएँ और परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

- **कानूनी सुधार:** महिला विधायक प्राय: लैंगिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से कानूनी सुधारों का समर्थन करने में सबसे आगे रहती हैं, जिसमें भेदभाव के विरुद्ध कानून, समान वेतन और हिंसा के खिलाफ सुरक्षा शामिल हैं।
- **आर्थिक विकास:** महिलाओं की बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी बेहतर आर्थिक परिणामों से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने में योगदान करती हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर, जिन देशों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक है, उनमें लैंगिक समानता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता होती है, जैसे कि सतत विकास लक्ष्यों में उल्लिखित लक्ष्य।
- **अंतर्संबंध:** महिलाओं की विविध पृष्ठभूमि (जिसमें नस्ल, जातीयता, वर्ग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता, आदि सम्मिलित हैं) अद्वितीय दृष्टिकोण लाती हैं, जो नीतिगत चर्चाओं को समृद्ध बनाती हैं और अधिक समावेशी शासन सुनिश्चित करती हैं।
- **रोल मॉडलिंग:** राजनीति में महिलाएँ भविष्य की पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करती हैं, युवा लड़कियों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती हैं और महिलाओं की क्षमताओं और भूमिकाओं के बारे में सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं।
- **लोकतांत्रिक मूल्य:** महिलाओं की भागीदारी समावेशिता, प्रतिनिधित्व और समान अवसर के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है, जिससे सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज को बढ़ावा मिलता है।

अंतर को कम करने के प्रयास

- भारत में, राष्ट्रीय महिला आयोग विधि निर्माण सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
  - उन्होंने संपत्ति कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों पर परामर्श आयोजित किए हैं और भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) के प्रभाव का आकलन किया है, जो पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका से संबंधित हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CEDAW) और भारत में इसके कार्यान्वयन पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है।
  - यह आशा की जाती है कि यह विधि निर्माताओं, नीति निर्माताओं, अधिकारियों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों तथा लिंग अध्ययन, मानवाधिकार और संबंधित विषयों के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा।
- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023):** यह हालिया संशोधन, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने तक यह राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति:** इस नीति का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है।
  - इस नीति का उद्देश्य व्यापक रूप से प्रसार करना था, ताकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

निष्कर्ष

- लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता के प्रति व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है।
- हालाँकि, विगत कुछ वर्षों से महिला सांसदों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है, भारतीय संसद में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
- आगामी परिसीमन प्रक्रिया, जो महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करेगी, सही दिशा में उठाया गया कदम है।
  - हालाँकि, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखना और एक समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक प्रणाली बनाने की दिशा में काम करना आवश्यक है।

सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन

NEET-UG और UGC धोखाधड़ी विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक सख्त कानून अधिसूचित किया है, जो 21 जून से लागू हो गया है।

पृष्ठभूमि:

- विगत कुछ वर्षों में प्रश्नपत्रों के लीक होने और संगठित धोखाधड़ी के कारण टेस्ट और परीक्षाएँ रद्द होने के कारण लाखों छात्रों के हितों पर प्रभाव पड़ा है।
- इस संबंध में, केंद्र सरकार 2024 में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक लेकर आई और बाद में फरवरी 2024 में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
- हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दी और उसके बाद इसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के रूप में लागू किया गया।
- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनुचित व्यवहार को संबोधित करता है।

परीक्षा लीक के पीछे कारण:

- **प्रश्नपत्रों के संचालन में कमजोरियाँ:** प्रश्नपत्रों को तैयार करने, छापने और वितरित करने की प्रक्रिया में प्रायः पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव होता है, जिससे लीक और अनधिकृत पहुँच की संभावना बनी रहती है।
- **अपर्याप्त आईटी सिस्टम:** ऑनलाइन परीक्षाओं में अपर्याप्त रूप से परीक्षण और तैनात आईटी सिस्टम के कारण महत्त्वपूर्ण जोखिम होते हैं, जिससे वे हैकिंग और अन्य साइबर खतरों के प्रति कमजोर हो जाते हैं।
- **कमजोर प्रवर्तन और दंड:** धोखाधड़ी को अपराध बनाने वाले वर्तमान कानून सजा दिलाने में अप्रभावी रहे हैं, जो मजबूत प्रवर्तन और उचित दंड की कमी को उजागर करता है।
- **समर्पित जाँच एजेंसी का अभाव:** भारत में परीक्षा से संबंधित अपराधों की जाँच करने और अपराधियों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एक विशेष एजेंसी का अभाव है।
- **सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को अपनाने में राज्य सरकारों का विवेक:** सार्वजनिक परीक्षा विधेयक एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो राज्य सरकारों को अपने स्वयं के अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए छोड़ देता है। हालाँकि, पिछले अनुभव, जैसे कि मॉडल APLM अधिनियम, दिखाते हैं कि राज्य सरकारें प्रायः इस प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण हित प्रदर्शित करती हैं।
- **राज्यों में असंगत कार्यान्वयन:** परीक्षा विनियमों के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में असंगत कार्यान्वयन और प्रवर्तन होता है, जिससे सुरक्षा और निष्पक्षता के विभिन्न स्तर होते हैं।
- **व्यापक निरीक्षण का अभाव:** देश भर में परीक्षा प्रक्रियाओं की देख-रेख और विनियमन के लिए एक केंद्रीकृत निकाय का अभाव है, जो कदाचार के विरुद्ध खंडित और अप्रभावी उपायों में योगदान देता है।
- **परीक्षा कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण: परीक्षा कर्मचारियों को प्रायः** सुरक्षा प्रोटोकॉल और हैंडलिंग प्रक्रियाओं पर अपर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है, जिससे मानवीय त्रुटियों और सुरक्षा उल्लंघनों का जोखिम बढ़ जाता है।
- **पुराना परीक्षा बुनियादी ढाँचा:** विभिन्न परीक्षा केंद्र पुराने बुनियादी ढाँचे और उपकरणों के साथ कार्य करते हैं, जिनमें लीक और अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए आवश्यक आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव है।
- **निगरानी में प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग:** परीक्षा के दौरान निगरानी और निरीक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने की क्षमता को कम करता है।

सार्वजनिक परीक्षा में धोखाधड़ी के निहितार्थ:

- **ग्रामीण और हाशिए पर पड़े समुदायों पर असंगत प्रभाव:** दूरदराज के ग्रामीण पृष्ठभूमि और हाशिए पर पड़ी जातियों के छात्रों को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आवेदन शुल्क, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण और किराए के लिए, लिए गए कर्ज का भार सम्मिलित है।
- **भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक थकान:** परीक्षाओं के बार-बार रद्द होने से छात्रों में थकान और तनाव बढ़ जाता है, साथ ही नए उम्मीदवारों के इस क्षेत्र में भाग लेने से प्रतिस्पर्धा का डर भी बढ़ जाता है।
- **नौकरी के संकट में वृद्धि:** भर्ती प्रक्रियाओं के रुकने से नौकरी बाजार का संकट और गहरा गया है, जिससे पहले से ही सीमित रोजगार के अवसर अधिक खराब हो गए हैं।
- **शैक्षणिक कैलेंडर में व्यवधान:** पेपर लीक के कारण परीक्षा स्थगित और रद्द होने से शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होते हैं, जिससे छात्रों के लिए अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **विश्वास और आत्मविश्वास की कमी:** बार-बार पेपर लीक होने से छात्रों का परीक्षा की निष्पक्षता और योग्यता पर विश्वास समाप्त हो जाता है, जिससे उनकी कठोर मेहनत और शिक्षा का मूल्य कम हो जाता है।
- **परिवारों पर वित्तीय तनाव:** प्रभावित छात्रों के परिवारों को आवेदन, तैयारी और रहने की लागत पर बार-बार होने वाले खर्च के कारण वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे समय पर परिणाम नहीं मिल पाते हैं।
- **बढ़ी हुई चिंता और तनाव:** परीक्षा कार्यक्रम और भर्ती प्रक्रियाओं के आसपास की अनिश्चितता छात्रों में चिंता और तनाव को बढ़ाती है, जिससे उनका समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- **संसाधनों तक सीमित पहुँच:** आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के पास प्रायः अध्ययन सामग्री, विश्वसनीय इंटरनेट और पर्याप्त अध्ययन वातावरण जैसे आवश्यक संसाधनों तक सीमित पहुँच होती है, जिससे असमानता का अंतर बढ़ जाता है।
- **करियर प्लानिंग पर प्रभाव:** चल रहे व्यवधान छात्रों की करियर प्लानिंग को प्रभावित करते हैं, कार्यबल में उनके प्रवेश में देरी करते हैं और उनके दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं।

- **हतोत्साहन और मनोबल में कमी:** परीक्षा की ईमानदारी और समय-सारणी से संबंधित लगातार समस्याएँ छात्रों में हतोत्साहन और मनोबल में कमी लाती हैं, जिससे वे आगे की शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने से हतोत्साहित होते हैं।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

प्रावधान:

- **सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा:**
  - **दायरा:** इसमें निर्दिष्ट 'सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों' या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षाएँ, जैसे कि UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA और केंद्र सरकार की भर्ती द्वारा आयोजित परीक्षाएँ शामिल हैं।
  - **प्राधिकरण विस्तार:** केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से नए प्राधिकरण जोड़ने की अनुमति देता है।
- **अनुचित साधन और संबंधित दंड:**
  - **अनुचित व्यवहार:** प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा के दौरान अनधिकृत सहायता, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और फर्जी वेबसाइट या एडमिट कार्ड बनाने सहित 15 कार्यों को अनुचित माना गया है।
  - **व्यक्तियों के लिए दंड:** अनुचित व्यवहार में सम्मिलित होने पर 3-5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास की सजा हो सकती है।
- **सेवा प्रदाताओं के लिए प्रावधान:**
  - **दंड:** अवैध गतिविधियों में शामिल सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही जाँच की आनुपातिक लागत भी वसूली जा सकती है।
  - **कानूनी परिणाम:** जाँच प्रक्रियाओं का विवरण, अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य बनाना, अर्थात बिना वारंट के गिरफ्तारी और स्वत: जमानत नहीं।
- **जाँच और प्रवर्तन:**
  - **जाँच प्राधिकारी:** अपराधों की जाँच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- **मॉडल ड्राफ्ट और तकनीकी समिति:**
  - **राज्य ढाँचा:** राज्यों को अनुचित परीक्षा प्रथाओं के विरुद्ध मानकीकृत उपाय अपनाने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।
  - **राष्ट्रीय तकनीकी समिति:** डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने और परीक्षाओं के लिए IT और भौतिक बुनियादी ढाँचे के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए एक समिति की स्थापना करता है।

अधिनियम से संबंधित चिंताएँ:

- **राज्य कार्यान्वयन में भिन्नताएँ:**
  - **राज्यों के लिए मॉडल:** एक मॉडल के रूप में, राज्य के विवेक से असंगत आवेदन हो सकता है।
  - **प्रभावशीलता संबंधी चिंताएँ:** भिन्नताएँ अनुचित परीक्षा परंपराओं के विरुद्ध कानून के राष्ट्रव्यापी प्रभाव को कमजोर कर सकती हैं।
- **प्रतिबंधों में कमियाँ:**
  - **अपर्याप्त निवारण:** यदि जुर्माना वित्तीय लाभ से कम है तो यह अनुचित व्यवहारों को पर्याप्त रूप से रोकने में सक्षम नहीं हो सकता।
- **तकनीकी समिति गठन में अस्पष्टता:**
  - **स्पष्टता का अभाव:** समिति की संरचना, योग्यता और अधिदेश के लिए दिशा-निर्देश अस्पष्ट हैं।
  - **विशेषज्ञता और निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ:** सदस्यों की अनिर्दिष्ट योग्यता के कारण समिति का मजबूत मानक निर्धारित करने की क्षमता पर संदेह।
- **विधिक चुनौतियाँ:**
  - **कठोर उपाय:** संज्ञेयता, गैर-जमानती और गैर-शमनीयता के प्रावधानों को असंगत बताकर चुनौती दी जा सकती है।
  - **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत:** इस बात पर वाद-विवाद होता है कि क्या यह अधिनियम अपने कठोर उपायों के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

आगे की राह:

- **राज्य कार्यान्वयन में सामंजस्य:**
  - **एकसमान दिशा-निर्देश:** एकसमान आवेदन सुनिश्चित करने तथा प्रवर्तन भिन्नताओं को न्यूनतम करने के लिए राज्यों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित करें।
  - **सर्वोत्तम अभ्यास साझा करना:** कार्यशालाओं या केंद्रीकृत मंच के माध्यम से राज्यों के बीच सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने की सुविधा प्रदान करें।
- **निवारण बढ़ाना:**
  - जुर्माने की समीक्षा करें और उसे समायोजित करें: जुर्माने को नियमित रूप से समायोजित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अनुचित व्यवहारों को प्रभावी ढंग से रोकें।
  - **वृद्धिशील दंड:** अनुचित व्यवहारों को रोकने के लिए बार-बार अपराध करने वालों के लिए उच्च दंड लागू करें।
- **तकनीकी समिति की भूमिका को स्पष्ट करना:**
  - **स्पष्ट अधिदेश और संरचना:** समिति की संरचना, योग्यता और अधि देश के बारे में स्पष्ट विवरण प्रदान करें।
  - **सार्वजनिक परामर्श:** यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श में भाग लें कि समिति में विशेषज्ञता और निष्पक्षता की एक विस्तृत श्रृंखला है।
- **विधिक चुनौतियों का समाधान:**
  - **आनुपातिकता समीक्षा:** सुनिश्चित करें कि विधेयक के प्रावधान अपराधों की गंभीरता के अनुपात में हों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें।
  - **कानूनी ढाँचे में समायोजन:** अभियुक्त के अधिकारों के साथ कठोर उपायों को संतुलित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो कानूनी ढाँचे को समायोजित करें।

- **निरीक्षण तंत्र का कार्यान्वयन:**
  - **नियमित ऑडिट और समीक्षा:** विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए नियमित ऑडिट और समीक्षा के लिए तंत्र स्थापित करें।
  - **फीडबैक तंत्र:** हितधारकों को सुधार का सुझाव देने के लिए एक मजबूत फीडबैक तंत्र बनाएँ।
- **प्रौद्योगिकी उपयोग को मजबूत करना:**
  - **प्रौद्योगिकी अपनाना:** अनुचित परंपराओं को रोकने के लिए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI निगरानी उपकरण जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
  - **निरंतर नवाचार:** परीक्षा संचालन और निगरानी में निरंतर नवाचार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करें।
- **परीक्षा रद्द होने पर क्षतिपूर्ति:** उन हजारों उम्मीदवारों द्वारा वर्षों तक की गई मेहनत, महत्त्वपूर्ण वित्तीय लागत और भावनात्मक भार के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए, जो अपने भविष्य की संभावनाओं के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं पर निर्भर हैं।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना:** पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों के त्वरित परीक्षण और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे इस तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके।
- **परीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना:** प्रश्नपत्र सेट करने, छपाई करने और वितरण में सुरक्षा उपायों को काफी हद तक बढ़ाया जाना चाहिए। ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने से परीक्षा से संबंधित डेटा को सुरक्षित रूप से संगृहीत और प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे मौजूदा खामियों को दूर किया जा सकता है।

परीक्षा संचालन मॉडल: पेपर लीक से बचने के लिए चीन बनाम अमेरिका

चीन मॉडल (CPC मॉडल):

- **केंद्रीकृत नियंत्रण:**
  - परीक्षाओं पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर नियंत्रण होता है।
  - केंद्रीकृत प्रशासन परीक्षा के पेपरों को संभालने में सम्मिलित लोगों की संख्या को कम करता है, जिससे लीक होने की संभावना कम हो जाती है।
- **कठोर सुरक्षा उपाय:**
  - उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल, जिसमें निगरानी और परीक्षा सामग्री तक सीमित पहुँच सम्मिलित है।
  - परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों के लिए कठोर दंड, जिसमें कानूनी परिणाम भी शामिल हैं।
- **तकनीकी सुरक्षा:** परीक्षा पत्रों के एन्क्रिप्शन और सुरक्षित प्रसारण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग। किसी भी अनधिकृत पहुँच या छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली।
- **राजनीतिक अनुशासन:** वैचारिक अनुरूपता और पक्ष निष्ठा पर बल देने से परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने की प्रेरणा कम हो जाती है।
  - परीक्षा प्रशासन में शामिल कर्मियों की व्यापक पृष्ठभूमि की जाँच और पुनरीक्षण।

USA मॉडल (सिविल सेवा परीक्षा):

- **विकेन्द्रीकृत प्रशासन:**
  - विभिन्न एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से परीक्षाएँ आयोजित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं।
  - एजेंसियों में सुरक्षा, परंपराओं में भिन्नता, समान मानकों को बनाए रखने में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **सुरक्षा प्रोटोकॉल:**
  - एजेंसियाँ विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाती हैं जैसे सुरक्षित भंडारण, सीमित पहुँच और परीक्षा पत्रों का नियंत्रित वितरण।
  - प्रसारण के दौरान अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए डिजिटल एन्क्रिप्शन और सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग।
- **पारदर्शिता और निगरानी:**
  - पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और विनियामक निकायों द्वारा निगरानी।
  - सार्वजनिक जाँच और मीडिया कवरेज संभावित लीक के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
- **कानूनी ढाँचा:** परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने में सम्मिलित व्यक्तियों के लिए कानूनी परिणाम, जिसमें आपराधिक आरोप भी शामिल हैं। परीक्षा संचालन और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों का सख्त प्रवर्तन।

तुलना:

- **केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण:**
  - चीन का केंद्रीकृत मॉडल सख्त नियंत्रण और समान सुरक्षा उपायों की अनुमति देता है।
  - USA का विकेंद्रीकृत मॉडल लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन लीक को रोकने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय और मानकीकरण की आवश्यकता होती है।
- **तकनीकी एकीकरण:**
  - दोनों मॉडल परीक्षा पत्रों के सुरक्षित संचालन और प्रसारण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।
  - चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न परंपराओं की तुलना में अधिक केंद्रीकृत और मानकीकृत तकनीकी समाधानों का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक:**
  - चीन द्वारा पार्टी निष्ठा और वैचारिक अनुरूपता पर दिया जाने वाला बल परीक्षा सुरक्षा को व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है।
  - पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी निरोध पर अमेरिका का ध्यान लोकतांत्रिक ढाँचे के अंदर सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

हाल ही में एक नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (ANSA) की नियुक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के अंदर और NSA तथा केंद्रीय मंत्रालयों के बीच रिपोर्टिंग संबंधों का पुनर्गठन चर्चा में रहा है।

परिचय:

- 1998 में इस पद की स्थापना के बाद से नियुक्त सभी NSA या तो भारतीय विदेश सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित हैं और भारत के प्रधानमंत्री के विवेक पर कार्य करते हैं।
  - हालाँकि, NSA की भूमिका के लिए कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंड, योग्यताएँ या निर्दिष्ट कर्त्तव्य नहीं हैं, जिसके कारण इस बात पर वाद-विवाद जारी है कि क्या कोई राजनयिक, सैनिक या विद्वान इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है।
- जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार NSA पद की स्थापना की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को NSA नियुक्त किया।
- ब्रजेश मिश्रा द्वारा परिभाषित इस दोहरी भूमिका को बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विभाजित कर दिया, जिन्होंने अलग-अलग व्यक्तियों को प्रधान सचिव और NSA के रूप में नियुक्त किया।
- इस विभाजन के कारण आंतरिक संघर्ष हुआ, जिसने NSA की भूमिका को जटिल बना दिया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने NSA रैंक को कैबिनेट मंत्री के स्तर का कर दिया और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन को उच्च रक्षा प्रबंधन के साथ एकीकृत किया।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) कार्यालय के प्रमुख कार्य:

- **रणनीतिक सलाहकार कार्य:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
  - घरेलू, विदेशी और रक्षा नीतियों पर व्यापक रणनीतिक परामर्श प्रदान करता है।
  - जटिल सुरक्षा और खुफिया मुद्दों पर गहन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- **समन्वय और एकीकरण:**
  - R&AW, IB, NTRO, MI, DIA और NIA जैसी एजेंसियों से सभी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करता है और उन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समन्वयित करता है।
  - सुरक्षा संबंधी नीतियों और कार्यों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच सामंजस्य और सुसंगतता सुनिश्चित करता है।
- **संकट प्रबंधन और प्रतिक्रिया:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा आपात स्थितियों के दौरान संकट प्रबंधन प्रयासों का नेतृत्व करता है।
  - संकट प्रतिक्रिया रणनीतियों के कार्यान्वयन की देख-रेख करता है।
- **राजनयिक सहभागिता और वार्ता:**
  - सुरक्षा मामलों पर उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता में भाग लेता है।
  - संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से निपटने के लिए ट्रैक-टू कूटनीति में संलग्न है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंचों और द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
- **संस्थागत नेतृत्व:** राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

ट्रैक टू कूटनीति

- ट्रैक टू कूटनीति में आधिकारिक कूटनीतिक प्रयासों को पूरक बनाने के लिए अनौपचारिक चैनल और गैर-राज्य अभिकर्ता सम्मिलित होते हैं। यह संवाद को बढ़ावा देता है, विश्वास का निर्माण करता है और संघर्षों के समाधान की खोज करता है।
- ट्रैक टू कूटनीति को भारत-पाकिस्तान ट्रैक दो संवाद जैसी पहलों में देखा जा सकता है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज (IPCJ) और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) जैसे संगठनों द्वारा सुगम बनाया गया है।

NSA का विस्तार और बदलती भूमिका:

- NSA अब एक बहुत बड़े संगठन की देख-रेख करता है, जिसमें एक अतिरिक्त NSA और तीन डिप्टी NSA शामिल हैं।
- यह विस्तार NSA की भूमिका को अधिक सलाहकार और कम परिचालनात्मक बनाता है।
- NSA की जिम्मेदारियों में अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और रणनीतिक नीति समूह जैसे सलाहकार निकायों से निपटना शामिल है।
- हालाँकि, NSA को अपनी रिपोर्टिंग बाध्यताओं के बावजूद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), तीनों सेवा प्रमुख और केंद्रीय रक्षा, गृह, विदेश और अन्य सचिव भी अपने दैनिक कार्यों में अपने संबंधित मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं।
- **संभावित कार्यक्षेत्र संबंधी मुद्दे:** यह देखते हुए कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सामान्यत: सिविल नौकरशाही को संभालते हैं, अगर NSA कैबिनेट सचिव और सरकारी सचिवों के साथ बैठकें आयोजित करने में अधिक सक्रिय हो जाता है, तो कार्यक्षेत्र संबंधी मुद्दे उठने की संभावना है।
- **नई संचार शृंखला:**
  - अतिरिक्त NSA अब छह मध्य-स्तरीय इकाई प्रमुखों (तीन उप NSA और तीन सेवा अधिकारी) और NSA के मध्य द्वारपाल के रूप में तैनात है।
  - यह अतिरिक्त नौकरशाही प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा की दैनिक निगरानी करने वालों के बीच सीधे संचार को जटिल बना सकती है।
  - इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि प्रधानमंत्री की दैनिक सुरक्षा ब्रीफिंग NSA, ANSA या दोनों के द्वारा आयोजित की जाएगी और खुफिया प्रमुख और CDS प्रधानमंत्री के साथ कैसे बातचीत करेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के कार्यालय से संबंधित लाभ:

- **एकीकृत रणनीतिक दिशा:** विभिन्न सुरक्षा पहलुओं को एकीकृत करके और सुसंगत रणनीति निर्माण सुनिश्चित करके बहुमुखी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- **त्वरित निर्णय लेने की क्षमता:** प्रधानमंत्री तक सीधी पहुँच NSA संकट के दौरान त्वरित, सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है, जिससे त्वरित कार्रवाई और प्रतिक्रियाएँ संभव होती हैं।
- **प्रभावी अंतर-एजेंसी सहयोग:** विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, जिससे सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान और सुसंगत परिचालन रणनीतियाँ सुनिश्चित होती हैं।
- **सक्रिय दीर्घकालिक योजना:** दूरदर्शिता और दीर्घकालिक रणनीतियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करता है और निरंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **लचीला कूटनीतिक जुड़ाव:** संवेदनशील वार्ता के लिए विवेकपूर्ण, उच्च-स्तरीय कूटनीति की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत नाजुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की त्रिस्तरीय संरचना

सामरिक नीति समूह (SPG):

- **संरचना और नेतृत्व:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, SPG में राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में नीति-निर्माण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं।
- **सदस्य:** सशस्त्र बलों, खुफिया ब्यूरो और अनुसंधान और विश्लेषण विंग (R&AW) के प्रमुख।
- **भूमिका:** प्राथमिक कार्य NSC को नीतिगत सिफारिशें करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB):

- **संरचना:** इसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षाविद और नागरिक समाज के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **भूमिका:** आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, विदेशी मामले, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा आर्थिक मामलों जैसे क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण और नीति सिफारिशें प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS):

- **निरीक्षण और संचालन:** प्रधानमंत्री द्वारा इसकी देख-रेख की जाती है और NSA इसके सचिव के रूप में कार्य करता है।
- यह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- **प्रमुख:** NSC का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि NSA प्रधानमंत्री के सचिव और प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- NSC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

चुनौतियाँ:

- **अस्पष्ट संवैधानिक अधिदेश:** NSA के पास स्पष्ट संवैधानिक समर्थन का अभाव है, जो इसके अधिकार और संचालन की वैधता और दायरे के बारे में प्रश्न उठाता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे:** NSA प्रत्यक्षत: संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिससे इसके कार्यों और निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **सुरक्षा नीतियों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का जोखिम:** वर्तमान NSA के व्यक्तिगत विचार सुरक्षा नीतियों को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण या असंतुलित निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है।
- **नागरिक-सैन्य संतुलन में संभावित व्यवधान:** NSA की भूमिका नागरिक और सैन्य संबंधों के बीच नाजुक संतुलन को बाधित कर सकती है, जिससे संभवत: तनाव या संघर्ष हो सकता है।
- **राज्य तंत्रों के साथ समन्वय में अस्पष्टताएँ:** संघीय ढाँचे में NSA की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जिससे राज्य तंत्रों और अधिकारियों के साथ संघर्ष और समन्वय के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
- **सीमाओं का अतिक्रमण करने का जोखिम:** NSA का व्यापक अधिदेश अन्य मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे संभावित रूप से अधिकार क्षेत्र संबंधी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम:

- **संस्थागत सुधार:**
  - **स्पष्ट अधिदेश और कानूनी ढाँचा:** NSA के लिए एक स्पष्ट अधिदेश स्थापित करें, जिसमें विशिष्ट जिम्मेदारियाँ और शक्तियाँ हों, जो एक मजबूत कानूनी ढाँचे द्वारा समर्थित हों।
  - **औपचारिक संरचना:** NSA के कार्यालय के लिए एक औपचारिक और अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना बनाएँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास आवश्यक संसाधन और स्वायत्तता है।
- **बेहतर समन्वय और एकीकरण:**
  - **अंतर-एजेंसी समन्वय:** विभिन्न खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय तंत्र को मजबूत करना। नियमित अंतर-एजेंसी बैठकें और संयुक्त कार्य बल सूचना साझाकरण और सहयोगात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं।
  - **एकीकृत कमांड सेंटर:** निर्णय लेने और संकट प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करें।
- **विधायी और नीतिगत उपाय:**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा कानून:** साइबर युद्ध, जैव सुरक्षा और आतंकवाद जैसे उभरते जोखिमों से निपटने के लिए व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाना।
  - **नीतिगत रूपरेखा:** वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और रणनीतियों का विकास करना और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन करना।

पंचशील

हाल ही में, यह देखा गया कि चीन 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों' की 70वीं वर्षगाँठ मना रहा है, जिसे पंचशील के रूप में जाना जाता है।

परिचय:

- इन सिद्धांतों को पहली बार औपचारिक रूप से चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार तथा अंतर्संबंध पर समझौते में प्रतिपादित किया गया था। भारत ने पंचशील का स्वागत किया तथा स्वतंत्रता के बाद से अपनी विदेश नीति के साथ इसके संरेखण को मान्यता दी।
- **प्राचीन पृष्ठभूमि:**
  - इसकी उत्पत्ति बौद्ध धर्म की पंचशील अवधारणा से मानी जाती है, जिसमें बौद्ध धर्म के पाँच नैतिक व्रतों का वर्णन है: हत्या, चोरी, यौन दुराचार, झूठ और नशीले पदार्थों से परहेज।
  - चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने मतभेदों के बीच सामंजस्य की बात की और इन सिद्धांतों की आधारशिला रखी।

पंचशील के 5 सिद्धांत:

1. **प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान:** दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की प्रादेशिक सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें एक-दूसरे के अधिकारों और सीमाओं को मान्यता देने के महत्त्व पर बल दिया गया।
2. **गैर-आक्रामकता:** भारत और चीन ने एक-दूसरे के विरूद्ध आक्रामक कार्रवाई न करने की शपथ ली है। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्षों को रोकना और शांति बनाए रखना था।
3. **परस्पर हस्तक्षेप न करना:** दोनों देशों ने एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें राष्ट्रीय स्वायत्तता और संप्रभुता के सम्मान पर बल दिया गया।
4. **समानता और पारस्परिक लाभ:** भारत और चीन अपने संबंधों में समान व्यवहार और पारस्परिक लाभ रखेंगे तथा यह निष्पक्षता और सहयोग पर बल देता है।
5. **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व:** अंतिम लक्ष्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व था, एक ऐसा वातावरण विकसित करना जहाँ दोनों देश बिना संघर्ष के प्रगति कर सकें।

प्रासंगिकता:

- चीनी क्रांति के बाद, साझा कार्यक्रम ने अधिकांश मूल पंचशील सिद्धांतों को अपनाया।
- पंचशील ने भारत-चीन संबंधों को निर्देशित किया तथा उत्तर-दक्षिण वार्ता और अन्य वैश्विक समूहों में भी यह प्रासंगिक हैं, हमारी निरंतर बदलती विश्व में इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
- **एशिया में सामूहिक सुरक्षा:** भारत और चीन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सैन्य समझौतों और गठबंधनों के जरिए नहीं बल्कि पाँच सिद्धांतों (पंचशील) के जरिए एशिया में सामूहिक सुरक्षा या सामूहिक शांति की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। उन्होंने चीन और बर्मा, बर्मा और भारत, चीन और इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया और भारत आदि के बीच इस तरह के पंचशील समझौतों की कल्पना की।

वैश्विक स्वीकृति

- पंचशील को लगभग सभी देशों द्वारा तथा अंततः संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आचार संहिता के रूप में पंचशील को स्वीकार किया है, बाद में, यूगोस्लाविया, स्वीडन और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाँच सिद्धांतों वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया; इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
- सक्रिय और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कदमों की एकश्रृंखला में, दोनों देशों के प्रमुखों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों का दौरा किया और उनमें से अधिकांश के साथ पाँच सिद्धांतों को शामिल करते हुए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- बांडुंग में आयोजित एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन में पाँच सिद्धांतों को स्वीकार किया गया तथा उन्हें बांडुंग के दस सिद्धांतों में विस्तारित किया गया।
- पंचशील विश्व में व्याप्त औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी प्रभुत्व के विरुद्ध समानता और स्वतंत्रता के लिए एशियाई-अफ्रीकी आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत बन गया।
- बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन ने इन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के मूल सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया।

भारत-चीन संबंध का महत्त्व:

- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:**
  - **प्राचीन व्यापार और रेशम मार्ग:** रेशम मार्ग, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक व्यापक नेटवर्क था, जिसने भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **बौद्ध धर्म:** बोधिधर्म और ह्वेन त्सांग जैसे भारतीय भिक्षुओं ने बौद्ध शिक्षाओं, धर्मग्रंथों और प्रथाओं को चीन तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - **कलात्मक आदान-प्रदान:** तांग राजवंश (618-907 ई.) के दौरान भारत और चीन के बीच कलात्मक आदान-प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए: चीन में डुनहुआंग गुफाएँ।
  - **दार्शनिक आदान-प्रदान:** चीन में कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद की शिक्षाएँ भारत में हिंदू धर्म और जैन धर्म के समान हैं।
- **भू-रणनीतिक महत्त्व :**
  - **क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता:** दोनों देशों का दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया में महत्त्वपूर्ण प्रभाव है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करता है। भारत और चीन को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता है, दोनों देश प्रभाव और शक्ति के लिए होड़ करते हैं।

- **समुद्री सुरक्षा:** हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं।
- **बहुपक्षीय संगठनों में प्रभाव:** भारत और चीन ब्रिक्स, एससीओ (SCO) और आरसीईपी (RCEP) जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में प्रमुख शक्तियाँ हैं और घटते अमेरिकी आधिपत्य की पृष्ठभूमि में ये विश्व व्यवस्था को आकार दे रहे हैं।
- **परमाणु प्रसार:** भारत और चीन दोनों परमाणु सम्पन्न राज्य हैं और उनके संबंध क्षेत्र में सामरिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** चीन की महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी परियोजना, BRI, भारत के सामरिक हितों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर प्रभाव डालती है।

- **भू-राजनीतिक संबंध:**
  - **सामरिक प्रतिद्वंद्विता:** भारत और चीन को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है, दोनों देश प्रभाव और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
  - **क्षेत्रीय गतिशीलता:** भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के भारत-प्रशांत क्षेत्र में हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
  - **बहुपक्षीय कूटनीति:** भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय कूटनीति में संलग्न हैं, जहाँ वे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग करते हैं।
  - **सॉफ्ट पावर प्रतियोगिता:** भारत और चीन सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक आदान-प्रदान और सार्वजनिक कूटनीति जैसे सॉफ्ट पावर उपकरणों के माध्यम से भी प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **भू-आर्थिक अंतर्निर्भरता:**
  - **व्यापार संबंध:** 2023 में, द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 136.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, जबकि चीन के पक्ष में व्यापार घाटा 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया था, जो चीन से भारत में आयात में 21% की वृद्धि से प्रेरित था।
  - **पूरक अर्थव्यवस्थाएँ:** भारत और चीन पूरक अर्थव्यवस्थाएँ हैं, चीन निर्मित वस्तुओं का एक प्रमुख निर्यातक है और भारत इन वस्तुओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाजार है।
  - **आपूर्ति शृंखला एकीकरण:** दोनों देश वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का भाग हैं, जिसमें चीन एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र है और भारत एक वैश्विक विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभर रहा है।
- **सुरक्षा सहयोग:**
  - **विश्वास-निर्माण उपाय:** दोनों देश विश्वास-निर्माण उपायों जैसे सीमा कर्मियों की बैठकें, सैन्य कमांडरों के बीच हॉटलाइन संचार और LAC पर शांति बनाए रखने के लिए समझौतों में प्रयासरत हैं।
  - **क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग:** भारत और चीन SCO और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे में प्रमुख खिलाड़ी हैं। दोनों देशों ने इन ढाँचों के अंदर आतंकवाद विरोधी पहल और समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग किया है।
  - **समुद्री सुरक्षा:** संचार के समुद्री मार्गों, बंदरगाह अवसंरचना विकास और क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति पर प्रतिस्पर्धा उनके सुरक्षा संबंधों में एक समुद्री आयाम जोड़ती है।
- **पर्यटन और लोगों के बीच आदान-प्रदान:** पर्यटन उद्योग भारत और चीन के बीच लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत चीन संबंध में मुद्दे:

- **सीमा विवाद:** दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर क्षेत्रीय दावे हैं, जिसके कारण कभी-कभी सीमा पर संघर्ष और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, 1962 का चीन-भारत युद्ध, डोकलाम गतिरोध और हाल ही में, गलवान घाटी में हुई संघर्ष आदि।
  - कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कहा गया है कि हमारा पड़ोसी हमारा स्वाभाविक शत्रु होता है।
  - 1993 में - LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और चीन ने 1993 से 2013 तक 5 सीमा विवाद निपटान समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा निपटान के लिए विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र की शुरुआत 2003 में हुई।
  - चीन के संदर्भ में, सलामी स्लाइसिंग दक्षिण चीन सागर और हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विस्तार की उसकी रणनीति को दर्शाता है।
- **तिब्बत मुद्दा:** भारत द्वारा दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार की मेजबानी भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है।
- **व्यापार असंतुलन:** भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा भारत के लिए लगातार चिंता का विषय है। चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** दोनों ही देश क्षेत्र में प्रमुख शक्तियाँ हैं और दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- **परमाणु प्रसार:** परमाणु सहयोग सहित पाकिस्तान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंध भारत के लिए चिंता का विषय रहे हैं।
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर सुरक्षा भारत और चीन के बीच एक विवादास्पद विषय बनकर उभरा है। दोनों देशों ने एक-दूसरे पर साइबर जासूसी और हैकिंग गतिविधियों का आरोप लगाया है, जिससे इस क्षेत्र में अविश्वास और तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए हैं।
- **हाइड्रो हेजेमनी:** हाल ही में, चीन ने त्सांगपो नदी पर एक "सुपर डैम" बनाने की अनुमति दे दी है। ब्रह्मा चेलानी जैसे यथार्थवादी विद्वान इसे "नदी के पानी के हथियारीकरण" का एक उदाहरण बतलाते है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** भारत और चीन के कई क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अलग-अलग विचार हैं, जैसे कि दक्षिण चीन सागर विवाद, उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम और अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया। ये मतभेद असहमति को जन्म दे सकते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर निकट सहयोग में बाधा डाल सकते हैं।
- **मानवाधिकार मुद्दे:** भारत ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड, विशेष तौर पर तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग के बारे में चिंता व्यक्त है। ये चिंताएँ प्राय: द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न करती हैं और विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को सीमित करती हैं।

- **दक्षिण एशियाई आधिपत्य और मोतियों की माला रणनीति:**
  - चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) ने दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के निवेश को बढ़ावा दिया है, जिसमें पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), श्रीलंका (हंबनटोटा) एवं बांग्लादेश (चटगांव) में निवेश, और नेपाल तथा मालदीव में विभिन्न परियोजनाएँ शामिल हैं।
  - इन निवेशों ने क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभाव को बढ़ाया है, जिससे चीनी ऋण और आर्थिक सहायता पर निर्भरता उत्पन्न हुई है। आर्थिक अंतर्निर्भरता दक्षिण एशिया में भारत के आधिपत्य के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।
  - चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में महत्त्वपूर्ण सामरिक समुद्री अड्डे स्थापित करती है, जिससे समुद्री हितों की सुरक्षा होती है, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है और भारत को घेरने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन होता है।
  - रणनीतिक बंदरगाहों का विकास करके, चीन का लक्ष्य भारत को घेरना और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे समुद्री अवरोध बिंदुओं पर नियंत्रण करना है, जिससे भारत के क्षेत्रीय समुद्री प्रभुत्व और सुरक्षा को चुनौती मिलेगी।

आगे की राह:

- **बहुपक्षीय रणनीति:**
  - **क्षेत्रीय सहभागिता:** चीनी प्रभाव को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना।
  - **आंतरिक संतुलन:** रक्षा क्षमताओं में वृद्धि, भारत को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में तेजी लानी चाहिए।
  - **बाह्य संतुलन:** दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाना।
- **3C (प्रतिस्पर्धा, सहयोग और टकराव):**
  - व्यापक सहयोग के लिए बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
  - चीन यथास्थिति को बदलने और हिमालय और हिंद महासागर क्षेत्र में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है।
  - भारत को यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।
- **भारत चीन सीमा विवाद समाधान:** सुविदित विवादित क्षेत्रों में अतिरिक्त बफर जोन स्थापित किए जाने चाहिए तथा वर्तमान सीमा प्रोटोकॉल, विशेष रूप से आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध के आधार पर इन्हें बनाया जाना चाहिए।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत को चीन के साथ व्यापार असंतुलन को ठीक करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, चीन पर आयात के लिए उसकी निर्भरता बहुत अधिक है।
- **संघर्ष निवारण और संकट प्रबंधन तंत्र:** भारत को हिमालयी क्षेत्रों और हिंद महासागर में विश्वसनीय सैन्य निवारण क्षमता का निर्माण और उसे बनाए रखने की आवश्यकता है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों की सौम्य शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है।
  - **उदाहरण:** छात्र विनिमय कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ जैसी पहल।
- **जीवंत ग्राम कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन:** यह सीमावर्ती जिलों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगा।

पंचामृत के पाँच स्तंभ

1. **आर्थिक समृद्धि:**
   - सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
   - नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का कार्यान्वयन।
   - समावेशी विकास सुनिश्चित करना, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले।
2. **राष्ट्रीय सुरक्षा:**
   - राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना।
   - आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
   - डिजिटल खतरों से सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय विकसित करना।
3. **गरिमा और सम्मान:**
   - वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को बढ़ावा देना।
   - सभी नागरिकों के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित करना।
   - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के राजनयिक संबंधों और प्रतिष्ठा को बढ़ाना।
4. **संवाद:**
   - **अधिकाधिक कूटनीतिक सहभागिता:** सक्रिय संवाद और सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लेना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और रणनीतिक गठबंधन बनाना शामिल है।
   - **लोगों के बीच संपर्क:** राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और सद्भावना बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देना। यह सिद्धांत मजबूत पारस्परिक संबंध बनाने पर केंद्रित है, जो आधिकारिक राजनयिक प्रयासों का पूरक है।
5. **सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध:**
   - **सांस्कृतिक कूटनीति:** कला, संगीत, नृत्य और साहित्य सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक छवि बनाना।

- **सभ्यतागत जुड़ाव:** राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों और साझा सांस्कृतिक तत्वों का उपयोग करना। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने में साझा विरासत और मूल्यों के महत्त्व पर बल देता है।

मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सभी राज्यों को मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की है।

परिचय:

- आयोग ने कहा कि स्टाम्प पेपर पर महिलाओं को बेचना पुरुष-प्रधान **कंजर समुदाय** में एक "प्रचलित प्रथा" है और राजस्थान के विभिन्न भागों में रहने वाले कुछ समुदायों में लड़कियों की तस्करी की अनैतिक प्रथा व्याप्त है।

अनुशंसाएँ:

- सभी राज्यों में एक मानव तस्करी विरोधी नोडल अधिकारी होना चाहिए, जो जिला मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (DAHTU) और संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रभावी कदम और उपाय के माध्यम से सरकार के साथ समन्वय करेगा। यह अधिकारी राज्य सरकार के सचिव या पुलिस महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।
- अधिकारी को महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार विभागों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित स्थानीय गैर सरकारी संगठनों तथा मानव तस्करी के क्षेत्र के विशेषज्ञों और जिले के कानूनी परामर्शदाताओं की मदद से ऐसी घटनाओं की प्रभावी निगरानी करनी चाहिए।

भारत में तस्करी की स्थिति

- भारत मानव तस्करी का स्रोत और गंतव्य देश दोनों है। मुख्य स्रोत देश नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार हैं, जहाँ से महिलाओं और लड़कियों को बेहतर जीवन, रोजगार और अच्छे रहन-सहन की स्थिति का लालच देकर तस्करी की जाती है।
- तस्करी की गई अधिकांश लड़कियाँ या युवतियाँ होती हैं, जिन्हें भारत आने के बाद बेच दिया जाता है और उन्हें व्यावसायिक देह व्यापार में धकेल दिया जाता है।
- NCRB के आँकड़ों के अनुसार, 2021 में मानव तस्करी के 6213 पीड़ितों को बचाया गया और उनमें से 3912 महिलाएँ थीं। सबसे ज्यादा पीड़ितों को ओडिशा (1290) से बचाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र (890), तेलंगाना (796) और दिल्ली (509) का स्थान रहा।

कारण:

- **गरीबी और आर्थिक सुभेद्यता:**
  - गरीबी और आर्थिक अवसरों की कमी व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को तस्करी के प्रति संवेदनशील स्थिति में धकेल देती है।
  - उदाहरण के लिए, आर्थिक कारक भारत में मानव तस्करी में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, तथा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब क्षेत्र इसके मुख्य केंद्र हैं।
- **सामाजिक भेदभाव और हाशिए पर डालना:**
  - जाति, लिंग, और धर्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव कुछ समुदायों को हाशिए पर डाल देता है, जिससे तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
  - सामाजिक पूर्वाग्रहों और सुरक्षात्मक तंत्रों की कमी के कारण हाशिए के समुदायों की दलित महिलाओं और लड़कियों को बलात् श्रम और यौन शोषण के लिए तस्करी के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा और जागरूकता का अभाव:**
  - तस्करी और इसके खतरों के बारे में शिक्षा और जागरूकता तक सीमित पहुँच के कारण व्यक्ति और समुदाय अज्ञानी और असुरक्षित रह जाते हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में, माता-पिता और बच्चों में तस्करी की योजनाओं और रोजगार के झूठे वादों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण शोषण होता है, जैसा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दर्ज मामलों में देखा गया है।
- **कमजोर कानून प्रवर्तन और भ्रष्टाचार:**
  - अपर्याप्त कानून प्रवर्तन, भ्रष्टाचार, तथा तस्करों और अधिकारियों के बीच सामंजस्य के कारण तस्करी नेटवर्क को दंड से मुक्त होकर काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है।
  - **उदाहरण:** ये तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने में प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करते हैं।
- **संघर्ष और आंतरिक प्रवास:** सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएँ और आंतरिक प्रवास समुदायों को बाधित करते हैं और व्यक्तियों को विस्थापित करते हैं, जिससे वे तस्करी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे राज्यों में संघर्ष और अस्थिरता के बीच जबरन विवाह और यौन शोषण के लिए महिलाओं और लड़कियों की तस्करी होती है।
- **सस्ते श्रम और यौन सेवाओं की माँग:**
  - निर्माण, कृषि और घरेलू कार्य जैसे उद्योगों में सस्ते श्रम के साथ-साथ यौन सेवाओं की उच्च माँग, तस्करी नेटवर्क को बढ़ावा देती है।
  - दिल्ली और मुंबई जैसे शहरी केंद्र श्रम और यौन शोषण दोनों के लिए तस्करी के केंद्र हैं, जो आर्थिक असमानताओं और सामाजिक मानदंडों से प्रेरित माँग को पूरा करते हैं।

भारत में तस्करी से निपटने में चुनौतियाँ:

- **व्यापक तस्करी विरोधी कानून का अभाव:** भारत में एक समग्र तस्करी विरोधी कानून का अभाव है, जो पीड़ितों की रोकथाम, सुरक्षा, पुनर्वास और मुआवजे को व्यापक रूप से संबोधित करता हो। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग नियम हैं, जो तस्करी के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं, जिससे प्रवर्तन और सुरक्षा में अंतराल होता है।
- **सरकारी अधिकारियों की कथित संलिप्तता:** सरकार ने तस्करी अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए सरकारी अधिकारियों की जांच, मुकदमा चलाने या उन्हें दोषी ठहराने की रिपोर्ट नहीं की है। जवाबदेही की यह कमी तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों को कमजोर करती है और कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास समाप्त करती है।
- **आश्रयों का अपर्याप्त ऑडिट:** तस्करी पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित आश्रयों का ऑडिट करने के प्रयास अपर्याप्त हैं।

इससे पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं, जिससे उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण में बाधा आती है।

- **संरक्षण सेवाओं में कमियाँ:** तस्करी के शिकार लोगों, विशेषतः बच्चों के लिए संरक्षण सेवाओं में कमियाँ अभी भी अनसुलझी हैं। अपर्याप्त आश्रय सुविधाएँ, अपर्याप्त परामर्श और पुनर्वास सहायता, तथा कानूनी सहायता तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिससे पीड़ित फिर से तस्करी के शिकार हो सकते हैं।
- **कानून प्रवर्तन समन्वय में चुनौतियाँ:** राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है, जिससे जाँच, अभियोजन और पीड़ित सहायता सेवाओं में असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। यह विखंडन तस्करी के मामलों में समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया में बाधा डालता है।
- **सामाजिक कलंक और पीड़ितों को दोषी ठहराना:** तस्करी के पीड़ितों और बचे लोगों के आस-पास गहरी सामाजिक कलंक की जड़ें जमी हुई हैं, जिसके कारण पीड़ितों को दोषी ठहराया जाता है और भेदभाव किया जाता है। यह कलंक पीड़ितों को पर्याप्त सहायता और पुनः एकीकरण के अवसर प्रदान करने के प्रयासों में बाधा डालता है, जिससे उनका हाशिए पर रहना जारी रहता है।
- **कोविड-19 महामारी का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी ने प्रवासी श्रमिकों और हाशिए पर खड़े समुदायों सहित जोखिम वाली आबादी के बीच कमजोरियों को बढ़ा दिया है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक सेवाओं में व्यवधान के कारण तस्करी के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई है।
- **अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** विभिन्न प्रयासों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से निपटने में अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय है। सीमित सीमा-पार सहयोग कई अधिकार क्षेत्रों में कार्य करने वाले तस्करों के विरुद्ध मुकदमा चलाने में बाधा डालता है।

तस्करी विरोधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (PITA) का लक्ष्य अनैतिक तस्करी और यौन कार्य को रोकना है। इसमें 1978 और 1986 में दो संशोधन किए गए।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह के कृत्य पर रोक लगाता है तथा दंड का प्रावधान करता है।
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 बच्चों को कुछ रोजगारों में भाग लेने से रोकता है तथा अन्य क्षेत्रों में बच्चों के लिए कार्य की स्थितियों को नियंत्रित करता है।
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, ऐसी श्रम प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाता है जहाँ लोग, बच्चों सहित, ऋण चुकाने के लिए दासता की स्थिति में कार्य करते हैं, और रिहा किए गए मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, जो कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 का उद्देश्य बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण को रोकना है।
- **भारत ने 2007 में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTU) की स्थापना की:** AHTU को कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया में वर्तमान अंतराल को संबोधित करने, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने, जो 'पीड़ित/बचावकर्ता के सर्वोत्तम हित' को सुनिश्चित करता है और पीड़ित के 'द्वितीयक उत्पीड़न/पुनः उत्पीड़न को रोकता है' तथा तस्करों पर डेटाबेस विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को संशोधित किया, जो किसी व्यक्ति को दास के रूप में खरीदने और बेचने से संबंधित है, इसमें मानव तस्करी की अवधारणा को शामिल किया गया है।

आगे की राह:

- **व्यापक तस्करी विरोधी कानून का अधिनियमन:** एक व्यापक तस्करी विरोधी कानून प्रस्तुत करना और पारित करना, जो पीड़ितों के लिए रोकथाम, संरक्षण, पुनर्वास और मुआवजा उपायों को एकीकृत करता है, तथा कानूनी ढाँचे में वर्तमान अंतराल को समाप्त करता है।
- **सरकारी अधिकारियों के लिए जवाबदेही:** तस्करी अपराधों में शामिल सरकारी अधिकारियों की जाँच, मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने के लिए तंत्र को मजबूत करना, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ जवाबदेही और रोकथाम सुनिश्चित करना।
- **आश्रय स्थलों की बेहतर निगरानी और लेखा परीक्षा:** तस्करी पीड़ितों के लिए देखभाल और सहायता के मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित आश्रय स्थलों की कठोर लेखा परीक्षा और निगरानी लागू करना।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय:** जाँच, अभियोजन और पीड़ितों की सहायता के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करना, ताकि तस्करी के मामलों में एकजुट प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।
- **शिक्षा और जागरूकता अभियान:** समुदायों, कमजोर आबादी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तस्करी के जोखिम और परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए देशव्यापी शिक्षा और जागरूकता अभियान शुरू करें।
- **अधिकारियों को प्रशिक्षण:** मानव तस्करी से निपटने वाले अधिकारियों के ज्ञान आधार को प्रेरित करना और अद्यतन करना आवश्यक है, जिसके लिए राज्यों को विशेष प्रयास करने होंगे और उन्हें नियमित आधार पर पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री आदि उपलब्ध करानी होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- **वैधानिक निकाय:** NHRC मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- **NHRC संरचना:** आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं।

NHRC के सदस्यों की योग्यताएँ:

- **अध्यक्ष:** भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
  - **पहला सदस्य:** सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ।
  - **दूसरा सदस्य:** किसी उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ।
  - **तीसरे ,चौथे और पाँचवें सदस्य:**
    - मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति।
    - **नोट:** इन तीन सदस्यों में से एक महिला होनी अनिवार्य है।
- **NHRC के सदस्यों की नियुक्ति:**
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - **नोट:** सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के कार्यरत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जा सकती है।

NHRC के कार्य:

- किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की जाँच करना, या तो स्वप्रेरणा से या उसके समक्ष प्रस्तुत याचिका पर या न्यायालय के आदेश पर।
- किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
- कैदियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जेलों और हिरासत स्थलों का दौरा करना तथा उसके आधार पर सिफारिशें करना।
- मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- आतंकवादी कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करना, जो मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
- लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

NHRC की शक्तियाँ:

- NHRC को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
- इसमें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं तथा इसकी कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होती है।
- यह केन्द्र और राज्य सरकारों या उनके किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी से सूचना या रिपोर्ट माँग सकता है।
- आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अधिनियम के कथित रूप से किए जाने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी मामले की जाँच करने का अधिकार नहीं है।
  - दूसरे शब्दों में, यह किसी मामले की घटना के एक वर्ष के अंदर जाँच कर सकता है।
- **आयोग जाँच के दौरान या उसके पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है:**
  - पीड़ित को मुआवजा या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना।
  - दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन या अन्य कार्रवाई हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना।
  - पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना।
  - आवश्यक निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना।

NHRC द्वारा संबोधित मुद्दे:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित व्यापक मुद्दों के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **देश भर में NHRC द्वारा उठाए गए मुद्दों के कुछ उदाहरण हैं:** मनमाना गिरफ्तारी और हिरासत, हिरासत में यातना और मौतें, फर्जी मुठभेड़, LGBTQ समुदाय के अधिकार, सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं और बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचार, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना, बाल श्रम, न्यायेत्तर हत्याएँ, यौन हिंसा और दुर्व्यवहार, SC/ST, दिव्यांग और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक मुद्दे आदि।

BRICS समूह और इसका विस्तार

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले BRICS समूह का विस्तार किया गया तथा इसमें छह अतिरिक्त देशों को आमंत्रित किया गया।

परिचय:

- छह अतिरिक्त देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात; अफ्रीका से मिस्र और इथियोपिया; तथा लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हैं।

15वाँ BRICS शिखर सम्मेलन

- **बहुपक्षवाद और सुधार की पुनःपुष्टि:** ब्रिक्स नेताओं ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन और सतत विकास जैसे सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति समावेशिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों के पुनर्गठन की वकालत की।
- **साझा मुद्रा की खोज:** ब्रिक्स नेताओं ने अपने देशों के अंदर व्यापार और निवेश के लिए साझा मुद्रा के संभावित विकास पर चर्चा शुरू की। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को ऐसी मुद्रा शुरू करने की व्यावहारिकता और लाभों का आकलन करने का काम सौंपा गया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं पर निर्भरता कम करना था।
- **अंतरिक्ष सहयोग पहल:** भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की हालिया चंद्र मिशन उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए ब्रिक्स देशों के अंदर एक अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा।
- **वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान:** ब्रिक्स नेताओं ने कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों की एक विस्तृत शृंखला पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर टीकों और चिकित्सा संसाधनों तक उचित पहुँच पर बल दिया और स्वास्थ्य, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नये सदस्यों के जुड़ने के निहितार्थ:

- **ऊर्जा संसाधन:** पश्चिम एशियाई देशों में सऊदी अरब और ईरान का शामिल होना, उनके विशाल ऊर्जा भंडारण के कारण भू-राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। सऊदी अरब, एक प्रमुख तेल उत्पादक, चीन और भारत जैसे ब्रिक्स देशों को पर्याप्त मात्रा में तेल की आपूर्ति करता है। प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद, ईरान ने अपने तेल उत्पादन और निर्यात में वृद्धि की है, मुख्य रूप से चीन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ब्रिक्स सदस्यों के बीच ऊर्जा सहयोग और व्यापार की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- **ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण:** रूस, जो परंपरागत रूप से चीन और भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है, नए ब्रिक्स सदस्यों को जोड़ने के साथ अपने ऊर्जा निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज कर रहा है। यह विविधीकरण ब्रिक्स ढाँचे के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को बढ़ाता है, जो सदस्य देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है।
- **सामरिक भौगोलिक उपस्थिति:** मिस्र और इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित हैं, महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होने के कारण महत्त्वपूर्ण भू-रणनीतिक महत्त्व रखते हैं। उनका समावेश इस रणनीतिक क्षेत्र में ब्रिक्स के भू-राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करता है, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार, बुनियादी ढाँचे के विकास और सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रभाव:** लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्जेंटीना ब्रिक्स गठबंधन में पर्याप्त आर्थिक प्रभाव लाता है। लैटिन अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वैश्विक आर्थिक हितों का केंद्र बिंदु रहा है और अर्जेंटीना का समावेश इस क्षेत्र में ब्रिक्स की उपस्थिति को मजबूत करता है, जिससे आर्थिक सहयोग, व्यापार विविधीकरण और रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि के रास्ते खुलते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

- BRICS **परिभाषा:** ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है, जो अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उत्पत्ति:** BRIC शब्द 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओश्नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था।
- **औपचारिकीकरण:** BRIC समूह को 2006 में BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था।
- **दक्षिण अफ्रीका का समावेश:** दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में BRIC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संक्षिप्त नाम BRICS को अपनाया गया।
- **जोहान्सबर्ग घोषणा 2023:** 2023 शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा में घोषणा की गई कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को 1 जनवरी, 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- **वार्षिक शिखर सम्मेलन:** 2009 से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है।

BRICS का महत्त्व:

- **आर्थिक प्रभाव:**
  - ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - (NDB) बैंक ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे सदस्य देशों में 96 बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए 32.8 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - वर्तमान में, पाँच सदस्यीय समूह में विश्व की 40 प्रतिशत आबादी रहती है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 26 प्रतिशत नियंत्रित करता है, लेकिन छह नए सदस्यों (ब्रिक्स+6) के साथ, उनका सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा 30 प्रतिशत हो जाएगा और जनसंख्या का हिस्सा 46 प्रतिशत हो जाएगा।
- **राजनीतिक प्रभाव:**
  - ब्रिक्स वैश्विक मुद्दों पर भू-राजनीतिक समन्वय और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- फरीद जकारिया इसे पोस्ट-अमेरिकी विश्व व्यवस्था कहते हैं और ब्रिक्स को पश्चिम का पतन और शेष का उदय (Fall of West and Rise of Rest) बताते हैं।
- ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकें आतंकवाद-निरोध, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित होती हैं तथा सामूहिक सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाती हैं।
- IMF और विश्व बैंक जैसी वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार पर ब्रिक्स नेताओं द्वारा संयुक्त वक्तव्य और पहल वैश्विक नीतियों को आकार देने में उनके प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

- **विकास और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:**
  - ब्रिक्स संयुक्त विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचा पहल को बढ़ावा देता है।
  - 2015 में स्थापित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) जिसकी कुल उधार क्षमता 100 बिलियन डॉलर है, तरलता दबाव के कारण भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को सहायता प्रदान करती है।
  - CRA वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के विरुद्ध वित्तीय स्थिरता और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे संकट के दौरान सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को लाभ प्राप्त होता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संबंध:**
  - ब्रिक्स विभिन्न पहलों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाता है।
  - ब्रिक्स संसदीय मंच, फिल्म महोत्सव, युवा शिखर सम्मेलन और शैक्षणिक मंच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और युवा आदान-प्रदान में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देंगे।
  - ये पहल सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देती हैं और सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करती हैं, जिससे गहन क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग:** ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स देश आतंकवाद विरोधी प्रयासों, साइबर सुरक्षा आदि पर सहयोग करते हैं।

SWIFT तंत्र

- सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली-कम्युनिकेशन (SWIFT) एक सुरक्षित मैसेजिंग नेटवर्क है, जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता है।
- यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय तरीके से वित्तीय लेन-देन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- स्विफ्ट कोड बैंकों की पहचान करते हैं और धन के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाते हैं, जिससे सीमा पार भुगतान में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

- **ब्रिक्स भुगतान प्रणाली:**
  - ब्रिक्स देशों का लक्ष्य SWIFT के विकल्प के रूप में एक भुगतान प्रणाली स्थापित करना है, जिससे डॉलर-मूल्य लेनदेन पर निर्भरता कम हो सके।
  - ब्रिक्स भुगतान प्रणाली का उद्देश्य वित्तीय स्वायत्तता और बाहरी आर्थिक दबावों के प्रति लचीलापन बढ़ाना है।
  - यह पहल आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए ब्रिक्स के प्रयासों को दर्शाती है।

चुनौतियाँ:

- **विविध आर्थिक संरचनाएँ:**
  - ब्रिक्स देश विविध आर्थिक संरचनाएँ प्रदर्शित करते हैं, जिससे नीतियों को प्रभावी ढंग से समन्वयित करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
  - 2010 के दशक के दौरान, तेल और खनिजों जैसे कमोडिटी निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर ब्राजील और रूस को कमोडिटी की अस्थिर कीमतों के कारण आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत, चीन की विविध अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र ने अधिक स्थिरता प्रदान की।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** ब्रिक्स सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक संरेखण और हित अलग-अलग हो सकते हैं, जिससे वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत स्थिति जटिल हो जाती है और जलवायु परिवर्तन समझौतों या संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ब्रिक्स का सामूहिक रुख प्रभावित होता है।
- **बुनियादी ढाँचे और विकास की जरूरतें:**
  - ब्रिक्स देशों के अंदर विभिन्न बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताएँ और विकास संबंधी असमानताएँ क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों में बाधा डालती हैं।
  - दक्षिण अफ्रीका की बुनियादी ढाँचागत चुनौतियाँ, विशेष तौर पर परिवहन और ऊर्जा के मामले में, चीन के उन्नत बुनियादी ढाँचा नेटवर्क से काफी अलग हैं। यह असमानता न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी पहलों के तहत संयुक्त विकास परियोजनाओं को प्रभावित करती है।
- **वित्तीय एवं मुद्रा चुनौतियाँ:**
  - मौद्रिक नीतियों और मुद्रा विनिमय दरों में अंतर वित्तीय सहयोग और स्थिरता के लिए चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, रूसी रूबल की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव ब्रिक्स के भीतर व्यापार प्रवाह और निवेश को प्रभावित करता है। 2014 में भू-राजनीतिक तनाव के कारण रूबल के मूल्यह्रास ने ब्रिक्स के भीतर व्यापार और निवेश गतिविधियों को प्रभावित किया।
- **संस्थागत समन्वय:**
  - न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी ब्रिक्स संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए प्रभावी प्रबंधन और सदस्य देशों की प्राथमिकताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
  - नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा परियोजना अनुमोदन में देरी ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए संवितरण को धीमा कर दिया है। 2023 तक, प्रतिबद्ध निधियों का केवल एक हिस्सा ही वितरित किया गया है, जिससे सदस्य देशों की विकास योजनाएँ प्रभावित हुई हैं।
- **बाहरी आर्थिक दबाव:**
  - व्यापार विवाद और प्रतिबंध जैसे बाह्य आर्थिक दबाव ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) अर्थव्यवस्थाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं।

- पश्चिमी देशों द्वारा रूस और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का ब्रिक्स के आर्थिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी पर प्रभाव पड़ता है। यह बाहरी दबाव समूह की आर्थिक सहयोग बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है।

भारत BRICS का लाभ कैसे उठा सकता है?

- **आर्थिक सहयोग:** ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत इस मंच का उपयोग सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। इसमें संयुक्त उद्यम, व्यापार समझौते और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी पहल शामिल हो सकती हैं।
- **राजनीतिक प्रभाव:** ब्रिक्स के सदस्य के रूप में, भारत को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक शासन सुधारों जैसे वैश्विक मुद्दों पर राजनीतिक रूप से शामिल होने के लिए एक मंच मिलता है। यह भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने की अनुमति देता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** ब्रिक्स सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो विविध संस्कृतियों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत कला, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रमों, आदान-प्रदान और सहयोग के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** ब्रिक्स के अंदर सहयोग संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से तकनीकी प्रगति और नवाचार को गति दे सकता है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** ब्रिक्स क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग कर सकता है, जो एशिया और उससे आगे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- **बहुपक्षीय कूटनीति:** ब्रिक्स भारत को बहुपक्षीय कूटनीति के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे वह पारंपरिक पश्चिमी-केंद्रित गठबंधनों के बाहर अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने में सक्षम होता है। इससे वैश्विक मुद्दों पर भारत की कूटनीतिक ताकत और प्रभाव बढ़ता है।
- **नोट:** जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुझाव दिया, भारत को दक्षिण-पश्चिमी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जो पश्चिम और विकासशील दुनिया का मिश्रण है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत दो पहचानों के बीच मध्यस्थता करता हुआ प्रतीत होता है।

आगे की राह:

- **आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना:**
  - **व्यापार और निवेश:** व्यापार बाधाओं को कम करके, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और निवेश को बढ़ावा देकर अंतर-ब्रिक्स व्यापार को बढ़ाना। सदस्य देशों को एक-दूसरे के बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके और सदस्य देशों की आर्थिक पहलों के लिए समर्थन बढ़ाकर NDB के दायरे और प्रभाव का विस्तार करना।
- **सतत विकास को बढ़ावा देना:**
  - **हरित पहल:** नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग करें।
  - सतत् कृषि, जल प्रबंधन और शहरी विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करें।
- **राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना:**
  - **सामूहिक सुरक्षा:** आतंकवाद, साइबर जोखिमों और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे आम सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए तंत्र विकसित करना। खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाना।
  - **वैश्विक शासन:** उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बेहतर ढंग से प्रतिबिम्बित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की वकालत करना।
- **तकनीकी और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देना:**
  - **संयुक्त अनुसंधान और विकास:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
  - **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग को सुविधाजनक बनाना। ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों का समर्थन करना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** ब्रिक्स देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों, कला प्रदर्शनियों और खेल कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- **संस्थागत ढाँचे को मजबूत करना:**
  - **ब्रिक्स सचिवालय:** गतिविधियों का समन्वय करने, प्रगति की निगरानी करने और पहलों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी ब्रिक्स सचिवालय की स्थापना करना।
  - **नियमित शिखर सम्मेलन और बैठकें:** उभरते मुद्दों पर ध्यान देने और रणनीतिक प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए नियमित शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय बैठकें और कार्य समूह बनाए रखें।

निष्कर्ष:

- ब्रिक्स आर्थिक एकीकरण को बढ़ाकर, सतत विकास को बढ़ावा देकर और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देकर अपने वैश्विक प्रभाव को मजबूत कर सकता है।
- आंतरिक चुनौतियों का समाधान करके और सदस्यता का विस्तार करके, ब्रिक्स अपने सामूहिक लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकता है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान विकास और अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है।

50वाँ G7 शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के पुगलिया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

G7 शिखर सम्मेलन के परिणाम:

- **G7 PGII (वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी) में पदोन्नति:**
  - **50वें G7 शिखर सम्मेलन में निर्णय:** नेताओं ने मजबूत G7 PGII पहल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया।
  - **पहल का शुभारंभ:** 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका और G7 सहयोगियों द्वारा शुभारंभ किया गया।
  - **उद्देश्य:** विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बुनियादी ढाँचे के अंतर को कम करना।
  - **सिद्धांत:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों की बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्य-संचालित, उच्च प्रभाव और पारदर्शी बुनियादी ढाँचा साझेदारी।
  - **वित्तपोषण लक्ष्य:** G7 विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाएगा।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे(IMEC) को समर्थन और प्रोत्साहन:**
  - **प्रतिबद्धता:** G7 राष्ट्र IMEC को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - **IMEC का उद्देश्य:** भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क (रेल, सड़क, समुद्र) बनाना।
  - **हस्ताक्षर:** PGII के भाग के रूप में, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए ।
  - **गलियारे:**
    - **पूर्वी गलियारा:** भारत को फारस की खाड़ी से जोड़ना।
    - **उत्तरी गलियारा:** फारस खाड़ी को यूरोप से जोड़ना।
  - **बुनियादी ढाँचा:** इसमें रेलमार्ग, जहाज से रेल नेटवर्क, सड़क परिवहन मार्ग, विद्युत केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड डेटा केबल शामिल हैं।
  - **हस्ताक्षरकर्ता:** भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी।
- **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन:**
  - **लोबिटो कॉरिडोर:** लोबिटो, अंगोला से DRC होते हुए जाम्बिया तक विस्तृत है।
  - **लूजोन कॉरिडोर:** लूजोन, फिलीपींस में रणनीतिक आर्थिक और बुनियादी ढाँचा गलियारा।
  - **मध्य गलियारा:** ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (TITR), जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, पारंपरिक गलियारों के विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- **ग्रेट ग्रीन वॉल पहल:**
  - **उद्देश्य:** अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना।
  - **कार्यक्षेत्र:** सहारा रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, जैव विविधता में सुधार लाने और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए पूरे अफ्रीका में वृक्षों की एक दीवार बनाना।
- **AI गवर्नेंस की अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना:**
  - **प्रतिबद्धता:** G7 नेता AI शासन दृष्टिकोणों के बीच अंतर-संचालनशीलता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - **फोकस:** नवाचार का समर्थन करने और स्वस्थ, समावेशी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जोखिमों का प्रबंधन करना।
- **यूक्रेन के लिए असाधारण राजस्व त्वरण (ERA) ऋण:**
  - **वित्तपोषण:** G7 ने 2024 के अंत तक यूक्रेन को लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

G7 शिखर सम्मेलन

- **उत्पत्ति:** G7 की उत्पत्ति 1973 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से हुई थी। यह बैठक उस समय की प्रमुख आर्थिक चुनौतियों – तेल संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन – के जवाब में बुलाई गई थी।
- **शिखर सम्मेलन:** राज्य और सरकार प्रमुखों का पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रैम्बौइलेट में आयोजित किया गया था।
- **सदस्य:** फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा तथा यूरोपीय संघ।
- **G7 के गठन से दो उद्देश्य पूरे हुए;**
  - पहला, सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मतभेदों को दूर करना तथा संकटों का प्रबंधन करना।
  - दूसरा, वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी लोकतांत्रिक और उदार आर्थिक मॉडल के प्रभुत्व को मजबूत करना।
- G7 का कोई औपचारिक संविधान या निश्चित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलनों के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं होते।
- **टाइम-लाइन:**
  - कनाडा 1976 में समूह में शामिल हुआ, और यूरोपीय संघ ने 1977 में इसमें भाग लेना शुरू किया।
  - 1997 में रूस के प्राम्भिक सात सदस्यों में शामिल हो जाने के बाद G7 को कई वर्षों तक "G8" के नाम से जाना जाता था।
  - 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद समूह को G7 कहा जाने लगा।

महत्त्व:

- **आर्थिक प्रभाव:** G7 में दुनिया की सात सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - ये देश मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार और वित्तीय बाजारों के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार वैश्विक आर्थिक नीतियों और रुझानों पर पर्याप्त प्रभाव रखते हैं।
  - वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में G7 की हिस्सेदारी लगभग 47% है और केवल पाँच देश - अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस - शीर्ष 7 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, जबकि इटली और कनाडा को चीन और भारत ने पीछे छोड़ दिया है।
- **राजनीतिक नेतृत्व:**
  - G7 राजनीतिक नेताओं के लिए आर्थिक नीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - यह सदस्य देशों को अपनी स्थिति संरेखित करने और वैश्विक मामलों पर सामूहिक प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करता है।
- **संकट प्रतिक्रिया:** G7 ने वैश्विक संकटों, जैसे 2008 के वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समूह वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य आपात स्थितियों और जलवायु संबंधी आपदाओं सहित उभरती चुनौतियों के लिए तेजी से समन्वय और संयुक्त प्रतिक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है।
- **वैश्विक प्रशासन और बहुपक्षवाद:**
  - G7 प्रभावी बहुपक्षवाद की वकालत करता है और संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के काम-काज का समर्थन करता है।
  - यह समूह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों के प्रति स्थिरता और सहकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
- **जलवायु परिवर्तन और स्थिरता:**
  - G7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है, तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित प्रौद्योगिकियों को समर्थन देने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध है।
  - समूह की प्रतिबद्धताएँ और कार्य वैश्विक जलवायु नीतियों को प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देते हैं।
- **तकनीकी नवाचार और साइबर सुरक्षा:** G7 तकनीकी नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है। सदस्य मानक निर्धारित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने पर सहयोग करते हैं।
- **विकास और मानवीय सहायता:** G7 अंतर्राष्ट्रीय विकास का समर्थन करता है और जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता प्रदान करता है। यह गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वैश्विक विकास लक्ष्यों में योगदान देता है।

चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
  - वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश साझेदारी (PGII) के लिए 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाना।
  - **उदाहरण:** विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बुनियादी ढाँचे के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त संसाधनों, समन्वय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। विविध भू-राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में इन निधियों का कुशल आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:**
  - जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्यों से निपटना, विशेष रूप से G7 सदस्यों और अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच भिन्न-भिन्न हितों और नीतियों के साथ।
  - **उदाहरण:** ब्रिक्स देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना, जो वैश्विक आबादी का 41% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% प्रतिनिधित्व करते हैं, महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करता है। G7 और ब्रिक्स सदस्यों के अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे अंतरराष्ट्रीय मंचों और वार्ताओं में टकराव का कारण बन सकते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पहल:**
  - सतत विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करना।
  - **उदाहरण:** अफ्रीका में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं का समर्थन करना, जिसके लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी सदस्य देशों से प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करना जटिल और संसाधन-गहन है।
- **तकनीकी शासन और AI**:
  - पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार सुनिश्चित करने के लिए एआई प्रौद्योगिकियों की अंतर-संचालनशीलता और प्रशासन को बढ़ाना।
  - **उदाहरण:** यह सुनिश्चित करना कि AI गवर्नेंस दृष्टिकोण स्वस्थ, समावेशी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं, जबकि संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानक और नियम बनाना शामिल है, जो सदस्य देशों में तेजी से आगे बढ़ रही तकनीकों और विविध विनियामक वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं।
- **आर्थिक असमानताएँ और समावेशी विकास:**
  - समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं को कम करना।
  - सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G-20 शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी पहलों के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को समर्थन देना।
  - समतापूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक पहलों का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुँचे।

- **राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता:**
  - वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू दबावों के बीच राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना।
  - **उदाहरण:** यूक्रेन के लिए असाधारण राजस्व त्वरण (ERA) ऋण प्रदान करना, जिसमें G7 ने 2024 के अंत तक लगभग 50 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता का समर्थन किया जा सके। घरेलू आर्थिक जरूरतों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करने से संसाधनों और राजनीतिक पूँजी पर दबाव पड़ सकता है।

आगे की राह:

- **बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना:**
  - साझा चुनौतियों का समाधान करने और विविध शक्तियों का लाभ उठाने के लिए ब्रिक्स, आसियान और अफ्रीकी संघ जैसे अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग बढ़ाना।
  - विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मजबूत संबंध बनाने से अधिक समावेशी और सहयोगात्मक वैश्विक वातावरण को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भू-राजनीतिक तनावों को दूर करने और वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी।
- **नवीन वित्तपोषण तंत्र:**
  - बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए प्रतिज्ञाबद्ध 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए मिश्रित वित्त और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्रों का विकास और कार्यान्वयन करना।
  - नवोन्मेषी वित्तपोषण निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित कर सकता है, जिससे विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए कुशल संसाधन आवंटन और सतत् वित्तपोषण सुनिश्चित हो सकता है।
- **एकीकृत जलवायु एवं विकास नीतियाँ:**
  - सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु कार्रवाई को विकास नीतियों के साथ एकीकृत करना।
  - जलवायु और विकास प्रयासों में समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय क्षरण की कीमत पर न हो, तथा दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा मिले।
- **तकनीकी सहयोग और शासन:**
  - साझा मानकों, विनियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - एआई का सहयोगात्मक शासन पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार सुनिश्चित कर सकता है, साथ ही संबंधित जोखिमों का प्रबंधन कर स्वस्थ आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा दे सकता है।
- **समावेशी आर्थिक रणनीतियाँ:**
  - ऐसी नीतियों को लागू करना जो आर्थिक असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हों, तथा यह सुनिश्चित करना कि लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुँचे।
  - समावेशी आर्थिक रणनीतियाँ संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर सकती हैं, सामाजिक स्थिरता को समर्थन दे सकती हैं और अधिक लचीली अर्थव्यवस्थाएँ बना सकती हैं, जिससे सभी सदस्य देशों और उनके भागीदारों के लिए दीर्घकालिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

- जटिल वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे G7 को बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए, वित्तपोषण में नवाचार करना चाहिए, जलवायु और विकास नीतियों को एकीकृत करना चाहिए, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
- सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाकर और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देकर, G7 वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, सतत विकास का समर्थन कर सकता है और सभी के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है।

G7 कैसे कार्य करता है?

G7 सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है

G7 एक चार्टर और सचिवालय वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं है। अध्यक्ष पद प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच परिवर्तित होता रहता है।

शेरपा (सदस्य देशों के मंत्री और दूत) राष्ट्रीय नेताओं की सभा से पहले होने वाली बैठकों में नीतिगत पहल करते हैं।

G7 द्वारा लिए गए निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन G7 सदस्यों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए, उनका अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर एक ठोस राजनीतिक प्रभाव पड़ता है।

2024 में G7 की अध्यक्षता इटली के पास है

साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) की बैठक के दौरान साइबरस्पेस ऑपरेशन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया।

परिचय:

- **अर्थ:** साइबरस्पेस एक जटिल वातावरण है जिसमें लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंत:क्रियाएँ शामिल हैं, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों और नेटवर्क के विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित हैं।
- **साइबरस्पेस का उदय**
  - **चौथा डोमेन:** भूमि, समुद्र और वायु के पारंपरिक डोमेन के अतिरिक्त, साइबरस्पेस आधुनिक युद्ध में एक महत्त्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण डोमेन के रूप में उभरा है।
- **साइबरस्पेस की प्रकृति**
  - **वैश्विक कॉमन्स:** पारंपरिक डोमेन में क्षेत्रीय सीमाओं के विपरीत, साइबरस्पेस साझा संप्रभुता के साथ एक वैश्विक कॉमन प्रकृति है।
  - **राष्ट्र पर प्रभाव:** साइबरस्पेस में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयाँ किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक निर्णय लेने और रक्षा क्षमताओं को प्रभावित कर सकती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा में एकीकरण:**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में समन्वय:** साइबरस्पेस में परिचालन को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एकीकृत करने की आवश्यकता है।
  - **अंत, तरीके और साधन:** अन्य परिचालन वातावरण में लाभ बनाने और घटनाओं को प्रभावित करने के लिए स्पष्ट उद्देश्यों (अंत), रणनीतियों (तरीकों) और संसाधनों (साधनों) की स्थापना करना।
- **भारत की साइबर रक्षा क्षमताएँ:**
  - **क्षमताओं में वृद्धि:** भारत अपनी साइबर रक्षा क्षमताओं को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है।
  - **आधुनिक युद्ध अनुकूलन:** आधुनिक युद्ध की विकसित प्रकृति के अनुकूल होना, जहाँ साइबरस्पेस एक प्रमुख युद्धक्षेत्र है।

महत्त्व:

- **एकीकृत रणनीति और उद्देश्य:**
  - सैन्य और खुफिया एजेंसियों की सभी शाखाओं को एकजुट करते हुए एक सुसंगत ढाँचा स्थापित करता है।
  - विभिन्न क्षेत्रों में सुसंगत उद्देश्यों और रणनीतियों को सुनिश्चित करता है।
- **बेहतर समन्वय और एकीकरण:**
  - विभिन्न सैन्य और नागरिक एजेंसियों के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देता है।
  - सूचना और संसाधनों के निर्बाध आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रभावी संसाधन आवंटन:**
  - दोहराव को रोककर और कुशल तैनाती सुनिश्चित करके संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करता है।
  - साइबर सुरक्षा और आक्रमण के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई।
- **बेहतर घटना प्रतिक्रिया:** साइबर घटनाओं का पता लगाने, उनका जवाब देने और उनसे उबरने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएँ। साइबर जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाओं की गति और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
- **व्यापक प्रशिक्षण और तैयारी:** कर्मियों के लिए एक मानकीकृत प्रशिक्षण ढाँचा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी शामिल संस्थाएँ नियमित अभ्यास और सिमुलेशन के माध्यम से साइबर संचालन के लिए तैयार हैं।
- **क्षमता विकास और नवाचार:** साइबर प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता है। उन्नत साइबर रक्षा तंत्र और आक्रामक क्षमताओं को अपनाने को बढ़ावा देता है।
- **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा:** ऊर्जा, संचार और वित्तीय प्रणालियों सहित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। साइबर हमलों से महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए विशिष्ट रणनीति विकसित करता है।
- **साइबर निरोध और रक्षा मुद्रा:** संभावित शत्रुओं के विरुद्ध एक विश्वसनीय निरोध मुद्रा स्थापित करता है। साइबर जोखिमों से बचाव और उन्हें रोकने की राष्ट्र की क्षमता को बढ़ाता है।
- **रणनीतिक संचार और प्रभाव:**
  - शत्रुओं को प्रभावित करने और सूचना वातावरण को आकार देने की क्षमता विकसित करता है।
  - साइबरस्पेस में राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक संचार को बढ़ाता है।
  - साइबर व्यवधानों की स्थिति में परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
  - निरंतर साइबर अभियानों के विरुद्ध लचीलापन बनाने के लिए रणनीति विकसित करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन:**
  - साइबर क्षमताओं को पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ एकीकृत करता है।
  - साइबर-सक्षम रणनीतियों और युक्तियों के माध्यम से पारंपरिक युद्ध की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
  - साइबरस्पेस की कमजोरियों को दूर करके समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।
  - यह सुनिश्चित करना कि साइबर संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न अंग है।

चुनौतियाँ:

- **परिष्कृत साइबर जोखिम:**
  - सशस्त्र बलों को राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं से तेजी से परिष्कृत साइबर जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका उद्देश्य संचालन को बाधित करना, संवेदनशील जानकारी चुराना या महत्त्वपूर्ण प्रणालियों में हेरफेर करना है।

- **उदाहरण:** 2020 में, भारत के रक्षा क्षेत्र को संवेदनशील सैन्य और रणनीतिक सूचनाओं को लक्षित करने वाले राज्य प्रायोजित समूहों द्वारा साइबर जासूसी के प्रयासों का सामना करना पड़ा।

- **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में कमजोरियाँ:**
  - संचार नेटवर्क, कमांड और नियंत्रण प्रणाली, तथा हथियार प्लेटफार्मों सहित महत्त्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढाँचे में कमजोरियाँ महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती हैं।
  - **उदाहरण:** सैन्य संचार नेटवर्क को निशाना बनाकर साइबर घुसपैठ की घटनाओं ने संवेदनशील परिचालन डेटा और कमांड अखंडता को सुरक्षित रखने में कमजोरियों को उजागर किया है।
- **आंतरिक जोखिम और जासूसी:**
  - दुर्भावनापूर्ण अंदरूनी सूत्र और अनजाने उल्लंघनों सहित आंतरिक जोखिम जासूसी, तोड़फोड़ या वर्गीकृत जानकारी तक अनधिकृत पहुँच का जोखिम उत्पन्न करते हैं।
  - **उदाहरण:** सैन्य कर्मियों द्वारा अनजाने में संवेदनशील सैन्य डेटा को समझौता किए गए उपकरणों या फिशिंग हमलों के माध्यम से लीक करने के मामले सैन्य साइबर सुरक्षा में आंतरिक जोखिमों की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
- **पर्याप्त साइबर सुरक्षा ढाँचे का अभाव:**
  - नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकी सुरक्षा उपायों सहित सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं में मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचे की स्थापना और रख-रखाव में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - **उदाहरण:** रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों में साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियाँ हैं, जिसके कारण साइबर हमलावरों द्वारा इनका फायदा उठाया जा रहा है।
- **साइबर युद्ध और हाइब्रिड जोखिम:**
  - साइबर युद्ध रणनीति और पारंपरिक सैन्य रणनीति को साइबर क्षमताओं के साथ मिलाकर हाइब्रिड जोखिमों का उदय रक्षा कार्यों के लिए जटिल चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
  - **उदाहरण:** सैन्य बुनियादी ढाँचे को लक्षित करने वाले साइबर-भौतिक हमलों का बढ़ता उपयोग, जैसे कि विद्युत ग्रिड या उपग्रह संचार को बाधित करना, हाइब्रिड जोखिमों की विकसित प्रकृति को प्रदर्शित करता है।

उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति:** इसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिए सुरक्षित और लचीला साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है। इसमें साइबरस्पेस की सुरक्षा, साइबर हमलों को रोकने और उनका जवाब देने की क्षमता बनाने और संस्थागत संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी से जुड़े समन्वित प्रयासों के माध्यम से नुकसान को कम करने की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है।
- **साइबर सुरक्षित भारत पहल:** साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करने के लिए शुरू की गई।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** (I4C): साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक व्यापक ढाँचा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।
  - इसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण इकाई, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, प्रशिक्षण केंद्र, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई, अनुसंधान और नवाचार केंद्र, फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र और संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म जैसी इकाइयाँ शामिल हैं।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र):** भारत में बॉटनेट संक्रमण का पता लगाने और उसे कम करने, अंतिम उपयोगकर्ताओं के सिस्टम को सुरक्षित करने और सुरक्षित साइबरस्पेस सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया।
- **कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम-भारत** (CERT-In): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित, CERT-In साइबर घटनाओं पर जानकारी एकत्र करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसका प्रसार करता है, तथा साइबर सुरक्षा खतरों पर अलर्ट जारी करता है।
- **महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना** (CII) **सुरक्षा:** इसे ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सुरक्षा केंद्र (NCIIPC) बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन, सरकार और रणनीतिक उद्यमों जैसे क्षेत्रों में CII की सुरक्षा करता है।
- **रक्षा साइबर एजेंसी** (DCyA): भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा कमान जिसे साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। यह हैकिंग, निगरानी, डेटा रिकवरी, एन्क्रिप्शन और विभिन्न साइबर जोखिमों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जैसे साइबर ऑपरेशन करता है।

आगे की राह:

- **आधुनिकीकरण के माध्यम से साइबर लचीलापन बढ़ाना:** उन्नत साइबर सुरक्षा को एकीकृत करने और कमजोरियों को कम करने के लिए संचार नेटवर्क और कमांड सिस्टम सहित महत्त्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना।
- **व्यापक साइबर सुरक्षा ढाँचे को लागू करना:** सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं में मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचे को विकसित और लागू करना, जिसमें उभरते साइबर जोखिमों से सुरक्षा के लिए अद्यतन नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकी सुरक्षा उपायों को शामिल करना शामिल है।
- **साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता में निवेश करें:** सैन्य कर्मियों के बीच साइबर जागरूकता और कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करें, जिसमें जोखिम का पता लगाने, घटना की प्रतिक्रिया और आंतरिक जोखिमों और साइबर जासूसी जोखिमों को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों पर बल दिया जाए।
- **साइबर सुरक्षा के साथ पुरानी प्रणालियों को उन्नत करना:** आधुनिक साइबर सुरक्षा क्षमताओं के साथ सशस्त्र बलों के अंदर पुरानी प्रणालियों के उन्नयन में तेजी लाना यह सुनिश्चित करना कि ये प्रणालियाँ वर्तमान और भविष्य के साइबर हमलों के प्रति लचीली हों।
- **सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को मजबूत करना:** खतरे की खुफिया जानकारी, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और उद्योग के अग्रणियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना, साइबर युद्ध और हाइब्रिड विरुद्ध के खिलाफ सामूहिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना।

तकनीकी वस्त्र

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय तकनीकी वस्त्र बनाने में लगे 150 स्टार्टअप्स को 50-50 लाख रुपये तक का अनुदान देने की योजना बना रहा है।

परिचय

- तकनीकी वस्त्रों को वस्त्र सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं के स्थान पर उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है।
- वे प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित फाइबर जैसे कि नोमेक्स, केवलर, स्पैन्डेक्स, ट्वारोन का उपयोग करके निर्मित होते हैं, जो उच्च दृढ़ता, उत्कृष्ट इन्सुलेशन, बेहतर थर्मल प्रतिरोध आदि जैसे उन्नत कार्यात्मक गुणों को प्रदर्शित करते हैं।

भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग

- भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार विश्व में 5वाँ सबसे बड़ा बाजार है और 2021-22 में 21.95 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया, जिसमें उत्पादन 19.49 बिलियन डॉलर और आयात 2.46 बिलियन डॉलर था।
- तकनीकी वस्त्र भारत के कुल कपड़ा और परिधान बाजार का लगभग 13% हिस्सा है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% का योगदान देता है।
- भारत का तकनीकी वस्त्र उत्पादों का निर्यात 2021-22 में बढ़कर 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 2021-22 में 2.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग:

- **मेडिकल टेक्सटाइल्स (MedTech):** अस्पतालों में स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल गाउन, मास्क और ड्रेस।
- **कृषि टेक्सटाइल्स (AgroTech):** किसानों द्वारा फसलों को मौसम की स्थिति और कीटों से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फसल कवर, छायांकन जाल और मल्च मैट।
- **सुरक्षात्मक टेक्सटाइल्स (ProTech):** अग्निशामकों के लिए अग्निरोधी कपड़े, कानून प्रवर्तन के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और औद्योगिक श्रमिकों के लिए रासायनिक सुरक्षात्मक सूट।
- **निर्माण टेक्सटाइल्स (BuildTech):** मिट्टी की स्थिरता और जल निकासी को बढ़ाने के लिए सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले जियोटेक्सटाइल्स और हल्के ढाँचे के लिए वास्तुशिल्प संरचना।
- **ऑटोमोटिव टेक्सटाइल्स (MobilTech):** सुरक्षा और आराम को बढ़ाने के लिए वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले सीट बेल्ट, एयरबैग और सोफासाजी कपड़े।
- **खेल टेक्सटाइल्स (SportTech):** एथलेटिक पहनावे में इस्तेमाल किए जाने वाले नमी सोखने वाले कपड़े तथा पैराशूट और पाल जैसे खेल उपकरणों में प्रयोग की जाने वाली उच्च शक्ति वाली सामग्री।
- **स्मार्ट टेक्सटाइल्स (E-Textiles):** हृदय गति और अन्य महत्त्वपूर्ण संकेतों की निगरानी के लिए सेंसर युक्त वस्त्र तथा दृश्य प्रभावों के लिए अंतर्निर्मित एल.ई.डी. युक्त वस्त्र।

तकनीकी वस्त्र उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ:

- **अनुसंधान एवं विकास का अभाव:**
  - इस उद्योग में लघु और मध्यम उद्यमों का वर्चस्व है, जिनके पास उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है।
  - **उदाहरण:** भारत के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में विभिन्न SMEs सीमित अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के कारण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले जियोटेक्सटाइल जैसे उच्च प्रदर्शन वाले वस्त्र विकसित करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- **कुशल कार्यबल का विकास:**
  - तकनीकी वस्त्रों में विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए अनेक प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं, जिसके लिए श्रमिकों से विभिन्न उच्च-स्तरीय कौशल की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में घरेलू उद्योग में अनुपस्थित है।
  - **उदाहरण:** सर्जिकल गाउन और मास्क जैसे चिकित्सा वस्त्रों के उत्पादन के लिए सटीक कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसकी प्राय: दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे विकासशील क्षेत्रों में कमी होती है।
- **उच्च उत्पादन लागत:**
  - तकनीकी वस्त्रों में प्रयुक्त उन्नत सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के कारण प्राय: उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
  - **उदाहरण:** कार्बन फाइबर जैसे कच्चे माल की उच्च लागत और विशेष मशीनरी की आवश्यकता के कारण एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए उन्नत मिश्रित वस्त्रों का उत्पादन महँगा है।
- **आपूर्ति शृंखला मुद्दे:**
  - तकनीकी वस्त्रों की आपूर्ति शृंखला प्राय: खंडित होती है और उसमें समन्वय का अभाव होता है।
  - **उदाहरण:** उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति में देरी औद्योगिक उपयोग के लिए सुरक्षात्मक कपड़े बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन कार्यक्रम को बाधित कर सकती है।
- **पूँजी तक सीमित पहुँच:**
  - तकनीकी वस्त्र उद्योग में लघु और मध्यम उद्यमों को प्राय: वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - अभिनव स्मार्ट वस्त्र (ई-वस्त्र) विकसित करने वाले स्टार्टअप को इन उत्पादों से जुड़े उच्च जोखिम और लंबे विकास समय के कारण निवेशकों को खोजने में संघर्ष करना पड़ सकता है।
- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन से पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, जिसमें उच्च ऊर्जा खपत और अपशिष्ट उत्पादन सम्मिलित है।

- **उदाहरण:** गैर-बुने हुए भू-वस्त्रों (जियोटेक्सटाइल) की विनिर्माण प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण अपशिष्ट उत्पन्न हो सकता है, जिससे सतत प्रथाओं में निवेश की आवश्यकता होती है।

- **बाजार में अस्थिरता:**
  - तकनीकी वस्त्र बाजार कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और उपभोक्ता माँग में बदलाव के प्रति संवेदनशील है।
  - **उदाहरण:** तकनीकी वस्त्रों में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर की कीमत अत्यधिक अस्थिर हो सकती है, जिससे औद्योगिक फिल्टर बनाने वाले निर्माताओं की लागत संरचना प्रभावित होती है।
- **बौद्धिक संपदा मुद्दे:**
  - तकनीकी वस्त्र जैसे अत्यधिक नवीन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (IP) की सुरक्षा करना महत्त्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण है।
  - एक नए प्रकार के अग्निरोधी कपड़े को विकसित करने वाली कंपनी को पेटेंट हासिल करने और प्रतिस्पर्धियों से अपने IP की रक्षा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर कमजोर IP प्रवर्तन वाले बाजारों में।
- **जागरूकता की कमी:**
  - तकनीकी वस्त्रों के लाभ अभी भी देश के बड़े लोगों के लिए अज्ञात हैं। यह इन उत्पादों के बारे में विपणन और बुनियादी ज्ञान की कमी का परिणाम है।
  - **उदाहरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में किसान फसल कवर और सिंचाई वस्त्र जैसे एग्रोटेक (कृषि वस्त्र) के उपयोग के लाभों से अवगत नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपनाने की दर कम है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM):** इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना था।
- तकनीकी वस्त्रों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना आरंभ की गई थी।
- **नामकरण की नई सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (HSN) कोड:** 2019 में 207 मान्यता प्राप्त तकनीकी वस्त्र वस्तुओं के अलावा, तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए समर्पित 30+ अतिरिक्त HSN कोड।
- **PM MITRA पार्क योजना:** यह परियोजना संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास पर केंद्रित है।
- **तकनीकी वस्त्रों में मानक:** तकनीकी वस्त्रों के लिए 500 से अधिक BIS मानकों का विकास।
- **तकनीकी वस्त्रों का अनिवार्य उपयोग:** विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के लाभ प्राप्त करने के लिए दस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए 119 तकनीकी वस्त्र उत्पादों की पहचान की गई है।

आगे की राह:

- **अनुसंधान एवं विकास:** नवाचार को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे और रक्षा जैसे विविध अनुप्रयोगों के लिए उन्नत तकनीकी वस्त्र विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाएँ।
- **कौशल विकास:** तकनीकी वस्त्र निर्माण और अनुप्रयोग में कौशल बढ़ाने, विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें।
- **बुनियादी ढाँचा विकास:** तकनीकी वस्त्र उद्योगों के विकास का समर्थन करने के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं और उत्पादन सुविधाओं जैसे विशेष बुनियादी ढाँचे का विकास करें।
- **प्रचार और जागरूकता:** उद्योगों, उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच तकनीकी वस्त्रों के लाभों और अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाएँ।
- **सरकारी सहायता:** तकनीकी वस्त्र निर्माताओं के लिए कर छूट और सुविधाएँ स्थापित करने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता सहित प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करें।
- **सहयोग और भागीदारी:** तकनीकी वस्त्रों में नवाचार और उत्पाद विकास में तेजी लाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को बढ़ावा दें।
- **नियामक ढाँचा:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी वस्त्रों के लिए स्पष्ट मानक और विनियमन स्थापित करें।
- **बाजार विस्तार:** तकनीकी वस्त्रों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों की खोज और उनका दोहन करना, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी लाभों का लाभ उठाना।
- **स्थिरता पहल:** तकनीकी वस्त्र उत्पादन में धारणीय प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** व्यापक मूल्यांकन ढाँचे के माध्यम से पहलों की प्रगति और प्रभाव की नियमित निगरानी करना, परिणामों को अनुकूलित करने के लिए आवश्यकतानुसार रणनीतियों को समायोजित करना।

निष्कर्ष:

- तकनीकी वस्त्र वैश्विक स्तर पर नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अनुसंधान, विकास और बाजार विस्तार में रणनीतिक निवेश के साथ-साथ सहायक नीतियों और कुशल कार्यबल विकास के साथ, आने वाले दशकों में विभिन्न देश विविध औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षमता का दोहन कर सकते हैं।

तकनीकी वस्त्रों के 12 खंड

Indutech
औद्योगिक ब्रश, कंप्यूटर प्रिंटर, रिबन, कंपोजिट, रस्सियाँ और कॉर्डेज, लेपित अपघर्षक, ड्राइव बेल्ट, कन्वेयर, बेल्ट, आदि।

Mobiltech
सीट कवर, असबाब, टायर कॉर्ड, कपड़े, गुच्छेदार कालीन, इन्सुलेशन फेल्ट, सीट बेल्ट, केबिन फिल्टर, हेलमेट, आदि।

Sportech
खेल जाल, पैराशूट, कृत्रिम घास और टर्फ, खेल कंपोजिट, गर्म हवा के गुब्बारे, स्लीपिंग बैग, आदि।

Buildtech
फर्श और दीवार के आवरण, मचान जाल, शामियाना और छतरियाँ, आदि।

Hometech
तकिए, गद्दे, मच्छरदानी, कालीन बैकिंग कपड़ा, फिल्टर, वैक्यूम क्लीनर उपभोग्य वस्तुएं, आदि।

Meditech
कॉन्टैक्ट लेंस, बेबी डायपर, सैनिटरी नैपकिन, सर्जिकल टांके, सर्जिकल डिस्पोजेबल्स, आदि।

Clothtech
इंटरलाइनिंग, लेबल, लोचदार संकीर्ण कपड़े, जूते के फीते आदि।

Agrotech
पक्षी संरक्षण जाल, फसल कवर, मछली पकड़ने के जाल, छाया जाल, गीली घास की चटाई, आदि।

Protech
बुलेट-प्रूफ सुरक्षात्मक कपड़े, उच्च दृश्यता वाले कपड़े, अग्निरोधी उत्पाद, आदि।

Packtech
रैपिंग फैब्रिक, मुलायम सामान, टी बैग फिल्टर पेपर, बुने हुए जूट के बोरे आदि।

Oekotech
अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, पुनर्चक्रण।

Geotech
जियो-कंपोजिट, जियो-बैग, जियोग्रिड, जियोनेट।

जलवायु वित्त

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अनुसार, विकसित देशों ने 2022 में विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि संगृहीत कर उपलब्ध कराई।

संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए विकासशील देशों को 115.9 बिलियन डॉलर आवंटित किए गए।
- द्विपक्षीय (देशों) और बहुपक्षीय स्रोतों (जैसे विश्व बैंक) से प्राप्त सार्वजनिक जलवायु वित्त, 2022 में कुल वित्तीय प्रवाह का लगभग 80 प्रतिशत होगा।
  - यह आँकड़ा 2013 में 38 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 में 91.6 अरब डॉलर हो गया।
- अधिकांश जलवायु वित्त शमन के लिए प्रदान किया गया।
- निम्न आय वाले देशों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए कुल सार्वजनिक जलवायु वित्त का 64 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए अनुदान का हिस्सा केवल 13% था।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो 1961 में अस्तित्व में आया और वर्तमान में इसके 38 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है।
- **उद्देश्य:** ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना, जो आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करें, आर्थिक विकास को बढ़ावा दें, विश्व व्यापार में योगदान दें और सदस्य देशों में नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाएँ।
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस।

जलवायु वित्त के बारे में

- जलवायु वित्त से तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के परिणामों को कम करने या उसके अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने के निवेश से है।
- **अनुकूलन:** इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना तथा उनके कारण होने वाली क्षति को रोकने या न्यूनतम करने के लिए उचित कार्रवाई करना शामिल है।
- **शमन:** इसमें वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को कम करना शामिल है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम गंभीर हों।
- **जलवायु वित्त के उदाहरण:** इसमें बहुपक्षीय कोषों द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, वित्तीय संस्थाओं से बाजार आधारित और रियायती ऋण, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जारी किए गए संप्रभु हरित बॉन्ड तथा कार्बन व्यापार और कार्बन करों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन शामिल हैं।

महत्त्व

- देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), दीर्घकालिक जलवायु रणनीतियों (LTS) और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAP) के माध्यम से GHG उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अपना प्रतिरोध बढ़ाने के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं।
- हालाँकि, UNDP के एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में वित्त एक बुनियादी बाधा बना हुआ है।
  - जलवायु कार्रवाई के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है और कई निम्न तथा मध्यम आय वाले देश एक साथ ऋण संकट और बहुआयामी संकटों का सामना कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि निम्न कार्बन वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है।

प्रगति और विकास

- क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में अधिक वित्तीय संसाधनों वाले पक्षों से कम संपन्न और अधिक असुरक्षित देशों को वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया गया है।
- विकासशील देशों ने तर्क दिया है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि विगत् 150 वर्षों में समृद्ध विश्व के उत्सर्जन के कारण ही सबसे पहले जलवायु समस्या उत्पन्न हुई थी।
- जलवायु परिवर्तन पर 1994 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत उच्च आय वाले देशों को विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराना आवश्यक था।
  - 2009 में विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराने का वचन दिया था।
  - 2010 में, हरित जलवायु कोष (GCF) को एक प्रमुख वितरण तंत्र के रूप में स्थापित किया गया था।
  - 2015 के पेरिस समझौते ने इस लक्ष्य को सुदृढ़ किया तथा इसे 2025 तक बढ़ा दिया।

जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG)

- 2015 में, विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से 100 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता एकत्र करने का लक्ष्य 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
- उस वर्ष यह भी निर्णय लिया गया कि इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य 2025 से पहले तय किया जाएगा, जिसकी राशि कम से कम 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष होगी, और जिसमें 'विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा'।
  - यह NCQG है, जिसे 2025 के बाद का जलवायु वित्त लक्ष्य/नया लक्ष्य भी कहा जाता है।
- **NCQG की आवश्यकता**
  - 100 बिलियन डॉलर का आँकड़ा विकासशील देशों की जलवायु वित्त आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है, जो विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2030 तक प्रति वर्ष 1-2.4 ट्रिलियन डॉलर तक है।

उच्च सागर जैव विविधता संधि

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के महानिदेशक ने विश्व महासागर दिवस 2024 (8 जून) पर दुनिया भर के देशों से "पूरी तरह कार्यात्मक उच्च सागर जैव विविधता संधि के लिए प्रयास करने" का आग्रह किया।

संधि के बारे में

- जून 2023 में, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र समझौता या BBNJ समझौता, जिसे उच्च सागर संधि के रूप में भी जाना जाता है, को औपचारिक रूप से सरकारों द्वारा अपनाया गया।
- यह 1994 में लागू हुए समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए एक अद्यतन रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- यह एक वित्तपोषण तंत्र स्थापित करता है तथा पक्षकारों के सम्मेलन और विभिन्न सहायक निकायों सहित संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित करता है।
- **सदस्य:** गठबंधन के अनुसार, इस संधि पर 90 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल हैं।
  - भारत ने न तो इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है।
  - हालाँकि, केवल सात देशों - बेलीज, चिली, मॉरीशस, माइक्रोनेशिया संघीय राज्य, मोनाको, पलाऊ और सेशेल्स ने संधि की पुष्टि की है।
- **यह संधि चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है:**
  - समुद्री आनुवंशिक संसाधन, जिसमें लाभों का उचित और न्यायसंगत बँटवारा शामिल है;
  - समुद्री संरक्षित क्षेत्रों सहित क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण जैसे उपाय;
  - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन; और
  - क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- **कार्यान्वयन स्थिति:** यह 20 सितम्बर, 2023 से 20 सितम्बर, 2025 तक सभी राज्यों और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला है तथा अनुसमर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या परिग्रहण के साठवें दस्तावेज के जमा होने की तिथि के 120 दिन बाद लागू होगा।

प्रमुख प्रावधान:

- **क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (ABMTs):** जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) का निर्माण और अन्य क्षेत्र-आधारित उपाय।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIAs):** संभावित पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने और उसे कम करने के लिए उच्च समुद्र में गतिविधियों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGRs):** विकासशील देशों के साथ साझा किए जाने वाले मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभों की क्षमता सहित MGR की पहुँच, साझाकरण और लाभ-वितरण के लिए नियम स्थापित करना।
- **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** विकासशील देशों को उच्च सागर संरक्षण में भाग लेने तथा प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करने के प्रावधान।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **कार्यान्वयन:** संधि के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई में बदलना एक बड़ी चुनौती होगी।
- यह संधि 20 वर्षों से अधिक समय तक चली वार्ता का परिणाम है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने और संरक्षण गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने सहित सभी प्रमुख विवादास्पद प्रावधानों के विवरण पर अभी कार्य किया जाना शेष है।
- **अनुपालन:** यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा कि सभी देश संधि के नियमों और विनियमों का पालन करें।
- **वित्तपोषण:** क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना विकासशील देशों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
- कई मुद्दे अनसुलझे बने हुए हैं, जिनमें संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी के लिए तंत्र, भारी प्रदूषणकारी परियोजनाओं का भविष्य और विवादों का समाधान शामिल है।

महत्त्व

- **वैश्विक प्रशासन:** अंतर्राष्ट्रीय महासागर प्रशासन में एक बड़े अंतर को भरता है।
- **जैव विविधता संरक्षण:** विशाल क्षेत्रों में समुद्री जीवन की रक्षा तथा पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **सतत विकास:** समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक हितों के साथ संरक्षण को संतुलित करना।
- **समानता:** समुद्री संसाधनों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण के संबंध में विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान।

भारत के लिए उच्च समुद्र संधि का महत्त्व

- **समुद्री जैव विविधता:** भारत की तटरेखा बहुत लंबी है और खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका के लिए वह समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। यह संधि उच्च समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण में मदद करती है, जो भारत के अपने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से भी जुड़ी हुई है।
- **नीली अर्थव्यवस्था:** यह संधि उभरती हुई नीली अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को सुगम बना सकती है, जिसमें गहरे समुद्र में खनन और जैव-निरीक्षण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- **वैश्विक नेतृत्व:** भारत संधि के कार्यान्वयन को आकार देने और सतत महासागर प्रशासन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- इस संधि में समन्वयकारी भूमिका निभाकर तथा मौजूदा कानूनी साधनों तथा रूपरेखाओं और प्रासंगिक वैश्विक, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय निकायों के बीच सहयोग को सुदृढ़, संवर्धित और बढ़ावा देकर समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग में योगदान देने की क्षमता है।
- इससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- इसलिए इस संधि को लागू करने के लिए सभी हस्ताक्षर करने वाले देशों को अनुसमर्थन प्रक्रिया में समर्थन दिया जाना चाहिए, जिससे पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से बेहतर विनियमन में लाया जा सके।
- अस्थिर मत्स्य पालन प्रथाओं और सब्सिडी पर वैश्विक समझौते के अनुसमर्थन करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि विश्व के मत्स्य भंडार का अत्यधिक दोहन न हो।

UNCLOS (संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन)

- UNCLOS, 1982 में अपनाया गया और 1994 से प्रभावी, एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो महासागरों और समुद्रों में सभी गतिविधियों के लिए कानूनी ढाँचा निर्धारित करती है।
- इसने 1958 की पुरानी, कम व्यापक क्वाड-संधि को बदल दिया। भारत 1995 में UNCLOS का एक पक्षकार बन गया।

प्रमुख विशेषताएँ:

समुद्री क्षेत्र: UNCLOS (संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि) समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य जोनों में विभाजित करता है, जिनमें प्रत्येक के विभिन्न स्तरों के राष्ट्रीय नियंत्रण और अधिकार होते हैं:

- **आंतरिक जल:** भूमि क्षेत्र की तरह पूर्णत: राष्ट्रीय संप्रभुता के अधीन।
- **प्रादेशिक समुद्र:** आधार रेखा (तट) से 12 समुद्री मील तक विस्तृत है। तटीय राज्यों के पास संप्रभुता है, लेकिन उन्हें विदेशी जहाजों को "निर्दोष मार्ग" की अनुमति देनी चाहिए।
- **सन्निहित क्षेत्र:** आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। राज्यों के पास सीमा शुल्क, वित्तीय, आव्रजन या स्वच्छता संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने या दंडित करने का सीमित नियंत्रण है।
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ):** आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। तटीय राज्यों के पास संसाधनों (मत्स्य पालन, तेल, गैस, आदि) और कुछ आर्थिक गतिविधियों पर संप्रभु अधिकार हैं।
- **महाद्वीपीय मग्नतट:** यह 200 समुद्री मील से अधिक बढ़ सकता है यदि समुद्र तल भूमि क्षेत्र का प्राकृतिक विस्तार हो। तटीय राज्यों के पास मग्नतट के गैर जीवित संसाधनों (खनिज आदि) पर अधिकार होते हैं।
- **उच्च सागर (ABNJ):** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र। सभी राज्यों के लिए खुले हैं, लेकिन नौवहन, उड़ान, मछली पकड़ने आदि की स्वतंत्रता पर UNCLOS नियमों के अधीन हैं।

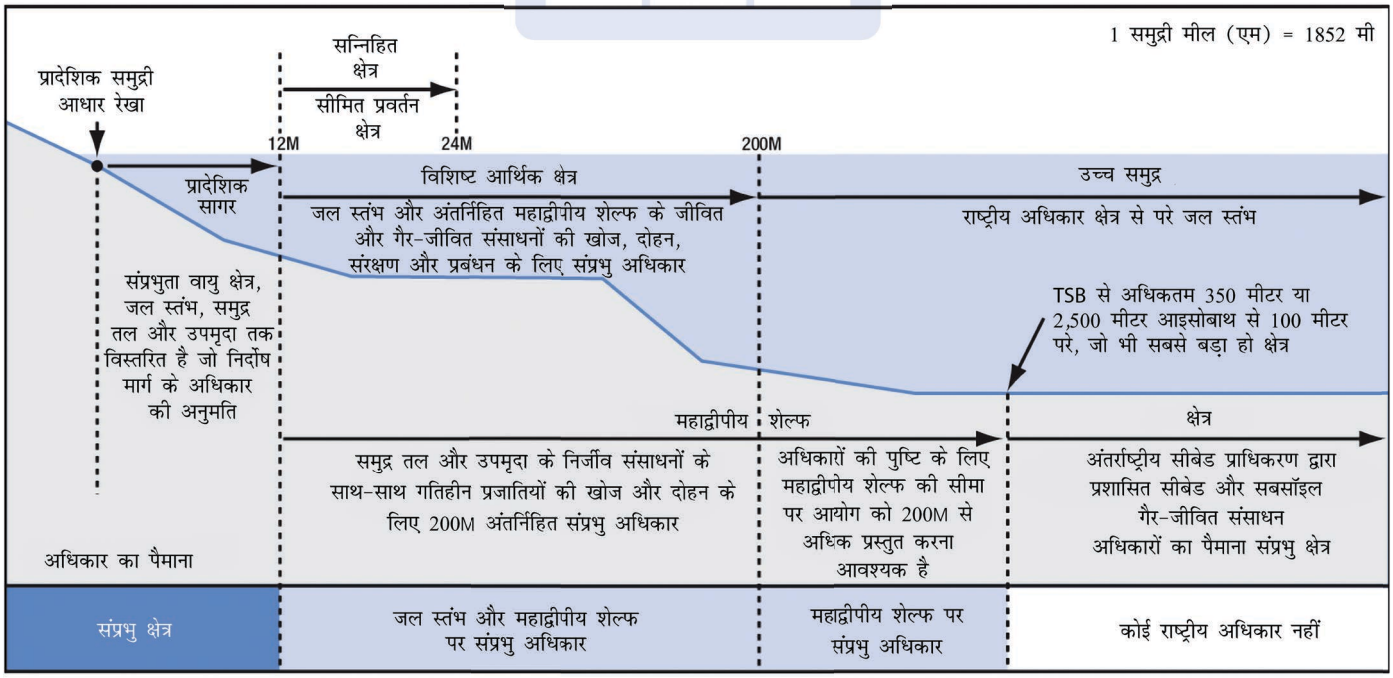

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण 2021 में विश्व भर में 8.1 मिलियन मृत्यु हुई हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **PM2.5 वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतें**
  - **उच्च मृत्यु दर:** वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है, जिससे संबंधित 90% से अधिक मौतें - कुल 7.8 मिलियन लोग - PM 2.5 नामक सूक्ष्म कण पदार्थ के कारण हुई हैं।
  - **PM 2.5 प्रदूषण के प्रकार:** PM 2.5 प्रदूषण में परिवेशी (बाहरी) वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण दोनों शामिल हैं।
    - 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम व्यास वाले ये सूक्ष्म कण फेफड़ों और रक्तप्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
- **देश-विशिष्ट प्रभाव**
  - **चीन और भारत:** दो सबसे अधिक आबादी वाले देश, चीन और भारत, मिलकर PM 2.5 प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।
    - **चीन:** चीन में वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष लगभग 2.3 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कोयले का उपयोग वायु प्रदूषण के उच्च स्तर में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
    - **भारत:** भारत में प्रति वर्ष लगभग 2.1 मिलियन मौतें PM2.5 प्रदूषण के कारण होती हैं। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधि और खाना पकाने के लिए बायोमास का जलाना जैसे कारक प्रदूषण के उच्च स्तर में योगदान करते हैं।
- **बच्चों पर प्रभाव**
  - **बच्चों के लिए जोखिम कारक:** वायु प्रदूषण बच्चों के लिए, विशेषकर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बहुत बड़ा जोखिम पैदा करता है।
    - वर्ष 2021 में, यह इस आयु वर्ग के लिए मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण था, जो कुपोषण से पीछे था।
    - वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से छोटे बच्चों में गंभीर श्वसन संक्रमण, फेफड़ों के विकास में बाधा तथा अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।
- **ओजोन एक्सपोजर**
  - **ओजोन से संबंधित मौतें:** PM2.5 के अलावा ओजोन प्रदूषण भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
    - रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में, ओजोन के संपर्क में आने से वैश्विक स्तर पर 489,000 मौतें हुईं।
    - जमीनी स्तर पर ओजोन, जो धुंध का एक प्रमुख घटक है, श्वसन संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकता है, अस्थमा को बढ़ा सकता है तथा फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम कर सकता है।
- **PM2.5 प्रदूषण की वैश्विक व्यापकता**
  - दुनिया की 99% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है, जहाँ PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों से अधिक है।
  - इस व्यापक जोखिम का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति ऐसी हवा में साँस ले रहा है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस कारण दीर्घकालिक बीमारियों और असामयिक मृत्यु का खतरा बढ़ रहा है।
- **प्रमुख वैश्विक कारक**
  - वायु प्रदूषण को दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम के रूप में यह उच्च रक्तचाप के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का व्यापक प्रभाव, दुनिया भर में उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में परिदृश्य

- वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से 55% भारत और चीन में होती हैं।
- भारतीय भी ओजोन के उच्च स्तर के संपर्क में हैं। ओजोन के अल्पकालिक संपर्क से अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी लक्षणों के बढ़ने का खतरा है, जबकि दीर्घकालिक संपर्क से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का खतरा है - एक ऐसी स्थिति जिसमें फेफड़े में सूजन बनी रहती है और हवा का प्रवाह बाधित होता है।

वायु प्रदूषण

- **जब हानिकारक पदार्थ (प्रदूषक)** - कण, गैसें या पदार्थ - हवा में छोड़े जाते हैं और इसकी गुणवत्ता को कम करते हैं, तो हवा प्रदूषित होती है।
- **सामान्य वायु प्रदूषकों में शामिल हैं:** पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), ओजोन (O3), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs), सीसा आदि।
- **स्रोत:** ये प्रदूषक ज्वालामुखी विस्फोट और वनाग्नि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि और आवासीय तापन जैसी मानव गतिविधियाँ वायु प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- **चिंताएँ:**
  - **स्वास्थ्य संबंधी:** श्वसन संबंधी समस्याएँ, हृदय संबंधी समस्याएँ, फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी।
  - **पर्यावरण:** पारिस्थितिकी तंत्र क्षति, जैव विविधता हानि, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, फसल क्षति।
  - **स्वास्थ्य देखभाल लागत:** वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि होती है, जिसमें श्वसन और हृदय संबंधी रोगों के उपचार से संबंधित व्यय भी शामिल है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):** 2019 में प्रारंभ की गई NCAP एक व्यापक पहल है, जिसका लक्ष्य भारत भर में चिन्हित शहरों और क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना है।
  - कार्यक्रम का ध्यान वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार, सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने और जन जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **भारत स्टेज VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक:**
  - सरकार ने 2020 में देश भर में वाहनों के लिए BS-VI उत्सर्जन मानकों को लागू किया।
  - इन मानकों का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन और अधिक उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अनिवार्य बनाकर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY):** PMUY योजना का उद्देश्य पारंपरिक बायोमास आधारित खाना पकाने के तरीकों के विकल्प के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के उपयोग को बढ़ावा देकर घरों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है।
- **FAME (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण) योजना:** FAME योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देती है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **सतत आवास के लिए हरित पहल (GRIHA):** GRIHA इमारतों के निर्माण एवं संचालन में स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने की एक पहल है।
  - यह प्रदूषण को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम:** अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अपशिष्ट दहन वायु प्रदूषण का कारण बनता है।
  - स्वच्छ भारत अभियान सहित विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन पहलों का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट मुद्दों का समाधान करना और स्वच्छ निपटान विधियों को बढ़ावा देना है।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग की स्थापना की गई है।

वायु प्रदूषण और मानव शरीर पर इसका प्रभाव

ओजोन (O3)
क्या: यह सूर्य के प्रकाश तथा वाहनों एवं कारखानों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) जैसे प्रदूषकों की प्रतिक्रिया के कारण बनती है।
स्वास्थ्य प्रभाव: हवा में अत्यधिक ओजोन सांस लेने की समस्याओं और फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनती है, अस्थमा को ट्रिगर करती है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम करती है। अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन के कारण खांसी, गले में सूखापन, आँख और सीने में तकलीफ तथा सिरदर्द जैसे श्वसन संबंधी लक्षण बढ़ जाते हैं। यह एलर्जी और अन्य प्रदूषकों के प्रति फेफड़ों की प्रतिक्रिया को भी बढ़ा सकती है।

पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)
क्या: पार्टिकुलेट मैटर किसी भी अन्य प्रदूषक की तुलना में ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते है। वे अलग-अलग आकार के होते हैं। पीएम के मुख्य घटक सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट और पानी हैं।
स्वास्थ्य पर प्रभाव: सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले पीएम वे होते हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम होता है (एसपीएम10) क्योंकि वे फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर स्थापित हो सकते हैं। एक बार जब वे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, तो वे फेफड़ों की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की उपलब्धता को सीमित कर देते हैं, जिससे हृदय की लय प्रभावित होती है और दिल का दौरा पड़ सकता है। वे फेफड़ों में सूजन भी पैदा करते हैं और रक्त के थक्के बनने तथा स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाते हैं। वे अंततः हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं।

नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)
क्या: इसका मुख्य स्रोत हीटिंग, बिजली उत्पादन और ऑटोमोबाइल इंजन जैसी दहन प्रक्रियाएँ हैं।
स्वास्थ्य प्रभाव: यह श्वसन पथ की श्लेष्म झिल्ली में अवशोषित हो जाती है और श्वसन संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के अलावा ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का कारण बनती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को भी बाधित करती है। यह बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता और फेफड़ों की वृद्धि दर में कमी से भी जुड़ा है। यह गैस ओजोन जैसी अन्य हानिकारक गैसों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

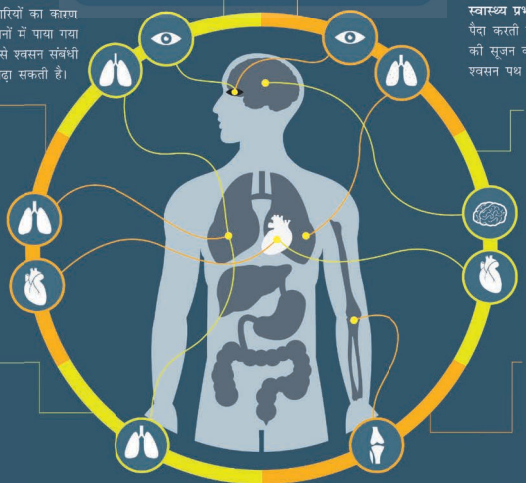

सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)
क्या: यह एक रंगहीन गैस है जिसकी तीखी गंध होती है और यह जीवाश्म ईंधन (कोयला और तेल) के दहन का एक गैसीय उपोत्पाद है, जिसमें सल्फर होता है।
स्वास्थ्य प्रभाव: यह श्वसन प्रणाली और फेफड़ों के कार्यों को प्रभावित करती है तथा आंखों में जलन पैदा करती है। इस गैस की उच्च सांद्रता गले और फेफड़ों में सूजन का कारण बनती है। श्वसन पथ की सूजन के कारण खांसी, अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की स्थिति बिगड़ जाती है एवं लोगों में श्वसन पथ के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
क्या: यह दहन के कारण मोटर वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाली एक जहरीली गैस है।
यह अधूरे दहन का परिणाम है। एक बार जब यह वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो यह CO2 में ऑक्सीकृत होने से पहले लगभग एक महीने तक वहाँ रहता है।
स्वास्थ्य प्रभाव: गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (COHb) बनाती है, जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित करती है, जिससे हृदय और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। रक्त में लगभग 5% COHb की सांद्रता ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता को कम करती है। 10-30% के स्तर पर, यह सिरदर्द और चक्कर आने का कारण बनता है, 30% से ऊपर के स्तर पर, यह गंभीर सिरदर्द, हृदय संबंधी लक्षण और थकान का कारण बनता है और 40% से ऊपर के स्तर पर कोमा और मृत्यु का खतरा होता है।

बेंजीन
क्या: बेंजीन पेट्रोल और डीजल दोनों के दहन और वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, लेकिन विशेष रूप से पेट्रोल से। पेट्रोल का दहन हवा में बेंजीन का सबसे बड़ा स्रोत (कुल उत्सर्जन का 70%) है। यह साँस के जरिए तेजी से अवशोषित होता है और फिर रक्त द्वारा महत्वपूर्ण अंगों तक पहुँचाया जाता है।
स्वास्थ्य प्रभाव: बेंजीन के उच्च स्तर के संपर्क में आने से न्यूरोटॉक्सिक लक्षण होते हैं और उच्च स्तर के लगातार संपर्क में रहने से अस्थि मज्जा को चोट पहुँचती है। कुछ अध्ययनों ने बेंजीन के संपर्क को क्षणिक स्मृति हानि, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और चिंता से भी जोड़ा है।

बाह्य वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत

विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) द्वारा विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2024 जारी की गई।

परिचय:

- विश्व ड्रग रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
- पहली रिपोर्ट 1997 में प्रकाशित हुई थी, उसी वर्ष एजेंसी की स्थापना हुई थी।
- विश्व ड्रग रिपोर्ट विभिन्न औषधि श्रेणियों के लिए औषधि बाजारों में प्रमुख विकास का वार्षिक अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें उत्पादन से लेकर तस्करी तक, नए मार्गों और तौर-तरीकों के विकास के साथ-साथ खपत भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

- यह अवैध ड्रग्स और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक संगठन है, इसके अलावा यह आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में है।
- UNODC अपना अधिकांश कार्य करने के लिए मुख्यत: सरकारों से प्राप्त स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है।
- UNODC रणनीति 2021-2025 मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और विकलांगता समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा और युवाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- **नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि:** वैश्विक नशीली दवाओं के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि हुई है, दुनिया भर में नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की संख्या 2022 में 292 मिलियन थी, जो पिछले दशक की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि है।
- **सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली दवा:** कैनबिस दुनिया भर में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली दवा बनी हुई है। इसके बाद ओपिओइड, एम्फैटेमिन, कोकेन और एक्स्टसी का नंबर आता है।
- **उपचार:** नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाले विकारों से पीड़ित 11 में से केवल एक व्यक्ति को ही उपचार मिल पाता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि दुनिया भर में अनुमानित 64 मिलियन लोग ऐसे विकारों से पीड़ित हैं।
- महिलाओं को, विशेष रूप से, महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित 18 में से केवल एक महिला को ही उपचार मिल पाता है, जबकि सात में से एक पुरुष को ही उपचार मिल पाता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी संगठित अपराध समूहों को सशक्त बनाती है, जो अन्य अवैध अर्थव्यवस्थाओं में विविधता ला रहे हैं, जैसे वन्यजीव तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध संसाधन निष्कर्षण।
- 2023 में अफगानिस्तान के अफीम उत्पादन में 95 प्रतिशत की भारी कमी और म्यांमार में 36 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, 2023 में वैश्विक अफीम उत्पादन में 74 प्रतिशत की गिरावट आई। दोनों देश मादक पदार्थों के वैश्विक व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं।
- **उठाए गए कदम:** साक्ष्य-आधारित रोकथाम कार्यक्रम लोगों, विशेषकर युवाओं को नशीली दवाओं के उपयोग से बचने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। नशीली दवाओं के उपयोग और उसके परिणामों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इसके लिए रोकथाम, उपचार और इन अवैध गतिविधियों से लाभ उठाने वाले आपराधिक नेटवर्क को बाधित करने के लिए कानून प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अतिरिक्त जानकारी

- **स्वर्ण त्रिकोण** (Golden triangle)
  - इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र शामिल हैं।
  - यह पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्र है और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लिए सबसे पुराने मादक पदार्थों की आपूर्ति मार्गों में से एक है।
- **गोल्डन क्रिसेंट** (Golden crescent)
  - इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं।
  - यह अफ़ीम उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक स्थल है।

मादक पदार्थों की तस्करी के निहितार्थ:

- **आर्थिक प्रभाव:**
  - **उत्पादकता में कमी:** नशे की लत के कारण कार्यबल में उत्पादकता और उपस्थिति कम हो जाती है। भारत में, पंजाब में काफी नुकसान हुआ है, जहाँ युवा कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा नशे की लत के कारण अक्षम है, जिससे राज्य के कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव:** दवा से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर बोझ पड़ता है।
  - पंजाब ओपियोइड निर्भरता सर्वेक्षण 2015 ने अनुमान लगाया कि पंजाब में लगभग 230,000 ओपियोइड-निर्भर व्यक्ति हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा पर बहुत अधिक खर्च होता है। वैश्विक स्तर पर, UNODC की रिपोर्ट बताती है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की आर्थिक लागत, जिसमें उत्पादकता में कमी भी शामिल है, सालाना अरबों तक पहुँच जाती है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट:**
  - **रोगों का प्रसार:** नशीली दवाओं का प्रयोग, विशेष रूप से इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का प्रयोग, एचआईवी/एड्स और हेपेटाइटिस जैसे संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान देता है।
  - भारत में, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) ने मणिपुर और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में HIV संक्रमण के लिए इंजेक्शन ड्रग के उपयोग को एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में पहचाना है। विश्व

स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर इन बीमारियों के लिए इंजेक्शन ड्रग के उपयोग को एक महत्त्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में महत्त्व दिया है।

- **ओवरडोज से मृत्यु:** ओवरडोज की घटनाएँ बढ़ रही हैं, पंजाब में कई मामले सामने आए हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) प्रत्येक वर्ष ड्रग ओवरडोज से होने वाली मृत्यु के कई मामले दर्ज करता है। अमेरिका में, CDC ने 2020 में ड्रग ओवरडोज से 93,000 से ज्यादा मृत्युओं की रिपोर्ट दी, जो इस संकट की वैश्विक गंभीरता को दर्शाता है।

- **सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव:**
  - **अपराध दर में वृद्धि:** नशीली दवाओं की तस्करी से चोरी और हिंसा सहित अपराध दर में वृद्धि होती है, क्योंकि नशेड़ी अपनी लत को पूरा करने के लिए धन जुटाने के तरीके खोजते हैं। व्यापक नशीली दवाओं की समस्या के कारण पंजाब में छोटे-मोटे अपराधों और गिरोह से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है।
  - मैक्सिकन ड्रग कार्टेल हजारों हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो वैश्विक स्तर पर समान प्रवृत्ति दर्शाता है।
  - **सामुदायिक पतन:** नशीली दवाओं की तस्करी समुदायों को अपमानित करती है, भय उत्पन्न करती है और संपत्ति के मूल्यों को कम करती है। मणिपुर जैसे राज्यों को नशीली दवाओं की तस्करी के कारण सामाजिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति विश्व स्तर पर देखी जाती है, प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक कल्याण में गिरावट देखी जाती है।
- **राजनीतिक और सुरक्षा चिंताएँ:**
  - **भ्रष्टाचार:** नशीली दवाओं की तस्करी कानून प्रवर्तन और राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पंजाब में पुलिस और राजनेताओं के नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने की खबरें सामने आई हैं। कई लैटिन अमेरिकी देशों में, नशीली दवाओं के गिरोहों ने घुसपैठ की है और सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट कर दिया है।
  - **आतंकवाद का वित्तपोषण:** मादक पदार्थों की तस्करी से विद्रोही समूहों को धन मिलता है। भारत में, पूर्वोत्तर के विद्रोही समूह म्यांमार से हेरोइन जैसी नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल रहे हैं। UNODC ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे तालिबान जैसे समूह अफगानिस्तान में अफीम के व्यापार के जरिए अपने अभियानों को वित्तपोषित करते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **वनों की कटाई और प्रदूषण:** भांग और अफीम जैसी नशीली दवाओं की अवैध खेती पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भांग की अवैध खेती के कारण वनों की कटाई और मृदा का क्षरण हुआ है। अमेजॅन वर्षावन में कोका और अफीम जैसी अवैध दवाओं की खेती वैश्विक वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान में योगदान देती है।

नशीली दवाओं के जोखिम को नियंत्रित करने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **उच्च माँग:** भारत में दवाओं की माँग अधिक है और इसका कारण युवा लोगों की बढ़ती आबादी और प्रयोज्य आय में वृद्धि है।
- **प्रभावी कानून प्रवर्तन का अभाव:** मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद, भारत में छिद्रपूर्ण सीमाएँ और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण मादक पदार्थों के विरुद्ध कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो गया है।
- **अपर्याप्त पुनर्वास सुविधाएँ:** नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे लोगों के लिए पुनर्वास सुविधाओं और संसाधनों की कमी है, जिससे उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **सीमा की कमजोरियाँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:** भारत-म्यांमार सीमा, अपने ऊबड़-खाबड़ भूभाग और घने जंगलों के कारण महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियाँ पेश करती है। इस सीमा के जरिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जोखिम है।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और कम साक्षरता दर नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों में स्थानीय भागीदारी में योगदान करती है। कुछ स्थानीय जनजातियाँ और निवासी आर्थिक कठिनाइयों या गलत सहानुभूति के कारण इन गतिविधियों में शामिल होते हैं।
- **वैश्विक ड्रग सप्लाई हब:** गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल क्षेत्र सामूहिक रूप से दुनिया की लगभग 90% अवैध दवाओं की आपूर्ति करते हैं। इन क्षेत्रों से भारत की निकटता इसे उच्च स्तर की नशीली दवाओं की तस्करी के लिए उजागर करती है।
- **कलंक और भेदभाव:** मादक द्रव्यों के सेवन और लत प्राय: सामाजिक कलंक और भेदभाव से जुड़े होते हैं, जो लोगों को मदद लेने से रोक सकते हैं और उनके लिए आवश्यक देखभाल प्राप्त करना मुश्किल बना सकते हैं।
- **रोकथाम और शिक्षा में कठिनाई:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और शिक्षा अभियानों को प्राय: कम वित्तपोषित किया जाता है और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, जिससे उन लोगों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, जो सबसे अधिक जोखिम में हैं।
- **व्यापक दृष्टिकोण का अभाव:** भारत में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए उपचार और रोकथाम दोनों सहित व्यापक दृष्टिकोण का अभाव, इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करना मुश्किल बनाता है।
- **तस्करी तकनीकों का विकास:** प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे ड्रोन का उपयोग, कानून प्रवर्तन के लिए नई चुनौतियाँ पेश करता है। पंजाब में हाल की घटनाओं ने सीमाओं के पार ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन के उपयोग को उजागर किया है।
- **उभरता हुआ कोकीन बाजार:** भारत अप्रत्याशित रूप से दक्षिण अमेरिकी कार्टेल द्वारा कोकीन की तस्करी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। ये कार्टेल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और विभिन्न यूरोपीय देशों जैसे देशों में NRI को शामिल करने वाले जटिल नेटवर्क के माध्यम से कार्य करते हैं, साथ ही भारत में स्थानीय ड्रग डीलरों और आपराधिक गिरोहों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

अवैध नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध उठाए गए कदम

वैश्विक पहल:

- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC):** UNODC अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे है। UNODC के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड (INCB):** INCB वैश्विक मादक पदार्थ स्थिति पर नजर रखता है और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के साथ देशों के अनुपालन का आकलन करता है।
- **पेरिस संधि पहल:** यह पहल अफगान अफीम की तस्करी से निपटने पर केंद्रित है, जो वैश्विक स्तर पर अवैध दवाओं का एक प्रमुख स्रोत है।

भारतीय पहल:

- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPC एक्ट):** व्यापक कानून भारत में नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह अवैध दवाओं के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** NCB भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। यह ड्रग तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान:** 2020 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता प्रदान करना और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक आउटरीच, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
- **मादक पदार्थ निरोधक कार्य बल (ANTF):** कई राज्यों ने राज्य स्तर पर मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए ANTF की स्थापना की है।

अन्य पहल

- **प्रोजेक्ट सनराइज:** पूर्वोत्तर राज्यों में एचआईवी के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाएँ लेने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करना था।
- **नशा मुक्त भारत:** सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से नशा मुक्त भारत के लिए सरकार की पहल।
- **नार्को-समन्वय केंद्र (NCORD):** मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए 2016 में स्थापित, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक पुनर्जीवित योजना के साथ।
- **जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS):** मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को सिम्स विकसित करने के लिए धनराशि आवंटित की गई, जो मादक पदार्थ अपराधों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस है।
- **राष्ट्रीय नशीली दवा दुरुपयोग सर्वेक्षण:** भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए एम्स के राष्ट्रीय नशीली दवा निर्भरता उपचार केंद्र के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।

आगे की राह:

- **नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता:**
  - **रोकथाम:**
    - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के बीच सहयोग से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक 'संयुक्त कार्य योजना' विकसित की जाएगी।
    - संवेदनशील आबादी को लक्षित करने वाले मीडिया अभियान।
    - स्कूलों और कार्यस्थलों में प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम।
  - **उपचार:**
    - दवा के प्रभाव और जोखिम पर शिक्षा प्रदान करना।
    - साथियों के दबाव और तनाव से निपटने की रणनीतियाँ सिखाना।
    - निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाना और आत्म-सम्मान का निर्माण करना।
    - व्यापक पुनर्प्राप्ति सहायता सेवाएँ प्रदान करना और सहायता माँगने से जुड़े कलंक को कम करना।
  - **कानून प्रवर्तन:**
    - मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा को मजबूत करना।
    - एजेंसियों और देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार करना।
    - उच्च स्तरीय मादक पदार्थ तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्क को लक्ष्य बनाना।
  - **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
    - नागरिकों द्वारा नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करना।
    - मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की पहचान करने और उन पर नजर रखने के लिए बिग डेटा, एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करना।
    - स्कूलों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन पर त्रैमासिक जागरूकता गतिविधियों के लिए 'प्रहरी' पोर्टल का शुभारंभ।
- **उपचार और पुनर्वास तक पहुँच में सुधार:** गुणवत्तापूर्ण व्यसन उपचार और पुनर्वास संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने से व्यक्तियों को उनकी नशीली दवाओं की निर्भरता पर काबू पाने में मदद मिल सकती है।
- **मूल कारणों पर ध्यान देना:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मूल कारणों, जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने से लोगों को नशीली दवाओं की ओर जाने से रोकने में मदद मिल सकती है।
- **सामुदायिक नेताओं को शामिल करना:** नशीली दवाओं के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई में सामुदायिक नेताओं और संगठनों को शामिल करने से स्थानीय संसाधनों को जुटाने और नशीली दवाओं पर नियंत्रण के प्रयासों के लिए सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **वैकल्पिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना:** व्यक्तियों को वैकल्पिक गतिविधियों, जैसे खेल, संगीत और सामुदायिक सेवा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से सकारात्मक निकास मिल सकता है और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम को कम किया जा सकता है।

भारत में तंबाकू महामारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए 31 मई को एक कार्यक्रम आयोजित किया।

भारत में तंबाकू का खतरा

- **भारत में तंबाकू का उपभोग (2016-2017):**
  - चीन के बाद भारत विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
  - भारत में अनुमानत: 260 मिलियन (26 करोड़) लोग तंबाकू का सेवन करते हैं।
- **तंबाकू उपयोग का आर्थिक प्रभाव:**
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन से महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम सामने आए हैं।
  - भारत को तंबाकू उपयोग से होने वाली बीमारियों और असामयिक मृत्यु के कारण अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की लगभग 1% हानि होती है।
- **तंबाकू उद्योग के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जोखिम:**
  - भारत में तंबाकू उद्योग में 6 मिलियन (60 लाख) से अधिक लोग कार्यरत हैं।
  - इस उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को त्वचा द्वारा तंबाकू के अवशोषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।
  - इन खतरों से विभिन्न बीमारियाँ हो सकती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी जोखिम में पड़ सकता है।

तंबाकू सेवन के परिणाम

- **स्वास्थ्य भार:** 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-2018 में तंबाकू के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण देश को ₹1.7 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।
- **पर्यावरण क्षरण:** यह एक अत्यधिक क्षरणकारी फसल है, जो मृदा के पोषक तत्वों को तेजी से कम करती है। इसके लिए अधिक उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो मृदा की गुणवत्ता को और निम्न कर देता है।
- **आर्थिक भार:** तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण कार्यबल में अनुपस्थिति, कम उत्पादकता और असामयिक मृत्यु होती है, जिससे आर्थिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तंबाकू कचरे की सफाई पर प्रति वर्ष लगभग 6,367 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सरकारी उपाय

- **तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन** (FCTC): भारत FCTC के 168 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, जिसे 2005 में WHO द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग को कम करना है, जिससे देशों को माँग और आपूर्ति में कमी की रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिलती है।
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, और वितरण के विज्ञापन और विनियमन पर प्रतिबंध) अधिनियम (COTPA) 2003 में 33 खंड हैं, जो तंबाकू के उत्पादन, विज्ञापन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करते हैं।
- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP):** भारत ने 2007 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य COTPA और FCTC के कार्यान्वयन में सुधार करना, तंबाकू के उपयोग की हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019:** यह ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। तंबाकू के उपयोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत विधि, तंबाकू कराधान, भारत में भी लागू हैं।

भारत में तंबाकू नियंत्रण उपायों में चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त दंड:** COTPA नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में 2003 से कोई बदलाव नहीं किया गया है, तथा पहली बार पैकेजिंग उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना केवल 5,000 रुपये है।
- **पैकेजिंग दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करना:** धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद प्राय: COTPA (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) पैकेजिंग दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।
- **अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर COTPA में अस्पष्टता:** जबकि प्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है, अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर विधि स्पष्ट नहीं है तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापनों (जैसे, तंबाकू ब्रॉण्डों को बढ़ावा देने के लिए इलायची का उपयोग करना) की अनुमति है।
- **NTCP की प्रभावहीनता:** 2018 में एक अध्ययन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत आने वाले जिलों और इसके अंतर्गत न आने वाले जिलों के बीच बीड़ी या सिगरेट की खपत में कोई महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।
- **चोरी-छिपे बचने की रणनीतियाँ:** तंबाकू कंपनियाँ कम कर क्षेत्राधिकार में खरीद करके और तस्करी, अवैध निर्माण और जालसाजी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होकर करों से बचती हैं।
- **तंबाकू की किफायती कीमत:** तंबाकू पर कम कर, जो आय में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, ने विगत् कुछ वर्षों में तंबाकू उत्पादों को अधिक किफायती बना दिया है।
- **सरकार और उद्योग संबंध:** सरकारी अधिकारियों की तंबाकू उद्योग के साथ संलिप्तता तथा भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी ITC लिमिटेड में केंद्र सरकार की 7.8% हिस्सेदारी हितों के टकराव का उदाहरण है।

आगे की राह

- COTPA, PECA और NTCP भारत में तंबाकू उत्पादन और उपयोग को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करते हैं, लेकिन इन्हें और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, FCTC की सिफारिशों, मुद्रास्फीति और GDP वृद्धि के अनुरूप तंबाकू उत्पादों पर कर भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- तंबाकू उद्योग से निपटने के लिए तंबाकू के उपयोग में रुझानों को समझने के लिए अप-टू-डेट डेटा की भी आवश्यकता है, जो आसानी से उपलब्ध बिक्री रुझानों के आधार पर अपनी बिक्री रणनीतियों को संशोधित करता है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

वर्ष 2002 में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बाल श्रम के वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा इसके उन्मूलन की वकालत करने के लिए 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।

संबंधित तथ्य

- **इस वर्ष, 2024 में, यह दिवस "आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें:** बाल श्रम को समाप्त करें" थीम के तहत मनाया गया, जो बाल श्रम को मिटाने और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है।
- इस वर्ष बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूपों पर कन्वेंशन को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ भी है।
- यह सभी हितधारकों को बाल श्रम पर दो मुख्य सम्मेलनों, अर्थात् सम्मेलन संख्या 182 और सम्मेलन संख्या 138 जो कि रोजगार या काम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पर हैं, के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है।

बाल श्रम

- बाल श्रम को किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बच्चे की उम्र, शारीरिक या मानसिक क्षमता के लिए अनुपयुक्त है और इसके दूरगामी परिणाम उनके विकास और भविष्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं।
- भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खदानों, कारखानों या खतरनाक व्यवसायों में काम करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार एक बच्चा, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है, जिसे खतरनाक कार्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- घर के कामों में अपने माता-पिता की मदद करना, पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बँटाना या स्कूल के समय के बाद या स्कूल की छुट्टियों के दौरान आय अर्जन करने जैसी गतिविधियों को बाल श्रम में शामिल नहीं किया जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खदान में या किसी भी खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा।

बाल श्रम के प्रकार

- **खतरनाक बाल श्रम:** इसमें बच्चों को खतरनाक वातावरण में कार्य करना या ऐसे कार्य करना शामिल हैं, जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।
- उदाहरणों में खनन, निर्माण, खतरनाक रसायनों से विनिर्माण, तथा भारी मशीनरी से जुड़े कार्य शामिल हैं।
- **घरेलू बाल श्रम:** बच्चों, मुख्यत: लड़कियों, को घरों में खाना पकाने, सफाई और बच्चों की देखभाल जैसे कार्यों के लिए काम पर रखा जाता है।
- **इसमें प्राय:** लंबे समय तक काम करना, न्यूनतम वेतन तथा दुर्व्यवहार की संभावना शामिल होती है।
- **बंधुआ बाल श्रम:** बच्चों को अपने परिवार द्वारा किए गए ऋण को चुकाने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह उन्हें शोषण के एक चक्र में फंसाता है, क्योंकि प्राय: यह कर्ज अदायगी के लिए असंभव हो जाता है।
- **बच्चों का अवैध व्यापार:** बच्चों को शोषण के उद्देश्य से अपहरण किया जाता है, ले जाया जाता है या आश्रय दिया जाता है, जिसमें बलात् श्रम, यौन शोषण या अंग तस्करी सम्मिलित हो सकते हैं।
- **बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण (CSEC):** बच्चों का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी सहित व्यावसायिक यौन कृत्यों में किया जाता है। यह उनके अधिकारों और कल्याण का गंभीर उल्लंघन है।

भारत में बाल श्रम: आँकड़े

- यूनिसेफ के अनुसार, हमारे कार्यबल में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 13% है, या दूसरे शब्दों में, भारत में प्रत्येक 10 श्रमिकों में से 1 बच्चा है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 10.1 मिलियन बाल श्रमिक हैं।
- कुल बाल श्रमिक आबादी में लड़के लगभग 5.6 मिलियन और लड़कियाँ लगभग 4.5 मिलियन हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता (14%) शहरी क्षेत्रों (5%) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।
- अधिकांश बाल श्रमिक (लगभग 70%) कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसमें खेती, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं तथा 20% सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं।
- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 2.1 मिलियन बाल मजदूर हैं।

प्रभाव

- **स्वास्थ्य और शारीरिक विकास:** बाल श्रम और कुपोषण से बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है।
- **शैक्षिक प्रभाव:** इससे स्कूल छोड़ने वालों और अनुपस्थित रहने वालों की संख्या बढ़ेगी तथा शिक्षा से वंचित रहने के कारण साक्षरता दर कम होगी और आवश्यक कौशल की कमी होगी।
- **आर्थिक प्रभाव:** बाल श्रम गरीबी के चक्र में योगदान देता है। जैसे-जैसे बच्चे उचित शिक्षा और कौशल के बिना बड़े होते हैं, वे कम वेतन वाली, अकुशल नौकरियों में बने रहने की संभावना रखते हैं।
- **सामाजिक असमानता:** बाल श्रम सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है, क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को काम पर लाये जाने की अधिक संभावना होती है।

भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय संविधान:** अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।
- **अनुच्छेद 23:** किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है।
- **अनुच्छेद 24:** इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में कोई भी खतरनाक काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 39:** इसमें कहा गया है कि "श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा"।
- **बाल श्रम अधिनियम (निषेध एवं विनियमन) 1986:** यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में कार्य करने से रोकता है।
- **बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, 1987:** इसमें बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना शामिल है।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015:** यह उन बच्चों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है, जिनके बारे में आरोप है कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012:** इसका उद्देश्य बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण को रोकना है।
- **मानव तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक:** "तस्करी" और "गंभीर तस्करी" के अपराधों के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें "पीड़ितों" के दायरे को बढ़ाकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) योजना:** सरकार ने देश के 12 बाल श्रम प्रभावित जिलों में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए 1988 में इसकी शुरुआत की थी और समय के साथ इसका विस्तार किया गया। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए यह प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- **बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम (CALPRA):** CALPRA के अनुसार किसी भी बच्चे को एक दिन में पाँच घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा बिना आराम के तीन घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- CALPRA के प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि, बच्चे द्वारा किसी उत्पादन या कार्यक्रम से अर्जित आय का कम से कम 20% सीधे बच्चे के नाम पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा किया जाना है, जिसे वयस्क होने पर उसके खाते में जमा किया जा सकता है।
- **बाल श्रम निषेध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंच (PENCIL):** यह एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य, जिला, सरकारों, नागरिक समाज और आम जनता को बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में शामिल करना है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है तथा वर्ष 2025 तक इस प्रथा को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है।
- 2015 में विश्व नेताओं द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7 में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नवीनीकृत वैश्विक प्रतिबद्धता शामिल है।
- **एलायंस 8.7:** यह एक समावेशी वैश्विक साझेदारी है, जो 2030 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लक्ष्य 8.7 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  - यह विश्व भर में बलात् श्रम, आधुनिक दासता, मानव तस्करी और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) वर्तमान में एलायंस 8.7 के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

बाल श्रम से निपटने में चुनौतियाँ

- **गरीबी और आर्थिक दबाव:** उच्च गरीबी दर के कारण परिवारों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने बच्चों द्वारा अर्जित आय पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच का अभाव:** अपर्याप्त शैक्षिक अवसंरचना, स्कूलों की कमी और शिक्षा की खराब गुणवत्ता उपस्थिति और पूर्णता को हतोत्साहित करती है।
- **कानूनों का कमजोर प्रवर्तन:** भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण बाल श्रम कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और अनियमित क्षेत्र:** बाल श्रम का एक बड़ा हिस्सा कृषि, घरेलू कार्य और लघु उद्योग जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में होता है, जिन्हें विनियमित करना कठिन है।
- **सांस्कृतिक मानदंड और सामाजिक स्वीकृति:** कई समुदायों में बाल श्रम को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा इसे आदर्श माना जाता है, जिससे मानसिकता में बदलाव लाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **प्रवासन और विस्थापन:** प्रवासी परिवार और विस्थापित आबादी स्थिर आय और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच की कमी के कारण बाल श्रम के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **जागरूकता की कमी:** कई माता-पिता और समुदाय बाल श्रम के दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों और शिक्षा के लाभों से अनभिज्ञ हैं।
- **लैंगिक असमानताएँ:** लड़कियाँ घरेलू कार्यों में शोषण की विशेष रूप से शिकार होती हैं तथा उन्हें प्राय: घरेलू कामों में मदद करने के लिए स्कूल से दूर रखा जाता है।
- **बच्चों का अवैध व्यापार:** श्रम के लिए बच्चों की तस्करी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जो कमजोर कानून प्रवर्तन और सीमा नियंत्रण के कारण और भी गंभीर हो गया है।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** महामारी ने स्थिति को और बदतर बना दिया है तथा आर्थिक कठिनाई, स्कूल बंद होने और दूरस्थ शिक्षा तक पहुँच की कमी के कारण अधिक संख्या में बच्चे श्रम की ओर धकेले जा रहे हैं।

आगे की राह

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना:** बाल श्रम की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से बच्चों को सशक्त बनाना।
- **श्रम कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना:** बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सशक्त श्रम कानून प्रवर्तन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह 1919 के बाद से एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
- यह अद्वितीय त्रिपक्षीय संरचना 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है, ताकि श्रम मानक निर्धारित किए जा सकें, नीतियाँ विकसित की जा सकें और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।
- **उद्देश्य:** कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देना, अच्छे रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और कार्य-संबंधी मुद्दों पर संवाद को मजबूत करना।
- **इतिहास:** इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी।
- 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी बन गई।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया
- **ILO की प्रमुख रिपोर्टें हैं:**
  - वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट
  - विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य (WESO)
  - विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
  - वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट

1 राजव्यवस्था एवं शासन

शपथ ग्रहण समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की।

संबंधित तथ्य

- शपथ ग्रहण समारोह एक औपचारिक आयोजन है, जो किसी व्यक्ति के पदभार संभालने को दर्शाता है और यह भारत में राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों और न्यायाधीशों जैसे विभिन्न सरकारी पदों से जुड़ा होता है।
- पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ ग्रहण करता है।
- राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं।
- प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए, यह कार्य राष्ट्रपति संपादित करते हैं।
- प्रत्येक पद के लिए निष्ठा की शपथ के शब्द भारत के संविधान में दिए गए हैं।
  - **अनुच्छेद 60:** राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
  - संविधान की **तीसरी अनुसूची** में अन्य पदों के लिए शपथ का विवरण दिया गया है। इन पदों के धारक गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं।
  - **अनुच्छेद 164 (3):** किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
    - **संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान शपथ के पाठ को शब्दशः** पढ़ा जाना चाहिए।
    - हालाँकि, यदि विचलन होता है, तो शपथ दिलाने वाले अधिकारी को शपथ लेने वाले व्यक्ति को सही करना चाहिए।

मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई NDA सरकार के केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई।

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित तथ्य

- पिछली अवधि की तुलना में मंत्रिपरिषद की संख्या (COM) अधिक है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री सम्मिलित हैं।
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और यह सरकार की नीति-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- भारत में संसदीय शासन प्रणाली को देखते हुए, यह प्रभावी रूप से वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है।
- भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद (COM) की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद)
- **राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के निष्पादन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:**
  - बशर्ते कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है;
  - या तो सामान्य रूप से या अन्यथा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- प्रश्न है कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी, और यदि दी गई थी, तो क्या, किसी भी न्यायालय में इसकी जाँच नहीं की जाएगी।
- अनुच्छेद 75 में यह गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।
  - 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। लगातार छह माह तक संसद में सेवा नहीं करने वाले मंत्री पद से पदच्युत हो जाते हैं।
- अनुच्छेद 88 मंत्रियों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार देता है, साथ ही दोनों सदनों के किसी भी संयुक्त सत्र या किसी भी संसदीय समिति में जिसका वे हिस्सा हो सकते हैं।
  - हालाँकि, यह उन्हें वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं प्रदान करता है।

मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की भूमिका

- प्रधानमंत्री कार्यकारी क्षमता में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
- **जिस पद पर वे आसीन होते हैं उसे प्रायः** "समानों में प्रथम" कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री की एक विशिष्ट भूमिका होती है और उन्हें मंत्रिपरिषद के प्रमुख नेता के रूप में माना जाता है, लेकिन वे फिर भी अपने मंत्रियों के बराबर होते हैं।
  - प्रधानमंत्री सभी महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और अन्य विभागों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हैं, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

- प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं, जो सरकार के दैनिक प्रशासन और मंत्रालयों के बीच कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करने वाली सरकारी संस्था है। इसके अतिरिक्त, वह नीति आयोग और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष भी हैं।

कैबिनेट मंत्री

- कैबिनेट मंत्रियों को परिषद में सबसे वरिष्ठ माना जाता है, जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर है।
- वे केंद्रीय सरकार के रणनीतिक और महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों - गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि की देख-रेख करते हैं, जिनके पास बैठकें आयोजित करने और महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होता है।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

- राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद के कनिष्ठ सदस्य होते हैं।
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को कैबिनेट मंत्रियों या केंद्र सरकार के अन्य सदस्यों की देख-रेख के बिना अपने संबंधित मंत्रालय का प्रशासन करने का अधिकार है।

राज्य मंत्री

- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के विपरीत, राज्य मंत्री को मंत्रालय पर प्रमुख प्रशासनिक कर्त्तव्य नहीं निभाने होते, बल्कि वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, तथा अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपे गए विशिष्ट कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
- गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के साथ कार्य करने वाले दो या तीन राज्य मंत्री हो सकते हैं।

संसदीय शपथ

18वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 24 जून, 2024 से शुरू हो रहा है, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद सदन की सदस्यता की शपथ लेंगे।

परिचय:

- अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेगा।
- शपथ या प्रतिज्ञान अंग्रेजी या संविधान में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से किसी में लिया जाएगा।

महत्त्व:

- शपथ लेकर सांसद संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।
- यह निर्वाचित सदस्यों की निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ राष्ट्र और उसके लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता की एक गंभीर पुष्टि है।

प्रवर्तन:

- यदि कोई सांसद निर्धारित समय के अंदर शपथ या प्रतिज्ञान लेने में विफल रहता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है।
- संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत, यदि कोई व्यक्ति शपथ लिए बिना सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या मतदान करता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या जेल में बंद सांसद शपथ ले सकते हैं?

- संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई सांसद 60 दिनों तक संसद में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है।
- न्यायालयों ने इस आधार का उपयोग जेल में बंद सांसदों को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने के लिए किया है।

कैबिनेट समितियाँ

एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल शपथ लेने के पश्चात् मंत्रालयों का आवंटन हो जाता है, उसके बाद उच्च-स्तरीय मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन होता है।

संबंधित तथ्य

- प्रधानमंत्री कैबिनेट के चुने हुए सदस्यों के साथ मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों को विशिष्ट कार्य सौंपते हैं।
- प्रधानमंत्री समितियों की संख्या बदल सकते हैं और उन्हें सौंपे गए कार्यों में संशोधन कर सकते हैं।
- **संघटन:** प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या तीन से आठ के बीच होती है। सामान्यतः केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य होते हैं।
- **प्रकार:** वर्तमान में आठ मंत्रिमंडलीय समितियाँ हैं, मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश और विकास की मंत्रिमंडलीय समिति, सुरक्षा की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार और कौशल विकास की मंत्रिमंडलीय समिति, और आवास की मंत्रिमंडलीय समिति।
  - निवेश और रोजगार पर समितियाँ 2019 में मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नवाचार थीं।
  - आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- **कार्य:** समितियाँ मामलों का समाधान करती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं और उन्हें सौंपे गए मामलों पर निर्णय लेती हैं।
  - मंत्रिमंडल को ऐसे निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।

अतिरिक्त जानकारी

- मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार (कारोबार का लेन-देन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कारोबार का आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जो सरकार के मंत्रालयों/विभागों में व्यवसाय के सुचारू लेन-देन को सुगम बनाता है।
- यह सचिवालय मंत्रिमंडल और इसकी समितियों को सचिवीय सहायता प्रदान करता है।

वैधानिक जमानत

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के आरोपों से संबंधित सांप्रदायिक दंगों के मामले में JNU के शोधकर्ता और छात्र कार्यकर्ता को वैधानिक जमानत दी।

वैधानिक जमानत के बारे में

- यह एक विधिक प्रावधान है, जो एक विचाराधीन व्यक्ति को विशिष्ट शर्तों के आधार पर हिरासत से रिहा करने की अनुमति देता है।
- यह एक आरोपी को दिया गया अधिकार है, चाहे अपराध की प्रकृति कुछ भी हो।
- यह सुनिश्चित करता है कि एक विचाराधीन कैदी को वाद की प्रतीक्षा के दौरान अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में न रखा जाए।

विधिक ढाँचा

- वैधानिक जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436क में वर्णित है।
- इसे भारतीय जेलों में बढ़ते विचाराधीन कैदियों की समस्या से निपटने के लिए संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से लागू किया गया था।

पात्रता मानदंड

- विचाराधीन कैदी वैधानिक जमानत के लिए पात्र हो जाता है यदि वह उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रहा हो।
- इस गणना में उन मामलों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जहाँ मृत्युदंड की सजा संभव है।

रिहाई की शर्तें

- विचाराधीन व्यक्ति को जमानत के साथ या उसके बिना, उनके व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
- यदि न्यायालय वैधानिक जमानत से मना करती है, तो उसे इनकार करने के लिए लिखित कारण प्रदान करने होंगे।

अपवाद

- वैधानिक जमानत उन अपराधों पर लागू नहीं होती, जहाँ मृत्युदंड एक संभावित सजा हो सकता है।
- विधिक कार्यवाही में विचाराधीन कैदी द्वारा स्वयं के कारण हुई किसी भी देरी को हिरासत अवधि की गणना से बाहर रखा जाता है।

भारत में जमानत के प्रावधान

- दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) 'भारत में जमानत' की शर्तों को नियंत्रित करता है।
- हालाँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता 'जमानत' को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से 'जमानती अपराध' और 'गैर-जमानती अपराध' का उल्लेख किया गया है।

जमानत के अन्य प्रकार:

- **अंतरिम जमानत:** यह एक अस्थायी जमानत है जो कम समय के लिए दी जाती है, जिसके दौरान अदालत नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए दस्तावेजों को माँग कर सकती है।
- यह प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर दिया जाता है।
- **नियमित जमानत:** नियमित जमानत मूलत: आरोपी की हिरासत से रिहाई होती है, ताकि उसकी उपस्थिति को वाद के दौरान सुनिश्चित किया जा सके।
- **अग्रिम जमानत:** यह एक प्रकार की जमानत है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसे पुलिस द्वारा गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने की आशंका होती है।

मध्य प्रदेश में नोटा ने बनाया नया कीर्तिमान

हाल ही में, 'उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)' ने लोकसभा चुनाव परिणामों में इंदौर, मध्य प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

नोटा से संबंधित तथ्य

- यह मतदाताओं को चुनाव के दौरान उपलब्ध उम्मीदवारों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने की अनुमति देता है।
- यह मतदाता को आधिकारिक तौर पर उन सभी उम्मीदवारों के लिए अस्वीकृति का वोट दर्ज करने में सक्षम बनाता है जो चुनाव लड़ रहे हैं।
  - यदि कोई मतदाता EVM पर नोटा दबाने का विकल्प चुनता है, तो यह इंगित करता है कि मतदाता ने किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए नहीं चुना है।
- यदि मतदाता को लगता है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार वोट पाने के योग्य नहीं हैं, तो उसे अस्वीकृति का मत दर्ज करने के लिए पात्र होना चाहिए।
- सभी नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार अस्वीकृति के मत की अनुमति भी देनी चाहिए।

विधिक मान्यता

- 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में नोटा का विकल्प दिया जाना चाहिए।
  - यह मतदाताओं को गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदान न करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 41(1) में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) और नियमों, दोनों के तहत मतदान न करने के अधिकार को मान्यता दी गई है।

कार्यप्रणाली

- जब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक हो जाती है, तो मतदान आयोजित किया जाता है।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर होती है, तो सभी उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।
- हालाँकि, नोटा चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं करता है; सबसे अधिक वोट वाला उम्मीदवार फिर भी विजयी हो जाता है।

विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य स्व-घोषणा

उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है कि सभी विज्ञापनदाताओं/विज्ञापन एजेंसियों को किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले 'स्व-घोषणा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित तथ्य

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल और प्रिंट और डिजिटल/इंटरनेट विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है।
- **स्व-घोषणा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करने के लिए है कि विज्ञापन में:**
  - भ्रामक दावे सम्मिलित नहीं हैं, और
  - सभी प्रासंगिक नियामक दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।
- विज्ञापनदाताओं को अपने रिकॉर्ड के लिए संबंधित प्रसारक, मुद्रक, प्रकाशक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण देना होगा।
- वैध स्व-घोषणा प्रमाणपत्र के बिना टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर किसी भी विज्ञापन को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह 18 जून, 2024 से सभी नए विज्ञापनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा।
- यह पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और उत्तरदायी विज्ञापन परंपराओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

निर्णय का महत्त्व

- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें:** यह कदम भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे निर्माताओं, प्रवर्तकों और विज्ञापनदाताओं को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इससे उपभोक्ताओं को धोखा न देकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार को बढ़ावा मिलता है।
- **उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें:** यह कदम अनुचित व्यापार परंपराओं और झूठे विज्ञापनों को रोककर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने का उद्देश्य रखता है, जो सार्वजनिक हित को हानि पहुँचाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता सही जानकारी के आधार पर सही निर्णय ले सकें।
- **विधानों और नियमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:** इस कदम से वर्तमान विधानों और विनियमों के प्रवर्तन में सुधार होने की संभावना है, जैसे कि भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक विज्ञापन नियमों के समर्थन, जिससे झूठे विज्ञापन के विरुद्ध विधिक ढाँचा मजबूत होता है।

भारत में विज्ञापन मानक

- **कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं:**
  - केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1955
  - भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978
  - केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2006
- विज्ञापन को विनियमित करने वाले कुछ प्रमुख, निषेधात्मक विधिक प्रावधान भी हैं।
- 1985 में, भारत में विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) की स्थापना की गई, जो एक गैर-वैधानिक न्यायाधिकरण है। इसने नैतिक विज्ञापन परंपराओं को सुनिश्चित करने के लिए एक आत्म-नियामक तंत्र बनाया।
- ASCI ने अपनी विज्ञापन आचार संहिता (ASCI संहिता) के आधार पर शिकायतों का निपटारा किया।
- यह संहिता उन विज्ञापनों पर लागू होती है, जिन्हें भारत में पढ़ा, सुना या देखा जाता है, चाहे वे विदेश में निर्मित या प्रकाशित हुए हों, बशर्ते वे भारत के उपभोक्ताओं को लक्षित करते हों या भारत में एक महत्त्वपूर्ण संख्या में उपभोक्ताओं को दिखाई देते हों।
- उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के लिए समर्थन की रोकथाम के दिशा-निर्देश, 2022' को अधिसूचित किया है।
- इसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं की रक्षा करना है, जिन्हें ऐसे विज्ञापनों द्वारा शोषित या प्रभावित किया जा सकता है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025

हाल ही में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई, जिसमें विश्व के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की गई है।

भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, भारत के शीर्ष 10 रैंकों में से सात रैंक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, और गुवाहाटी) ने प्राप्त की हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT-B) 2024 में 149वें स्थान से 2025 की रैंकिंग में 118वें स्थान पर पहुँच गया है।
- दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) भारतीय विश्वविद्यालयों में सातवाँ स्थान प्राप्त करते हुए 2024 में 407वें स्थान से 2025 में 328वें स्थान पर पहुँच गया।

शीर्ष वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग

- मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान लगातार 13वें वर्ष विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है।
- दूसरा स्थान ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन ने प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष के छठे स्थान से बेहतर हुआ है।
- हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

QS रैंकिंग

- 2004 में स्थापित QS रैंकिंग, प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग है और 104 स्थानों पर लगभग 1,500 संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करती है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन नियोक्ता प्रतिष्ठा, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, रोजगार परिणाम, स्थिरता, और अंतर्राष्ट्रीय शोध जैसे मानदंडों पर किया जाता है।

जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छामृत्यु

न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में कार्यरत हैं, गोवा में "जीवित वसीयत" पंजीकृत करने वाले पहले व्यक्ति बने।

जीवित वसीयत

- जीवित वसीयत एक लिखित दस्तावेज है जो भविष्य में अपने स्वयं के चिकित्सा निर्णय लेने में असमर्थ होने पर की जाने वाली कार्रवाइयों को निर्दिष्ट करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया था, बशर्ते कि व्यक्ति के पास "जीवित वसीयत" हो।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु में किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन रक्षक प्रणाली जैसे चिकित्सीय हस्तक्षेप को रोकने या वापस लेने का जानबूझकर निर्णय लिया जाता है।
- इसके विपरीत, सक्रिय इच्छामृत्यु में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई सम्मिलित होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए एक घातक पदार्थ देना।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध माना गया है, ताकि मरणासन्न अवस्था में जा सकने वाले मरणासन्न रोगियों की जीवित वसीयत को मान्यता दी जा सके, तथा इस प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- गोवा पहला राज्य है, जिसने कुछ हद तक उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को औपचारिक रूप दिया है।

महत्त्व

- रोगियों को, यहाँ तक कि जब वे किसी लाइलाज बीमारी के अंतिम चरण में होते हैं या जिनकी कोमा से कभी भी निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती, प्रायः जीवन रक्षक प्रणाली पर केवल मृत्यु को टालने के लिए — शायद सामाजिक या पारिवारिक दबाव में रखा जाता है। ये महँगे इलाज विभिन्न परिवारों पर कर्ज का भार बढ़ा देते हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना

केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS) में एक वर्ष के लिए वृद्धि की है।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना

- यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा 2023 में प्रारंभ की गई थी और अब 30 जून, 2025 तक प्रभावी रहेगी।
- यह रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते (ABHA ID) से जोड़ने के लिए था।
- **उद्देश्य:** डिजिटल स्वास्थ्य लेन-देन को बढ़ावा देना और डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा देना।
- इस योजना के तहत, सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक लैब और फार्मेसियों को प्रति माह 100 लेन-देन की सीमा के अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त आँकड़े को डिजिटल करने पर 20 रुपये का भुगतान किया जाता है।
- यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने वाले सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और डिजिटल समाधान कंपनियों (DSC) दोनों पर लागू है।
- इसके तहत प्रत्येक सुविधा या डिजिटल समाधान कंपनी 4 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि अर्जित कर सकती है।

महत्त्व

- यह योजना अस्पतालों को उनकी सुविधा के डिजिटलीकरण पर उनके खर्च की प्रतिपूर्ति करने में मदद करती है।
- **इस खर्च को प्रायः** अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य की ओर बढ़ने में एक महत्त्वपूर्ण संकट के रूप में बताया गया था।
- भौतिक कार्यप्रणाली से डिजिटल कार्यप्रणाली की ओर बढ़ने में व्यवहार परिवर्तन घटक भी सम्मिलित है।
- DHIS बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और रोगियों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करता है।

आभा (ABHA) ID

- यह उन लोगों के लिए विशिष्ठ पहचान है, जो अपने चिकित्सा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संगृहीत करने और साझा करने की अनुमति देता है।
- एक बार ID बन जाने के बाद-जब भी कोई मरीज डिजिटल माध्यम से जुड़े केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्राप्त करता है, तो उसके सभी रिकॉर्ड इससे जुड़ जाते हैं।
- इस ID का उपयोग सुरक्षित रूप से स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड, जैसे डॉक्टर की पर्चियाँ, निदान परीक्षण परिणाम को संगृहीत, एक्सेस और साझा करने के लिए किया जा सकता है।

लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून को भाजपा सदस्य बी. महताब को नवगठित 18वीं लोकसभा के 'प्रोटेम स्पीकर' के रूप में शपथ दिलाई।

संबंधित तथ्य

- नई लोकसभा में सदन के अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है।
- स्पीकर के चयन तक, प्रोटेम स्पीकर को कुछ महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्यों को निभाने के लिए चुना जाता है। 'प्रो-टेम' का अनिवार्य रूप से अर्थ है 'फिलहाल के लिए' या 'अस्थायी रूप से'।
- संविधान में इस पद का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर आधिकारिक पुस्तिका में 'प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण' के बारे में बताया गया है।
- नए सांसदों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्त्तव्य है।

- **सामान्यतः** इस उद्देश्य के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्यों (सदन की सदस्यता के वर्षों की संख्या के संदर्भ में) को चुना जाता है, हालाँकि इसके अपवाद भी रहे हैं।
- नई सरकार बनते ही भारत सरकार का विधायी अनुभाग वरिष्ठतम लोकसभा सदस्यों की सूची तैयार करता है।
- इसके बाद इसे संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि किसी सांसद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जा सके।

11 उम्मीदवारों ने EVM की जली हुई मेमोरी की पुष्टि के लिए आवेदन किया

भारत के निर्वाचन आयोग को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT) के मेमोरी सत्यापन के लिए 11 याचिकाएँ प्राप्त हुई हैं।

परिचय:

- **इन याचिकाओं का तात्पर्य अनिवार्य रूप से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5% EVM में डाले गए मतों का पुनः** मिलान करना है।
- 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यह पहली बार है कि किसी भी चुनाव में उपविजेता के अनुरोध पर सत्यापन की अनुमति देने के पश्चात् से इस तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
- उम्मीदवारों को सत्यापन प्रक्रिया का व्यय वहन करना होगा, लेकिन अगर कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएँगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया:

- जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे।
- दूसरे और तीसरे दोनों उम्मीदवारों को यह अनुरोध करने का अवसर मिलेगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा खंड में 5% तक EVM और VVPAT की जाँच की जाए।
- उम्मीदवारों को संबंधित DEO को लिखित रूप में याचिका देनी होगी और संबंधित निर्माता को EVM के प्रत्येक सेट के लिए 40,000 रुपये (18% जीएसटी सहित) जमा करना होगा।
- जाँच परिणामों की घोषणा के बाद 45-दिवसीय अवधि के अंत में प्रारंभ होगी, जिसके दौरान किसी भी उम्मीदवार या मतदाता द्वारा परिणाम के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।

केरलम

केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव रखा।

परिचय:

- प्रस्ताव में प्रथम अनुसूची में इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया गया।
- राज्य का मलयालम नाम 'केरलम' होने के बावजूद, इसे आधिकारिक तौर पर 'केरल' के रूप में ही दर्ज किया जाता है।
  - प्रस्ताव का उद्देश्य आधिकारिक नाम को मलयालम उच्चारण के अनुरूप बनाना है।

पृष्ठभूमि:

- **नाम की उत्पत्ति:** केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना अभिलेख 257 ईसा पूर्व का सम्राट अशोक का द्वितीय शिलालेख है।
  - शिलालेख में स्थानीय शासक को केरलपुत्र (केरल का पुत्र) और चेर वंश का उल्लेख करते हुए "चेर का पुत्र" भी कहा गया है।
- वर्तमान में संविधान की प्रथम अनुसूची में भी राज्य का नाम 'केरल' निर्दिष्ट है।

आधुनिक राज्य का गठन:

- मलयालम भाषी लोगों पर इस क्षेत्र के विभिन्न राजाओं और रियासतों ने शासन किया था।
  - 1920 के दशक में, ऐक्य (एकीकृत) केरल आंदोलन ने गति पकड़ी और मलयालम भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की माँग उठी।
- इसका उद्देश्य मालाबार, कोच्चि और त्रावणकोर को एक क्षेत्र में एकीकृत करना था।
- स्वतंत्रता के बाद, रियासतों का विलय और एकीकरण केरल राज्य के गठन की दिशा में एक बड़ा कदम था।
  - 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोच्चि दोनों राज्यों का एकीकरण किया गया, जिससे त्रावणकोर-कोचीन राज्य का जन्म हुआ।
- जब भाषायी आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया, तो केंद्र सरकार के राज्य पुनर्गठन आयोग ने केरल राज्य के निर्माण की सिफारिश की। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) ने भाषायी आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने और केरल राज्य के निर्माण की सिफारिश की।
- 1 नवंबर, 1956 को केरल राज्य अस्तित्व में आया। मलयालम में, राज्य को केरलम कहा जाता था, जबकि अंग्रेजी में इसे केरला कहा जाता था।

भारत में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है:**
  - किसी राज्य से भू-भाग को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी भू-भाग को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नया राज्य बनाना;
  - किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना;
  - किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना;
  - किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना; और
  - किसी राज्य के नाम में परिवर्तन।
- **हालाँकि, अनुच्छेद 3 इस संबंध में दो शर्तें निर्धारित करता है:**
  - उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है;

- और विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को उसे निर्दिष्ट अवधि के अंदर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को प्रेषित करना होगा।
- राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने को बाध्य नहीं है और वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
- इसके अलावा, भारतीय संविधान (अनुच्छेद 4) स्वयं घोषित करता है कि वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3 के तहत) के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा।
  - ऐसी विधि साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं।

ई-साक्ष्य ऐप

केंद्रीय गृह मंत्रालय** (MHA) **मोबाइल आधारित एप्लिकेशन ई-साक्ष्य** (e-evidence) **का परीक्षण कर रहा है।

परिचय:

- यह मोबाइल एप्लिकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
  - NIC की स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
  - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत आता है और भारत सरकार का प्रौद्योगिकी साझेदार है।
- यह ऐप पुलिस को अपराध के दृश्य को रिकॉर्ड करने, आपराधिक मामले में तलाशी और जब्ती करने तथा क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर फाइल अपलोड करने में मदद करेगा।
- प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् पुलिस अधिकारी को एक सेल्फी अपलोड करनी होगी।
- प्रत्येक रिकॉर्डिंग अधिकतम चार मिनट की हो सकती है और प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के लिए ऐसी विभिन्न फाइलें अपलोड की जा सकती हैं।
- नए आपराधिक कानून सब कुछ डिजिटल बनाते हैं; अगर अपराध के दृश्य को रिकॉर्ड करने या डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी सी भी समस्या होती है, तो इससे अपराधी आजाद घूम सकते हैं।

संसद का संयुक्त सत्र

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने संसद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया।

परिचय

- संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण घटना है।
- यह संसदीय सत्र के प्रारंभ का प्रतीक है और सरकार की नीतियों, विधायी एजेंडों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- यूनाइटेड किंगडम में, सम्राट द्वारा संसद को संबोधित करने की परंपरा 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 1790 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया।

भारत में विकास

- भारत में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने की परंपरा 1919 में भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के बाद स्थापित हुई।
- 1947 और 1950 के बीच, संविधान सभा (विधानसभा) को कोई संबोधन नहीं हुआ।
- भारत का संविधान लागू होने के पश्चात्, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 31 जनवरी, 1950 को पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित किया।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारत का संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधानमंडल की बैठक को संबोधित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 87 में दो उदाहरण दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं।
- भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं, जब पुनर्गठित निचला सदन पहली बार एकत्रित होता है।
- राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
- **प्रक्रिया और परंपरा:** राष्ट्रपति या राज्यपाल के भाषण के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति 'संसद को आह्वान के कारण के बारे में सूचित करेंगे'।
- राष्ट्रपति का भाषण अनिवार्य रूप से आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीति प्राथमिकताओं और योजनाओं पर प्रकाश डालता है और सरकार के एजेंडे और दिशा का एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है।
- राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, दोनों सदन राष्ट्रपति के भाषण के लिए 'धन्यवाद प्रस्ताव' प्रस्तुत करते हैं।

पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करना

विश्व बैंक के एक हालिया कार्य पत्र में पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करने तथा स्थानीय वित्तीय क्षमता को मजबूत करने का आह्वान किया गया है, ताकि इसे "पुनर्केंद्रीकरण" के रूप में पहचाना जा सके।

परिचय:

- ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, MIS-आधारित लाभार्थी चयन और डिजिटल लाभार्थी ट्रैकिंग को व्यापक रूप से अपनाए जाने से पुनर्केंद्रीकरण हो रहा है।

- कार्यपत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ग्राम पंचायत (GP) परिषद के सदस्य ब्लॉक विकास कार्यालयों और जिला कलेक्ट्रेट में अत्यधिक समय व्यतीत करते हैं, जो सशक्त निर्णय-निर्माताओं के बजाय मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।

अनुशंसाएँ:

- शासन में सुधार के लिए बढ़ी हुई वित्तीय क्षमता और व्यापक निर्णय लेने के अधिकार को आवश्यक माना जाता है।
- ग्राम परिषदों के अंदर वार्ड सदस्यों (WM) को सशक्त बनाना, जिनके पास वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की कमी है।
- स्थानीय कर क्षमता का निर्माण पंचायत स्वायत्तता के लिए महत्त्वपूर्ण बताया गया है।
  - कर संग्रहक के रिक्त पदों को भरने, संपत्ति अभिलेखों को डिजिटल बनाने, तथा ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के कर और उपकर लगाने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके बेहतर कर संग्रह प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था:

- 1950 के दशक की शुरुआत में, पहली राष्ट्रीय विकास परिषद (बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट) ने जमीनी स्तर पर शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली के गठन की सिफारिश की थी।
- 1993 में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जमीनी स्तर पर विकास को संभव बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू की गई।
- **इसमें तीन स्तर हैं:**
  - **ग्राम पंचायत:** यह ग्राम परिषद है, जो सबसे बुनियादी स्तर है।
  - **ब्लॉक पंचायत:** यह परिषद गाँवों के समूह की देख-रेख करती है।
  - **जिला पंचायत:** यह जिला परिषद है, जो एक बड़े क्षेत्र की देख-रेख करती है।
- पंचायती राज इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र को गाँव स्तर तक लाता है।

महत्त्व:

- **सत्ता का विकेंद्रीकरण:** पंचायती राज प्रणाली राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण करती है जो स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और स्थानीय विकास के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार देती है।
- **स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना:** यह ग्रामीणों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करके स्थानीय स्वशासन की सुविधा प्रदान करता है, जो उनके जीवन को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं।
- **समावेशी विकास:** PRI स्थानीय शासन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे हाशिए पर पड़े और कमजोर समूहों को शामिल करके समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं।
- इससे सामाजिक असमानताओं को दूर करने और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** पंचायती राज संस्थाएँ नागरिकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और स्थानीय प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
- **राजनीतिक सशक्तीकरण:** पंचायती राज प्रणाली जमीनी स्तर के नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में कार्य करती है, जो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का पोषण करती है।
  - यह नागरिकों के बीच राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और उन्हें शासन के उच्च स्तर के लिए तैयार करता है।

चुनौतियाँ:

- **असमान क्षमता और संसाधन:** जबकि कुछ पंचायतें वित्तीय संसाधनों, बुनियादी ढाँचे और कुशल कर्मियों से सुसज्जित हैं, वहीं अन्य के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों और क्षमताओं का अभाव है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** कुछ मामलों में, स्थानीय पंचायतों को उच्च स्तर के राजनीतिक प्राधिकार या स्थानीय निहित स्वार्थों से हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।
  - इससे स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वायत्तता और निर्णय लेने का अधिकार कमजोर होता है, तथा पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **कमजोर वित्तीय स्वायत्तता:** पंचायती राज संस्थाएँ प्राय: राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा आवंटित धन पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं, जो विलंबित या अपर्याप्त हो सकता है।
  - यह निर्भरता स्थानीय विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:** विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में, सामाजिक पदानुक्रम, जातिगत गतिशीलता और लैंगिक पूर्वाग्रह स्थानीय शासन को प्रभावित करते हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और सेवा वितरण:** PRI के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और सेवा वितरण में सुधार के प्रयासों के बावजूद, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शैक्षणिक संस्थान जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

आगे की राह:

- इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों दोनों की ओर से निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने में वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाना, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, समावेशी शासन प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना सम्मिलित है।

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन कटौती में 2025 तक विस्तार

हाल ही में, ओपेक प्लस ने स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती को 2025 के अंत तक बढ़ा दिया है।

सम्बन्धित तथ्य

- ओपेक प्लस 23 तेल उत्पादक देशों के समूह को प्रदर्शित करता है, इसमें सम्मिलित हैं:
  - **ओपेक के 13 सदस्य:** सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और वेनेजुएला; और
  - **10 अन्य तेल उत्पादक देश:** रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान और सूडान।
- सऊदी अरब ओपेक सदस्यों में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है।
- रूस, जो सऊदी अरब से भी अधिक तेल का उत्पादन करता है, वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों को प्रभावित करने में ओपेक के साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत और ओपेक प्लस

- भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है।
- भारत अपनी खपत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, जिससे यह वैश्विक तेल बाजारों पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है।
- ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती - वैश्विक आपूर्ति के 2% के बराबर, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुधार के लिए निहितार्थ है।

ओपेक

- 1960 में अपने गठन के पश्चात् से यह वैश्विक तेल बाजारों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका उद्देश्य कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल उत्पादन लक्ष्यों का समन्वय करना है।
- 2016 में, ओपेक प्लस अमेरिकी शेल उद्योग के उदय के बीच अपने हितों की रक्षा के लिए ओपेक सदस्य देशों और दस अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच एक गठबंधन के रूप में उभरा।

नीदरलैंड: भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य

2023-24 के दौरान नीदरलैंड अमेरिका और UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, जबकि देश के व्यापारिक शिपमेंट में 3% से अधिक की गिरावट आई है।

सम्बन्धित तथ्य:

- विगत वित्त वर्ष में नीदरलैंड में जिन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, उनमें पेट्रोलियम उत्पाद (+14.29 बिलियन), बिजली के सामान, रसायन और दवाईयां सम्मिलित हैं।
- नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वित्त वर्ष 2023 में 13 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 17.4 बिलियन डॉलर हो गया।

नीदरलैंड के बारे में

- नीदरलैंड, उत्तर-पश्चिमी यूरोप में स्थित देश है।
- नीदरलैंड, उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर, पूर्व में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम से घिरा हुआ है।
- नीदरलैंड से होकर निम्न प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं: राइन, मीयूज और शेल्ड्ट।
- इज्सेलमीर नीदरलैंड के तट पर स्थित एक झील है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग (नीदरलैंड) द पीस पैलेस में है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का मुख्यालय: द हेग, नीदरलैंड में है।

बायोफार्मास्युटिकल एलायंस (जैव-औषधीय गठबंधन)

हाल ही में, अमेरिका के सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान बायोफार्मास्युटिकल एलायंस का शुभारंभ किया गया।

सम्बन्धित तथ्य:

- इसे भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
- इसका उद्देश्य लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने और जैव-औषधि क्षेत्र में दवा आपूर्ति की कमी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त प्रयास करना है।
- प्रतिभागियों ने एक विश्वसनीय और सतत् आपूर्ति शृंखला के महत्त्व पर बल दिया और संबंधित देशों की जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान तथा विकास सहायता उपायों का समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की।
- उन्होंने स्वीकार किया कि आवश्यक कच्चे माल और सामग्री का उत्पादन कुछ ही देशों में केंद्रित है और विस्तृत दवा आपूर्ति शृंखला मानचित्र बनाने हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए।

भारत की भूमिका

- भारत में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन का उद्देश्य बायोफार्मास्युटिकल में भारत की तकनीकी और उत्पाद विकास क्षमताओं को ऐसे स्तर पर तैयार करने

के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और पोषित करना है, जो आने वाले दशक में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होगा।

- यह मिशन किफायती उत्पाद विकास के माध्यम से देश के स्वास्थ्य मानकों को बदलने पर केंद्रित है।

भारत-नॉर्वे सहयोग

नॉर्वे के राजदूत के अनुसार अगले 10 वर्षों में भारत-नॉर्वे सहयोग में कई गुना वृद्धि होगी।

सम्बन्धित तथ्य:

- भारत-नॉर्वे संबंधों की विशेषता समृद्ध राजनीतिक आदान-प्रदान और व्यापक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है।
- विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सतत् विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था में उनका सहयोग, जिसमें समुद्री और नौवहन क्षेत्र शामिल हैं।
- नॉर्वे और अन्य यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) देश, भारत के साथ व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं।
- यह समझौता ऐतिहासिक है और इससे भारत को नॉर्वे से होने वाले लगभग सभी निर्यातों पर शुल्क शून्य हो जाएगा।

EFTA

- यह आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड का अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1960 में इसके तत्कालीन सात सदस्य देशों द्वारा अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **भारत के साथ व्यापार:** 2022 में, संयुक्त EFTA-भारत वाणिज्यिक व्यापार 6.1 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार कर गया।
- EFTA राज्यों को प्राथमिक आयात में जैविक रसायन (27.5%) शामिल थे, जबकि मशीनरी (17.5%) और औषधि उत्पाद (11.4%) भारत के मुख्य निर्यात थे।

पारोस संधि

हाल ही में, ब्रिक्स मंत्रियों ने बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा की रोकथाम (PAROS) और इसके शस्त्रीकरण के लिए अपना समर्थन दोहराया।

पारोस के बारे में

- यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को रोकना और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- यह अंतरिक्ष के संभावित सैन्यीकरण और शस्त्रीकरण के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है, जिससे हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो सकती है और वैश्विक सुरक्षा अस्थिर हो सकती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा को रोकने की अवधारणा 1950 के दशक में उत्पन्न हुई, जब संयुक्त राष्ट्र (UN) ने पहली बार सैन्य उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष के उपयोग और अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया।
- बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों की स्थापना और उन्हें खगोलीय पिंडों पर स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाती है।
  - हालाँकि, संधि में अंतरिक्ष में अन्य प्रकार के हथियारों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जिसके कारण एक अधिक व्यापक संधि के लिए चर्चा और प्रस्ताव जारी हैं।

वर्तमान स्थिति

- प्रस्तावित PAROS संधि पर वर्तमान में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में चर्चा की जा रही है।
- 2008 में, रूस और चीन ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक प्रारूप संधि प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को रोकना और उपग्रह रोधी हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना था।

भारत का रुख

- भारत बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा की रोकथाम पर ठोस विचार का समर्थन करता है और PAROS पर विधिक रूप से बाध्यकारी साधन के लिए प्रतिबद्ध है, जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य, सत्यापन योग्य है और निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बहुपक्षीय रूप से बातचीत की गई है।
- इसका मानना है कि बाह्य अंतरिक्ष को संघर्ष का क्षेत्र नहीं बनना चाहिए, बल्कि सहकारी गतिविधि का एक नया और विस्तारित क्षेत्र बनना चाहिए।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन

- **इतिहास:**
  - निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD) को 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (SSOD-I) के निरस्त्रीकरण पर दसवें विशेष सत्र द्वारा मान्यता दी गई थी।
  - इसने पिछले जिनेवा-आधारित वार्ता मंचों का स्थान लिया:
    - निरस्त्रीकरण पर दस-राष्ट्र समिति (1960)
    - निरस्त्रीकरण पर अठारह-राष्ट्र समिति (1962-68)
    - निरस्त्रीकरण पर समिति का सम्मेलन (1969-78)
- **प्रमुख समझौतों पर बातचीत:**
  - परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT)
  - जैविक हथियार सम्मेलन (BWC)
  - रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC)
  - व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT)
- **वर्तमान एजेंडा विषय:**
  - परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा और परमाणु निरस्त्रीकरण की समाप्ति।

- परमाणु युद्ध की रोकथाम।
- बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा की रोकथाम।
- परमाणु जोखिमों के विरुद्ध गैर-परमाणु-हथियार वाले राज्यों के लिए आश्वासन।
- रेडियोलॉजिकल हथियारों सहित सामूहिक विनाश के नए प्रकार के हथियार।
- निरस्त्रीकरण का व्यापक कार्यक्रम।
- शस्त्रास्त्रों में पारदर्शिता।

- **CD का कार्य:**
  - इसमें 65 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें पाँच NPT परमाणु-हथियार वाले देश सम्मिलित हैं।
  - गैर-सदस्य देश अनुरोध पर भाग लेते हैं, 2019 में उनकी संख्या 50 तक पहुँच गई।
  - वार्षिक सत्र तीन भागों में विभाजित है: 10 सप्ताह, 7 सप्ताह और 7 सप्ताह।
  - CD की अध्यक्षता इसके सदस्यों द्वारा बारी-बारी से की जाती है (प्रत्येक अध्यक्ष चार सप्ताह तक कार्य करता है)।
  - छह अध्यक्षों के लिए वर्ष 2006 में अनौपचारिक समन्वय तंत्र (P6) की स्थापना की गई।
  - क्षेत्रीय समूह समन्वयकों और P6 के साथ साप्ताहिक अनौपचारिक बैठकें हुईं।
- **प्रक्रियाएँ और रिपोर्टिंग:**
  - प्रक्रिया और एजेंडा के अपने नियम अपनाना
  - सर्वसम्मति से कार्य संचालित करना
  - प्रतिवर्ष या आवश्यकतानुसार महासभा को रिपोर्ट करना
- **सहयोग और सचिवालय:**
  - जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की महानिदेशक सुश्री तातियाना वालोवाया, CD की महासचिव के रूप में कार्य करती हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय जिनेवा शाखा और UNOG सम्मेलन प्रबंधन विभाग के स्टाफ सदस्यों द्वारा समर्थित।

ब्रिक्स के बारे में

- यह एक संक्षिप्त नाम है, जो पाँच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के समूह को संदर्भित करता है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
- बाद में, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 2022 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाए गए निर्णय के अनुसार नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं।
- समय के साथ, ब्रिक्स देश तीन स्तंभों के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं:
  - राजनीतिक एवं सुरक्षा;
  - आर्थिक एवं वित्तीय;
  - सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आदान-प्रदान।

काफला प्रणाली

हाल ही में, कुवैत में भीषण आग लगने से 49 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के पश्चात् काफला प्रणाली प्रकाश में आई।

सम्बन्धित तथ्य:

- कफाला या प्रायोजन प्रणाली विदेशी श्रमिकों और उनके स्थानीय प्रायोजक या कफील के बीच संबंधों को परिभाषित करती है, जो सामान्य- तौर पर उनके नियोक्ता होते हैं।
- इसका उपयोग खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ जॉर्डन और लेबनान में भी किया गया है।
- प्रायोजक श्रमिकों को खोजने और मेजबान देश में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए मूल देशों में निजी भर्ती एजेंसियों का उपयोग करते हैं।

प्रणाली से संबंधित चिंताएँ

- अधिकांश स्थितियों में, श्रमिकों को नौकरी बदलने, रोजगार समाप्त करने और मेजबान देश में प्रवेश करने या बाहर निकलने हेतु, अपने प्रायोजक की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- शोषण के दौरान श्रमिकों के पास बहुत कम विकल्प होता है और भिन्न विशेषज्ञों का तर्क है कि यह व्यवस्था आधुनिक दासता को बढ़ावा देती है।

यूरोपीय संघ का 'चैट नियंत्रण' कानून

यूरोपीय संघ का प्रस्तावित चैट नियंत्रण कानून यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच विवाद का विषय बन गया है।

परिचय:

- इसे मई 2022 में यूरोपीय गृह आयुक्त द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- प्रस्तावित कानून के तहत, प्रौद्योगिकी कंपनियों को बाल यौन शोषण का संकेत देने वाली सामग्री के लिए निजी संदेशों को स्कैन करने के लिए स्वचालित उपकरणों को लागू करने की आवश्यकता होगी।
  - इस सक्रिय निगरानी प्रणाली का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पहचान करना और रिपोर्ट करना है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां हस्तक्षेप कर सकें और संभावित पीड़ितों की सुरक्षा कर सकें।
- इसके तहत, मैसेजिंग ऐप्स को "वीडियो और URL के चित्र और दृश्य घटकों" को स्कैन करना आवश्यक है, जबकि ऑडियो संचार और पाठ का पता लगाना इससे बाहर रखा गया है।
  - इसके अलावा, ऐसे ऐप्स को उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना भी आवश्यक है।
- उपयोग की शर्तों के तहत उनके निजी संचार को स्कैन करने से पहले स्पेन और आयरलैंड के आंतरिक मंत्रियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

आवश्यकता और उद्देश्य:

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रसार ने संचार में क्रांति ला दी है, जिससे अभूतपूर्व कनेक्टिविटी मिली है, लेकिन साथ ही बाल यौन शोषण सामग्री सहित अवैध सामग्री के प्रसार में भी मदद मिली है।
- यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने ऐसी सामग्रियों की रिपोर्ट में तेजी से वृद्धि का उदाहरण दिया है, जिससे इस गंभीर मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए और अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता है।
- इसलिए, यूरोपीय संघ के प्रस्तावित चैट नियंत्रण कानून का उद्देश्य प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को संदिग्ध अवैध सामग्री के लिए निजी संदेशों की सक्रिय रूप से निगरानी करने के लिए बाध्य करना है।

चुनौतियाँ:

- **निजी संदेशों की स्कैनिंग:** प्रस्ताव में एक खंड शामिल है जो निजी संदेशों की बड़े पैमाने पर स्कैनिंग की अनुमति देता है, यहां तक कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा संरक्षित संदेशों की भी।
- आलोचकों का तर्क है कि यह कानून गोपनीयता अधिकारों के लिए महत्त्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना निजी संचार को स्कैन करने का आदेश देता है।
  - फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने विशेष रूप से इस प्रावधान का विरोध किया है।
- **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन दुविधा:** एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड संदेशों को स्कैन करना एक चुनौती है।
  - स्कैनिंग के लिए पिछले दरवाजे खोलने से सुरक्षित संचार का वादा जोखिम में पड़ सकता है।
- टेक कंपनियों और गोपनीयता विशेषज्ञों ने इस विनियमन का कठोर विरोध किया है।
- iPhone निर्माता ने इस प्रक्रिया में पहचाना कि कैसे सत्तावादी सरकारें इस सुविधा का दुरुपयोग कर सकती हैं, इसे शासन का विरोध करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

- यूरोपीय संघ का चैट नियंत्रण कानून डिजिटल विनियमन और शासन पर वैश्विक चर्चा में एक महत्त्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है, लेकिन गोपनीयता अधिकारों के नाजुक क्षेत्र को भी समझना होगा। प्रौद्योगिकी के विकास और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बने रहने के साथ सही संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण होगा।
- चैट नियंत्रण कानून की जटिलताओं और डिजिटल युग के लिए इसके व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए निरंतर जांच, पारदर्शिता और सूचित संवाद आवश्यक होगा।

भारत और रूस के बीच रसद समझौता

सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में, रूसी सरकार ने भारत के साथ एक रसद समझौते के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- यह दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच परिचालनात्मक सहभागिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **समझौते का उद्देश्य:** रसद समझौता शांति मिशन, मानवीय सहायता और संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित विभिन्न सैन्य अभियानों के दौरान आपसी रसद समर्थन की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसमें ईंधन भरने, रखरखाव और आपूर्ति प्रावधान जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ सम्मिलित हैं, जिससे अंतर-संचालन क्षमता बढ़ती है।
- **स्वीकृति और बातचीत:** यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह समझौता पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक कि कोई भी पक्ष इसे समाप्त करने का निर्णय न ले, तब तक इसका स्वत: नवीनीकरण हो जाएगा।
- **सैन्य संबंधों की निरंतरता:** यह प्रारूप रसद समझौता रूस और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य संबंधों पर आधारित है।
  - 2021 में, दोनों देशों ने 2030 तक विस्तारित सैन्य-तकनीकी सहयोग पर एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत की सामरिक पहुंच:

- भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी इसी तरह के रसद समझौते हैं।
- ये समझौते भारत की रणनीतिक पहुंच और परिचालन तत्परता को बढ़ाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी सेना लंबी और अधिक जटिल तैनाती को बरकरार रख सकती है।

सिंधु जल संधि

1960 की सिंधु जल संधि (IWT) के अंतर्गत आने वाली नदियों पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भेजा गया।

परिचय

- प्रतिनिधि द्राबशल्ला में 850 मेगावाट (MW) की रतले पनबिजली परियोजना स्थल और मरुसुदर नदी पर 1,000 मेगावाट की पाकल दुल परियोजना का दौरा करेंगे। ये दोनों परियोजनाएँ चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर हैं।
- पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अन्य परियोजनाओं पर औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है, जिसमें दुरबुक श्योक, निमू चिलिंग, किरू, तमाशा, कलारूस-II, बाल्टीकुलन स्माल, कारगिल हुंदरमैन, फागला, कुलन रामवारी और मंडी की 10 पनबिजली परियोजनाएँ शामिल हैं।

सिंधु जल संधि:

- 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी सम्मिलित था।
- संधि के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज पर नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण मिला।

- संधि के अनुसार भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर (ROR) परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पन्न करने का अधिकार है, जो डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन हैं।

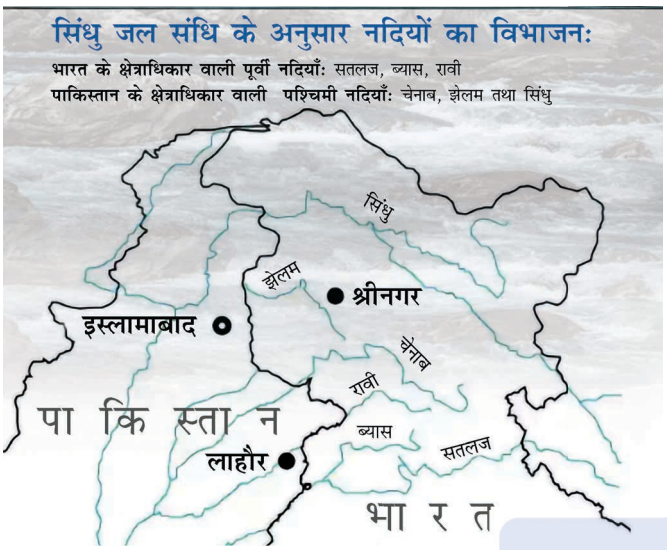

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO)

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) ने हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस' मनाया।

परिचय:

- यह (1921 में स्थापित) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो नौवहन की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्व के सभी समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल का सटीक सर्वेक्षण और ग्राफ बनाया जाए।

कार्य एवं गतिविधियाँ:

- **सर्वेक्षण की सर्वोत्तम परम्पराएँ:** IHO जल सर्वेक्षण, सर्वेक्षणों के लिए दिशा-निर्देश और सर्वोत्तम परम्पराएँ जारी करता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रह को सुनिश्चित किया जा सके।
  - यह पूरे विश्व में राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करता है और हाइड्रोग्राफिक डेटा एवं उत्पाद विनिर्देशों के लिए मानक प्रदान करता है;
- **समुद्री ग्राफ:** यह समुद्री ग्राफ के लिए मानक निर्धारित करता है, जो सुरक्षित नौवहन के लिए आवश्यक है।
- **हाइड्रोग्राफिक जानकारी:** IHO हाइड्रोग्राफिक जानकारी के उपयोग को अधिकतम करता है, जिससे नाविकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों को लाभ होता है।
  - यह साइबर सुरक्षा और डेटा गुणवत्ता मूल्यांकन सहित डेटा आश्वासन के लिए दिशा-निर्देश विकसित करता है।
- यह हाइड्रोग्राफिक डेटा के गैर-नेविगेशन उपयोगकर्ताओं तक पहुँचकर महासागर स्थिरता को बढ़ावा देता है।
- **क्षमता निर्माण:** संगठन सदस्य राज्यों में क्षमता निर्माण का समर्थन करता है, जल विज्ञान में विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है।
  - यह मानकीकृत समुद्री डेटा उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहयोग को प्रेरित करता है।

भारत और IHO:

- भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय (INHD) जल सर्वेक्षण और नौवहन सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत में जल सर्वेक्षण एवं समुद्री चार्टिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय नौसेना के अधीन कार्य करता है।
- भारत 1955 से IHO का सक्रिय सदस्य रहा है।

INHD की भूमिका:

- INHD एक विश्व स्तरीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय है, जिसमें सात समुद्री सर्वेक्षण जहाज और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी हैं।
- यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में हाइड्रोग्राफिक उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है।
- INHD हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, क्षमता निर्माण और समुद्री चार्टिंग के माध्यम से IOR में तटीय राज्यों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता है।
- भारत वैश्विक चार्ट मानकों, रणनीतिक योजना, उभरती प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए IHO के कार्य कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करता है।

हाइड्रोग्राफी

- यह महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों की भौतिक विशेषताओं के मापन और वर्णन के साथ-साथ समय के साथ उनके परिवर्तन की भविष्यवाणी से संबंधित है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य नेविगेशन की सुरक्षा और आर्थिक विकास, सुरक्षा और रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य सभी समुद्री गतिविधियों का समर्थन करना है।
- इसमें समुद्री वातावरण का वैज्ञानिक अध्ययन और मानचित्रण सम्मिलित है, जिसमें तटरेखाएँ, गहराई, ज्वार, धाराएँ और पानी के नीचे की विशेषताएँ सम्मिलित हैं और यह समुद्र से जुड़ी लगभग प्रत्येक दूसरी गतिविधि को रेखांकित करता है।

विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस:

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा समुद्रों और महासागरों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
- इसे 2006 में IHO द्वारा स्थापित किया गया था।
- **2024 का थीम:** 'हाइड्रोग्राफिक सूचना - समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना'।
  - यह ई-नेविगेशन, स्वायत्त शिपिंग और उत्सर्जन में कमी सहित नेविगेशन में चल रहे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

FATF की भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

हाल ही में, भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा 2023-24 के दौरान आयोजित FATF पारस्परिक मूल्यांकन में 'उत्कृष्ट परिणाम' प्राप्त किया।

परिचय:

- इसे सिंगापुर में आयोजित FATF प्लेनरी सत्र में अपनाया गया था, जिसमें भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया था, यह सम्मान केवल चार अन्य जी-20 देशों को प्राप्त है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के भारत के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारत के प्रयास:

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन:** नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन ने धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी जैसे उपायों और नकद लेन-देन पर कठोर नियमों से वित्तीय समावेशन बढ़ा और लेन-देन को अधिक पता लगाने योग्य बनाया गया।
- **आर्थिक निहितार्थ:** भारत की उत्कृष्ट रेटिंग वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुंच को बढ़ाती है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के वैश्विक विस्तार का समर्थन करती है।

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र:

- FATF ने कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- सिफारिशों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के मुकदमों को पूरा करने में होने वाली देरी को संबोधित करना और गैर-लाभकारी संगठनों के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रभावी मुकाबला सुनिश्चित करना सम्मिलित था।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है, और लगातार निगरानी करता है कि अपराधी और आतंकवादी कैसे धन जुटाते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसे इधर-उधर ले जाते हैं। यह उन देशों को जवाबदेह ठहराता है, जो FATF मानकों का पालन नहीं करते हैं।
- यदि कोई देश FATF मानकों को लागू करने में बार-बार विफल रहता है तो उसे बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार या उच्च जोखिम क्षेत्राधिकार का नाम दिया जा सकता है, जिसे प्राय: 'ग्रे और ब्लैक लिस्ट' के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  - **ब्लैक लिस्ट:** गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCT) के रूप में जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट को संशोधित करता है, प्रविष्टियों को जोड़ता या हटाता है।
  - **ग्रे लिस्ट:** जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है। यह देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक लिस्ट में प्रवेश कर सकता है।

भारत-रूस पारस्परिक रसद समझौता

हाल ही में भारत और रूस ने सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रसद के पारस्परिक आदान-प्रदान समझौते (RELOS) पर हस्ताक्षर किये।

परिचय:

- यह एक द्विपक्षीय प्रशासनिक समझौता है, जो ईंधन और अन्य प्रावधानों के बदले में एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए रसद सहायता प्रदान करता है।
- तीनों सेनाओं में से, भारतीय नौसेना विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी रही है, जिससे इसके परिचालन में सुधार हुआ है और उच्च समुद्रों पर अंतर-संचालन क्षमता बढ़ी है।
  - ये समझौते दोनों पक्षों के लिए लाभदायह रहे हैं।
- RELOS पर हस्ताक्षर करके भारत और रूस वास्तविक समय की युद्ध स्थितियों के लिए अपने सैन्य-दर-सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं।

समझौते का महत्त्व:

- एक रसद समझौता विभिन्न सैन्य अभियानों, प्रशिक्षण, शांति मिशनों, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) और संयुक्त सैन्य अभ्यासों सहित बंदरगाहों पर यात्रा के दौरान आपसी रसद समर्थन की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसमें ईंधन भरने, रखरखाव और आपूर्ति प्रावधान जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ सम्मिलित हैं, जिससे अंतर-संचालन क्षमता बढ़ती है।
  - यह रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को बढ़ाता है, विशेष रूप से आर्कटिक क्षेत्र में।

भारत की रणनीतिक पहुँच (विभिन्न देशों के साथ रसद समझौते)

- भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और जापान के साथ भी इसी तरह के रसद समझौते हैं।
- ये समझौते भारत की रणनीतिक पहुँच और परिचालन तत्परता को बढ़ाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी सेना लंबी और अधिक जटिल तैनाती को स्थिर रख सकती है।

क्वाड देश:

- **भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रसद विनिमय समझौता ज्ञापन** (LEMOA) **(2016):** यह आपूर्ति और मरम्मत के लिए एक-दूसरे की सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- भारत-जापान अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA) और भारत-ऑस्ट्रेलिया पारस्परिक रसद समर्थन समझौता (MLSA), सभी क्वाड देशों को दर्शाता है।

अन्य:

- **भारत-वियतनाम पारस्परिक रसद समझौता (2022):** इसका उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच सैन्य रसद समर्थन को मजबूत करना और रक्षा संबंधों का विस्तार करना है।
- इसके अलावा, भारत फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के साथ भी ऐसे सैन्य रसद समझौते करता है।

3 अर्थव्यवस्था

भारत, मंगोलिया से कोकिंग कोल और महत्त्वपूर्ण खनिज प्राप्त करेगा

भारत कोकिंग कोल, ताँबा और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों को आयात करने के लिए मंगोलिया को लक्षित कर रहा है।

परिचय

- स्थलरुद्ध मध्य एशियाई राष्ट्र के साथ सहयोग की संभावना तलाशने के लिए मंगोलियाई दूतावास के साथ संयुक्त कार्य समूह स्थापित किए गए हैं।
  - हालाँकि, खनिजों की निकासी चिंता का विषय बनी हुई है।
- भारत अपनी निकासी प्रक्रिया को चीन के माध्यम से करने के लिए तैयार नहीं है तथा रूस के माध्यम से वैकल्पिक मार्गों की तलाश की जा रही है।

महत्त्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्त्वपूर्ण खनिज वे तत्त्व हैं, जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण खंड हैं और जिनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का जोखिम है।
  - इन खनिजों की उपलब्धता में कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों तक ही निष्कर्षण या प्रसंस्करण का केन्द्रीकरण संभावित रूप से "आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान" का कारण बन सकता है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोग

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल जैसे शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टर्बाइन, सौर पैनल आदि। महत्त्वपूर्ण खनिज जैसे कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, सेलेनियम और वैनेडियम का उपयोग बैटरी, अर्धचालक, सौर पैनल आदि में किया जाता है।
- उन्नत विनिर्माण इनपुट और सामग्री जैसे रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुम्बक, सिरेमिक।
  - बेरिलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टैंटालम आदि खनिजों का उपयोग नई प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में होता है।
- प्लैटिनम समूह धातुओं (PGMs) का उपयोग चिकित्सा उपकरणों, कैंसर उपचार दवाओं और दंत चिकित्सा सामग्री में किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण खनिजों की सूची

- विभिन्न देशों के पास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्त्वपूर्ण खनिजों की अपनी अलग-अलग सूची होती है।
- भारत के लिए कुल 30 खनिज सबसे महत्त्वपूर्ण पाए गए, जिनमें से दो उर्वरक खनिजों के रूप में महत्त्वपूर्ण हैं: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

खनिज सुरक्षा साझेदारी

- MSP ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपीय संघ, इटली, नॉर्वे, एस्टोनिया और भारत सहित 15 सदस्य देशों का एक रणनीतिक समूह है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्तिशृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना है।
- भारत पहले से ही खनन, खनिज, धातु और सतत विकास पर अंतर-सरकारी फोरम का सदस्य है, जो उपयुक्त खनन प्रशासन की उन्नति का समर्थन करता है।

कोकिंग कोल

- कोकिंग कोल, जिसे मेटलर्जिकल कोल या "मेट कोल" के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का कोयला है, जिसका उपयोग स्टील बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है।
- यह कोक के उत्पादन में आवश्यक है, जो स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक है।
- स्टील बनाने के लिए उपयुक्त होने के लिए कोकिंग कोल में उच्च कार्बन सामग्री, कम सल्फर और फॉस्फोरस सामग्री और मजबूत कोकिंग गुण जैसे विशिष्ट गुण होने चाहिए।
- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस से कोकिंग कोल के आयात पर निर्भर है।

आगे की राह

- भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया जैसे देशों के साथ सहयोग कर रहा है।
- देश में आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज आवश्यक हो गए हैं।
- भारत की ऊर्जा परिवर्तन और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों का महत्त्व बढ़ गया है।

भारत में मोटे अनाज का उत्पादन स्थिर

भारतीय रिज़र्व बैंक की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत मोटे अनाज के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में स्थिरता का सामना कर रहा है।

मोटे अनाज के बारे में

- मोटा अनाज, छोटे दाने की अनाज वाली खाद्य फसलों का एक समूह है, जिसे लोकप्रिय रूप से पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है।

- **किस्में:** मोटे अनाज की कई किस्में उत्पादित की जाती हैं, जैसे कि पर्ल, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल, कोदो, बार्नयार्ड, प्रोसो, कुटकी और स्यूडो मिलेट जैसे कि कुट्टू और राजगिरा।

मोटे अनाज की खेती के लिए शर्तें

- **जलवायु:** मोटा अनाज उष्णकटिबंधीय के साथ-साथ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2,100 मीटर की ऊँचाई तक उगाया जाता है।
  - वृद्धि के दौरान 26-29°c का औसत तापमान उचित विकास और अच्छी फसल उपज के लिए सर्वोत्तम है।
- **मृदा:** मोटे अनाज अत्यधिक खराब से लेकर अत्यधिक उपजाऊ तक विभिन्न प्रकार की मृदा के प्रति व्यापक अनुकूलन क्षमता रखते हैं तथा एक निश्चित मात्रा में क्षारीयता को भी सहन कर सकते हैं।
  - सबसे अच्छी मृदा, अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़, दोमट और रेतीली मृदा होती है।

भारत में मोटे अनाज का उत्पादन

- भारत दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह एशिया के लगभग 80% और वैश्विक मोटे अनाज उत्पादन का 20% हिस्सा है।
- भारत के मोटे अनाज की दो किस्में अर्थात् बाजरा और सोरघम (ज्वार) मिलकर 2020 में विश्व उत्पादन में लगभग 19% का योगदान देते हैं।
- भारत में प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड हैं।

मोटे अनाज के लाभ

- **पर्यावरण के अनुकूल फसलें:** मोटे अनाज कम से कम इनपुट के साथ शुष्क भूमि पर उगाए जा सकते हैं और जलवायु में होने वाले बदलावों के प्रति लचीले होते हैं।
- **अत्यधिक पौष्टिक:** मोटे अनाज में 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट और 15-20% आहार फाइबर होता है।
- **स्वास्थ्य लाभ:** मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त और गैर-एलर्जेनिक हैं। मोटे अनाज के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स और सी-रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव होता है।
- **आयात पर निर्भरता कम करना:** वे देशों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयातित अनाज पर निर्भरता कम करने के लिए एक आदर्श समाधान हैं।

भारत में मोटे अनाज उत्पादन में स्थिरता के कारण

- **कम उत्पादकता:** भारत में मोटे अनाज की उत्पादकता 1.4 टन प्रति हेक्टेयर थी, जबकि चीन की उत्पादकता 3 टन/हेक्टेयर थी, उसके बाद इथियोपिया की उत्पादकता 2.5 टन और रूस की उत्पादकता 1.5 टन थी।
- **कम उपभोक्ता माँग और जागरूकता:** उनके पोषण संबंधी लाभों के बावजूद, सीमित उपभोक्ता माँग है, जो किसानों को मोटे अनाज उत्पादन के लिए बाजार प्रोत्साहन को कम करती है।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** कई क्षेत्रों में, मोटे अनाज की खेती कम आय वाले समूहों से जुड़ी हुई है। यह सामाजिक-आर्थिक आक्षेप किसानों को मोटे अनाज उगाने से हतोत्साहित करता है।
- **सहायता योजनाओं का पक्षपात:** सरकारी सब्सिडी और सहायता योजनाएँ चावल और गेहूँ जैसे प्रमुख अनाजों के प्रति पक्षपाती हैं। मोटे अनाज को तुलनात्मक रूप से कम ध्यान और वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे किसानों के लिए कम आकर्षक हो जाते हैं।
- **पर्यावरणीय कारक:** मोटे अनाज प्राय: अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जो अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा मोटे अनाज उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
- **अपर्याप्त अनुसंधान और विकास:** चावल और गेहूँ जैसी अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में मोटे अनाज के लिए अनुसंधान और विकास में अपेक्षाकृत कम निवेश किया गया है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को मोटे अनाज की उच्च उपज देने वाली तथा रोग प्रतिरोधी किस्में कम उपलब्ध हो रही हैं।

मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष:** भारत ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का नेतृत्व किया।
- **कृषि-बुनियादी ढाँचा निधि:** सरकार किसानों/FPO/उद्यमियों को मोटे अनाज में प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करने हेतु कृषि-बुनियादी ढाँचा निधि योजना को लोकप्रिय बना रही है।
- **उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य** (HMSP): किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी के लिए उच्च MSP की घोषणा की गई है।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने 2022-23 से 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दे दी है।

आगे की राह

- मोटा अनाज एक बहुमुखी अनाज है, जो गेहूँ की तुलना में आधे समय में उगता है और चावल की तुलना में 70% कम जल का उपयोग करता है, जिससे कई गुना लाभ प्राप्त होता है।
- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए एक केंद्रित अभियान वैश्विक स्तर पर खाद्य और स्वास्थ्य उद्योग के पूरे प्रतिमान को बदल सकता है।

भारतीय म्युचुअल फंड और विदेशी निवेश के लिए SEBI का प्रस्ताव

SEBI ने घरेलू म्युचुअल फंडों (MFs) द्वारा अपने विदेशी समकक्षों या यूनिट ट्रस्टों (UTs) में निवेश को सुविधाजनक बनाने हेतु एक रूपरेखा का प्रस्ताव किया है, जो अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित अंश भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में म्युचुअल फंड को स्पष्ट रूप से विदेशी म्युचुअल फंड इकाइयों में निवेश करने की अनुमति नहीं है, जिनका भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश है।
  - हालाँकि, अगर फंड का भारतीय प्रतिभूतियों में महत्त्वपूर्ण निवेश है, तो विदेशी निवेश करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।
- इसके अतिरिक्त, एक (अप्रत्यक्ष) विदेशी निवेश साधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश अंतिम निवेशक के लिए भारतीय प्रतिभूतियों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में लागत प्रभावी नहीं है - इस प्रकार, कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

म्युचुअल फंड

- म्युचुअल फंड एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित वित्त का एक समूह है।
- यह एक ट्रस्ट है, जो विभिन्न निवेशकों से वित्त एकत्र करता है, जो एक सामान्य निवेश उद्देश्य साझा करते हैं और इसे इक्विटी, बॉन्ड, मनी मार्केट उपकरण और/या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
- इस सामूहिक निवेश से उत्पन्न आय/लाभ को लागू व्यय और लेवी में कटौती करने के पश्चात् निवेशकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है।

प्रस्तावित ढाँचे की आवश्यकता

- SEBI का मानना है कि भारतीय प्रतिभूतियाँ विदेशी फंडों के लिए आकर्षक निवेश के अवसर प्रदान करती हैं।
- इसके कारण कई अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs), MF और UTs ने अपनी परिसंपत्तियों का एक हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश किया है।
- भारतीय म्युचुअल फंड 'फीडर फंड' लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं, जो MF, UTs, ETFs या इंडेक्स फंड जैसे विदेशी उपकरणों में निवेश करते हैं।
- विविधीकरण के अतिरिक्त, यह वैश्विक निवेश करने का मार्ग आसान बनाता है।

SEBI द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

- विदेशी उपकरणों (भारत में) द्वारा किए गए निवेश की ऊपरी सीमा उनकी शुद्ध परिसंपत्तियों के 20% तक सीमित कर दी गई है।
  - इससे भारत में निवेश करने वाले विदेशी फंडों में निवेश को सुविधाजनक बनाने और अत्यधिक निवेश को रोकने के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी।
- भारतीय म्युचुअल फंड को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी उपकरण के सभी निवेशकों को उनके योगदान के अनुपात में लाभ मिल रहा है और वरीयता के क्रम में नहीं।
- भारतीय म्युचुअल फंड को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी उपकरण का प्रबंधन "आधिकारिक रूप से नियुक्त, स्वतंत्र निवेश प्रबंधक/फंड मैनेजर" द्वारा किया जाता है, जो "फंड के लिए सभी निवेश निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल है।"
  - SEBI ने इस बात पर बल दिया है कि ये निवेश प्रबंधक द्वारा निवेशकों या अज्ञात पक्षों के किसी प्रभाव के बिना, स्वायत्त रूप से किए जाने चाहिए।
- SEBI पारदर्शिता के लिए समय-समय पर ऐसे विदेशी MF/UT के पोर्टफोलियो का सार्वजनिक खुलासा करने की भी माँग कर रहा है।
- यह भारतीय म्युचुअल फंड और विदेशी MFèkUT के बीच किसी भी सलाहकार समझौते (व्यावसायिक समझौते) के अस्तित्व के विरुद्ध भी चेतावनी देता है।
  - इसका उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना तथा किसी भी अनुचित लाभ से बचना है।

20% सीमा का उल्लंघन

- यदि विदेशी साधन 20% की सीमा को पार कर जाता है, तो विदेशी फंड में निवेश करने वाली भारतीय म्युचुअल फंड योजना 6 महीने की अवलोकन अवधि में चली जाएगी।
- इस अवधि का उपयोग विदेशी फंड द्वारा अपने पोर्टफोलियो को कैप का पालन करते हुए पुनर्संतुलित करने के लिए किया जाना है।
- इस समय के दौरान, घरेलू म्युचुअल फंड विदेशी MF/UT में कोई नया निवेश नहीं कर सकता है।
- यदि अवलोकन अवधि के अंदर पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित नहीं किया जाता है, तो भारतीय म्युचुअल फंड को 6 महीने के अंदर विदेशी साधन में अपने निवेश को समाप्त करना होगा।

भारत के FDI प्रवाह में कमी

वित्त वर्ष 2024 में भारत में FDI इक्विटी प्रवाह घटकर पाँच वर्ष के निचले स्तर 44.42 बिलियन डॉलर पर आ गया, जो विगत् वर्ष की तुलना में 3.5% कम है।

प्रमुख बिंदु

- **FDI के शीर्ष स्रोत:** सिंगापुर 11.77 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष निवेशक बना रहा, उसके बाद मॉरीशस (+7.97 बिलियन), संयुक्त राज्य अमेरिका (+4.99 बिलियन) और नीदरलैंड (+4.92 बिलियन) का स्थान रहा।
- **अग्रणी क्षेत्र:** कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र FDI का सबसे अधिक प्राप्तकर्ता रहा।
- **भौगोलिक वितरण:** महाराष्ट्र ने 15.11 बिलियन डॉलर के साथ सबसे अधिक FDI आकर्षित करना जारी रखा।
- **FDI प्रवाह में गिरावट के कारण:** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दरों ने भारत में निवेश को कम आकर्षक बना दिया।
  - भारत में आईटी और स्टार्टअप जैसे कुछ क्षेत्र निवेश के मामले में संतृप्ति बिंदु पर पहुँच गए हैं।

प्रभाव

- FDI में कमी से आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह पूँजी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- यह गिरावट भारतीय बाजार में निवेशकों के विश्वास में कमी का संकेत हो सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

- यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है, जब कोई कंपनी या निवेशक किसी दूसरे देश में किसी व्यावसायिक इकाई में स्वामित्व और संचालन को नियंत्रित करता है।
- FDI के साथ, विदेशी कंपनियाँ दूसरे देश में दिन-प्रतिदिन के संचालन में प्रत्यक्षत: शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि पैसा लाने के साथ-साथ वे ज्ञान, कौशल और तकनीक भी लाती हैं।
- यह भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण गैर-ऋण मौद्रिक स्रोत है।
  - भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 के संकट के पश्चात् प्रारंभ हुआ और तब से देश में FDI में लगातार वृद्धि हुई है।
- **FDI के मार्ग**
  - **सरकारी मार्ग:** ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश के लिए जिनके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - **स्वचालित मार्ग:** ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश के लिए जिनके लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- **श्रेणियाँ**
  - **क्षैतिज:** इसका मतलब है कि निवेशक किसी विदेशी देश में उसी तरह का व्यवसाय संचालन स्थापित करता है, जैसा वह अपने देश में संचालित करता है।
  - **ऊर्ध्वाधर:** जिसमें निवेशक के मुख्य व्यवसाय से अलग लेकिन संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ किसी विदेशी देश में स्थापित या अधिगृहीत की जाती हैं, जैसे कि जब कोई विनिर्माण कंपनी किसी विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी हासिल करती है, जो विनिर्माण कंपनी के लिए आवश्यक भागों या कच्चे माल की आपूर्ति करती है।
  - **समूह:** जहाँ कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में विदेशी निवेश करता है, जो उसके अपने देश में मौजूदा व्यवसाय से संबंधित नहीं होता है।

RBI का स्वर्ण भंडार

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024 में यूनाइटेड किंगडम से 100 मीट्रिक टन सोना घरेलू भंडार में स्थानांतरित किया है।

स्वर्ण भंडार

- यह किसी देश के केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में RBI) द्वारा रखा गया सोना है, जो वित्तीय वादों के लिए बैकअप और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है।
- भारत, अन्य देशों की तरह, जोखिम को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कुछ स्वर्ण भंडार को विदेशी भंडार में संगृहीत करता है।
  - वित्त वर्ष 2024 में भारत की कुल स्वर्ण होल्डिंग अब 822 मीट्रिक टन है।
- भारत का स्वर्ण भंडार मुख्य रूप से बैंक ऑफ इंग्लैंड में संगृहीत है, जो अपने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जाना जाता है।
  - RBI अपने स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा स्विट्ज़रलैंड के बासेल स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) और संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में संगृहीत करता है।

क्या आप जानते हैं?

- वर्ष 1990-91 में भारत के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान, देश ने 405 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिए अपने कुछ स्वर्ण भंडार को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख दिया था।
- हालाँकि, नवंबर 1991 तक ऋण का भुगतान कर दिया गया था, फिर भी भारत ने सुविधा के लिए सोने को ब्रिटेन में ही रखने का फैसला किया।

वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2023 में 97 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचा

'ऋण की दुनिया: वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में वैश्विक सार्वजनिक ऋण में अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जो 2023 में 97 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक शिखर पर पहुँच गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD) द्वारा तैयार की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 60% से अधिक ऋण जीडीपी अनुपात वाले अफ्रीकी देशों की संख्या वर्ष 2013 और 2023 के बीच 6 से बढ़कर 27 हो गई है।
- वर्ष 2023 में, विकासशील देशों ने शुद्ध ब्याज के रूप में +847 बिलियन का भुगतान किया, जो वर्ष 2021 से 26% की वृद्धि को दर्शाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार 3.3 बिलियन व्यक्ति ऐसे देशों में रहते हैं, जहाँ ब्याज भुगतान शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से अधिक है।
- वर्ष 2023 में, विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण 29 ट्रिलियन डॉलर या दुनिया भर में कुल का लगभग 30% होने की संभावना थी, जो वर्ष 2010 में 16% हिस्सेदारी से अधिक है।
- वर्ष 2010 से, निजी लेनदारों को दिए जाने वाले बाहरी सार्वजनिक ऋण का हिस्सा सभी क्षेत्रों में बढ़ गया है, जो वर्ष 2022 में विकासशील देशों के कुल बाहरी सार्वजनिक ऋण का 61% है।
- "कैस्केडिंग संकट" और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुस्त और असमान प्रदर्शन ने वैश्विक सार्वजनिक ऋण में तेजी से वृद्धि को रेखांकित किया, जो कि अमीर देशों की तुलना में विकासशील देशों में दोगुनी दर से बढ़ रहा है।

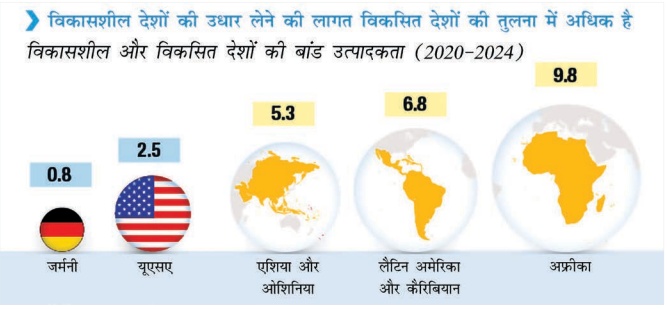

भारत का सार्वजनिक ऋण

- भारत का सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात वर्ष 2005-06 में 81% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 84% हो गया है, और वर्ष 2022-23 में वापस 81% हो गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 के अनुसार, सामान्य सरकारी ऋण को वर्ष 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद के 60% तक लाया जाना था।
- IMF का कहना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वित्त वर्ष 2028 तक केंद्र और राज्यों सहित भारत का सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 100% हो सकता है।
- इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपात 82.4% रहने का अनुमान लगाया है।
- **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ:** इसे 2015 में एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था, इससे पहले एक स्वतंत्र और वैधानिक ऋण प्रबंधन एजेंसी, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) की स्थापना की गई थी।

बढ़ते ऋण की चिंता

- **जलवायु कार्रवाई पर प्रभाव:** पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों को जलवायु निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 6.9% करने की आवश्यकता है। हालाँकि, वे वर्तमान में जलवायु निवेश की तुलना में ब्याज भुगतान पर अधिक खर्च कर रहे हैं।
- **ऋण संकटों को हल करने की लागत में वृद्धि:** ऋणदाता आधार की बढ़ती जटिलता ऋण पुनर्गठन को और अधिक कठोर बनाती है, क्योंकि इसके लिए अलग-अलग हितों और कानूनी ढाँचों वाले ऋणदाताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में असमानताएँ:** वाणिज्यिक शर्तों पर निजी स्रोतों से उधार लेना बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से रियायती वित्तपोषण की तुलना में अधिक महँगा है।
- उच्च ऋण वाले देश स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी सार्वजनिक सेवाओं में व्यय कम करते हैं। इससे गरीबी और असमानता बढ़ सकती है।

सतत विकास के वित्तपोषण हेतु कार्रवाई का आह्वान

- रिपोर्ट में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने और मौजूदा ऋण संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) प्रोत्साहन पैकेज को बढ़ावा देने की योजना प्रस्तावित की गई है।
- **इसमें निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं:**
  - **प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाना:** वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के संचालन में विकासशील देशों की प्रभावी भागीदारी में सुधार करें।
  - प्रभावी ऋण निपटान तंत्र के माध्यम से ऋण की बढ़ती लागत और ऋण संकट के जोखिम से निपटें।
  - संकट के समय में अधिक तरलता प्रदान करने के लिए आकस्मिक वित्त का विस्तार करें, ताकि देशों को अंतिम उपाय के रूप में ऋण लेने के लिए मजबूर न होना पड़े।
  - बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी संसाधनों को जुटाकर किफायती और दीर्घकालिक वित्तपोषण को बड़े पैमाने पर बढ़ाएँ।

सार्वजनिक ऋण क्या है?

- सार्वजनिक ऋण वह कुल राशि है, जिसमें कुल देनदारियाँ भी शामिल हैं, जो सरकार अपने विकास बजट को पूरा करने के लिए उधार लेती है।
- इस शब्द का प्रयोग केंद्र और राज्य सरकारों की समग्र देनदारियों को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी ऋण देनदारियों को राज्यों की देनदारियों से स्पष्ट रूप से अलग करती है।
- भारत में, केंद्र सरकार अपनी देनदारियों को सामान्यत: दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है - भारत की समेकित निधि के विरुद्ध अनुबंधित ऋण, और सार्वजनिक खाता।
- सार्वजनिक ऋण के स्रोत दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Secs), ट्रेजरी बिल, बाहरी सहायता और अल्पकालिक ऋण हैं।

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

सहकारिता मंत्रालय ने भारत में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए 2023 में "विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को मंजूरी दी।

प्रमुख विशेषताएँ

- **बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ:** इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं।
- **मौजूदा योजनाओं का अभिसरण:** यह योजना मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करके समग्र सरकारी दृष्टिकोण का लाभ उठाती हैं-
  - कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
  - कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI)
  - कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM)
  - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME)
- **वित्तीय सहायता और सब्सिडी:** पैक्स गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सब्सिडी और ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं-
  - नाबार्ड 2 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए AIF योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान के लाभों को शामिल करने के बाद, पैक्स को अत्यधिक रियायती दरों (लगभग 1%) पर पुनर्वित्त प्रदान करता है।

कार्यान्वयन:

- पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), नाबार्ड परामर्श सेवाएँ (NABCONS) के सहयोग से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, पायलट परियोजना को राज्य सरकारों, NCCF, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) आदि के सहयोग से 500 अतिरिक्त पैक्स में विस्तारित किया जा रहा है।
- सहकारिता मंत्रालय ने प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक IMC का गठन किया है। IMC आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली में संशोधन कर सकती है।

लाभ

- **खाद्य सुरक्षा:** अनाज के भंडारण की क्षमता बढ़ाकर, योजना खाद्यान्न की अधिक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जिससे कमी का जोखिम कम होता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान मिलता है।
- **बर्बादी में कमी:** उचित भंडारण सुविधाएँ खराब होने, कीटों और अन्य कारकों के कारण खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने में सहायता करती हैं, जिससे मूल्यवान संसाधनों का संरक्षण होता है।
- **किसानों के लिए उचित मूल्य:** यह किसानों द्वारा फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को भी रोकेगा और उन्हें अपनी फसलों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- **वित्तीय समावेशन:** किसान अपनी संगृहीत फसलों के बदले अगले फसल चक्र के लिए वित्त प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नकदी प्रवाह बना रहेगा और अगले रोपण मौसम में निवेश किया जा सकेगा।
- **PACS का सशक्तीकरण:** यह योजना PACS को भंडारण सुविधाएँ, उचित मूल्य की दुकानें और कस्टम हायरिंग सेंटर प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
  - इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सहकारी समितियों से जुड़े लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
- **वैश्विक मान्यता:** कुशल अनाज भंडारण की दिशा में भारत के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिलेगी।

चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण निवेश और समन्वय की आवश्यकता होती है।
- विभिन्न क्षेत्रों में गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण करना रसद संबंधी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **कार्यान्वयन की जटिलता:** तीन मंत्रालयों की चल रही योजनाओं को एकीकृत करने में जटिल योजना और क्रियान्वयन शामिल है।
- **क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता:** भारत के विविध भूगोल और अलग-अलग कृषि पद्धतियों का आशय है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भंडारण की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं।
  - एकरूपता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना को अनुकूलित करना एक चुनौती है।
- **वित्तीय स्थिरता:** योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता एक चुनौती बनी रहे।

निष्कर्ष

- दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपव्यय को कम करने और सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- इसमें भारत में खाद्यान्न भंडारण में क्रांति लाने, लाखों नागरिकों को लाभ पहुँचाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने की अपार संभावनाएँ हैं।

भारत में बागवानी उत्पादन

वर्ष 2023-24 में भारत का बागवानी उत्पादन लगभग 352.23 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 के अंतिम अनुमानों की तुलना में लगभग 32.51 लाख टन (0.91 प्रतिशत) की कमी को प्रदर्शित करता है।

भारत में बागवानी क्षेत्र

- बागवानी फल, सब्जियाँ, फूल और सजावटी पौधे उगाने का विज्ञान और कला है। इसमें पौधों के प्रसार, उत्पादन, प्रबंधन और विपणन सहित विभिन्न तरह की गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।
- भारतीय बागवानी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 33% का योगदान देता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- वर्तमान में भारत केला, नींबू, पपीता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है और दुनिया में सब्जियों एवं फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ और मुद्दे

- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** कटाई के बाद की देखभाल, भंडारण और परिवहन के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण खराब होने वाले बागवानी उत्पादों का अत्यधिक नुकसान होता है।
- **जल प्रबंधन:** बागवानी में जल की बहुत जरूरत होती है और जल की कमी या अकुशल जल प्रबंधन प्रथाओं से फसल की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **कीट और रोग प्रबंधन:** कीट और रोग बागवानी फसलों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं तथा कीटनाशकों के दुरुपयोग से पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं।
- **बाजार संपर्क:** सीमित बाजार संपर्क और मूल्य में उतार-चढ़ाव किसानों की आय को प्रभावित करते हैं तथा बागवानी उत्पादन में निवेश को हतोत्साहित करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** अप्रत्याशित वर्षा और तापमान में उतार-चढ़ाव सहित अनियमित मौसम पैटर्न बागवानी उत्पादन के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। इस कारण अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
- **गुणवत्ता मानक और प्रमाणन:** गुणवत्ता मानकों को पूरा करना और निर्यात बाजारों के लिए प्रमाणन प्राप्त करना छोटे पैमाने के बागवानी उत्पादकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

चुनौतियों के समाधान हेतु प्रमुख पहल

- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2005-06):** इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाकर बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
  - इसका ध्यान बुनियादी ढाँचे के निर्माण, तकनीकी सहायता प्रदान करने और बाजार संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** (NHB): यह बागवानी फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बागवानी उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार आसूचना प्रदान करता है।
  - क्लस्टर विकास कार्यक्रम NHB की केंद्रीय क्षेत्र योजना का एक घटक है, जिसका उद्देश्य बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना और उत्पादन-पूर्व, उत्पादन, कटाई-पश्चात, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना है।
- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन** (MIDH) **(2014):** यह विभिन्न बागवानी विकास योजनाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है, ताकि उत्पादन-पूर्व से लेकर कटाई-पश्चात प्रबंधन और विपणन तक संपूर्ण मूल्य शृंखला के लिए समग्र समर्थन प्रदान किया जा सके।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** (RKVY): यह बुनियादी ढाँचे के विकास, क्षमता निर्माण और अन्य हस्तक्षेपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को उनकी बागवानी विकास रणनीतियों की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करता है।
- **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन** (SMAM): यह कार्यकुशलता में सुधार लाने और श्रम निर्भरता को कम करने के लिए भूमि की तैयारी, रोपण, कटाई के बाद के प्रबंधन जैसी गतिविधियों के लिए बागवानी में मशीनीकरण को अपनाने का समर्थन करता है।

CCI ने बिग टेक के लिए नियम प्रस्तावित किए

***भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग** (CCI) ने उद्योग जगत की दिग्गज कंपनियों के निपटान और प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है।*

परिचय

- वर्ष 2023 में सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया गया, जिसमें कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए - जैसे कि निपटान और प्रतिबद्धता, तथा उदारता आदि। इससे CCI द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विनियमों में संशोधन/निरसन/पुनर्व्यवस्था के साथ-साथ कुछ नए विनियमों को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
- CCI ने हितधारकों को 6 जून, 2024 से 30 दिनों के अंदर मसौदा संशोधनों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।

प्रस्तावित विनियम

- इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य प्रक्रियागत आवश्यकताओं को सरल और त्वरित बनाना है, जिससे प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, यह गारंटी देता है कि इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष को भाग लेने का निष्पक्ष और समान अवसर मिले और उनके हितों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व और विचार किया जाए।
- CCI ने एंटीट्रस्ट मामलों में बिग टेक संस्थाओं जैसी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए निपटान और प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने की योजना बनाई है, ताकि ऐसे कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निगरानी एजेंसियों को शामिल किया जा सके।
  - निगरानी एजेंसियों में लेखा फर्म, प्रबंधन परामर्शदात्री संस्था, कोई अन्य पेशेवर संगठन या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या लागत लेखाकार शामिल हो सकते हैं।
  - उन्हें समय-समय पर CCI को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- यद्यपि प्रक्रियागत परिवर्तन काफी सामान्य हैं, प्रस्तावित संशोधन CCI के अधिकार को बढ़ाता है।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023

- यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है और कार्टेल, विलय एवं अधिग्रहण जैसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाता है, जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- यह CCI अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

संशोधन

- **दंड:** यह दंड के प्रयोजन के लिए 'टर्नओवर' को किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा सभी उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त वैश्विक टर्नओवर के रूप में परिभाषित करना चाहता है।
  - विचार यह है कि दोषी कंपनी के वैश्विक कारोबार के प्रतिशत के रूप में जुर्माना लगाया जाए, जो स्थानीय या प्रासंगिक बाजार कारोबार के एक हिस्से को जुर्माने के रूप में लगाने की वर्तमान प्रथा से अलग है।
- **वैधीकरण:** यह अधिनियम दंड की प्रकृति को जुर्माने से बदलकर सिविल दंड में परिवर्तित करके कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करता है।
  - इन अपराधों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित CCI के आदेशों और महानिदेशक के निर्देशों का पालन करने में विफलता तथा प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग शामिल है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, इसका विधिवत गठन 2009 में किया गया था।
- यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है तथा ऐसे संयोजनों को नियंत्रित करता है, जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- आयोग में एक अध्यक्ष तथा छह सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो वैधानिक प्राधिकारियों को सुझाव देता है तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी मामलों से भी निपटता है।

- **CCI के दायरा में वृद्धि:** नये प्रावधानों से CCI के विलय विनियमन का दायरा बढ़ गया है, जिससे 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सौदों के लिए नियामक मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- **निपटान तंत्र:** यह अधिनियम प्रतिबद्धता और निपटान के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य बातचीत के माध्यम से मुकदमों को कम करना है। यह योजना प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रभुत्व के दुरुपयोग के मामलों में उपलब्ध है, परंतु उत्पादक संघों के लिए नहीं।

प्रेस्टन वक्र

हाल ही में, प्रेस्टन वक्र अभिधारणा समाचारों में देखी गयी।

प्रेस्टन वक्र के बारे में

- इसे पहली बार अमेरिकी समाजशास्त्री सैमुअल एच. प्रेस्टन ने अपने 1975 के पेपर "मृत्यु दर और आर्थिक विकास के स्तर के मध्य बदलते संबंध" में प्रस्तावित किया था।
- यह एक निश्चित अनुभवजन्य संबंध को संदर्भित करता है, जो किसी देश में जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के मध्य देखा जाता है।
- वक्र यह प्रदर्शित करता है कि अमीर देशों के लोगों का जीवन काल सामान्यत: गरीब देशों के लोगों की तुलना में लंबा होता है।
  - ऐसा संभवत: इसलिए है क्योंकि धनाड्य देशों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच है, वे अधिक शिक्षित हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं तथा बेहतर पोषण का आनंद लेते हैं।
- जब कोई गरीब देश आर्थिक विकास का अनुभव करता है, तो वहाँ जीवन प्रत्याशा में प्रारंभिक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, जिससे उन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह कैलोरी और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ वहन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है।
  - प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बीच सकारात्मक संबंध एक निश्चित बिंदु के बाद समाप्त होने लगता है।

जनरल एंटी-एवॉइडेंस रूल (GAAR)

हाल ही में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जनरल एंटी-एवॉइडेंस रूल (GAAR) के मामले में एक करदाता के विरुद्ध निर्णय दिया है।

जनरल एंटी-एवॉइडेंस रूल (GAAR) के बारे में

- यह भारत में कर-परिहार विरोधी कानून है, जिसे कर-परिहार की समस्या से निपटने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था, कि विभिन्न कर श्रेणियों में आने वाले लोगों पर सही मात्रा में कर लगाया जाए।
- GAAR विनियम आयकर अधिनियम 1961 पर आधारित हैं, और इसे पहली बार प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2010 में प्रस्तुत किया गया था।
- यह अंतिम उपाय का प्रावधान है, जिसका उपयोग कर प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार्य कर परिहार प्रथाओं को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो अन्यथा सामान्य कर कानून की शर्तों और वैधानिक व्याख्या का अनुपालन करते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- GAAR उन प्रकार की व्यवस्थाओं पर कर लगाने की जाँच करता है, जिनका मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है या जिनका कोई वाणिज्यिक महत्त्व नहीं है।
- यदि कर से बचने के उद्देश्यों के लिए कुछ अच्छे व्यावसायिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे लागू किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे विभिन्न देशों ने GAAR जैसे नियम के जरिए 'स्वरूप पर सार सिद्धांत' को संहिताबद्ध किया है।
- भारत और पोलैंड जैसे कई अन्य देशों में GAAR की शुरुआत अभी भी सामयिक बनी हुई है।

GST परिषद

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर की समीक्षा पर विचार कर सकती है।

GST परिषद

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई है।
  - केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष हैं।
- GST परिषद, GST से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - GST के अंतर्गत आने वाले कर, उपकर और अधिभार;
  - वस्तुएँ और सेवाएँ जो GST के अधीन होंगी या GST से छूट प्राप्त होंगी;
  - मॉडल GST कानून, लेवी के सिद्धांत और IGST का विभाजन;
  - कर की दरें, सीमा, विशेष प्रावधान और GST से संबंधित कोई अन्य मामला।
- **विवाद समाधान:** परिषद GST से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करती है।

- केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का एक तिहाई हिस्सा है, जबकि राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो तिहाई है।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने स्पष्ट किया है कि GST परिषद की सिफारिशें संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

चावल की सीधी बुआई (DSR)

पंजाब सरकार चावल की सीधी बुवाई (DSR) या 'टार-वाटर' तकनीक को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

चावल की सीधी बुआई (DSR) के बारे में-

- DSR एक अपेक्षाकृत नई तकनीक है, जिसमें खेत में पौधे रोपने से पहले नर्सरी तैयार करने की पारंपरिक प्रथा के विपरीत धान के बीजों की सीधी बुवाई शामिल है।
- इसके लिए नर्सरी तैयार करने या रोपाई की आवश्यकता नहीं होती है-
  - धान के बीजों को सीधे बोया जाता है, लगभग 20-30 दिन पहले जब उन्हें रोपा जाता है।
  - बीज बोने की प्रक्रिया से पहले खेत की सिंचाई की जाती है और लेजर लेवलिंग की जाती है, जिसे सीड ड्रिल या लकी सीडर का उपयोग करके किया जाता है।
- **लाभ:** यह भू-जल की बचत करता है, जबकि पारंपरिक विधि में जल की अधिक खपत होती है, जिसके तहत चावल के पौधों को नर्सरी से जलभराव वाले खेत में रोपा जाता है।
  - इसे सबसे अधिक उत्पादक, पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य चावल उत्पादन प्रणाली माना जाता है।
  - यह पैदावार को बढ़ाता है, लागत को कम करता है और किसानों के लिए श्रम की कमी को दूर करता है।

बिटुमेन (डामर)

भारत बायोमास या कृषि अपशिष्ट से बायो-बिटुमेन का बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है।

परिचय

- बिटुमेन कच्चे तेल की आंशिक आसवन प्रक्रिया से प्राप्त सबसे भारी पदार्थ है।
- यह काले या भूरे रंग का होता है और इसमें जलरोधी और चिपकने वाले गुण होते हैं।
- इसका व्यापक रूप से पक्की सड़कों की सतहों को बाँधने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **भारत में स्थिति:** हाल के वर्षों में, भारत में सड़क निर्माण में वृद्धि के अनुरूप बिटुमेन की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - भारत वर्तमान में, अपनी वार्षिक बिटुमेन आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है तथा आगामी 10 वर्षों में आयात के स्थान पर जैव-बिटुमेन का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक सजा दर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्द्धन योजना (NFIES) को मंजूरी दी।

परिचय

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका वित्तीय परिव्यय 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान 2254.43 करोड़ रुपये है।
- मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत निम्नलिखित घटकों को मंजूरी दी है:
  - देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के परिसरों की स्थापना।
  - देश में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
  - NFSU के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढाँचे में वृद्धि।

योजना की आवश्यकता

- नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से, जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जाँच अनिवार्य है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- देश में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की काफी कमी है।
- उन्नत फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे वैश्विक फोरेंसिक निकायों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर सहयोग की सुविधा मिलेगी।

उन्नत फोरेंसिक जाँच सुविधाओं के लाभ

- **उन्नत अपराध जाँच:** नए CFSLs साक्ष्य के वैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आपराधिक मामलों के शीघ्र और सटीक समाधान में सहायता मिलती है।
- **शीघ्र न्याय:** कुशल और समय पर फोरेंसिक विश्लेषण कानूनी मामलों के शीघ्र समाधान में योगदान देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि न्याय शीघ्र मिले।

- **रोजगार सृजन:** नए परिसर और प्रयोगशालाएँ शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं।
- इससे प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी दूर होगी तथा जाँच और कानूनी कार्यवाही की सटीकता, दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी।

परिचय

- VGF योजना 2015 में अधिसूचित राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मौजूद विशाल अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करना है।
- **नोडल एजेंसी:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नोडल मंत्रालय के रूप में, योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करेगा।
- **कार्यान्वयन:** इसमें 1 गीगावॉट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट प्रत्येक) की स्थापना और कमीशनिंग तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो बंदरगाहों का उन्नयन शामिल है।
- **महत्त्व:** सरकार से VGF समर्थन अपतटीय पवन परियोजनाओं से विद्युत की लागत को कम करेगा और उन्हें डिस्कॉम द्वारा खरीद के लिए व्यवहार्य बना देगा।
  - 1 गीगावॉट की अपतटीय पवन परियोजनाओं के सफल संचालन से प्रतिवर्ष लगभग 3.72 बिलियन यूनिट नवीकरणीय विद्युत् का उत्पादन होगा, जिसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2.98 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी।
  - इससे देश में समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों के पूरक के रूप में आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण होगा।

अपतटीय पवन ऊर्जा

- अपतटीय पवन शक्ति या अपतटीय पवन ऊर्जा सागरीय पवन की शक्ति से ली गई ऊर्जा है, जिसे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और तटवर्ती विद्युत नेटवर्क में आपूर्ति की जाती है।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, जो तटवर्ती पवन और सौर परियोजनाओं की तुलना में विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जैसे उच्च पर्याप्तता और विश्वसनीयता, कम भंडारण आवश्यकता और अधिक रोजगार क्षमता।

लाभ

- **उच्च परिणाम:** तटवर्ती स्थानों की तुलना में अपतटीय स्थानों पर हवा की गति अधिक तीव्र और अधिक सुसंगत होती है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि अपतटीय टर्बाइन औसतन अधिक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं।
- **शोर का कम प्रभाव:** अपतटीय पवन फार्म आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थित होते हैं, जिससे तटवर्ती प्रतिष्ठानों की तुलना में दृश्य और शोर प्रभाव कम होता है।
- **अधिक स्थान:** अपतटीय स्थान बड़े और अधिक संख्या में टर्बाइनों के लिए अधिक उपलब्ध स्थान प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से प्रति साइट अधिक विद्युत उत्पन्न होती है।
- **कम अवरोध:** टर्बाइनों को गहरे जल में रखा जा सकता है, जहाँ उनके शिपिंग लेन को बाधित करने या अन्य भूमि उपयोगों में हस्तक्षेप करने की संभावना कम होती है।

नुकसान

- **उच्च स्थापना लागत:** अपतटीय पवन फार्मों की स्थापना और रख-रखाव लागत, समुद्री निर्माण और लॉजिस्टिक्स की जटिलताओं के कारण तटीय पवन फार्मों की तुलना में अधिक है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** निर्माण और संचालन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवन को प्रभावित कर सकते हैं, हालाँकि आधुनिक परियोजनाओं में पर्यावरणीय आकलन और शमन उपाय शामिल हैं।

निष्कर्ष

- इन चुनौतियों के बावजूद, विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपतटीय पवन ऊर्जा की वृद्धि काफी अच्छी रही है, जो ऊर्जा की बढ़ती माँग, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं और नवीकरणीय ऊर्जा विकास का समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकी और नीति में प्रगति से प्रेरित है।
- यूके, जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश अपतटीय पवन तैनाती में अग्रणी रहे हैं, जहाँ वैश्विक स्तर पर अनेक महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएँ योजनाबद्ध हैं या प्रक्रिया में हैं।

कृषि सखी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए।

कृषि सखी के बारे में

- कृषि सखी 'लखपति दीदी' कार्यक्रम के तहत् एक आयाम है, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है।
- कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम (KSCP) का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि सखी के रूप में सशक्त बनाकर ग्रामीण भारत को बदलना है, जिसमें कृषि सखियों को पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना शामिल है।
- अभी कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम को चरणबद्ध 12 राज्यों में प्रारंभ किया गया है।

- पहले चरण में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय की महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- औसतन एक कृषि सखी एक वर्ष में लगभग 60,000 - 80,000 रुपये कमा सकती है।

पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स

- कृषि सखियों को विभिन्न गतिविधियों पर 56 दिनों के लिए विभिन्न कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं पर पेशेवरों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।
- कृषि सखियों को कृषि पैरा-एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं के रूप में चुना जाता है, क्योंकि वे विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन व्यक्ति और अनुभवी किसान होते हैं।

भारत में कृषि में महिलाएँ

- **सहभागिता:** भारत में लगभग 80% ग्रामीण महिलाएँ कृषि में कार्यरत हैं।
  - वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2021-2022 के अनुसार, कृषि में अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी सबसे अधिक 62.9% है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, पुरुषों द्वारा ग्रामीण से शहरी प्रवास बढ़ने के साथ, कृषि क्षेत्र में 'महिलाकरण' हो रहा है, जिसमें कृषक, उद्यमी और मजदूर के रूप में कई भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।
- **गतिविधियाँ:** ग्रामीण महिलाएँ पशुपालन, बागवानी, कटाई के बाद के कार्य, कृषि/सामाजिक वानिकी, मछली पालन आदि जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी संलग्न हैं।
  - कृषि में अधिकांश श्रम-प्रधान शारीरिक कार्य जैसे कि मवेशी प्रबंधन, चारा संग्रह, दूध निकालना, थ्रेसिंग, विनोइंग आदि महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।
- **महत्त्व:** ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली सामुदायिक प्रबंधन भूमिका, सामुदायिक स्तर पर सूचना और विस्तार के प्रसार को सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
  - ग्रामीण महिलाएँ दैनिक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्राकृतिक संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन और उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।

निष्कर्ष

- कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, इसलिए भारत की नीतिगत पहल के केंद्र में महिलाओं को रखना आवश्यक हो गया है।
- गरीबी को समाप्त करने की चुनौती को लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करके ही पूरा किया जा सकता है।
- भारत सरकार ने अपने विजन में इस अंतर को महसूस किया है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सेवाओं को मजबूत बनाने एवं महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA)

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण** (NFRA) **बिग फाइव सहित आठ ऑडिट फर्मों का अपना पहला वार्षिक निरीक्षण करने जा रहा है।

परिचय

- यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के प्रावधानों के तहत 2018 में गठित एक निकाय है।
- **NFRA के कर्त्तव्य हैं:**
  - कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करना, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जानी है;
  - लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करना और उन्हें लागू करना;
  - ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की देख-रेख करना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय सुझाना;
  - ऐसे अन्य कार्य और कर्त्तव्य निष्पादित करना, जो उपर्युक्त कार्यों और कर्त्तव्यों के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हो सकते हैं।
- कंपनी अधिनियम के अनुसार NFRA में एक अध्यक्ष होना आवश्यक है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तथा अधिकतम 15 सदस्य होंगे।

एंजल टैक्स

स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में भारी गिरावट और इसके परिणामस्वरूप नौकरियों के नुकसान के बीच, भारतीय उद्योग जगत ने एंजल टैक्स हटाने की माँग की है।

परिचय

- **पृष्ठभूमि:** एंजल टैक्स की शुरुआत 2012 में स्टार्टअप्स सहित निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए शेयरों पर उच्च प्रीमियम के माध्यम से धन शोधन को रोकने के लिए की गई थी।
  - चिंता यह थी कि स्टार्टअप्स का प्रयोग शेयरों के मूल्य में वृद्धि करके काले धन को सफेद करने के साधन के रूप में किया जा रहा था।
- यह एक प्रकार की आयकर है, जिसकी दर 30.6% है, यह तब लगाया जाता है जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर शेयर जारी करती है।
  - इससे पहले, यह केवल निवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर ही लगाया जाता था।
  - हालाँकि, वित्त अधिनियम 2023 में 1 अप्रैल, 2024 से गैर-निवासी निवेशकों पर भी एंजल टैक्स लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **चिंता:** स्टार्टअप्स और एंजल निवेशकों ने तर्क दिया कि यह कर अनुचित है तथा प्रारंभिक चरण की कंपनियों के विकास के लिए हानिकारक है।
  - उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स का मूल्यांकन प्राय: उनकी क्षमता के कारण अधिक होता है, न कि वर्तमान वित्तीय मापदंडों के कारण, जिस पर कर अधिकारी हमेशा विचार नहीं करते।

ग्रीनफील्ड पोर्ट वधावन

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में सभी मौसम के अनुकूल, ग्रीनफील्ड, डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी।

ग्रीनफील्ड पोर्ट वधावन के बारे में

- **विशेष उद्देश्य वाहन** (SPV): बंदरगाह का निर्माण वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL) द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा गठित एक SPV है, जिसमें क्रमशः 74% और 26% की हिस्सेदारी है।

सामरिक महत्त्व

- **IMEEEC एकीकरण:** वधावन बंदरगाह भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे (IMEEEC) का एक अभिन्न अंग होगा, जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच संपर्क को बढ़ाएगा।
  - यह पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो आर्थिक गतिविधि और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** बंदरगाह की विश्व स्तरीय सुविधाएँ अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के मुख्य मेगा जहाजों को आकर्षित करेंगी।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाते हुए, यह कुशल संचालन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा।
- **व्यापार प्रवाह संवर्धन:** निर्मित क्षमताओं से IMEEEC और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से EXIM व्यापार प्रवाह में सुविधा होगी।

भारत के प्रमुख बंदरगाह

- ये जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं (जबकि गैर-प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं)।
- पश्चिमी तट बंदरगाह पूर्वी तट बंदरगाह कोच्चि (केरल); कोलकाता (पश्चिम बंगाल); कांडला (गुजरात); मोरमुगाओ (गोवा); न्यू मैंगलोर (कर्नाटक); मुंबई या बॉम्बे (महाराष्ट्र); जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्हावा शेवा (महाराष्ट्र); वधावन (महाराष्ट्र) चेन्नई (तमिलनाडु); एन्नोर (तमिलनाडु); पारादीप (ओडिशा); विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश); वी.ओ. चिदंबरनार, पूर्व में तूतीकोरिन (तमिलनाडु); पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।
- **ग्रीनफील्ड परियोजना**
  - यह एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, जिसमें किसी चीज को प्रारंभ से बनाना शामिल है।
  - यह एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें कोई मौजूदा बुनियादी ढाँचा, प्रक्रिया या सिस्टम उपस्थित नहीं होता है।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2024

***संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन** (UNCTAD) द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की गई।*

प्रमुख निष्कर्ष:

- **निवेश का वातावरण:** 2024 में अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
  - कमजोर होती विकास संभावनाएँ, आर्थिक विखंडन की प्रवृत्तियाँ, व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव, औद्योगिक नीतियाँ और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण FDI स्वरूप को नया आकार दे रहे हैं, जिसके कारण कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यम (MNE) विदेश में विस्तार के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपना रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त और सीमा-पार विलय तथा अधिग्रहण (M-A) 2023 में विशेष रूप से कमज़ोर थे।
  - विलय एवं अधिग्रहण (M-A), जो मुख्यतः विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रभावित करते हैं, के मूल्य में 46% की गिरावट आई।
- **ग्रीनफील्ड निवेश परियोजनाएँ:** परियोजनाओं की संख्या में 2% की वृद्धि हुई, विकासशील देशों में विकास केंद्रित रहा, जहाँ परियोजनाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई।
  - विकसित देशों में नई परियोजना घोषणाओं में 6 प्रतिशत की गिरावट आयी।
  - 2023 में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड घोषणा मॉरिटानिया में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की थी, जिससे 34 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त होने का अनुमान है।
- विकसित एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 8 % की गिरावट आई है। विश्व में दूसरे सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता, चीन, में निवेश प्रवाह में दुर्लभ गिरावट दर्ज हुई है।
  - भारत और पश्चिम एवं मध्य एशिया में काफी गिरावट दर्ज की गई।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू हुए

दूरसंचार अधिनियम 2023, जून 2024 से आंशिक रूप से लागू किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

- दूरसंचार अधिनियम, 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन; स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करना है।
- यह दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में भारी तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 जैसे वर्तमान विधायी ढाँचे को निरस्त करने का भी प्रयास करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **निम्नलिखित के लिए केंद्र सरकार से प्राधिकरण की आवश्यकता होगी:**
  - दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना और संचालित करना,
  - दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना, या
  - रेडियो उपकरण युक्त होना।

- **स्पेक्ट्रम का आवंटन:** स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाएगा, सिवाय निर्दिष्ट उपयोगों के, जहाँ इसका आवंटन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा।
- **अवरोधन और तलाशी की शक्तियाँ:** दो या अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों को कुछ आधारों पर रोका जा सकता है, निगरानी किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है।
  - ऐसी कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के हित में आवश्यक या उचित होनी चाहिए।
- **मार्ग का अधिकार:** दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदाता सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अधिकार की माँग कर सकते हैं।
  - जहाँ तक संभव हो, मार्ग का अधिकार गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विशिष्ट आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए।
- **TRAI में नियुक्तियाँ:** यह अधिनियम TRAI अधिनियम में संशोधन करता है, ताकि कम से कम 30 वर्ष के व्यावसायिक अनुभव वाले व्यक्तियों को भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सके, और
  - सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।
- **डिजिटल भारत निधि:** सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष की स्थापना 1885 के अधिनियम के तहत कम सेवा वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए की गई है।
- **उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा:** यह अधिनियम उपयोगकर्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने के लिए उपाय प्रदान करता है तथा शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करता है।
- **डिजाइन द्वारा डिजिटल:** अधिनियम में प्रावधान है कि कार्यान्वयन ऑनलाइन विवाद- समाधान और अन्य ढाँचे को डिजाइन करके डिजिटल होगा।
- **अपराध और दंड:** बिना अनुमति के दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
  - प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर पाँच करोड़ रुपये तक का दीवानी जुर्माना लगाया जा सकता है।

चिंताएँ

- एन्क्रिप्ट किए गए संदेशों को डिक्रिप्ट करने की क्षमता, डेटा प्रतिधारण पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी, और बायोमेट्रिक पहचान के दुरुपयोग की संभावना नागरिक स्वतंत्रता के लिए जोखिम है।
- यह सरकार को निरंकुश शक्ति प्रदान करता है, जो नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती है और इसके लिए शासकीय अधिकारियों की थोड़ी या कोई जवाबदेही नहीं होती है।
- अधिनियम में परिसरों और वाहनों की तलाशी लेने की शक्तियों के संबंध में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनेक विनियामक कार्य सौंपता है।
  - यह विद्युत और वित्त जैसे क्षेत्रों से भिन्न है, जहाँ ये कार्य नियामकों को सौंपे गए हैं।

आगे की राह

- ऐसे कानूनी और नियामक ढाँचे की आवश्यकता है, जो सुरक्षित दूरसंचार नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करे और डिजिटल रूप से समावेशी विकास सुनिश्चित करे।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी का किसी भी संस्था द्वारा दुरुपयोग न किया जाए।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि सेवा बाजार में किसी भी नए अभिकर्ता को वाणिज्यिक आधार पर बुनियादी ढाँचे तक गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-अनन्य पहुँच प्राप्त हो, ताकि वह एकीकृत संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।
- भारत सरकार के एकीकृत दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों में लाइसेंसिंग, मानकों, कौशल और प्रशासन में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए।

RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कम औसत ऋण आकार वाले आर्थिक रूप से वंचित जिलों में छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

संबंधित तथ्य

- भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए निर्धारित अनिवार्य ऋण लक्ष्यों से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण और वित्तीय सहायता प्राप्त हो।
- प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और समाज के हाशिए पर निर्वहन कर रहे वर्गों को सहायता प्रदान करना है।
- **निर्दिष्ट क्षेत्र:** कृषि, MSMEs, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, तथा अन्य को उनके सामाजिक और आर्थिक महत्त्व के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।

नवीनतम दिशा-निर्देश

- केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से प्रभावी प्रति व्यक्ति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 9000 रुपये से कम वाले जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए 125% का अधिक भार निर्धारित किया है।
- इसका प्रभावी अर्थ यह है कि यदि कोई बैंक कम ऋण प्रवाह वाले जिले में 100 रुपये का ऋण देता है, तो उसे 125 रुपये का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण माना जाएगा।
  - इससे पहले वित्त वर्ष 2022 से लेकर अब तक, RBI ने उन जिलों में 125% के उच्च भार के नियम का पालन किया है, जहाँ प्रति व्यक्ति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रवाह 6000 रुपये था।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तुलनात्मक रूप से उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए एक हतोत्साहित ढाँचा भी है, जिसमें 90% से कम भार उन जिलों के लिए सौंपा गया है, जहाँ प्रति व्यक्ति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रवाह 42,000 रुपये से अधिक है।

- पहले यह सीमा 25000 रुपये थी, जिसे संशोधित कर दिया गया।
- केंद्रीय बैंक द्वारा उल्लेखित न किए गए अन्य सभी जिलों के लिए भार 100% रखा गया है।

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता

हाल ही में, दिल्ली को लगातार बढ़ते तापमान के कारण रिकॉर्ड तोड़ विद्युत् की माँग का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बार-बार विद्युत् कटौती हुई और गर्मी से संबंधित संभावित मृत्युओं में वृद्धि हुई।

संबंधित तथ्य

- आपदा रोधी अवसंरचना (DRI) से तात्पर्य ऐसे अवसंरचना प्रणालियों के प्रारूप और निर्माण से है, जो आपदाओं का सामना कर सकें, अनुकूलन कर सकें तथा शीघ्रता से समाधान कर सकें।
- यह लचीलापन आपदाओं के दौरान भी आवश्यक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- जैसे-जैसे शहरीकरण और राष्ट्रीय विकास तीव्र होता जा रहा है, विद्युत, जल और परिवहन जैसी बुनियादी संरचनाएँ और भी अधिक महत्त्वपूर्ण होती जा रही हैं।

DRI की आवश्यकता

- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के कारण विश्व में बुनियादी ढाँचे में निवेश में कमी आई है।
  - न्यूयॉर्क और सियोल जैसे महानगरों में अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली तथा शहरी बुनियादी ढाँचा प्रणालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
  - मोरक्को और तुर्की में आए भूकंप न केवल बुनियादी ढाँचे के लिए विनाशकारी थे, बल्कि जीवन और आजीविका के लिए भी विनाशकारी थे।
  - सिक्किम में बादल फटने से हिमनद झील का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई लोगों की जान चली गई, तथा इस पर्वतीय राज्य को शेष भारत से जोड़ने वाली सड़कों सहित महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को भारी हानि पहुँची।
- **आपदाओं के दौरान लचीलापन:** ये लगातार आने वाली आपदाएँ इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि अविश्वसनीय आपदाओं के दौरान मजबूत रहने वाले बुनियादी ढाँचे को डिजाइन करने और उसमें निवेश करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- **भविष्य का दृष्टिकोण:** अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक, संभावित खतरों से वैश्विक स्तर पर शहरों को सुरक्षित करने में पर्याप्त निवेश के बिना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण शहरों पर लगभग 314 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वित्तीय भार पड़ सकता है।
  - विश्व बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि गर्मी से संबंधित तनाव के कारण उत्पादकता में गिरावट से 2030 तक भारत में लगभग 34 मिलियन नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं।
- इसलिए, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए DRI और लचीली शहरी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है।
- जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के तीव्र होने के कारण, DRI की ओर बदलाव न केवल रणनीतिक है - बल्कि यह आर्थिक स्थिरता और मानव कल्याण के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

बुनियादी ढाँचे को आपदा प्रतिरोधी बनाने के उपाय

- DRI के मूल में उभरते जोखिमों की समझ है, जैसे वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण चक्रवाती स्वरूप में बदलाव।
  - यह ज्ञान उपयुक्त भवन निर्माण संहिताओं और डिजाइन मानकों को स्थापित करने में मदद करता है, जोकि महत्त्वपूर्ण घटक हैं जिनसे विविध क्षेत्रों में एकीकृत लचीलेपन का मार्ग प्रशस्त होता हैं।
- बाढ़ के जोखिम के प्रति संवेदनशील या मानसून पूर्व नाले की सफाई जैसी प्रारंभिक गतिविधियों के लिए अनुकूलित बुनियादी ढाँचे का डिजाइन, किसी प्रणाली की आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
- परिवहन, विद्युत् और दूरसंचार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कमजोरियों का पता लगाने के लिए नियमित बुनियादी ढाँचा जोखिम आकलन महत्त्वपूर्ण है।
  - जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों द्वारा समर्थित ये आकलन, संभावित क्षति से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- शहरों और कस्बों में स्थानीयकृत मूल्यांकन समग्र योजना के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत अभी भी अपने बुनियादी ढाँचे के विकास की प्रक्रिया में है। 2030 तक भारत में जितने बुनियादी ढाँचे का निर्माण प्रस्तावित है, उनमें से अधिकांश का निर्माण अभी भी होना है।
  - निर्माण के समय ही आपदा प्रतिरोधक क्षमता को शामिल करना, बाद में इन सुविधाओं को पुनः जोड़ने की तुलना में अधिक आसान और लागत प्रभावी है।
- आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण एक जटिल कार्य है, जिसके लिए रणनीतिक योजना, नवाचार, वित्त और सबसे महत्त्वपूर्ण, सामूहिक दृष्टिकोण के मिश्रण की आवश्यकता होती है।
- राष्ट्रों को इन घटकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे न केवल भविष्य की आपदाओं के लिए तैयार रहें, बल्कि सतत विकास के लिए भी तैयार रहें।

रतले पावर परियोजना

पाँच सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल और विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञों ने रतले विद्युत परियोजना का दौरा किया।

संबंधित तथ्य

- यह जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर एक जलविद्युत परियोजना है।
- पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाओं के संबंध में 2006 से विभिन्न मंचों पर तकनीकी आपत्तियाँ उठा रहा है।
  - पाकिस्तान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा मध्यस्थता की माँग की, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया।

- सिंधु जल संधि के तहत भारत को जम्मू-कश्मीर से होकर बहने वाली तीन नदियों के जल पर अधिकार है तथा पंजाब में बहने वाली तीन नदियों के जल पर पूर्ण अधिकार है।
  - भारत का कहना है कि वह सिंधु जल संधि का पालन करता है।

सिंधु जल संधि

- विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो एक हस्ताक्षरकर्ता भी है।
- यह संधि पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को भारत को आवंटित करती है।
- साथ ही, यह संधि प्रत्येक देश को संबंधित दूसरे देश को आवंटित नदियों पर कुछ उपयोग की अनुमति देती है।

K-आकार की रिकवरी

हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन (HSBC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मुद्रास्फीति की गति ज्ञ-आकार की रिकवरी का अनुसरण कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अधिक हानि हो रही है।

संबंधित तथ्य

- 'K-आकार की रिकवरी' से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जहाँ अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र मंदी या मंदी के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं, जबकि अन्य नहीं।
- K-आकार की रिकवरी से अर्थव्यवस्था या व्यापक समाज की संरचना में परिवर्तन होता है, क्योंकि मंदी से पहले और बाद में आर्थिक परिणाम और संबंध मौलिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं।

कारण

- मंदी के दौरान नए उद्योगों और प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण पुराने उद्योगों के रचनात्मक विनाश के कारण K-आकार की रिकवरी संभव है।
- मंदी से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों जैसी सरकारी रणनीतियाँ ज्ञ-आकार की रिकवरी का कारण बन सकती हैं।

कॉफी निर्यात में वृद्धि और यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR)

भारतीय कॉफी निर्यातकों को यूरोपीय खरीदारों की ओर से माँग में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि वे प्रस्तावित यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन (EUDR) मानदंडों के अनुपालन की समय सीमा से पहले ही अपना स्टॉक जमा कर रहे हैं।

संबंधित तथ्य

- 2024 में 1 जनवरी से 21 जून की अवधि के लिए भारत का कॉफी निर्यात विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16% बढ़कर 2.37 लाख टन से अधिक हो गया है।
- विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक भारत, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया के बाद कॉफी निर्यात में पाँचवें स्थान पर है।
- इटली, जर्मनी और बेल्जियम भारतीय कॉफी के प्रमुख खरीदार हैं तथा भारत में उगाई जाने वाली दो-तिहाई से अधिक कॉफी यूरोप भेजी जाती है।
- भारतीय कॉफी निर्यातक माँग को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अनुकूल हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप सख्त मानदंडों के लिए तैयार है।
- कॉफी उद्योग पर EUDR का प्रभाव वैश्विक व्यापार में सतत् परंपराओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है।

यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR)

- इसका उद्देश्य वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों के आयात को न्यूनतम करना है तथा कॉफी जैसी वस्तुओं के लिए सख्त परिश्रम और पता लगाने के उपायों की आवश्यकता है।
- यह उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है, जिसमें मवेशी, कोको, कॉफी, पाम ऑयल, रबर, सोया और लकड़ी आदि सम्मिलित हैं।

भारत में कॉफी उत्पादन

- **उत्पादन:** भारत 2020 में वैश्विक उत्पादन का लगभग 3% के साथ शीर्ष 10 कॉफी उत्पादक देशों में सम्मिलित है।
- **प्रकार:** अरेबिक और रोबस्टा
  - अपने कम सुगंधित स्वाद के कारण अरेबिक कॉफी का बाजार मूल्य रोबस्टा कॉफी से अधिक है।
  - रोबस्टा मुख्य रूप से निर्मित की जाने वाली कॉफी है, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 72% है।

भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ

कारक	अरेबिक	रोबस्टा
मृदा	गहरी, उपजाऊ, कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ा अम्लीय (Ph 6 - & 6-5)	अरेबिक जैसा ही
ढलानें	हल्की से मध्यम ढलान	काफी समतल मैदानों के लिए हल्की ढलान
ऊँचाई	1000 - 1500 m	500 - 1000 m
तापमान	15°C-25°C; ठंडा, समतुल्य	20 °C-30°C; गर्म, आर्द्र
सापेक्षिक आर्द्रता	70-80%	80-90%
वार्षिक वर्षा	1600-2500 mm	1000-2000 mm

- **प्रमुख उत्पादक:** कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्य देश के कुल कॉफी उत्पादन में 80% का योगदान करते हैं।
  - उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी उत्पादन का अनुपात कम है।

भारतीय कॉफी बोर्ड

- इसकी स्थापना 1942 के कॉफी अधिनियम VII के माध्यम से की गई थी।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **मुख्यालय:** बैंगलोर, कर्नाटक
- बोर्ड के पास एक मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट (MIU) है, जो बंगलौर स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करती है।
  - यह बाजार सूचना और बुद्धिमत्ता, बाजार अनुसंधान अध्ययन, फसल पूर्वानुमान और कॉफी अर्थशास्त्र पहलुओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है।

बोर्ड की भूमिका

- उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि;
- भारतीय कॉफी के लिए उच्च मूल्य प्राप्ति हेतु निर्यात संवर्धन और
- घरेलू बाजार के विकास का समर्थन करना।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात

***भारतीय रिजर्व बैंक** (RBI) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात मार्च 2025 तक 2.5% तक सुधर सकता है।*

संबंधित तथ्य

- मार्च 2025 के लिए GNPA अनुपात का अनुमान मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट पर आधारित है, जो मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण से उत्पन्न अप्रत्याशित झटकों के प्रति बैंकों की बैलेंस शीट के लचीलेपन का आकलन करने के लिए किया जाता है।
  - ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम और आघातों के जवाब में वाणिज्यिक बैंकों के लचीलेपन को सम्मिलित करते हुए तनाव परीक्षण किए जाते हैं।
- तनाव परीक्षणों का उपयोग करते हुए, RBI एक आधार रेखा और दो प्रतिकूल परिदृश्यों - मध्यम और गंभीर - के तहत एक वर्ष की अवधि में हानि या खराब ऋण और पूँजी अनुपात का अनुमान लगाता है।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात

- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात एक वित्तीय मीट्रिक है, जिसका उपयोग किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है, जिसमें उसकी कुल ऋण परिसंपत्तियों के उस अनुपात को मापा जाता है, जिसे गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) ऐसे ऋण या अग्रिम हैं, जिन पर उधारकर्ता ने ब्याज या मूलधन का भुगतान करना बंद कर दिया है।
- **उच्च GNPA अनुपात:** इससे ऋणों के अधिक अनुपात के चूक के जोखिम का संकेत मिलता है, जो बैंक के लिए वित्तीय संकट का संकेत हो सकता है।
  - इससे पता चलता है कि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो का एक बड़ा भाग अपेक्षा के अनुरूप आय उत्पन्न नहीं कर रहा है।
- **निम्न GNPA अनुपात:** यह एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करता है, जिसमें डिफॉल्ट के जोखिम वाले कम ऋण होते हैं, जो बैंक की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता का संकेत देता है।
- **NPA का प्रभाव:**
  - **लाभप्रदता:** NPA के विरुद्ध उच्च प्रावधान आवश्यकताएँ लाभ को कम कर सकती हैं।
  - **तरलता:** NPA पूँजी को बाँधकर रखती हैं, जिसे अन्यथा उधार देने के लिए उपयोग किया जा सकता था, जिससे बैंक की अपने ऋण पुस्तिका का विस्तार करने की क्षमता पर संभावित रूप से प्रतिबंध लग सकता है।
- **विनियामक पहलू:** वित्तीय पारदर्शिता और जोखिम मूल्यांकन उपायों के तहत बैंकों को अपने GNPA अनुपात की रिपोर्ट नियमित रूप से विनियामकों को देनी होती है।

4 पर्यावरण

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023

भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 में 2023 के संशोधनों ने जैव विविधता संरक्षण और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढाँचे पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की उत्तरदायित्वों के संबंध में चर्चा को जन्म दिया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में, विश्व के देशों ने जैव विविधता सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाने के लिए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल रूपरेखा को अपनाया।
- देशों ने वर्ष 2030 तक सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों के 30 प्रतिशत की रक्षा करने, जैव विविधता तथा आनुवंशिक विविधता की रक्षा करने और इस ज्ञान को संरक्षित करने वाले स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के साथ पारंपरिक ज्ञान के लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया।

संशोधनों की समीक्षा

- मूल अधिनियम 2002 के अंतर्गत, जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।
  - 2023 के संशोधनों ने इस आवश्यकता को सुलभ बना दिया है, अब IPR के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, बल्कि अनुमोदन देने से पहले केवल प्राधिकरण के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है - जिससे संसाधनों के संभावित अतिदोहन संबंधी चिंताओं में वृद्धि हुई है।
- लाभ-साझाकरण तंत्र और सख्त विनियामक निरीक्षण से संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान को छूट दिए जाने से भी चिंताओं में वृद्धि हुई है।
  - ये परिवर्तन निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण के सिद्धांत को कमजोर करते हैं, जो मूल अधिनियम और नागोया प्रोटोकॉल दोनों के लिए मुख्य है।
- आयुष चिकित्सकों और संबंधित उद्योगों को बिना पूर्वानुमति के जैविक संसाधनों तक पहुँच की अनुमति प्रदान कर, ये संशोधन पारंपरिक ज्ञान रखने वाले स्थानीय समुदायों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना वाणिज्यिक दोहन का द्वार प्रशस्त करते हैं।
- **अपराधों का गैर-अपराधीकरण:** पहले उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास और जुर्माना हो सकता था, हालांकि संशोधनों के तहत अब कारावास के स्थान पर नागरिक दंड का प्रावधान किया गया है।

नागोया प्रोटोकॉल

- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता है।
- यह CBD के तीन उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी विधिक ढाँचा प्रदान करता है। आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।
- इसे 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया था तथा यह 2014 में लागू हुआ।

चिंताएँ

- इन संशोधनों से जैव-संसाधनों की खेती के बारे में झूठे दावे हो सकते हैं तथा व्यवसायों द्वारा संभावित जालसाजी हो सकती है।
- यह तर्क दिया जाता है कि कठोर निगरानी के बिना, स्थानीय संसाधनों का व्यापक दुरुपयोग और दोहन हो सकता है, जिससे जैव विविधता और इन संसाधनों पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।
- पूर्वोत्तर में, जहां औषधीय पौधों और पारिस्थितिक प्रबंधन के बारे में पारंपरिक ज्ञान गहन है, यह परिवर्तन वर्तमान सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में वृद्धि कर सकता है तथा सांस्कृतिक क्षरण में योगदान दे सकता है।

निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाना

- संशोधनों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) की भूमिका को मजबूत किया गया है, उनके कार्यों को स्पष्ट किया गया है तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उनकी स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है।
- नए प्रावधानों में विदेशी देशों से प्राप्त जैविक संसाधनों की निगरानी पर भी अधिक बल दिया गया है, जिससे नागोया प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आगे की राह

- यह महत्त्वपूर्ण है कि नियामक परिवर्तनों को मजबूत सुरक्षा उपायों, मजबूत निगरानी और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास साथ-साथ चलें।
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध जैविक विरासत की रक्षा के लिए आर्थिक विकास को संरक्षण और समान लाभ-साझाकरण के साथ संतुलित करना आवश्यक होगा।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

- यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (CBD), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- यह जैविक संसाधनों तक पहुँच और इस तरह की पहुँच और उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह पहुँच और लाभ साझा करने पर नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप है।
- इस अधिनियम में जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने के लिए तीन-स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC)।
- **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)**
  - यह भारत के जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  - यह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत् उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करता है।
  - यह राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता महत्त्व के क्षेत्रों के चयन और उनके प्रबंधन के उपायों के बारे में भी परामर्श प्रदान करता है।
  - यह अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा अनुरोधों पर विचार करता है।
- **राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)**
  - वे अधिनियम की धारा 22 के तहत स्थापित किए गए हैं और जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन, राज्य सरकारों को सलाह देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - SBB भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों पर अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित करते हैं।
- **जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs):** अधिनियम के अनुसार, स्थानीय निकाय जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अधिकार क्षेत्र में BMC का गठन करते हैं।

भारत के पर्यावरण की स्थिति

हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) ने 2024 के लिए भारत के पर्यावरण की स्थिति के आंकड़े जारी किए।

भारत के जलवायु रुझानों के बारे में

- **दूसरा सबसे गर्म वर्ष:** भारत ने 2023 में अपने इतिहास में दूसरा सबसे गर्म वर्ष दर्ज़ किया।
- **रिकॉर्ड तापमान:** देश भर में कम से कम 102 मौसम केंद्रों ने पिछले 122 वर्षों में अपने मासिक उच्चतम 24 घंटे के अधिकतम तापमान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
  - इनमें से दस स्टेशन दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में थे।
  - रिकॉर्ड तापमान वाले 27 मौसम स्टेशन आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में थे।
  - देश ने 2023 के दौरान 122 वर्षों में अपना सबसे गर्म अधिकतम तापमान दर्ज किया।
- **न्यूनतम तापमान:** अक्टूबर के अतिरिक्त, अन्य पाँच माह में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा।
  - जुलाई में विसंगतियां 0.57°C से बढ़कर दिसंबर में 1.71°C हो गईं।
  - दिसंबर में पिछले 122 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान विसंगति देखी गई (सामान्य से 1.71°C अधिक)।
- **लगातार गर्मी:** दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में औसत न्यूनतम तापमान सभी चार माह के दौरान सामान्य से ऊपर रहा।
  - इस क्षेत्र में पिछले 122 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
- **न्यूनतम तापमान के लिए नया सामान्य स्तर:** यह प्रवृत्ति न्यूनतम तापमान के लिए एक नए सामान्य स्तर का संकेत देती है, जो गर्म रातों का संकेत है।
  - दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज किए गए अधिकतम तापमान में वृद्धि और रिकॉर्ड तापमान चिंताजनक हैं।
  - न्यूनतम तापमान की यह प्रवृत्ति गर्म रातों में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है।

वैश्विक मृदा भागीदारी

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा आयोजित अपनी 12वीं पूर्ण बैठक में वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP) ने मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

परिचय

- वैश्विक मृदा भागीदारी (GSP) की स्थापना 2012 में संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- यह अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाता है जो मृदा संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
- GSP का लक्ष्य 1982 के विश्व मृदा चार्टर के प्रावधानों को लागू करना और 2030 तक विश्व की कम से कम 50 प्रतिशत मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है।
- **भागीदारी की उपलब्धियों में सम्मिलित हैं:**
  - मृदा संबंधी विभिन्न मामलों के लिए मृदा पर अंतर-सरकारी तकनीकी पैनल और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना;
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व मृदा दिवस (5 दिसंबर) और मृदा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015 के लिए प्रस्ताव और वार्षिक उत्सव;
  - विश्व मृदा संसाधन 2015 की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना।

सियांग घाटी से चींटी की प्रजाति की खोज

अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में चींटी की नई प्रजातियों की खोज की गई।

प्रजातियों के बारे में

- यह दुर्लभ प्रजाति पैरापैराट्रेचिना से संबंधित है और यह नीले रंग का कीट है, जिसका नाम पैरापैराट्रेचिना नीला रखा गया है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप से पैरापैराट्रेचिना वंश में पहला समावेश है, जो 121 वर्ष पहले एकमात्र ज्ञात प्रजाति पी. एसिटा के वर्णन के बाद पाया गया है।
- **विवरण:** इसे एक छोटी चींटी बताया गया है जिसकी कुल लंबाई 2 मिमी से भी कम है।
  - इसका शरीर एंटीना, जबड़े और पैरों के अतिरिक्त मुख्य रूप से धात्विक नीले रंग का है।
  - सिर बड़ी आंखों के साथ उपत्रिकोणीय है और इसमें त्रिकोणीय मुख भाग (जबड़ा) है, जिसमें पाँच दाँत हैं।

अतिरिक्त जानकारी

- सियांग जिला भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का 21वाँ जिला है।
- जिले का नाम विशाल ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के नाम से जाना जाता है।
  - यहाँ मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति निवास करती है।
  - सियांग घाटी पूर्वी हिमालय का हिस्सा है।

नए रामसर स्थल: नागी और नकटी आर्द्रभूमि

हाल ही में, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है।

नागी और नकटी आर्द्रभूमि के बारे में

- ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं।
- इनको 1984 में विभिन्न प्रवासी प्रजातियों के लिए शीतकालीन आवास के रूप में उनके महत्त्व के कारण पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था।
- सर्दियों के महीनों के दौरान 20,000 से अधिक पक्षी यहाँ एकत्र होते हैं, जिनमें सिन्धु-गंगा के मैदान पर लाल-क्रेस्टेड पोचार्ड (नेट्टा रूफिना) का सबसे बड़ा समूह सम्मिलित है।
- नागी पक्षी अभयारण्य भारत-गंगा के मैदान पर बार-हेडेड गूज (राजहंस) के सबसे बड़े समूहों में से एक की मेजबानी करता है।
- आर्द्रभूमि और उनके किनारे 75 से अधिक पक्षी प्रजातियों, 33 मछलियों और 12 जलीय पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं और वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जिनमें लुप्तप्राय भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस) और एक कमजोर देशी कैटफिश (वालगो अट्टू) शामिल हैं।

रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता

- रामसर कन्वेंशन (ईरानी शहर रामसर में 1971 में अपनाया गया) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है।
- यह भारत सहित अपने 172 सदस्य देशों में आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्ता से उपयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- वर्तमान में, ऐसे स्थलों की सबसे अधिक संख्या यूके (175) में है, उसके बाद मैक्सिको (144) का स्थान है।
  - इस तरह के 'रामसर स्थलों' की संख्या के मामले में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है।
  - नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के साथ, भारत में ऐसे आर्द्रभूमि की कुल संख्या बढ़कर 82 हो गई है।

क्या आप जानते हैं?

- इन आर्द्रभूमियों को मूल रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था और तब से वे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए एक समृद्ध आवास में बदल गए हैं।
- नागी पक्षी अभयारण्य का निर्माण नागी नदी पर बांध बनाने के बाद किया गया था, जिससे स्वच्छ जल और जलीय वनस्पतियों के साथ जल निकायों का क्रमिक निर्माण संभव हुआ।

कैटला (लैबियो कैटला)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कैटला 2022 में मनुष्यों द्वारा पकड़े गए जलीय जानवरों की शीर्ष 10 प्रजातियों में से एक था।

परिचय

- यह एक गैर-शिकारी मछली है और इसका भोजन सतह और मध्य-जल तक ही सीमित है।
- कैटला का प्राकृतिक वितरण अक्षांश और देशांतर के बजाय तापमान पर निर्भरता से नियंत्रित होता है।
  - यह एक यूरीथर्मल प्रजाति है जो 25-32 डिग्री सेल्सियस के बीच के पानी के तापमान पर सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है।
- यह "उत्तरी भारत, सिंधु मैदान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं म्यांमार की समीपवर्ती पहाड़ियों की नदी प्रणाली के लिए स्थानिक है और बाद में इसे पूरे भारत में लगभग सभी नदी प्रणालियों, जलाशयों और तालाबों में प्रस्तुत किया गया है।"
- **उपयोगिता:** कैटला का पालन पारंपरिक रूप से पूर्वी भारतीय राज्यों के तालाबों में की जाती थी, जहां से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह पूरे देश में फैल गई।
  - कैटला के साथ-साथ दो अन्य महत्त्वपूर्ण भारतीय कार्प - रोहू (लेबियो रोहिता) और मृगल (सिरहिनस मृगला) - भारत की अंतर्देशीय मत्स्यपालन में सबसे अधिक पाली जाने वाली मछलियों की तीन प्रजातियाँ हैं।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** कम चिंताजनक।

PM2.5 के संपर्क से होने वाली असामयिक मौतें

एक नए अध्ययन (जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित) में पाया गया है, कि सूक्ष्म कण पदार्थ (PM 2.5) के कारण 1980 से 2020 के बीच पूरे विश्व में 135 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हुई।

पार्टिकुलेट मैटर

- यह हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण के लिए एक नाम है, जो विभिन्न आकारों तथा आकृतियों में आते हैं और सैकड़ों विभिन्न रसायनों से बने हो सकते हैं।
- कुछ कण, जिन्हें प्राथमिक कण के रूप में जाना जाता है, सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत, धुआँ या आग।
- अन्य सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की वातावरण में जटिल प्रतिक्रियाओं में बनते हैं जो बिजली संयंत्रों, उद्योगों और ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होते हैं।

पार्टिकुलेट मैटर का आकार

- वे कण जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है, क्योंकि ये कण सामान्यत: गले और नाक से होकर फेफड़ों में प्रवेश करते हैं।
  - कणों का आकार प्रत्यक्ष तौर पर उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है।
- **PM10:** श्वसन के माध्यम से अंदर जाने वाले कण, जिनका व्यास सामान्यत: 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है।
- **PM2-5:** ये सूक्ष्म, श्वसन के साथ अंदर जाने योग्य कण होते हैं, जिनका व्यास सामान्यत: 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटा होता है।

PM2.5 और स्वास्थ्य पर प्रभाव

- श्वसन के जरिए शरीर में जाने पर पार्टिकुलेट मैटर विभिन्न तरह की श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
- इनके लगातार संपर्क में रहने से अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और किसी भी तरह की ब्रोंकाइटिस हो सकती है। पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों में गहराई तक जाकर उसे हानि पहुंचा सकते हैं।
- कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अब फेफड़ों को आघात पहुंचा सकते है और इससे गंभीर जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है।
- पार्टिकुलेट मैटर के कारण सीने में जकड़न, आंखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं।

असामयिक मृत्यु का विवरण

- 1980 से 2020 तक, समय से पहले होने वाली मृत्यों में से एक तिहाई स्ट्रोक (33.3%) से जुड़ी थीं, एक तिहाई इस्केमिक हृदय रोग (32.7%) से जुड़ी थीं और शेष मौतें क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, निचले श्वसन संक्रमण और फेफड़ों के कैंसर के कारण हुई।

क्या आप जानते हैं?

- WHO के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 3.7 मिलियन असामयिक मृत्यु बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होती हैं।
- इनमें से लगभग 80% मृत्यु हृदय रोग और स्ट्रोक के कारण होती हैं, जबकि अन्य 20% मौतें PM2.5 के संपर्क में आने से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों और कैंसर के कारण होती हैं।

वायु प्रदूषण से संबंधित मृत्युओं में भौगोलिक असमानता

- एशिया सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ 1980 से 2020 के बीच PM2.5 प्रदूषण के कारण अनुमानित 98.1 मिलियन असामयिक मृत्यु हुई।
- चीन और भारत क्रमश: 49 मिलियन और 26.1 मिलियन मृत्युओं के साथ सबसे आगे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी PM2.5 के कारण अत्यधिक क्षति हुई।

भारतीय परिदृश्य

- विश्व की 18% आबादी वाले भारत में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक अकाल मृत्यु और बीमारी का भार अनुपातहीन रूप से 26% है।
- 2019 में भारत में प्रदूषण के कारण 23 लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु हुई। इनमें से 73% मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई, जो वैश्विक स्तर पर ऐसी मृत्युओं की सबसे बड़ी संख्या है।
- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, 2019 में PM2.5 के कारण होने वाली मृत्युओं की संख्या 1,00,000 लोगों में से 106 थी, जो वैश्विक औसत 58 प्रति 1,00,000 लोगों से अधिक है।

जलवायु परिवर्तनशीलता की भूमिका

- अनुसंधान में एल नीनो-दक्षिणी दोलन, हिंद महासागर द्विध्रुव और उत्तरी अटलांटिक दोलन जैसी जलवायु परिवर्तनशीलता की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, जो PM2.5 प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है, तथा सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष लगभग 7,000 अतिरिक्त असामयिक मृत्युओं का कारण बनता है।
  - हिंद महासागर द्विध्रुव का मृत्यु दर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक दोलन और फिर एल नीनो का स्थान रहा।

भारत द्वारा किये गये प्रयास

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (NCAP): इसे 2019 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 20% से 30% की कमी लाना है, सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष माना गया है।
- **विकार्बनीकरण प्रयास:** एक रिपोर्ट के अनुसार, तेजी से विकार्बनीकरण करने से भारत को कणीय पदार्थों से होने वाली 200,000 मृत्युओं से बचाया जा सकता है।
  - रिपोर्ट में पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों के तहत पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

- **हरित अवसंरचना:** शहरों में हरे-भरे गलियारों और मुख्य मार्गों के साथ वृक्ष-पंक्तिबद्ध शहरी परिदृश्य की पुन:कल्पना की जा रही है, जिससे हरियाली शहरी ढाँचे में सहज रूप से समाहित हो रही है।
  - कुछ विशेष प्रजातियों के पौधे लगाने से प्राकृतिक वायु-शोधक अवरोध उत्पन्न हो सकता है, जो हाइड्रोकार्बन और सुगंधित यौगिकों जैसे हानिकारक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है।
- **वाहन कबाड़ नीति:** इसका उद्देश्य भारतीय सड़कों पर पुराने वाहनों को आधुनिक और नए वाहनों से परिवर्तित करना है, और इससे प्रदूषण कम होने, रोजगार के अवसर उत्पन्न होने और नए वाहनों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (FAME) योजना:** इसका उद्देश्य डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना है।
  - इस योजना को अधिकाधिक अपनाने के लिए FAME चरण II योजना को दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

गांधी सागर अभ्यारण्य

मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में अपनी महत्त्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापना परियोजना की तैयारियाँ पूर्ण कर ली हैं, जिसे कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा घर माना जा रहा है।

परिचय

- गांधीसागर अभ्यारण्य मालवा पठार की पश्चिमी सीमा पर विशाल चंबल नदी के किनारे स्थित है।
- गांधी सागर अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किमी है।
- यह दो जिलों मंदसौर और नीमच में विस्तारित है।
- इसकी उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है। यह जंगली कुत्तों (ढोल), चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव, मगरमच्छ जैसी कुछ दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के लिए जाना जाता है।

गांधी सागर को चीता आवास बनाने की सबसे बड़ी चुनौती

भोजन की उपलब्धता

- **प्राथमिक चुनौती:**
  - गांधी सागर को चीतों के लिए एक व्यवहार्य आवास बनाने में सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती पर्याप्त और सतत शिकार आधार सुनिश्चित करना है।
  - चीतों को अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अपने स्वास्थ्य और प्रजनन दर को बनाए रखने के लिए शिकार के एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता होती है।
- **शिकार आधार संवर्धन:**
  - चीता की स्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए अभ्यारण्य में खाद्य जानवरों की संख्या बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें गांधी सागर के अंदर उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रजातियों का स्थानांतरण और प्रबंधन सम्मिलित है।

चीता का व्यवहार और आवश्यकताएँ

- **नर चीता संगठन:**
  - नर चीते प्राय: तीन से पाँच सदस्यों का समूह बनाते हैं।
  - ये गठबंधन सामाजिक इकाइयाँ हैं, जो एक साथ शिकार करते हैं और क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जिससे उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है।
- **मादा चीता:**
  - मादा चीता सामान्यत: अकेली रहती हैं, सिवाय तब जब वे अपने बच्चों को पाल रही होती हैं।
  - उनके पास बड़े आवास क्षेत्र होते हैं और उन्हें स्वयं को तथा अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शिकार की आवश्यकता होती है।
- **शिकार आवृत्ति:**
  - औसतन, एक चीता समूह से प्रत्येक 3-4 दिन में एक शिकार करने की उम्मीद की जाती है।
  - शिकार की यह उच्च आवृत्ति चीता आबादी को बनाए रखने के लिए एक मजबूत खाद्य आधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

खाद्य जनसंख्या की आवश्यकताएं

- **भारतीय वन्यजीव संस्थान रिपोर्ट (2021):**
  - **खुर वाले जानवरों की आबादी:** रिपोर्ट के अनुसार, खुर वाले जानवरों की सीमित वृद्धि दर (लगभग 1.33) को ध्यान में रखते हुए, एक चीता समूह परिवार को बनाए रखने के लिए लगभग 350 खुर वाले जानवरों की आबादी की आवश्यकता होती है।
  - **आवश्यक स्थानांतरण:** एक व्यवहार्य शिकार आधार स्थापित करने के लिए, निम्नलिखित को स्थानांतरित करने की सिफारिश की जाती है:
    - 1500 चीतल (चित्तीदार हिरण)
    - 1000 ब्लैकबक (भारतीय मृग)
    - 350 चिंकारा (भारतीय हिरन)
  - **स्थायित्व:** यह संवर्धित खाद्य आधार 7-8 चीता परिवारों या समूहों को सहारा देने के लिए पर्याप्त होगा, तथा उनके अस्तित्व और प्रजनन के लिए आवश्यक खाद्य संसाधन उपलब्ध कराएगा।

प्रतिस्पर्धा और खतरे

- **तेंदुआ को प्रतिस्पर्धा:**
  - गांधी सागर तेंदुओं का आवास क्षेत्र है, जो चीतों के प्राकृतिक प्रतिस्पर्धी हैं।
  - तेंदुए और चीते प्राय: एक ही शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे संभावित संघर्ष और झड़पें होती हैं।
  - तेंदुए चीते के बच्चों के लिए भी सीधा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **अन्य सह-शिकारी:**
  - तेंदुओं के अलावा, अभयारण्य में कई अन्य शिकारी भी पाए जाते हैं, जिनमें स्लोथ भालू, धारीदार लकड़बग्घा, भूरे भेड़िये, सुनहरे सियार, जंगली बिल्लियाँ, भारतीय लोमड़ी और दलदली मगरमच्छ सम्मिलित हैं।
  - ये सह-शिकारी शिकार और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर चीतों के लिए जीवित रहने की गतिशीलता को और जटिल बना सकते हैं।

आवास और मानवीय प्रभाव

- **संरक्षित क्षेत्र संवर्धन:**
  - विशेषज्ञ चीतों के लिए अधिक सुरक्षित और उपयुक्त आवास बनाने के लिए गांधी सागर के अंदर और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हैं।
  - इसमें अभयारण्य की सीमाओं का विस्तार करना, आवास की गुणवत्ता में सुधार करना और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ संपर्क सुनिश्चित करना सम्मिलित हो सकता है।
- **अवैध शिकार:**
  - हालांकि वन विभाग का दावा है कि अवैध शिकार कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, लेकिन 2021 के आकलन में पाया गया कि खुर वाले जानवरों की संख्या बेहद कम है।
  - इसका कारण स्थानीय समुदायों द्वारा मांस के लिए शिकार करना हो सकता है, जिससे चीतों के लिए उपलब्ध शिकार का आधार कम हो जाता है।
- **मानव अतिक्रमण:**
  - कुनो के विपरीत, जहाँ मानवीय प्रभाव न्यूनतम है, गांधी सागर को राजमार्गों और अपनी सीमा के ठीक बाहर स्थित मानव बस्तियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - मानवीय गतिविधियों से यह निकटता आवास विखंडन, मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि और अभयारण्य के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकती है।

सूक्ष्म शैवाल

CSIR-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म शैवाल को संभावित प्रोटीन पूरक के रूप में पहचाना है।

सूक्ष्मशैवाल के बारे में

- सूक्ष्म शैवाल स्वपोषी सूक्ष्मजीवों का एक समूह है जो समुद्री, स्वच्छ जल और मृदा के पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं।
- वे सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह हैं।
- वे बुनियादी तरीकों से पौधों से भिन्न होते हैं।
  - उदाहरण के लिए, वे स्थल के बदले जल में उगते हैं और जड़ों के बजाय सीधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं।
  - जबकि कुछ सूक्ष्म शैवाल हानिकारक माने जाते हैं, अन्य उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं।

हालिया अध्ययन के परिणाम

- वैज्ञानिकों ने क्लोरेला ग्रोथ फैक्टर (CGF) की क्षमता को खाद्य और फीड अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आदर्श घटक के रूप में उजागर किया है।
- CGF एक आशाजनक वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत प्रस्तुत करता है जो मानव और पशु आहार में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
- इसके लाभकारी गुण बुनियादी पोषण से परे हैं, समग्र स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देते हैं।
- पहले से ही, पोल्ट्री आहार में CGF को शामिल करने से अंडे की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो पशु पोषण में एक बेहतर प्रोटीन पूरक के रूप में इसकी क्षमता को दर्शाता है।

क्या आप जानते हैं?

- CGF एक प्रोटीन युक्त अर्क है जो सूक्ष्म शैवाल 'क्लोरेला सोरोकिनियाना' से प्राप्त होता है।
- ऐसा कहा जाता है कि यह विशेष रूप से 'क्लोरेला' के कोशिका नाभिक में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है और इसमें पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, विटामिन और खनिज सहित विभिन्न लाभकारी घटक होते हैं।
- यह विशेष रूप से आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होता है, जो मानव और कशेरुकी स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उनके शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है।

हाथी एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं: अध्ययन

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि हाथी "एक दूसरे को नाम जैसे किसी तरीके से संबोधित करते हैं।" पिछले शोध से पता चला है कि एक-दूसरे का अभिवादन करते समय वे जटिल व्यवहार - दृश्य, ध्वनिक और स्पर्श संबंधी संकेत देते हैं।

परिचय

बुद्धि और स्मृति

- **सबसे बड़े स्थलीय जीव:** हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय पशु हैं, जिनकी शारीरिक संरचना और पर्यावरण पर उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है।
- **उच्च बुद्धि:** हाथी अपनी उच्च बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। वे तीव्र स्मृति और समस्या-समाधान कौशल प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है।
- **परिष्कृत संचार:** हाथियों में परिष्कृत संचार क्षमताएँ होती हैं। वे जानकारी देने के लिए विभिन्न तरह के तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्वर, शारीरिक भाषा और अन्य संवेदी संकेत शामिल हैं।

आहार और भोजन की आदतें

- **आहार विविधता:** हाथियों का आहार विविध होता है जिसमें घास, पत्ते, झाड़ियाँ, फल और जड़ें शामिल हैं। उनके आहार विकल्प मौसम और उनके आवास में भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।
- **भोजन की खोज सम्बन्धी व्यवहार:** हाथी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा भोजन की खोज में बिताते हैं। उनकी भोजन की खोज की आदतें पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे बीज के फैलाव और वनस्पति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं।

संचार पद्धतियाँ

- **स्वर:** हाथी तुरही की आवाज सहित अनेक प्रकार की आवाजों का उपयोग करके संवाद करते हैं। इनमें से कुछ आवाजें अवश्रव्य होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों के लिए सुनने के लिए बहुत कम होती हैं, लेकिन वे लंबी दूरी तक जा सकती हैं।
- **शारीरिक भाषा:** वे भावनाओं और मंशा को व्यक्त करने के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं। उनके कान, सूंड और मुद्रा की हरकतें दूसरे हाथियों को अलग-अलग संदेश देती हैं।
- **स्पर्श और गंध:** शारीरिक स्पर्श और गंध चिह्नांकन भी हाथियों के संचार के आवश्यक घटक हैं। वे एक-दूसरे को आश्वस्त करने और एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए स्पर्श का उपयोग करते हैं और दूसरों के लिए संकेत छोड़ने के लिए गंध का प्रयोग करते हैं।

हाथी की प्रजातियाँ

- **अफ्रीकी सवाना (बुश) हाथी:** तीन प्रजातियों में से सबसे बड़ा, उप-सहारा अफ्रीका के सवाना में पाया जाता है। वे अपने बड़े कानों और लंबे दाँतों के लिए जाने जाते हैं।
- **अफ्रीकी वन हाथी:** सवाना हाथियों से छोटे, वे मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के सघन जंगलों में रहते हैं। उनके दाँत सीधे होते हैं और वे अधिक मायावी होते हैं।
- **एशियाई हाथी:** घास के मैदानों, जंगलों और झाड़ियों सहित एशिया भर में विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। वे अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं और उनके कान छोटे होते हैं तथा उनका सिर विशिष्ट गुंबद के आकार का होता है।

- अफ्रीकी हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध हाथीदांत व्यापार के लिए अवैध शिकार है, जबकि एशियाई हाथियों की आबादी को आवास की क्षति तथा इसके परिणामस्वरूप मानव-हाथी संघर्ष से सबसे अधिक खतरा है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। भारतीय हाथियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके उच्चतम कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है।
- प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिशिष्ट-I में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव को 2020 में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था।

ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क

असम में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण सबसे अधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में से एक ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जिसे 'गरुड़' के नाम से भी जाना जाता है, गंभीर खतरों का सामना कर रहा है।

परिचय

- ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को भारत के असम में "हरगिला" के नाम से भी जाना जाता है।
- वे लंबे समय तक आसमान में ऊंची उड़ान भरने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- **वैज्ञानिक नाम:** लेप्टोपिलोस डयूबियस जीनस स्टॉर्क परिवार, सिकोनीडे का हिस्सा, जिसमें बड़ी, लंबी गर्दन वाले पक्षियों की लगभग 20 प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।
- **निवास स्थान:** ऐतिहासिक रूप से दक्षिणी एशिया और मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
  - अब यह मुख्य रूप से भारत के असम राज्य के छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित है।
  - तीन ज्ञात प्रजनन स्थल हैं, एक कंबोडिया में और दो भारत (असम और बिहार) में।
  - असम में, वे ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते हैं, विशेषकर गुवाहाटी, मोरीगांव और नागांव जिलों में।
  - बिहार में, भागलपुर के आसपास एक छोटी आबादी पाई जाती है।

सुरक्षा की स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट:** लुप्तप्राय
- **आहार:**
  - मुख्य रूप से मांसाहारी।
  - मछली, मेंढक, साँप, अन्य सरीसृप, ईल, पक्षी, आंतरिक अंग और मरे हुए जानवरों का मांस खाता है।
  - गिद्धों के समान मृतजीव भक्षण का व्यवहार प्रदर्शित करता है।
- **महत्त्व:**
  - हिंदू धर्म में प्रमुख देवता विष्णु की सवारी माना जाता है। कुछ लोग इसे "गरुड़ महाराज" (भगवान गरुड़) या "गुरु गरुड़" (महान शिक्षक गरुड़) के रूप में पूजते हैं।
  - चूहों और अन्य कृषि कीटों को मारकर किसानों की सहायता करता है।
- **संरक्षण:** बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) और असम वन विभाग सहित विभिन्न संरक्षण संगठन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रयासों में आवास स्थापना, बंदी प्रजनन कार्यक्रम और सामुदायिक शिक्षा पहल शामिल हैं।

UNCCD के 30 वर्ष

17 जून 2024 को बॉन स्थित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) की 30वीं वर्षगांठ होगी।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) के बारे में

- इसे 1994 में अपनाया गया था और यह मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए स्थापित पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा है।
- यह भागीदारी, साझेदारी और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, जो सुशासन की रीढ़ है।
- **सदस्य:** इस कन्वेंशन में 197 पक्ष हैं, जिनमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- **केंद्रित क्षेत्र:** यह विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ कुछ सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।
  - कन्वेंशन के पक्षकार प्रत्येक दो वर्ष में पार्टियों के सम्मेलन (COP) में मिलते हैं, साथ ही पूरे वर्ष तकनीकी बैठकों में भी मिलते हैं, ताकि कन्वेंशन के उद्देश्यों और महत्त्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जा सके और इसके कार्यान्वयन में प्रगति हासिल की जा सके।
- **भारत की स्थिति:** भारत ने 14 अक्टूबर 1994 को UNCCD पर हस्ताक्षर किये तथा 17 दिसम्बर 1996 को इसका अनुसमर्थन किया।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में UNCCD के लिए नोडल मंत्रालय है तथा मरुस्थलीकरण प्रकोष्ठ, इस सम्मेलन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत नोडल एजेंसी है।

नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन

नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार, भारत विश्व में इसका दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक गर्म करता है।

नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में

- नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, इसका उत्सर्जन 1980 और 2020 के बीच 40% बढ़ा है।
- 2020 में वैश्विक मानव निर्मित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत लगभग 11% के लिए जिम्मेदार था, जो चीन (16.7%) के ठीक बाद था।
  - इन उत्सर्जनों का प्रमुख स्रोत उर्वरक का उपयोग, विशेष रूप से नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, तथा कृषि में पशु खाद है।
- दूसरी ओर, अमेरिका (5.7%), ब्राजील (5.3%), रूस (4.6%), चीन और भारत के साथ शीर्ष पांच उत्सर्जक थे।
  - हालाँकि, भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड/व्यक्ति) चीन (1.3), अमेरिका (1.7), ब्राजील (2.5) और रूस (3.3) जैसे देशों की तुलना में सबसे कम (0.8) है।
- ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 1850-1900 के औसत की तुलना में पहले ही 1.15°C बढ़ चुका है।
  - मानवजनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन इस गर्मी में लगभग 0.1 डिग्री का योगदान देता है।

प्रभाव

- वायुमंडल में N_2O का उच्च स्तर ओजोन परत को नष्ट कर सकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ा सकता है।
- पृथ्वी पर, अतिरिक्त नाइट्रोजन मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण में योगदान देता है।

भूमंडलीय तापन

- भूमंडलीय तापन एक ऐसी घटना है जिसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसें ऊष्मा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं।
- ये ग्रीनहाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं।
- वायुमंडल में अतिरिक्त ऊष्मा के कारण समय के साथ औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, जिसे भूमंडलीय तापन के रूप में जाना जाता है। जैसे ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पृथ्वी को ढक लेता है, वे सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं जिससे भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन होता है।

ग्रीनहाउस गैसों की तापन क्षमता:

- ग्रीनहाउस गैसों की अलग-अलग तापन क्षमता होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) नामक मीट्रिक का उपयोग करके मापा जाता है, जिसकी गणना इस आधार पर की जाती है कि यह वायुमंडल में कितनी देर तक रहती है और यह कितनी मजबूती से ऊर्जा अवशोषित करती है।

ग्रीनहाउस गैसें हमारे ग्रह को कैसे गर्म करती हैं

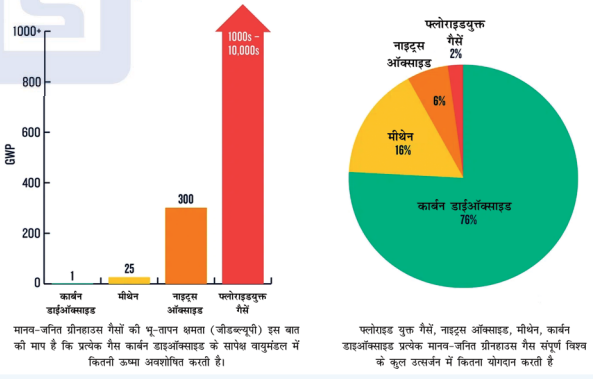

मानव-जनित ग्रीनहाउस गैसों की भू-तापन क्षमता (जीडब्ल्यूपी) इस बात की माप है कि प्रत्येक गैस कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष वायुमंडल में कितनी ऊष्मा अवशोषित करती है।

फ्लोराइड युक्त गैसें, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस संपूर्ण विश्व के कुल उत्सर्जन में कितना योगदान करती है

पैंटानल आर्द्रभूमि

ब्राजील के पैंटानल आर्द्रभूमि में असाधारण रूप से शुष्क मौसम के कारण वनाग्नि की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि हो रही है।

पैंटानल आर्द्रभूमि के बारे में

- **स्थान और विस्तार**
  - **भौगोलिक स्थिति:** पैंटानल दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित है।
  - **सम्मिलित किए गए देश:** हालाँकि यह मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है, लेकिन यह बोलीविया और पैराग्वे तक भी विस्तृत है।

- **पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं**
  - **अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र:** पैंटानल अपने अद्वितीय और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, जिसकी विशेषता मौसमी बाढ़ चक्र है।
  - **मौसमी बाढ़:** ये चक्र एक गतिशील वातावरण बनाते हैं जो वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रेणी का समर्थन करता है।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - **यूनेस्को मान्यता:** पैंटानल को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। यह मान्यता जैव विविधता और संरक्षण के लिए इसके वैश्विक महत्त्व को रेखांकित करती है।
  - **रामसर साइटें:** इस क्षेत्र में दो रामसर स्थल सम्मिलित हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमि आवास के रूप में इसके महत्त्व को उजागर करती हैं।
- **जैव विविधता और महत्त्व :**
  - **जैव विविधता हॉटस्पॉट:** पैंटानल वन्यजीवों की समृद्ध विविधता का समर्थन करता है, जिसमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं।
  - **संरक्षण महत्त्व :** विश्व धरोहर स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसकी स्थिति भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है।

बायोल्यूमिनसेंट मशरूम

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस नामक एक दुर्लभ बायोल्यूमिनसेंट मशरूम की खोज की है, जो रात में चमकीले हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता है।

परिचय

- यह माइसेनेसी फंगी परिवार का हिस्सा है और प्रकाश उत्पन्न करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जाना जाता है।
- यह इस विशेषता को सबसे प्रमुख रूप से अपने स्टाइप (तना) और पाइलस (टोपी) में प्रदर्शित करता है, जो एक हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करते हैं जिसे रात्रि के समय देखा जा सकता है।
- पश्चिमी घाट के जंगलों में उच्च आर्द्रता और कम रोशनी की स्थिति विभिन्न बायोल्यूमिनसेंट प्रजातियों के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है।
- सामान्य तौर पर, मशरूम वन पारिस्थितिकी तंत्र के द्वितीयक सैप्रोफाइटिक कवक का गठन करते हैं जो पौधे के अपशिष्ट अपशिष्टे के अपघटन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस में जैव रासायनिक प्रक्रिया

- माना जाता है कि कवक में बायोलुमिनेसेंस कीटों को आकर्षित करता है जो बीजाणु फैलाव में सहायता करते हैं, इस प्रकार इन कवक के जीवन चक्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- दीप्ती एक रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है, जिसमे ल्यूसिफरिन (एक वर्णक) और ल्यूसिफरेज (एक एंजाइम) शामिल होते है तथा ऑक्सीजन एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - यह विशेषता अन्य जैवप्रकाश उत्सर्जक जीवों जैसे जुगनू और कुछ समुद्री जीवों में भी पाई जाती है।

अनवरत जैविक प्रदूषक (POPs)

एक नए अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कठोर नियमन के कारण वर्ष 2004 से मानव और पर्यावरण में डाइक्लोरो-डाइफेनिल-ट्राइक्लोरोइथेन (DDT) के साथ-साथ 11 अन्य स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) की मात्रा में भी कमी आई है।

मुख्य निष्कर्ष

- हवा, जल, दुग्ध, मृदा, गोमांस, दुग्ध पाउडर, मक्खन, मांस, सूअर का मांस, चिकेन, अंडे, मछली और शंख, तेल और अन्य वस्तुओं में एकत्र किए गए 900 से अधिक नमूनों में से प्रत्येक में POPs पाए गएँ।
- DDT सहित 12 POPs के स्तर में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है।
  - रिपोर्ट में इस गिरावट का कारण ऐसे रसायनों के स्तर को नियंत्रित करने के लिए 2004 से लागू की गई नियामक कार्रवाइयां बताया गया है।
- **अन्य POPs प्रत्येक जगह विद्यमान रहते हैं।**
  - उदाहरण के लिए, डाइएलड्रिन और पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (PCBs), जिन पर लंबे समय से नियंत्रण किया जा रहा है, अफ्रीकी महाद्वीप, कैरीबियाई और लैटिन अमेरिका में हवा में उच्च स्तर पर पाए गए।

अनवरत जैविक प्रदूषक (POPs)

- ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं, अर्थात् वे कार्बन आधारित हैं।
- ये रासायनिक, जैविक और फोटोलिटिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण का विरोध करते हैं।

POPs की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **स्थायित्व:** POPs पर्यावरण में विघटन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। कुछ वर्षों या दशकों तक बिना विघटित हुए बने रह सकते हैं।
- **जैव संचयन:** POPs खाद्य शृंखला के माध्यम से जीवित जीवों के वसा ऊतकों में संगृहीत होते हैं।
  - इसका अर्थ यह है कि खाद्य शृंखला में ऊपर स्थित जीव, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, POPs की उच्च सांद्रता संचित कर सकते हैं।
- **लंबी दूरी का परिवहन:** POPs अपने उत्सर्जन स्रोत से लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं।
  - इन्हें वायुमंडलीय निक्षेपण और महासागरीय धाराओं जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से विश्व भर में पहुँचाया जा सकता है।
- **विषाक्तता:** विभिन्न POPs मानव और वन्य जीवन दोनों के लिए विषाक्त हैं।
  - इनके कारण अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें कैंसर, प्रजनन संबंधी विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली में व्यवधान और तंत्रिका संबंधी प्रभाव शामिल हैं।

- POPs के उदाहरणों में कुछ कीटनाशक (जैसे, DDT), औद्योगिक रसायन (जैसे, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल या PCBs) और औद्योगिक प्रक्रियाओं के अनजाने उप-उत्पाद (जैसे, डाइऑक्सिन और फ्यूरान) शामिल हैं।
- POPs से प्रदूषण के स्रोतों में कृषि रसायनों और औद्योगिक रसायनों का अनुचित उपयोग और/या निपटान, उच्च तापमान और दहन प्रक्रियाएँ और औद्योगिक प्रक्रियाओं या दहन के अवांछित उप-उत्पाद शामिल हैं।

POPs का विनियमन

- **स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs):** इसका उद्देश्य वैश्विक आधार पर POP रसायनों के उत्सर्जन को कम करना है। यह कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति (PICs) प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन:** इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना और सुरक्षित उपयोग में योगदान देना है। यह कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ।
- **खतरनाक कचरे के सीमा पार आवागमन और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन:** इसका उद्देश्य खतरनाक और अन्य कचरे के उत्पादन, प्रबंधन, सीमा पार आवागमन और निपटान से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह 1992 में लागू हुआ।
- **दीर्घ-सीमा पार वायु प्रदूषकों पर अभिसमय (LRTAP), स्थाई कार्बनिक प्रदूषकों पर प्रोटोकॉल (POPs):** अभिसमय का उद्देश्य यह है कि पक्षकार दीर्घ-सीमा पार वायु प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण को सीमित करने और, जहां तक संभव हो, धीरे-धीरे कम करने और रोकने का प्रयास करेंगे।
  - POPs पर प्रोटोकॉल का उद्देश्य लगातार बने रहने वाले कार्बनिक प्रदूषकों के उत्सर्जन और हानि को नियंत्रित करना, कम करना या समाप्त करना है। यह प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ।

विश्व मगरमच्छ दिवस

विश्व मगरमच्छ दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- भारत में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के पारित होने के बाद भी, मगरमच्छ बहुत खतरे में थे और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंधाधुंध हत्या और गंभीर आवासीय क्षति के कारण विलुप्त होने के कगार पर थे।
- 1975 में, भारत ने ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू की।
- परियोजना का उद्देश्य जानवरों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करना और नियोजित प्रजनन के माध्यम से आबादी को जल्दी से पुनर्जीवित करना था क्योंकि शिकार के कारण प्रकृति में मगरमच्छों के बच्चों के जीवित रहने की दर कम है।
- इस वर्ष की सरीसृप जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, आज भितरकनिका में 1,811 अलवणीय जल के मगरमच्छ हैं, जो जंगल और अलवणीय जल के दलदल का एक विशाल क्षेत्र है। हालाँकि आज यह मानव-मगरमच्छ संघर्ष का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र बन गया है।

भारत में मगरमच्छ प्रजातियाँ

- **मुहाना या अलवणीय जल का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस)**
  - वे पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित सरीसृप हैं।
  - वे भारत में केवल तीन स्थानों पर पाए जाते हैं: भितरकनिका, सुंदरबन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
  - **IUCN स्थिति:** कम से कम चिंताजनक यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है।
- **मगर या दलदली मगरमच्छ (क्रोकोडायलस पलुस्ट्रिस)**
  - मगर क्रोकोडायल होल-नेस्टिंग प्रजाति है, जो शुष्क मौसम के दौरान अंडे देती है।
  - वे नदियों, झीलों, दलदलों, सिंचाई नहरों और यहां तक कि तटीय खारे पानी के लैगून और मुहाने सहित विभिन्न मीठे पानी के आवासों में पाए जाते हैं।
  - **IUCN स्थिति:** संवेदनशील यह वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है।
- **घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस)**
  - घड़ियाल का नाम प्रजनन करने वाले नर घड़ियाल की थूथन पर एक बल्बनुमा घुंडी जैसी उभार से लिया गया है जो घड़ा जैसा दिखता है, जिसका हिंदी में अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है।
  - ये मुख्य रूप से चंबल, गिरवा घाघरा और गंडक नदियों में पाए जाते हैं।
  - **IUCN स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त इसे वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान

- यह एक राष्ट्रीय उद्यान और रामसर स्थल है जो ओडिशा के पूर्वोत्तर केंद्रपाड़ा जिले के समुद्र तट पर स्थित है।
- **नदियाँ:** पार्क ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और पाठशाला नदियों से घिरा हुआ है।
- यह विभिन्न मैंग्रोव प्रजातियों की मेजबानी करता है, और भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
- गहिरमाथा समुद्रतट दलदली क्षेत्र और मैंग्रोव को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है।
- **वनस्पति और जीव:** राष्ट्रीय उद्यान अलवणीय जल के मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस), भारतीय अजगर, किंग कोबरा, ब्लैक आइबिस, डार्टर और कई अन्य प्रजातियों का घर है।

वन्यजीव संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वन और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्त्तव्य होगा।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48, में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।

मियावाकी पद्धति

*NHAI **विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों से सटे भूखंडों पर मियावाकी वृक्षारोपण करने की एक अनूठी पहल करेगा।***

परिचय

- मियावाकी वृक्षारोपण, जिसे मियावाकी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, पारिस्थितिकी बहाली और वनीकरण विकास के लिए एक अद्वितीय जापानी दृष्टिकोण है।
- इसकी शुरुआत 1970 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी के विशेषज्ञ श्री अकीरा मियावाकी ने की थी। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के अंदर देशी पेड़, झाड़ियाँ और जमीन पर उगने वाले पौधे लगाना सम्मिलित है।
- **लाभ:** इसका उद्देश्य कम समय में घने, देशी और जैव विविधता वाले वन उगाना है।
  - इस विधि से पेड़ दस गुना तेजी से बढ़ते हैं और वृक्षारोपण ध्वनि और धूल अवरोधक के रूप में कार्य करता है।
  - यह वायु और मृदा की गुणवत्ता में सुधार जैसी बेहतर सूक्ष्म जलवायु स्थितियों में मदद करता है।
  - यह जैव विविधता संरक्षण, हरित आवरण के तेजी से विकास, कुशल कार्बन अवशोषण, मृदा की स्थापना और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के लिए आवास निर्माण में भी मदद करेगा।
  - ये वन भूजल को बनाए रखते हैं और भूजल स्तर को पुनर्भरण करने में मदद करते हैं।

ग्रेट निकोबार परियोजना में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

कांग्रेस पार्टी ने ग्रेट निकोबार परियोजना में प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढाँचे के उन्नयन को द्वीप के मूल निवासियों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक बताया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना

- इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और द्वीप पर 450MVA गैस एवं सौर-आधारित विद्युत संयंत्र विकसित करना शामिल है।
- ICTT से ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति मिलने की उम्मीद है।
- प्रस्तावित "ग्रीनफील्ड शहर" द्वीप की समुद्री और पर्यटन क्षमता दोनों का दोहन करेगा।
- प्रस्तावित ICTT और विद्युत संयंत्र के लिए साइट ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर गैलाथिया खाड़ी है, जहाँ कोई मानव निवास नहीं है।

द्वीप का सामरिक महत्त्व

- मलक्का जलडमरूमध्य, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला मुख्य जलमार्ग, अंडमान और निकोबार के द्वीपों के बहुत पास है। इसलिए यह भारत को चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का मुकाबला करने में मदद कर सकता है।
- इंडोनेशिया में सबांग इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार द्वीप पर) से 90 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में है, और म्यांमार में कोको द्वीप अंडमान के सबसे उत्तरी सिरे से 18 समुद्री मील दूर है।
- ये द्वीप म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ भारत के चार अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र परिसीमन को साझा करते हैं।
- वे भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय मग्नतट के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत पर्याप्त समुद्री स्थान भी देते हैं।

परियोजना की पर्यावरणीय चिंताएँ

- **पारिस्थितिकीय खतरे:** वनों और आवासों का विनाश द्वीप की जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, जिसमें विभिन्न स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **अधिकारों का उल्लंघन:** कथित तौर पर यह परियोजना शिकारियों के एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) शोम्पेन के अधिकारों का उल्लंघन करती है। उनकी पारंपरिक भूमि और जीवनशैली में व्यवधान मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को जन्म देता है।
- **अपर्याप्त परामर्श:** आलोचकों का तर्क है कि स्थानीय प्रशासन ने कानून के अनुसार ग्रेट और लिटिल निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय परिषद से पर्याप्त परामर्श नहीं किया है।

- **समुद्री प्रजातियों के लिए खतरा:** निर्माण और संबंधित गतिविधियाँ प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर देंगी, और स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- **अस्थिर क्षेत्र:** प्रस्तावित बंदरगाह भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिसने 2004 की सुनामी के दौरान एक महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना का अनुभव किया था, जिससे ऐसे स्थान पर बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

- **अवस्थिति:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से 1,300 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।
  - यह 6° 45' उत्तर से 13°41' उत्तर तक तथा 92° 12' पूर्व से 93° 57' पूर्व तक विस्तरित है।
- यह द्वीपसमूह 500 से अधिक बड़े और छोटे द्वीपों से बना है, जो दो अलग-अलग द्वीप समूहों में विभाजित हैं - अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह।
  - 'दस डिग्री चैनल' उत्तर में अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है।

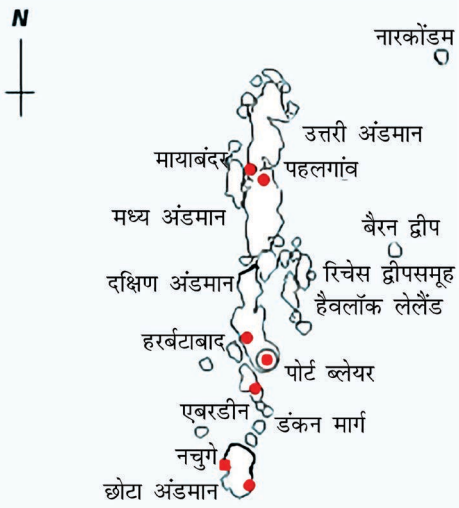

दस डिग्री चैनल

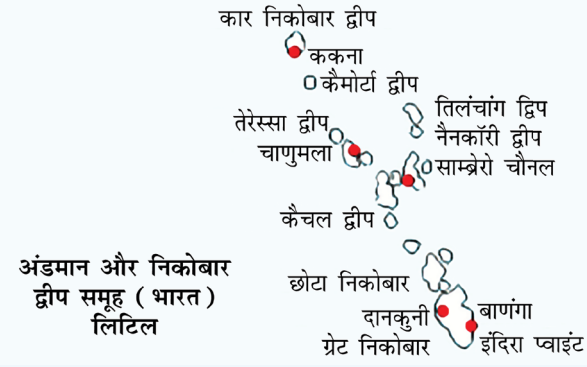

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत) लिटिल

अंडमान द्वीप समूह

- इन द्वीपों को तीन प्रमुख उप-समूहों में विभाजित किया गया है - उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है।

निकोबार द्वीप समूह

- इन द्वीपों को तीन प्रमुख उप-समूहों में विभाजित किया गया है - उत्तरी समूह, मध्य समूह और दक्षिणी समूह।
- ग्रेट निकोबार दक्षिणी समूह में स्थित इस समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है।
- भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 'इंदिरा पॉइंट' ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।

अन्य विशेषताएं

- इनमें से अधिकांश द्वीपों का आधार ज्वालामुखी है तथा ये तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से बने हैं।
  - पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन और नार्कोंडम द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं।
  - इनमें से कुछ द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं।
- उत्तरी अंडमान में सैडल पीक (737 मीटर) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है।
- **2018 में निम्नलिखित तीन द्वीपों के नाम बदले गए:**
  - **रॉस द्वीप** - जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया
  - **नील द्वीप** - जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया।
  - **हैवलॉक द्वीप** - जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया।

आगे की राह

- अप्रैल 2023 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की कोलकाता पीठ ने परियोजना को दी गई पर्यावरण और वन मंजूरी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
- हालांकि, न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि मंजूरी पर विचार करने के लिए एक उच्च-शक्ति समिति का गठन किया जाना चाहिए।

काजीरंगा में अंगहीन उभयचर पाया गया

हाल ही में किए गए हर्पेटोफौना सर्वेक्षण से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में अंगहीन उभयचरों की एक नई प्रजाति, धारीदार सीसिलियन (Ichthyophis spp) की खोज हुई है।

परिचय

- सीसिलियन अंगहीन उभयचर प्राणी हैं जो अपना अधिकांश जीवन भूमिगत बिलों में व्यतीत करते हैं। वे प्राचीन प्रजातियाँ हैं और उनकी उपस्थिति विकास और अंतरमहाद्वीपीय प्रजाति निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

- सरीसृप और उभयचर, जिन्हें सामूहिक रूप से हरपेटोफौना के रूप में जाना जाता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हें पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए संकेतक प्रजातियां माना जाता है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

- यह असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी (मिकिर) पहाड़ियों के बीच स्थित है।
- काजीरंगा विश्व के लगभग 2/3 महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों का घर है। यह लुप्तप्राय और स्थानिक पश्चिमी हूलॉक गिब्बन के अंतिम बचे हुए घरों में से एक है, जो भारत में पाए जाने वाले बन्दरों की एकमात्र प्रजाति है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन के अंतिम घरों में से एक है।
- यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक भाग है। डिप्लू नदी इसके मध्य से बहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 इसके माध्यम से गुजरता है।
- इसे 1974 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था और 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
- इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया गया है।

जंगली सूअर

केरल में जंगली सुअरों का खतरा बढ़ा है, ये जानवर फसलों को नष्ट कर रहे हैं, किसानों पर हमला कर रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

जंगली सुअरों के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** एस. स्क्रोफा
- यह अब तक सभी सुअरों में सबसे बड़ी प्रजाति है।
- इसे कभी-कभी यूरोपीय जंगली सुअर भी कहा जाता है।
- ये जानवर तेज रफ्तार वाले, रात्रिचर, सर्वाहारी और अच्छे तैराक होते हैं।
- उनके पास नुकीले दाँत होते हैं, हालाँकि वे सामान्यत: आक्रामक नहीं होते, फिर भी वे खतरनाक हो सकते हैं।
- **आवास और वितरण:** यह अर्ध-मरुस्थल से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, समशीतोष्ण वनभूमि, घास के मैदानों और ईख के जंगलों तक कई तरह के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय आवासों में पाया जाता है; प्राय: यह चारा खोजने के लिए कृषि भूमि पर भी जाता है। यह कई तरह के आवासों में पाया जाता है।
  - यह जंगली सूअरों में सबसे बड़ा है और पश्चिमी एवं उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से लेकर भारत, अंडमान द्वीप समूह और चीन तक के जंगलों का मूल निवासी है।
- **IUCN स्थिति:** न्यूनतम चिंताजनक।

जंगली सूअरों के कारण उत्पन्न समस्या

- इससे राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
- 2016 से अब तक मानव-पशु संघर्ष में 990 लोगों की जान जा चुकी है और 7,500 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

फ्लेमिंगो

मानवीय गतिविधियाँ और बदलते मौसम स्वरूप फ्लेमिंगो के लिए खतरा बन रहे हैं।

संबंधित तथ्य

- फ्लेमिंगो एक सामाजिक प्राणी है, जो अलग-अलग आकार के बड़े समूहों में रहते हैं, कभी-कभी हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं।
- **निवास स्थान:** फ्लेमिंगो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं जैसे लैगून, नदी के मुहाने, तटीय और अंतर्देशीय झीलें, तथा कीचड़युक्त भूमि।
- **प्रकार:** छह फ्लेमिंगो प्रजातियाँ और उनकी IUCN रेड लिस्ट स्थिति इस प्रकार है:
  - बड़ा फ्लेमिंगो – कम चिंताग्रस्त
  - चिली फ्लेमिंगो – संकटग्रस्त के करीब
  - अमेरिकी फ्लेमिंगो – चिंताग्रस्त
  - छोटा फ्लेमिंगो – संकटग्रस्त के करीब
  - एंडियन फ्लेमिंगो – संवेदनशील
  - जेम्स या पुना फ्लेमिंगो – संकटग्रस्त के करीब
- **भारत में स्थिति:** बड़ा फ्लेमिंगो आमतौर पर इजरायल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में प्रवास करते हैं। बड़ा फ्लेमिंगो गुजरात का राज्य पक्षी है।
  - छोटा फ्लेमिंगो साइबेरिया से गुजरात के कच्छ के रण के माध्यम से मुंबई तक प्रवास करते हैं।
- **महत्त्व:** ये पक्षी महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय संकेतक हैं और उनका कल्याण पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है।
- **चेतावनी:** जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर और लवणता में परिवर्तन हो रहा है, जिससे फ्लेमिंगो के लिए उपयुक्त घोंसले के स्थान ढूंढना कठिन हो रहा है।
- उनके सबसे बड़े खतरों में आवास का विनाश और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर सूखा शामिल हैं।

बायोमास ब्रिकेट

हाल के वर्षों में, पारंपरिक ईंधन के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बायोमास ब्रिकेट की मान्यता बढ़ रही है।

संबंधित तथ्य

- ये जैविक पदार्थों के सघन ब्लॉक हैं, जैसे कृषि अवशेष, वानिकी अपशिष्ट या औद्योगिक उपोत्पाद।

- **वैश्विक बाजार:** वैश्विक बायोमास ब्रिकेट बाजार का मूल्य 2022 में 429.0 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसके 2033 तक 721.2 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- 7.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) एक टिकाऊ ईंधन विकल्प के रूप में इसकी बढ़ती मान्यता को दर्शाती है।
- **भारत में संसाधन:** भारत की बायोमास क्षमता अनुमानत: 750 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि अवशेष शामिल हैं, जो ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बायोमास ब्रिकेटों का उपयोग करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

लाभ

- **पर्यावरण:** कार्बन-तटस्थ ईंधन स्रोत, जलने पर कोई अतिरिक्त CO_2 उत्सर्जित नहीं करता, जिससे जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता मिलती है।
  - कृषि एवं वानिकी अवशेषों का उपयोग, अपघटन से उत्पन्न मीथेन उत्सर्जन को कम करता है।
  - अपशिष्ट प्रबंधन और कार्बन पृथक्करण प्रयासों को बढ़ाता है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** बायोमास ब्रिकेट उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन।
- महंगे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन बढ़ेगा।
- **आपूर्ति शृंखला लचीलापन:** जीवाश्म ईंधन की तुलना में मूल्य अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रति कम संवेदनशील।
- फीडस्टॉक की स्थानीय उपलब्धता से बाहरी आघातों का जोखिम कम हो जाता है।
- **मापनीयता और अनुकूलनशीलता:** मॉड्यूलर उत्पादन इकाइयाँ अलग-अलग मांग स्तरों के अनुरूप समायोजन करने की लचीलापन प्रदान करती हैं।

इंडिकोनेमा: स्वच्छ जल की नवीन डायटम प्रजाति

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने पूर्वी और पश्चिमी घाटों की स्वच्छ जल नदी में पाए जाने वाले गोमफोनमॉइड डायटोम समूह की एक नई प्रजाति की खोज की है।

संबंधित तथ्य

- **वाल्व सममिति:** अन्य गोम्फोनोमोइड डायटमों की तुलना में इंडिकोनेमा खास विशेषता रखता है। जहाँ आम तौर पर गोम्फोनोमोइड डायटमों में सिर्फ निचले सिरे पर रोमछिद्र पाया जाता है, वहीं इंडिकोनेमा में ऊपरी सिरे और निचले सिरे दोनों पर रोमछिद्र पाए जाते हैं।
- **प्रतिबंधित वितरण:** "इंडिकोनेमा" नाम भारत में इसके सीमित वितरण को दर्शाता है।
- **जैवभूगोल:** इंडिकोनेमा की एक प्रजाति पूर्वी घाट में पाई गई, और दूसरी पश्चिमी घाट में पाई गई।
  - दो पर्वत प्रणालियों के बीच स्थानिक तत्वों को साझा करने का यह स्वरूप अन्य स्थानिक-समृद्ध समूहों के लिए देखे गए स्वरूप के समान है।

डायटम क्या हैं?

- ये सूक्ष्म शैवाल हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वे वैश्विक ऑक्सीजन का लगभग 25% उत्पादन करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक चौथी सांस का अस्तित्व इन छोटे जीवों के कारण है।
- वे जलीय खाद्य शृंखला का आधार बनाते हैं और जल रासायनिक परिवर्तनों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण जलीय स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक के रूप में कार्य करते हैं।
- मानसून के विकास ने भारतीय प्रायद्वीप में वर्षावन बायोम की संरचना की तथा इससे जुड़ी विभिन्न आर्द्रता ने डायटम वनस्पति को आकार देने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई।

जैव विविधता पर प्रभाव

- भारत की अद्वितीय जैव विविधता इसके विविध परिदृश्यों द्वारा आकार लेती है और डायटम इस समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- भारत में लगभग 30% डायटम प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जो देश के पारिस्थितिक महत्त्व पर बल देती हैं।
- भारतीय प्रायद्वीप में मानसून का विकास और आर्द्रता में भिन्नता प्रत्यक्ष तौर पर डायटम वनस्पति को प्रभावित करती है।

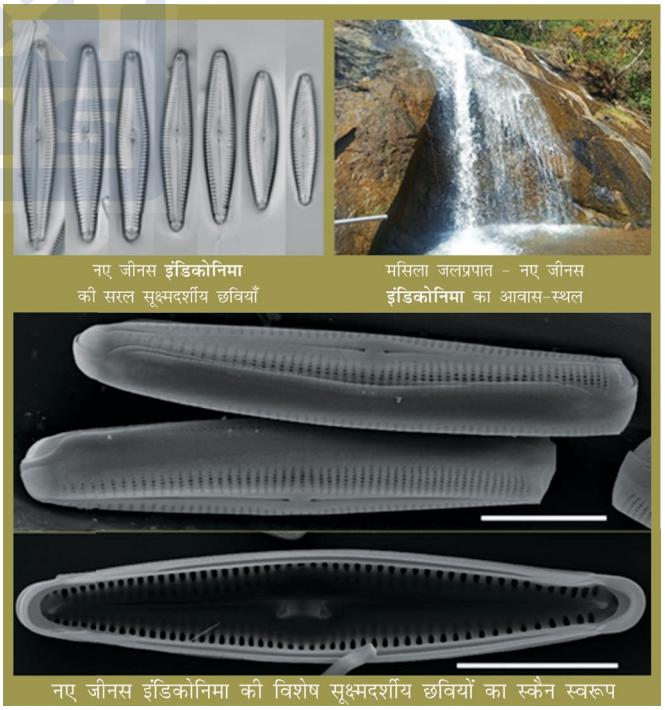

भारत में भू-संरक्षण का अभाव

भू-संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद भारत ने भू-संरक्षण के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया है।

संबंधित तथ्य

- भू-संरक्षण से तात्पर्य भूवैज्ञानिक विशेषताओं, प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या सौंदर्यात्मक मूल्य वाले स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों और रीतियों से है।
  - इसमें भू-वैज्ञानिक विविधता का संरक्षण और प्रबंधन शामिल है, ठीक उसी तरह जैसे जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना होता है।

भारत में भू-संरक्षण की आवश्यकता

- **समृद्ध भू-वैज्ञानिक विविधता:** भारत भू-वैज्ञानिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है, जिसमें भू-वैज्ञानिक संरचनाओं, परिदृश्यों और खनिज संसाधनों की विस्तृत शृंखला विद्यमान है।
  - इन संसाधनों की सुरक्षा से अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं का संरक्षण सुनिश्चित होता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और पृथ्वी के इतिहास को समझने में योगदान देते हैं।
- **सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व:** भारत में विभिन्न भू-वैज्ञानिक स्थल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं।
  - उदाहरण के लिए, शिवालिक पहाड़ियों में जीवाश्मों की परतों ने भारत के प्रागैतिहासिक अतीत के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ऐसे स्थलों की सुरक्षा करने से सांस्कृतिक विरासत और भू-विज्ञान से संबंधित स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
- **प्राकृतिक आपदा प्रबंधन:** भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों के प्रबंधन के लिए भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और परिदृश्यों को समझना महत्त्वपूर्ण है।
- **पर्यटन और मनोरंजन:** भारत की भू-वैज्ञानिक विविधता अद्वितीय परिदृश्यों, चट्टान संरचनाओं, गुफाओं और खनिज स्थलों की खोज में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** कई भू-वैज्ञानिक संसाधन, जैसे भू-जल और खनिज, सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। भू-संरक्षण इन संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

भू-विरासत स्थल

- भू-विरासत स्थल शैक्षणिक स्थान हैं, जहाँ लोग अत्यंत आवश्यक भूवैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करते हैं।
- हमारे ग्रह की साझा भूवैज्ञानिक विरासत के महत्त्व को पहली बार 1991 में यूनेस्को द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, 'हमारी भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी' में मान्यता दी गई थी।
- कनाडा, चीन, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों में भू-विरासत स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में विकसित किया गया है।
- आज, 44 देशों में 169 ग्लोबल जियोपार्क हैं। थाईलैंड और वियतनाम ने भी अपनी भू-वैज्ञानिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कानून लागू किए हैं।
- यद्यपि भारत ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, फिर भी उसके पास भू-विरासत संरक्षण के लिए कोई कानून या नीति नहीं है।

भू-विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयास

- वर्ष 2009 में राज्य सभा में एक विधेयक पेश करके राष्ट्रीय धरोहर स्थल आयोग गठित करने का प्रयास किया गया था।
  - वैसे तो विधेयक को अंततः स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था, लेकिन कुछ अनकहे कारणों से सरकार ने इसे वापस ले लिया
  - इस विधेयक का उद्देश्य यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 की शर्तों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना तथा धरोहर स्थलों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करना था।
- हाल ही में, 2022 में, खनन मंत्रालय ने संरक्षण और रख-रखाव के लिए एक प्रारूप विधेयक तैयार किया है, लेकिन इस पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

मुर्रया और दवना फूल

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने ओडिशा के पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों में प्रयुक्त फूलों के संरक्षण और उत्पादन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान किया है।

संबंधित तथ्य

- **दवना:** एस्टेरेसी परिवार से संबंधित दवना, वर्ष में एक बार उगने वाली महत्त्वपूर्ण सुगंधित जड़ी बूटी है, जो अपनी उत्कृष्ट खुशबू के लिए भारत में बहुत मूल्यवान है।
  - यह पौधा शीतोष्ण जलवायु युक्त हिमालयी क्षेत्रों में जंगली स्वरूप में उगता है। यह कश्मीर घाटी, शिमला और नैनीताल की पहाड़ियों में सामान्य है।
  - इसकी व्यावसायिक खेती कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जा रही है।
- **मुर्रया पैनिक्युलेटा:** मुर्रया पैनिक्युलेटा को नारंगी चमेली, चाइना बॉक्स, या मॉक नारंगी के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग सजावट और औषधीय के रूप में करते हैं और इसे जीवित बाड़ा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, दक्षिणी चीन, थाईलैंड तथा पूर्व में मलेशियाई क्षेत्र से लेकर उत्तर-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कैलेडोनिया तक पाया जाता है।
- इसके फूल खुशबूदार होते हैं और हल्के गुच्छों में फैले हुए होते हैं।

श्री जगन्नाथ मंदिर

- इसका निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 12वीं शताब्दी में पुरी के समुद्र तट पर करवाया था।
- श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग वास्तुकला में निर्मित एक प्रभावशाली और अद्भुत संरचना है, जो 65 मीटर ऊँचे चबूतरे पर स्थित है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा हैं।
- यह भारत के चार धामों अर्थात् पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर में से एक है।

5 भूगोल

स्ट्रोमेटोलाइट्स

एक अध्ययन में, एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में शेबराह द्वीप पर जीवित उथले-समुद्री स्ट्रोमेटोलाइट्स की खोज की सूचना दी।

परिचय:

- स्ट्रोमेटोलाइट्स परतदार अवसादी संरचनाएँ (माइक्रोबियलाइट) हैं जो मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया, सल्फेट-कम करने वाले बैक्टीरिया और स्यूडोमोनैडोटा (पूर्व में प्रोटियोबैक्टीरिया) जैसे प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्मजीवों द्वारा बनाई जाती हैं।
- **विशेषताएँ:** सूक्ष्मजीव स्ट्रोमेटोलाइट्स, सतही परत पर सक्रिय होते हैं, जबकि अंतर्निहित निर्मित पूर्व सूक्ष्मजीव सतह समुदायों का एक शैलकृत अवशेष है, जिसे संकेतक-जीवाश्म के रूप में व्याख्यायित्व किया जा सकता है।
- **महत्त्व:** स्ट्रोमेटोलाइट्स ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं, जिस घटना ने ऑक्सीजन को उत्पन्न कर हमारे वायुमंडल की संरचना को व्यापक स्तर तक परिवर्तित कर दिया।
- हैमेलिन पूल दुनिया में सबसे व्यापक जीवित स्ट्रोमेटोलाइट प्रणाली का आवास है।

भारत में अधिसूचित आपदा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हीट वेव को अधिसूचित आपदा घोषित करने की माँग की गई है।

परिचय:

- भारत, एक विविध भौगोलिक विशेषताओं वाला देश है, जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं से प्रभावित है।
- ओडिशा सुपर-साइक्लोन (1999) और सुनामी (2004) को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) में आपदा को 'प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों' से उत्पन्न होने वाली 'आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वर्तमान में, इस अधिनियम के तहत 12 श्रेणियों की आपदाएँ अधिसूचित की गई हैं। ये हैं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, वृष्टि प्रस्फुटन, कीट-हमला, पाला और शीत लहरें।

DMA (2005) के तहत निधियाँ:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) राज्यों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्रमशः दो निधियों, अर्थात् राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा अनुक्रिया कोष SDRF से धन निकालने की अनुमति देता है।
  - राज्य पहले SDRF में उपलब्ध धन का उपयोग करते हैं और केवल तभी जब आपदा की भयावहता SDRF के साथ प्रबंधनीय न हो, तो राज्य NDRF से धन की माँग करते हैं।
- यद्यपि NDRF का संपूर्ण धन केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, राज्य SDRF में 25% धन का योगदान करते हैं (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10%), शेष केंद्र से प्राप्त होता है।
  - इन निधियों में धन का उपयोग अधिसूचित आपदाओं की अनुक्रिया और प्रबंधन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

भारत में हीट वेव

- हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी भागों में ग्रीष्म काल के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि है।
- अत्यधिक तापमान और परिणामी वायुमंडलीय परिस्थितियाँ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं क्योंकि वे शारीरिक तनाव का कारण बनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है।

हीट वेव के लिए मानदंड (IMD के अनुसार):

- हीट वेव पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30°C तक न पहुँच जाए।
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर हो
  - **हीट वेव:** सामान्य तापमान से 5°C से 6°C विचलन।
  - **गंभीर हीट वेव:** सामान्य तापमान से 7°C या उससे अधिक विचलन।
- जब किसी केंद्र का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से अधिक हो
  - **हीट वेव:** सामान्य तापमान से 4°C से 5°C विचलन।
  - **गंभीर हीट वेव:** सामान्य तापमान से 6°C या उससे अधिक विचलन।
- जब वास्तविक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान से इतर 45°C या उससे अधिक हो, तो हीट वेव घोषित की जानी चाहिए।

हीट डोम

हाल ही में, अमेरिकी मौसम एजेंसी ने कहा कि हीट डोम और जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य रूप से हीट वेव की आवृति में वृद्धि हुई है।

परिचय:

- यह एक मौसमी घटना है जो तब घटित होती है जब उच्च दाब का एक दीर्घस्थायी क्षेत्र किसी क्षेत्र विशेष में ऊष्मा को ट्रैप कर लेता है।
- उच्च दाब प्रणाली एक ढक्कन की तरह कार्य करती है, जो उष्ण वायु को ऊपर उठने से रोकती है और नीचे की वायु को गर्म करती है।

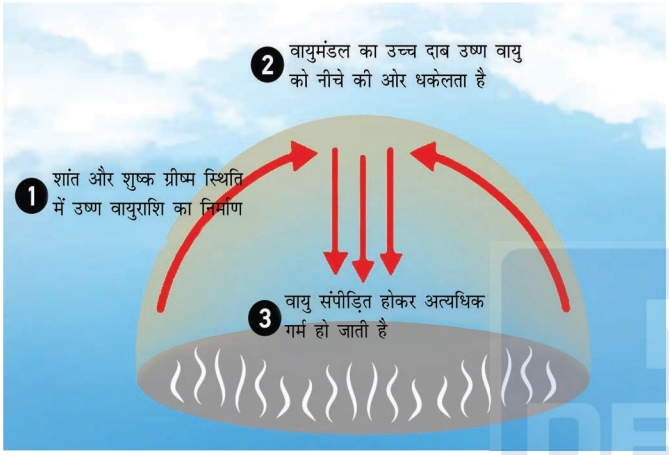

गठन:

- हीट डोम शांत और शुष्क ग्रीष्म की स्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं, जब उष्ण वायु राशि का निर्माण होता है और पृथ्वी के वायुमंडल का उच्च दाब गर्म वायु को नीचे धकेलता है।
- फिर वायु संपीडित होती है चूँकि इसकी शुद्ध ऊष्मा अब कम मात्रा में है, इसलिए इसका तापमान बढ़ जाता है।
- जैसे ही उष्ण वायु ऊपर उठने का प्रयास करती है, उसके ऊपर का उच्च दाब गुंबद के रूप में कार्य करता है, वायु को नीचे की ओर धकेलता है और इसे अत्यधिक गर्म कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप गुंबद के नीचे दाब बढ़ जाता है।

जेट स्ट्रीम के साथ सहसंबंध:

- सामान्यत: हीट डोम, जेट स्ट्रीम के व्यवहार से जुड़े होते हैं, जो वायुमंडल में तीव्र पवनों की एक पट्टी है, जो सामान्यत: पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करता है।
- सामान्यत: जेट स्ट्रीम तरंगनुमा प्रारूप होता है, जो उत्तर की ओर, फिर दक्षिण की ओर, और फिर उत्तर की ओर घूर्णन करता है।
- जब जेट स्ट्रीम में यह घुमाव व्यापक हो जाता है, तब वे धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और स्थिर हो सकते हैं। यही वह समय होता है जब हीट डोम का निर्माण हो सकता है।

केरल प्रवसन सर्वेक्षण

केरल प्रवसन सर्वेक्षण (KMS) 2023 रिपोर्ट का लोक केरल सभा में अनावरण किया गया।

परिचय:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं विकास संस्थान (IIMD) और गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में 1998 से प्रत्येक पाँच वर्ष में आयोजित छठे KMS के निष्कर्षों को प्रकाशित किया गया है।
- सर्वेक्षण में केरल के सभी 14 जिलों के 20,000 परिवारों को शामिल किया गया, जिन्हें एक स्तरीकृत बहुस्तरीय यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के माध्यम से चुना गया।

मुख्य निष्कर्ष:

- केरल से प्रवासियों की संख्या 2018 में दर्ज की गई संख्या से थोड़ी अधिक है लेकिन घर लौटने वाले प्रवासियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई) से परे गंतव्यों के लिए वरीयता 2018 में 10.8% से बढ़कर 2023 में 19.5% हो गई है।
- महिलाएँ प्रवासियों की एक अलग श्रेणी हैं, जिनकी संख्या और अनुपात में वृद्धि देखी गई है, जो 2018 में 15.8% से बढ़कर 2023 में 19.1% हो गई है।
- मुस्लिम, जो केरल की आबादी का 26% भाग हैं (2011 की जनगणना के अनुसार), राज्य के प्रवासियों का 41.9% भाग हैं।
- केरल में कुल प्रेषण में 2018 से 154.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

बेयेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN)

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने अल नीनो और ला नीना स्थितियों के उद्भव का 15 महीने पहले तक पूर्वानुमान लगाने के लिए बेयसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) विकसित किया है।

परिचय:

- यह अत्याधुनिक तकनीक है, जो एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) के चरणों से संबंधित भविष्यवाणियों में वृद्धि के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग (ML) की शक्ति का उपयोग करती है।
- BCNN मॉडल, विशेष रूप से एल नीनो या ला नीना घटनाओं की भविष्यवाणी करने में कुशल है, क्योंकि यह मंद समुद्री परिवर्तनों और उनके वायुमंडल के साथ संबंध को ध्यान में रखने की क्षमता रखता है।
- यह ENSO चरण की भविष्यवाणी में उपयोग किए जाने वाले एक महत्त्वपूर्ण मीट्रिक, Nino3.4 इंडेक्स वैल्यू की गणना करता है, जो बेहतर परिशुद्धता के साथ केंद्रीय भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान (SST) विसंगति का औसत निकालकर प्राप्त किया जाता है, जो 5°N से 5°S और 170°W से 120°W तक विस्तृत है।

- यह अधिक विश्वसनीय और समय पर मौसम की भविष्यवाणियों के लिए एक आशाजनक भविष्य प्रदान करता है, जो कृषि, मत्स्य पालन और आपदा प्रबंधन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- यह AI के साथ गतिशील मॉडल का संयोजन है, जो 15 महीने के पूर्व समय के साथ एल नीनो और ला नीना स्थितियों के उद्भव का पूर्वानुमान करने में मदद करता है - अन्य मॉडलों के विपरीत जो छह से नौ महीने पहले तक का पूर्वानुमान दे सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र

- इसे 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई है।
- इसका उद्देश्य समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से निरंतर महासागर अवलोकन और निरंतर सुधार के माध्यम से सर्वोत्तम संभव महासागरीय सूचना और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना है।

मौसम मॉडल:

- **सांख्यिकीय मॉडल:** यह विभिन्न देशों और क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न सूचना समूह के आधार पर पूर्वानुमान तैयार करता है।
- **गतिशील मॉडल:** इसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर (HPC) का उपयोग कर वायुमंडल का 3-डी गणितीय सिमुलेशन शामिल है। यह सांख्यिकीय मॉडल की तुलना में अत्यधिक सटीक है।

एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO)

- यह एक जलवायविक परिघटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में जल के तापमान में परिवर्तन शामिल है, साथ ही ऊपर के वायुमंडल में उतार-चढ़ाव भी होता है।
  - यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को परिवर्तित कर सकता है, जो बदले में, संपूर्ण विश्व के मौसम को प्रभावित करता है।
- यह 2-7 वर्षों के अनियमित चक्रों में घटित होता है और इसके तीन अलग-अलग चरण होते हैं - उष्ण (एल नीनो), शीत (ला नीना) और तटस्थ।
- **तटस्थ चरण:** प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग (दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट के पास) पश्चिमी भाग (फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास) की तुलना में ठंडा होता है। यह स्थिति प्रचलित पवन प्रणालियों के कारण होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जो सतह के उष्ण जल को इंडोनेशियाई तट की ओर प्रवाहित कर देती हैं। निम्न भाग से अपेक्षाकृत शीतल जल विस्थापित जल का स्थान लेने के लिए ऊपरी भाग में गमन करती है।
- **एल नीनो (उष्ण चरण):** पवन प्रणालियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे उष्ण जल का कम विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है और व्यापारिक पवनें - भूमध्य रेखा के पास प्रवाहित होने वाली पूर्व-पश्चिमी पवनें - कमजोर हो जाती हैं। सामान्यत: पूर्वी व्यापारिक पवनें अमेरिका से एशिया की ओर प्रवाहित होती हैं।
- **ला नीना (शीत चरण):** ला नीना एल नीनो के विपरीत घटित होता है। यह भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में औसत समुद्री सतह के तापमान (SST) से ठंडा होता है। व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक तीव्र होती हैं, जो उष्ण जल को एशिया की ओर धकेलती हैं।
- भारत में, यद्यपि एल नीनो की स्थिति सामान्यत: क्षीण मानसून और तीव्र हीट वेव का कारण बनती है, ला नीना की स्थिति के परिणामस्वरूप मजबूत मानसून की स्थिति बनती है।

पश्चिमी विक्षोभ और हीट वेव

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत की ओर आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में लू चलने का अनुमान लगाया था।

परिचय:

- पश्चिमी विक्षोभ (WD) भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली और पूर्व की ओर गमन करने वाली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणालियाँ हैं।
- ये भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम की प्रणाली को प्रभावित करते हैं, विशेषकर सर्दियों के महीनों के दौरान।
- यद्यपि WD स्वयं प्रत्यक्षत: हीट वेव का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन अन्य मौसम संबंधी कारकों के साथ उनकी अंतर्क्रिया एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

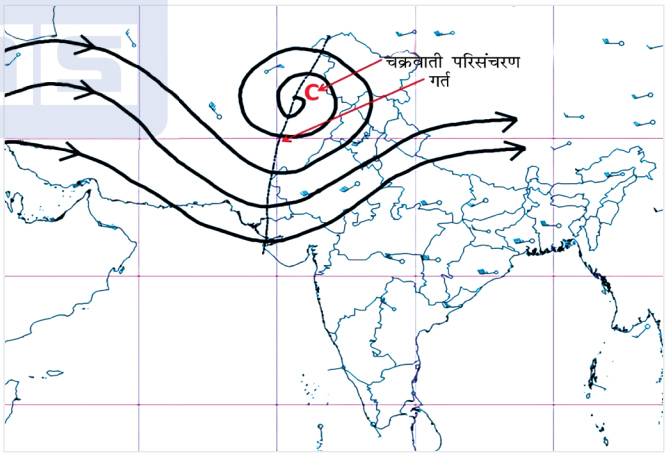

हीटवेव में WDs की भूमिका:

- **तापमान विषमता:** WDs भूमध्य सागरीय क्षेत्र से शीतल वायु को भारत में लाते हैं। जब यह शीतल वायु भारतीय भूभाग पर उष्ण वायु के संपर्क में आती है, तब यह एक तीव्र तापमान विषमता उत्पन्न करती है और प्रवणता हीटवेव सहित चरम मौसमीय घटनाओं को जन्म दे सकती है।
- **हीटवेव से पूर्व की स्थिति:** WD का आगमन हीटवेव से पूर्व होता हैं। WD के गुजरने से सामान्य मौसम प्रणाली बाधित होती है, जिससे तापमान में वृद्धि होता है। उष्ण वायु राशि तीव्र हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हीटवेव की स्थिति का निर्माण होता है।

- **हीटवेव का प्रवर्धन:** WD बादलों के आवरण को कम कर (स्वच्छ आकाश के कारण अधिक सूर्य प्रकाश धरातल तक पहुँचती है, जिससे तापमान में वृद्धि होता है), नमी को कम कर (मानसूनी हवाओं के आगमन को रोककर, आर्द्रता के स्तर को कम कर) और शुष्क हवाओं को तीव्र कर (शुष्क महाद्वीपीय हवा लाकर, गर्मी के तनाव को बढ़ाकर) हीटवेव प्रभाव में वृद्धि करते हैं।

चर्चित स्थल

मैक्सिको

मैक्सिको ने क्लाउडिया शिनबाम को पहली महिला राष्ट्रपति चुना।

भौगोलिक स्थिति:

- **उत्तरी अमेरिका:** उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- **सीमावर्ती देश:**
  - **उत्तर:** संयुक्त राज्य अमेरिका
  - **दक्षिण-पूर्व:** ग्वाटेमाला और बेलीज
- **सीमावर्ती जल निकाय:**
  - **पश्चिम:** प्रशांत महासागर
  - **पूर्व:** मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर
- **समुद्री सीमाएँ:** क्यूबा और होंडुरास के साथ समुद्री सीमाएँ साझा करता है।

विवर्तनिक गतिविधि:

- **रिंग ऑफ फायर:** पृथ्वी के सबसे गतिशील विवर्तनिक क्षेत्रों में से एक में अवस्थित है, जिसे सर्कम-पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" (परिधीय प्रशांत अग्नि वलय) के रूप में जाना जाता है।
- **ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि:** इसकी विवर्तनिक स्थिति के कारण सक्रिय ज्वालामुखी और निरंतर भूकंपीय गतिविधि इसकी विशेषता है।

सेनकाकू द्वीप

चीनी तटरक्षक जहाजों ने पूर्वी चीन सागर में जापानी नियंत्रण वाले सेनकाकू द्वीप समूह के आस-पास के जलक्षेत्र में लगातार 158 दिनों तक अभूतपूर्व उपस्थिति बनाए रखी है।

सेनकाकू द्वीपों का महत्त्व:

- **रणनीतिक स्थान:** ये द्वीप महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेन के पास स्थित हैं, जो उन्हें समुद्री नेविगेशन और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाता है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** आस-पास के जलीय क्षेत्र मत्स्यन के लिए समृद्ध हैं और माना जाता है कि इनमें महत्त्वपूर्ण तेल भंडार हैं, जो द्वीपों के आर्थिक मूल्य में वृद्धि करते हैं।

प्रशासन और विवाद:

- **जापानी प्रशासन:** सेनकाकू द्वीपों पर 1972 से जापान का प्रशासन है, लेकिन उनकी कानूनी स्थिति विवादित बनी हुई है।
- **परस्पर विरोधी दावे:** जापान और चीन दोनों ही इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं, जिससे लगातार विवाद होते रहते हैं।

जापान का दावा:

- **युद्ध के बाद की संधियाँ:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि के तहत ताइवान सहित विभिन्न क्षेत्रों पर अपने दावों को त्याग दिया। हालाँकि, नानसेई शोटो द्वीप अमेरिका के ट्रस्टीशिप के अधीन आ गए और 1971 में जापान को वापस कर दिए गए।
- **नानसेई शोटो में शामिल होना:** जापान का तर्क है कि सेनकाकू द्वीप नानसेई शोटो द्वीप का हिस्सा हैं और इस तरह वे जापान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** जापान इस बात पर बल देता है कि चीन ने उस समय सैन फ्रांसिस्को संधि पर आपत्ति नहीं जताई थी। 1970 के दशक में ही, जब इस क्षेत्र में संभावित तेल संसाधनों की खोज हुई, चीन और ताइवान ने अपने दावों पर बल देना प्रारंभ किया।

चीन का दावा:

- **ऐतिहासिक क्षेत्र:** चीन का दावा है कि सेनकाकू द्वीप प्राचीन काल से ही उसके क्षेत्र का भाग रहे हैं, जो ताइवान प्रांत द्वारा शासित महत्त्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- **संधि की व्याख्या:** चीन का तर्क है कि जब सैन फ्रांसिस्को की संधि के तहत ताइवान को वापस किया गया था, तो ताइवान के हिस्से के रूप में सेनकाकू द्वीप भी चीन को वापस कर दिए जाने चाहिए थे।

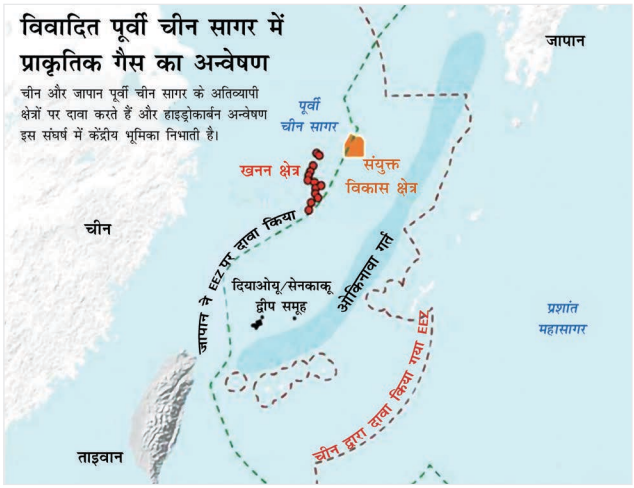

क्यूबा

भारत सरकार, क्यूबा गणराज्य की सरकार को मानवीय सहायता प्रदान कर रही है।

परिचय:

- यह सहायता भारत की "विश्व की फार्मेसी" के रूप में स्थिति की पुष्टि करती है और क्यूबा के साथ ऐतिहासिक मित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- क्यूबा गणराज्य, कैरिबियन में एक द्वीपीय देश है और मैक्सिको की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित है।
- हवाना, क्यूबा का सबसे बड़ा शहर और देश की राजधानी है।
- **स्थान:** क्यूबा उस स्थान पर स्थित है, जहाँ उत्तरी कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर मिलते हैं।
  - **पश्चिम:** मैक्सिको
  - **उत्तर:** अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा और बहामास।
  - **दक्षिण-पूर्व:** हैती और डोमिनिकन गणराज्य
  - **दक्षिण:** जमैका और केमैन द्वीप

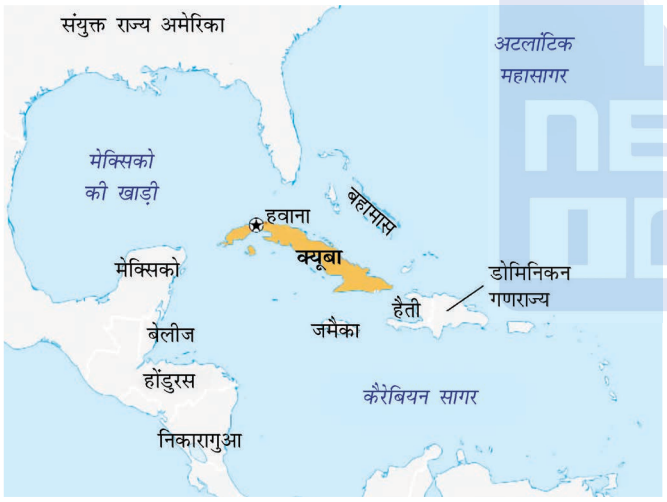

- **सर्वोच्च बिंदु:**
  - सबसे ऊँचा बिंदु 6,476 फीट पर पिको टर्क्विनो है।
  - यह सिएरा मेस्ट्रा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो द्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- **क्यूबा में नगण्य अंतर्देशीय जल क्षेत्र है।**
  - सबसे बड़ा प्राकृतिक जल दर्पण लागुना डे लेचे है।

सुबनसिरी नदी

मत्स्य पालन विभाग (अरुणाचल प्रदेश) और NHPC लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन (MoA) के माध्यम से असम में 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोवर जल विद्युत परियोजना (SLHEP) में मत्स्य पालन प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की है।

परिचय:

- **सुबनसिरी लोवर जल विद्युत परियोजना (SLHEP):** यह सुबनसिरी नदी पर निर्माणाधीन गुरुत्व बाँध है।
- सुबनसिरी नदी, जिसे गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो भारत में तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर प्रवाहित होती है।
- यह पूर्वी हिमालय से होकर प्रवाहित होती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से होकर भारत में प्रवेश करती है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लारो, न्ये, यूम, त्सारी और कमला शामिल हैं। यह नदी अपने सोने के भंडार के लिए जानी जाती है, इसलिए इसका नाम "गोल्ड रिवर" है।

लिपुलेख दर्रा

भारतीय व्यापारी लिपुलेख दर्रे के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से प्रारंभ करने की माँग कर रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था।

लिपुलेख दर्रा के बारे में:

- लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में भारत, चीन और नेपाल के त्रि-जंक्शन के पास स्थित है।
- यह दर्रा तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह नाथू ला और शिपकी ला जैसे अन्य दर्रों के साथ भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले महत्त्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है।
- नेपाल का दावा है कि यह दर्रा उसके क्षेत्र में आता है, जबकि भारत का तर्क है कि यह भारतीय राज्य उत्तराखंड का हिस्सा है।
- 2020 में, भारत ने उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया।

अलकनंदा नदी

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक यात्री टेम्पो के अलकनंदा नदी में गिरने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई।

परिचय:

- इसका उद्गम उत्तराखंड में सतोपंथ और भागीरथ खरक ग्लेशियरों के संगम के तलहटी से होता है। यह गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है।
- विष्णुप्रयाग में यह बाएँ किनारे की सहायक नदी धौलीगंगा से संगम करती है और पश्चिम की ओर जोशीमठ शहर तक प्रवाहित होती है।
- नंदप्रयाग में यह बाएँ किनारे की सहायक नदी नंदाकिनी नदी से संगम करती है, जो अलकनंदा नदी से संगम करती है।
- कर्णप्रयाग में, पिंडर नदी, जो बाएँ किनारे की सहायक नदी है, अलकनंदा नदी से संगम करती है।
- रुद्रप्रयाग में, यह दाएँ किनारे की सहायक नदी मंदाकिनी नदी से संगम करती है।
- देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से संगम करती है और गंगा नदी के रूप में आगे प्रवाहित होती है।

अलकनंदा नदी

6 आंतरिक सुरक्षा

ऑपरेशन ब्लू स्टार

1 जून, 2024 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई।

संबंधित तथ्य

- ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून, 1984 के बीच किया गया, भारतीय सशस्त्र बलों का एक अभियान था।
- पंजाब में उग्रवाद 1970 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और 1980 के दशक के पूर्वार्ध में अपने चरम पर पहुँच गया।
- इस विद्रोह, जिसे खालिस्तान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, का नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडरावाले ने 'खालिस्तान' नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना के लिए किया था।
- 1983 में, भिंडरावाले ने अपने अनुयायियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर सिख तीर्थस्थल अकाल तख्त पर आधिपत्य कर लिया और किलेबंदी की, जहाँ से उसने विद्रोह अभियान का नेतृत्व किया।
- बढ़ती हिंसा का मुकाबला करने के लिए, 6 जून, 1984 को इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिसे 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से जाना जाता है।

EX RIMPAC (रिम ऑफ द पैसिफिक)

हाल ही में, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत INS शिवालिक को हवाई में आयोजित होने वाले Ex RIMPAC (रिम ऑफ द पैसिफिक) के लिए तैनात किया है।

संबंधित तथ्य

- यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है। यह विभिन्न देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाकर सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ावा देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
  - यह 1971 में प्रारंभ हुई शृंखला का 29वाँ अभ्यास है।
- **RIMPAC 2024 का विषय:** 'भागीदार: एकीकृत और तैयार'
- संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत सहित लगभग 29 देशों, 40 सतही जहाजों, 3 पनडुब्बियों, 14 राष्ट्रीय थल सेनाओं, 150 से अधिक विमानों और 25,000 से अधिक कर्मियों का EX RIMPAC में भाग लेने का लक्ष्य है।
- यह समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- यह अभ्यास सहयोगी विदेशी नौसेनाओं के लिए एक साथ अभ्यास करने, आपस में बेहतर तालमेल बिठाने, समुद्री रणनीति पर साझेदारी बनाने और भरोसा अच्छे करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

जिमेक्स-24

द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2024 (JIMEX 24) जापान के योकोसुका में प्रारंभ हुआ।

संबंधित तथ्य

- 2012 में अपनी स्थापना के बाद से यह जिमेक्स का आठवाँ संस्करण है।
- भारतीय नौसेना (IN) का प्रतिनिधित्व INS शिवालिक द्वारा किया जा रहा है और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल विध्वंसक JS युगिरी द्वारा किया जा रहा है।
- यह एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर प्रदान करता है और भारत एवं जापान के बीच परिचालन संबंधी बातचीत को सुविधाजनक बनाता है।
- यह अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।

भारत और जापान के बीच अन्य अभ्यास

- **धर्म गार्जियन:** भारतीय सेना (IA) और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (JGSDF) के बीच द्विपक्षीय अभ्यास।
- **वीर गार्जियन:** भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान वायु आत्मरक्षा बल (JASDF) के बीच द्विपक्षीय अभ्यास।
- **मालाबार अभ्यास:** भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बहुपक्षीय अभ्यास।

कारगिल युद्ध विजय की 25वीं वर्षगांठ

कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, भारतीय सेना की एक टीम ने धनुषकोड़ी (तमिलनाडु) से द्रास (केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख) तक एक अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान प्रारंभ किया।

संबंधित तथ्य

- कारगिल युद्ध, जो मई से जुलाई 1999 तक कारगिल क्षेत्र और नियंत्रण रेखा (LOC) के साथ अन्य स्थानों पर लड़ा गया, भारतीय सशस्त्र बलों की दृढ़ता और बहादुरी का एक प्रमाण था।
- इसकी शुरुआत 1999 में लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद हुई, जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की शीतऋतु के दौरान खाली की गई चौकियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था।
- यह संघर्ष पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा, जो कश्मीरी उग्रवादियों के वेश में थे, नियंत्रण रेखा (LoC) के भारतीय हिस्से में सामरिक स्थानों पर घुसपैठ करने से प्रारंभ हुआ था।

- भारतीय थल सेना ने, बाद में भारतीय वायु सेना के सहयोग से, नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से के अधिकांश स्थानों पर पुनः कब्जा कर लिया।

ऑपरेशन विजय

- भारत में इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, जो इस क्षेत्र में भारतीय सैन्य अभियान का कोड नाम था।
- भारतीय वायु सेना ने LoC पर खाली भारतीय चौकियों से पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया।
  - यह दुर्गम इलाके और मौसम की चुनौतियों का सामना करते हुए साहस, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का एक अद्भुत प्रदर्शन था।

परिणाम

- यह युद्ध 26 जुलाई, 1999 को समाप्त हुआ, जो भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण जीत थी।
- ऑपरेशन विजय में जीत के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को 'कारगिल विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

SIPRI वार्षिक रिपोर्ट 2024

*SIPRI **वार्षिक पुस्तिका 2024 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है।***

परिचय:

- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, हथियार और प्रौद्योगिकी, सैन्य व्यय, हथियार उत्पादन और हथियार व्यापार, तथा सशस्त्र संघर्ष और संघर्ष प्रबंधन के साथ-साथ पारंपरिक, परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों पर नियंत्रण के प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **परमाणु शस्त्रागार:** 2024 में, नौ देशों- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास एक साथ लगभग 12121 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 9585 को संभावित रूप से परिचालन योग्य माना गया।
- **परमाणु हथियारों में कमी:** विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या में लगातार कमी आ रही है।
  - हालाँकि, यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा सेवानिवृत्त हथियारों को नष्ट करने के कारण है।
- **सक्रिय वारहेड्स:** सक्रिय वारहेड्स में वैश्विक कमी रुक गई है और बदले में उनकी संख्या में फिर से वृद्धि हो रही है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, जिनके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है, अपने परमाणु हथियारों को बदलने और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चला रहे हैं।
- चीन अपने परमाणु शस्त्रागार के महत्त्वपूर्ण आधुनिकीकरण और विस्तार के दौर से गुजर रहा है।
  - चीन ने 500 हथियारों के साथ संख्या को तीन गुना कर दिया है, जिनमें से कुछ के बारे में माना जाता है कि वे पहली बार उच्च संचालनात्मक अलर्ट पर हैं।
  - कुछ अनुमानों से पता चलता है कि चीन निकट भविष्य में कम से कम उतनी ही अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर सकता है, जितनी रूस या अमेरिका कर सकते हैं।
- भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियार भंडार का आकार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूके अपने भंडार को बढ़ाने की योजना बना रहा है।
- उत्तर कोरिया का सैन्य परमाणु कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय विषय बना हुआ है और उसने संभवतः 50 परमाणु हथियार एकत्र कर लिए हैं तथा और भी अधिक परमाणु हथियार बना सकता है।

परमाणु शस्त्रागार

देश	प्रथम परमाणु परीक्षण का वर्ष	सैन्य भंडार			सेवानिवृत्त वारहेड्स	कुल इन्वेंट्री
		तैनात	संगृहित	कुल		
यूएस	1945	1770	1938	3708	1336	5044
रूस	1949	1710	2670	4380	1200	5580
यूके	1952	120	105	225	–	225
फ्राँस	1960	280	10	290	..	290
चीन	1964	24	476	500	–	500
भारत	1974	–	172	172	..	172
पाकिस्तान	1998	–	170	170	..	170
उत्तर कोरिया	2006	–	50	50	..	50
इजराइल	..	–	90	90	..	90
कुल		3904	5681	9585	2536	12121

- इजराइल अपनी परमाणु अस्पष्टता की दीर्घकालिक नीति पर कायम है, जिसके कारण उसके परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।

भारतीय परमाणु बल

- भारत का परमाणु शस्त्रागार इस वर्ष 172 हथियारों तक पहुँच गया, जो पाकिस्तान को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, जिसके पास 170 हथियार हैं।
- भारत अपने परमाणु त्रयी के समुद्रगर्भीय हिस्से को मजबूत कर रहा है और लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास कर रहा है।
- भारत का तीसरा SSBN [परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने वाली एक परमाणु-संचालित पनडुब्बी] 2021 में लॉन्च किया गया था और चौथा 2024 में संभावित लॉन्च के लिए निर्माणाधीन है।

SIPRI

- SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो संघर्ष, शस्त्रास्त्र, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर शोध के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है।
- 1966 में स्थापित, SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।
- **अनुदान:** इसकी स्थापना स्वीडिश संसद के निर्णय के आधार पर की गई थी और इसे अपने वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा स्वीडिश सरकार से वार्षिक अनुदान के रूप में प्राप्त होता है।
  - संस्थान अपने अनुसंधान के लिए अन्य संगठनों से वित्तीय सहायता भी प्राप्त करता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण

- निरस्त्रीकरण का आशय हथियारों (विशेष रूप से आक्रामक हथियारों) को एकतरफा या पारस्परिक रूप से समाप्त करने या नष्ट करने की क्रिया है।
- यह या तो हथियारों की संख्या को कम करने या हथियारों की पूरी श्रेणियों को समाप्त करने के लिए संदर्भित हो सकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण में चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक तनाव:** परमाणु हथियारों को प्राय: संभावित शत्रुओं के विरुद्ध एक निवारक के रूप में देखा जाता है।
  - यदि देश परमाणु क्षमता रखने वाले अन्य लोगों से खतरा महसूस करते हैं, तो वे निरस्त्र करने के लिए अनिच्छुक होते हैं।
- **पारदर्शिता:** निरस्त्रीकरण समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित करना मुश्किल है।
- **प्रौद्योगिकी प्रगति:** छोटे और अधिक परिष्कृत हथियारों सहित परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति, निरस्त्रीकरण प्रयासों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- **रणनीतिक स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** देश प्राय: परमाणु हथियारों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि के रूप में देखते हैं।
  - रणनीतिक स्थिरता खोने का डर राज्यों को निरस्त्रीकरण के प्रयासों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से रोक सकता है।
- **आर्थिक और सामरिक लागत:** परमाणु हथियारों को नष्ट करने और उनकी सामग्री के प्रबंधन की प्रक्रिया महँगी और जटिल है।
- **अप्रसार संबंधी चिंताएँ:** जैसे कुछ राज्य निरस्त्रीकरण कर रहे हैं, अन्य राज्य इसे एक रणनीतिक लाभ के रूप में देख सकते हैं और परमाणु हथियार प्राप्त करने या बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं।
  - यह प्रसार के बारे में चिंता उत्पन्न कर सकता है और निरस्त्रीकरण के प्रयासों को कमजोर कर सकता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित संधियाँ

- **परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT):** 1968 में हस्ताक्षर किए गए और 1970 में लागू हुए, NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है।
  - यह विश्व को दो भागों में विभाजित करता है - परमाणु-अस्त्र संपन्न राज्य (NWS), जिन्हें संधि पर हस्ताक्षर के समय परमाणु हथियार रखने वाले के रूप में मान्यता दी गई है, तथा गैर-परमाणु-अस्त्र संपन्न राज्य (NNWS), जो परमाणु हथियार विकसित या अधिगृहित नहीं करने पर सहमत हैं।
  - संधि यह भी माँग करती है कि परमाणु हथियार संपन्न राज्य (NWS) निष्पक्षता के साथ निरस्त्रीकरण वार्ताओं को आगे बढ़ाएँ।
- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW):** संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में अपनाई गई और 2018 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई TPNW (परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि) का उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, तैनाती, हस्तांतरण उपयोग और उपयोग की धमकी को निषिद्ध करना है।
  - यह परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, हालाँकि अभी तक परमाणु-सशस्त्र संपन्न राज्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।
- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT):** 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई CTBT (व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि) का उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है।
  - यद्यपि इस संधि पर 185 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 170 ने इसका अनुसमर्थन किया है, फिर भी यह अभी तक लागू नहीं हुई है, क्योंकि परमाणु-सशस्त्र संपन्न देशों को इसे लागू करने के लिए अनुसमर्थन करना होगा।
- **बाह्य अंतरिक्ष संधि:** यह बहुपक्षीय समझौता 1967 में लागू हुआ और अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाता है।
  - परमाणु हथियार रखने वाले सभी नौ राज्य इस संधि के पक्षकार हैं।

भीष्म क्यूब

भारतीय वायु सेना ने आगरा में एयरड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है।

संबंधित तथ्य

- क्यूब एक व्यापक पहल है, जिसे प्रोजेक्ट भीष्म – भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग, हित और मैत्री के लिए – कहा जाता है, का हिस्सा है। यह पहल 200 रोगियों तक के घायलों का उपचार करने के लिए प्रारंभ की गई है।
- ये क्यूब्स मजबूत, जलरोधक और हल्के होते हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें विविध आपातकालीन परिदृश्यों के लिए आदर्श बनाते हैं।

- जनहानि की घटनाओं (MCIs) के दौरान, जिसमें बुनियादी सहायता से लेकर उन्नत चिकित्सा और सर्जरी की देखभाल शामिल है, सहायता क्यूब को केवल 12 मिनट में तैनात किया जा सकता है।
- पोर्टेबल अस्पताल में दो मास्टर क्यूब पिंजरे हैं, जिनमें से प्रत्येक में 36 छोटे क्यूब हैं।
- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण को एकीकृत करता है, ताकि क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय निगरानी और कुशल प्रबंधन को सुगम बनाया जा सके।
- यह उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से भी सुसज्जित है, जिनमें ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे मशीनें, रक्त परीक्षण उपकरण और वेंटिलेटर शामिल हैं।

मिराज 2000

भारत कतर से 12 प्रयुक्त मिराज-2000 लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है, जिससे सेवानिवृत्त हो रहे मिग लड़ाकू विमानों के बीच लड़ाकू शक्ति में वृद्धि होगी।

परिचय:

- यह चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और इसने कई दशकों तक भारतीय वायु सेना (IAF) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इसे मूल रूप से फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन किया गया था।
- भारत ने ग्वालियर वायु सेना स्टेशन पर स्थित तीन स्क्वाड्रनों का गठन करते हुए कई बार में लगभग 51 मिराज 2000 खरीदे।

मुख्य विशेषताएँ:

- **बहुमुखी प्रतिभा:** मिराज 2000 एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म है, जो हवा से हवा में युद्ध, जमीनी हमले, टोही और परमाणु हमले के मिशन में सक्षम है।
- **सटीक हमले:** कारगिल संघर्ष के दौरान, मिराज 2000 ने लेजर-निर्देशित बमों का उपयोग कर उच्च ऊँचाई पर दुश्मन के शिविरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया।
  - इसने 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसकी युद्ध प्रभावशीलता का प्रदर्शन हुआ।
- **उन्नयन:** चल रहे उन्नयन कार्यक्रम का उद्देश्य उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि 2035 तक उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके।

सूचना की अखंडता हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सूचना अखंडता के लिए वैश्विक सिद्धांतों का अनावरण किया, जो एक व्यापक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य गलत सूचना और घृणास्पद भाषण से उत्पन्न जोखिमों से निपटना है।

घृणास्पद भाषण:

- घृणास्पद भाषण को किसी भी भाषण, हाव-भाव, आचरण, लेखन या प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध हिंसा या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को उकसा सकता है या यह किसी विशेष व्यक्ति या समूह को अपमानित कर सकता है या डरा सकता है।

घृणास्पद भाषण का प्रभाव:

- यह सामाजिक समानता को क्षीण करता है क्योंकि यह ऐतिहासिक हाशिए पर होने, उत्पीड़न और भेदभाव की पुष्टि करता है।
- यह हिंसा भड़काने के कारण अपने पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षति पहुँचाने के लिए लागू किया जाता है।
- इसका उपयोग व्यक्तियों या समाज को आतंकवाद, नरसंहार, जातीय विनाश आदि के कृत्यों को करने के लिए उकसाने के लिए किया जाता है।
- यह लक्षित लोगों के विरुद्ध अफवाह फैलाने के जरिए दहशत उत्पन्न करने का एक साधन है। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर पलायन।

व्यापक अनुशंसाएँ:

- **गलत सूचना और घृणास्पद भाषण का सामना करना:** सरकारों, तकनीकी कंपनियों, विज्ञापनदाताओं और मीडिया सहित सभी हितधारकों को किसी भी उद्देश्य के लिए गलत सूचना और घृणास्पद भाषण का उपयोग, समर्थन या प्रचार करने से बचना चाहिए।
- **मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना:** सरकारों को सूचना तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए, एक स्वतंत्र, व्यवहार्य, स्वतंत्र और बहुल मीडिया परिदृश्य बनाए रखना चाहिए तथा पत्रकारों, शोधकर्ताओं एवं नागरिक समाज के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- **तकनीकी कंपनी की जिम्मेदारियों को बढ़ाना:** प्रौद्योगिकी कंपनियों को सभी उत्पादों में प्रारूपण (डिजाइन) द्वारा सुरक्षा और गोपनीयता को शामिल करना चाहिए, सभी देशों और भाषाओं में नीतियों को लगातार लागू करना चाहिए और प्राय: ऑनलाइन लक्षित समूहों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- **नैतिक AI का विकास:** AI डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल, समावेशी और पारदर्शी उपाय करने चाहिए कि AI एप्लिकेशन को नैतिक और सुरक्षित रूप से डिजाइन, तैनात और उपयोग किया जाए, जिससे मानवाधिकारों का पालन हो।
- **विज्ञापन में पारदर्शिता:** विज्ञापनदाताओं को डिजिटल विज्ञापन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की माँग करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके बजट अनजाने में गलत सूचना या घृणा का प्रसार करने वालों को धन न दें और मानवाधिकारों को कम न करें।
- **डेटा पारदर्शिता और जवाबदेही:** तकनीकी कंपनियों और AI डेवलपर्स को सार्थक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को उपयोगकर्ता की गोपनीयता का सम्मान करते हुए डेटा तक पहुँच की अनुमति देनी चाहिए, स्वतंत्र लेखा परीक्षण करना चाहिए और जवाबदेही ढाँचों का सह-विकास करना चाहिए।
- **बच्चों की सुरक्षा:** बच्चों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें सरकारें, माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएँ।

भारत में घृणास्पद भाषण पर विधि और विनियमन:

- **भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860:** इसमें घृणास्पद भाषण को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान हैं, जैसे:
  - **धारा 153A:** यह धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली कार्रवाइयों और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करने से संबंधित है।
  - **धारा 295A:** यह जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान कर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है।
  - **धारा 505:** यह वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना उत्पन्न करने या बढ़ावा देने वाले बयानों से संबंधित है)
- **दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC),1973:** यह उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी का प्रावधान करता है, जिन्होंने घृणास्पद भाषण जैसे संज्ञेय अपराध किए हैं।
- **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** यह अभद्र भाषा सहित ऑनलाइन भाषण को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों को अधिसूचित होने के 36 घंटे के अंदर विधि का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाना आवश्यक है।

न्यायालय के निर्णय:

- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):** न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया, जिसने ऑनलाइन भाषण को अपराध घोषित कर दिया था, यह कहते हुए कि यह वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **सुकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य (2019):** न्यायालय ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है।

निष्कर्ष:

- सूचना अखंडता के लिए वैश्विक सिद्धांतों का शुभारंभ डिजिटल सूचना परिदृश्य द्वारा उत्पन्न जटिल चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जो मानव अधिकारों की रक्षा और दुनिया भर में सूचना की अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट और सैद्धांतिक दृष्टिकोण की वकालत करता है।

UAPA के अंतर्गत LTTE पर प्रतिबंध

गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम** (UAPA) **न्यायाधिकरण ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम** (LTTE) **को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

परिचय:

- यह एक उग्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने की थी।
- 1983 से यह श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, ताकि श्रीलंका के तमिलों के लिए 'तमिल ईलम' या अलग देश की माँग को पूरा किया जा सके।
- भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए सेना भेजी।
  - आखिरकार, भारतीय सेना ने LTTE के साथ लड़ाई की।
- 1989 में, भारतीय शांति सेना (IPKF) अपने उद्देश्य को प्राप्त किए बिना श्रीलंका से बाहर निकल गई। श्रीलंका का संकट हिंसक बना रहा।
- हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं, विशेष रूप से नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों ने युद्धरत् समूहों को वार्तालाप के लिए वापस लाने की कोशिश की। अंत में, सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को पराजित कर दिया गया।

भारत में प्रतिबंध:

- मई 2024 में, केंद्र सरकार ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि उसका मानना है कि संगठन अभी भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
- केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा-5 के तहत गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया, ताकि यह तय किया जा सके कि लिट्टे को गैर-कानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं।
- तमिलनाडु सरकार ने भी लिट्टे पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की।

माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चौफ रॉकेट

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन** (DRDO) **ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी का माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चौफ रॉकेट** MR-MOCR **सौंपा।

परिचय:

- माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चौफ (एमओसी) जोधपुर में डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक विशिष्ट तकनीक है, जो रडार संकेतों को अस्पष्ट करती है और प्लेटफार्मों एवं परिसंपत्तियों के चारों ओर एक सूक्ष्म तरंग आवरण का निर्माण करती है, जिससे रडार द्वारा पता लगाना कठिन हो जाता है।
- जब रॉकेट छोड़ा जाता है, तब अंतरिक्ष के पर्याप्त क्षेत्र में विस्तृत एक माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट बादल बनाता है, जिसमें पर्याप्त समय तक पश्चदीप्ति होती है, जो रेडियो आवृति खोजने वाले शत्रुतापूर्ण खतरों के विरुद्ध एक प्रभावी ढाल बनाता है।

अभ्यास HOPEX

भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान फिलहाल मिस्र में होपेक्स अभ्यास के लिए मौजूद हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने अलास्का में 'रेड फ्लैग' अभ्यास पूरा किया था।

परिचय:

- HOPEX भारतीय वायु सेना (IAF) और मिस्र की वायु सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है।
- C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 टैंकर अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास का स्थान मिस्र है।

द्विपक्षीय अभ्यासों के लाभ:

- **बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता:** द्विपक्षीय अभ्यास, भाग लेने वाले देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता को सुविधाजनक बनाते हैं। ये सैनिकों को एक साथ प्रशिक्षण लेने, एक-दूसरे की रणनीति को समझने और संयुक्त अभियानों में समन्वय में सुधार करने की अनुमति देते हैं।
- **राजनयिक संबंध:** ये अभ्यास राष्ट्रों के बीच विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को मजबूत करते हैं। ये सैन्य नेताओं और राजनयिकों को वार्तालाप करने, साझा सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने तथा रणनीतिक साझेदारी बनाने के अवसर प्रदान करते हैं।
- **कौशल वृद्धि:** प्रतिभागी छद्म युद्ध परिदृश्यों, आपदा अनुक्रिया अभ्यास और अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से मूल्यवान अनुभव एवं कौशल प्राप्त करते हैं।
  - इससे मानवीय संकटों और सुरक्षा खतरों सहित वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए उनकी तत्परता और क्षमता बढ़ती है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आपसी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर, द्विपक्षीय अभ्यास संभावित हमलावरों के विरुद्ध प्रतिरोध में योगदान करते हैं।

जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल

हाल ही में, भारत और अमेरिका ने भारतीय सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों के सह-उत्पादन पर चर्चा की।

परिचय:

- जेवलिन एक प्रमुख, एकल-व्यक्ति-वहनीय, मध्यम-दूरी की मिसाइल प्रणाली है, जो "फायर-एंड-फॉरगेट" सिद्धांत पर कार्य करती है।
- यह विशेषता मिसाइल को लॉन्च के बाद स्वचालित रूप से लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की अनुमति देती है, जिससे ऑपरेटर को आश्रय लेने और जवाबी हमलों से बचने में मदद मिलती है।

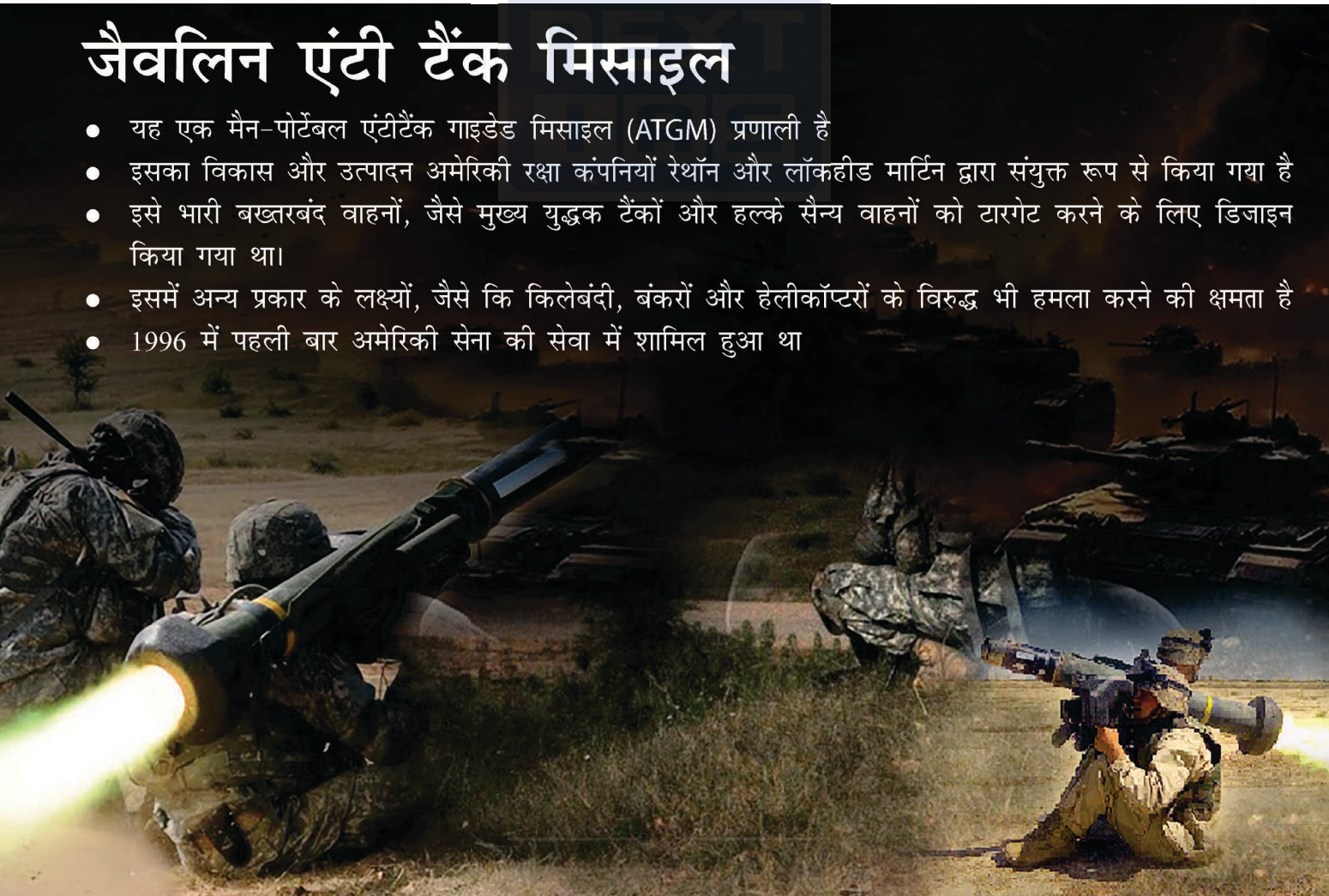

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रवाह (PraVaHa)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** (ISRO) **ने पैरेलल तछै सॉल्वर फॉर एयरोस्पेस व्हीकल एयरो-थर्मो-डायनेमिक एनालिसिस** (PraVaHa) **नामक कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनेमिक्स** (CFD) **सॉफ्टवेयर विकसित किया है।

संबंधित तथ्य

- यह प्रक्षेपण वाहनों, पंख वाले और बिना पंख वाले पुनः प्रवेश वाहनों पर बाह्य और आंतरिक प्रवाह का अनुकरण कर सकता है।
- प्रक्षेपण या पुनः प्रवेश के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय कोई भी एयरोस्पेस वाहन बाहरी दबाव और तापीय प्रवाह के मामले में गंभीर वायुगतिकीय और वायुतापीय भार के अधीन होता है।
- प्रवाह का उपयोग मानव-रेटेड प्रक्षेपण वाहनों, जैसे HLVM3, क्रीव एस्केप सिस्टम (CES) और CM के वायुगतिकीय विश्लेषण के लिए गगनयान कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर किया गया है।
- वर्तमान में, परफेक्ट गैस और रियल गैस स्थितियों के लिए वायु प्रवाह का अनुकरण करने के लिए प्रवाह कोड कार्यात्मक है।

वायरस जैसे पार्टिकल्स (VLPs)

इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी** (IAV) **के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में गैर-संक्रामक निपाह वायरस जैसे पार्टिकल** (VLPs) **उत्पन्न करने का एक नया तरीका विकसित किया है।

संबंधित तथ्य

- वैज्ञानिकों ने प्लास्मिड-आधारित अभिव्यक्ति प्रणालियों का उपयोग करके "HiBiT-टैग किए गए" निपाह वायरस जैसे- कण (NiV-VLP) उत्पन्न किए, जो NiV संरचनात्मक प्रोटीन G, F और M को एन्कोड (किसी डेटा या जानकारी को विशेष रूप में बदलना) करते हैं।
- वायरस जैसे- कण (VLPs) अणु होते हैं, जो वायरस से मिलते-जुलते हैं, लेकिन गैर-संक्रामक होते हैं क्योंकि उनमें कोई वायरल आनुवंशिक सामग्री नहीं होती है।
- NiV का जीनोम छह प्रमुख प्रोटीन को एन्कोड करता है: ग्लाइको प्रोटीन (G), फ्यूजन प्रोटीन (F), मैट्रिक्स (M), न्यूक्लियोकैप्सिड (N), लॉन्ग पॉलीमरेज (L) और फॉस्फोप्रोटीन (P)।

निपाह वायरस

- जूनोटिक वायरस निपाह अत्यधिक रोगजनक पैरामाइक्सो वायरस है, जिससे प्रभावित मनुष्यों में मृत्यु दर 80% तक होती है।
- टेरोपोडिडे परिवार के फलाहारी चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं।
- यह जानवरों (जैसे चमगादड़ या सूअर) या दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्यों में फैल सकता है और सीधे मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है।

रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज एंजाइम

हाल ही में, यह देखा गया है, कि रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज ने** SARS-CoV-2 **वायरस से संबंधित नैदानिक परीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संबंधित तथ्य

- यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो सिंगल-स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में ट्रांसक्राइब करता है।
- यह डबल हेलिक्स डीएनए को संश्लेषित करने में सक्षम है, जब आरएनए को पहले चरण में सिंगल-स्ट्रैंड डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्राइब किया जाता है।
- 1970 के दशक में, रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज एंजाइम ने 'सेंट्रल डोगमा' को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि वंशानुगत जानकारी केवल डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन में प्रवाहित होती है और दिखाया कि आरएनए डीएनए को 'जन्म' दे सकता है।
- चिकित्सक आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें किसी दिए गए नमूने में वायरल सामग्री की मात्रा का अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है।

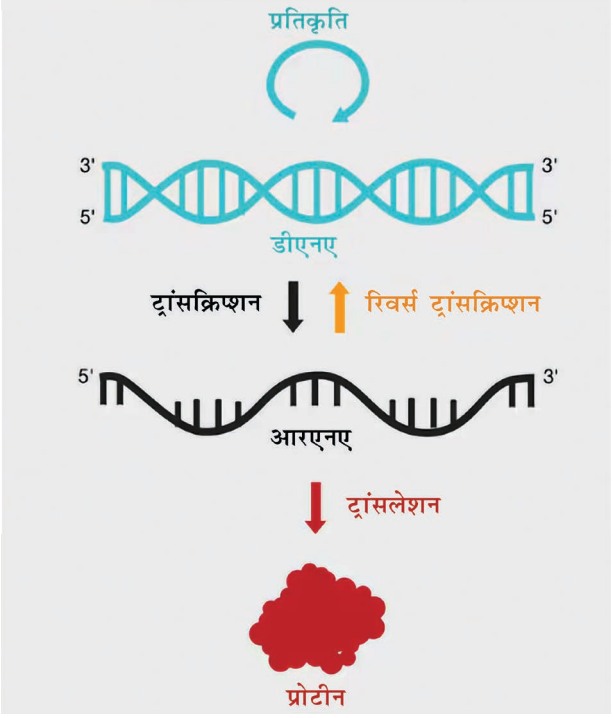

अनुप्रयोग:

- आणविक जीवविज्ञान अनुसंधान
  - कोशिकाएँ रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज का उपयोग करके आरएनए से डीएनए प्रतियाँ बना सकती हैं।
  - शोधकर्ता अब मैसेंजर आरएनए को डीएनए टुकड़ों में रिवर्स-ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, उस डीएनए को बैक्टीरियल वैक्टर में क्लोन कर सकते हैं और संबंधित जीन के कार्य का अध्ययन कर सकते हैं।
- **निदान में**
  - चिकित्सकों ने निदान में आरएनए-टू-डीएनए रूपांतरण के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज का उपयोग किया, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV), तथा मानव अंतर्जात रेट्रोवायरस और न्यूरोसाइकिएट्रिक रोगों सहित आरएनए वायरस के लिए।
  - **कोविड-19 परीक्षण:** कोविड-19 महामारी के दौरान, SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए विश्वसनीय नैदानिक परीक्षण विकसित करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज महत्त्वपूर्ण हो गया।
    - ये परीक्षण वायरस के प्रसार को ट्रैक करने, निगरानी प्रयासों को सक्षम करने और वैक्सीन विकास को सुविधाजनक बनाने में सहायक रहे हैं।
- **क्लेबसिएला न्यूमोनिया:** हाल के शोध से पता चला है कि बैक्टीरिया क्लेबसिएला न्यूमोनिया बैक्टीरियोफेज संक्रमण से निपटने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज का उपयोग करता है।
  - बैक्टीरियोफेज द्वारा संक्रमित होने पर, के. न्यूमोनिया रिवर्स ट्रांसक्रिपटेज को बाँधने के लिए विशिष्ट रूपांकनों के साथ गैर-कोडिंग आरएनए का उपयोग करता है।
  - यह नियो नामक प्रोटीन के जीन युक्त डीएनए प्रतियाँ बनाता है।
  - नियो प्रोटीन जीवाणु कोशिका को प्रसुप्त अवस्था में डाल देता है, जिससे प्रतिकृति अवरुद्ध हो जाती है और जीवाणुभोजी को उसके मार्ग में ही रोक दिया जाता है।

वैश्विक खाद्य मानक निर्धारण में परमाणु तकनीकों की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के महानिदेशक ने इस बात पर बल दिया कि विज्ञान आधारित खाद्य मानक निर्धारित करने में परमाणु तकनीकें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

वैश्विक खाद्य मानक निर्धारित करने में परमाणु तकनीकों की भूमिका

- **रोगजनक का पता लगाना:** पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) और रेडियोलेबल जाँच जैसे तरीकों का उपयोग भोजन में रोगजनकों का पता लगाने और उनकी विशेषता बताने के लिए किया जाता है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR):** स्थिर आइसोटोप और आणविक/जीनोमिक तकनीकें पालतू जानवरों के पर्यावरण के नमूनों में संभावित रोगाणुरोधी प्रतिरोध का पता लगाने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।
- **खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखना:** गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन किरणों और एक्स-रे का उपयोग करने वाली परमाणु तकनीकें रोगजनकों को कम करने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करती हैं।
- **फाइटोसैनिटरी अनुप्रयोग:** विकिरण कीट क्वारंटाइन आवश्यकताओं को पूरा करता है, यह सुनिश्चित कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मानक निर्धारित करता है कि कृषि उत्पाद रासायनिक उपचार के बिना कीट-मुक्त हैं।
- **उत्पत्ति और प्रामाणिकता का सत्यापन:** स्थिर आइसोटोप अनुपात विश्लेषण (SIRA) और ट्रेस तत्व विश्लेषण जैसी तकनीकें भोजन की भौगोलिक उत्पत्ति और उत्पादन विधियों को सत्यापित करने में मदद करती हैं।
- **स्क्रीनिंग परीक्षण और पता लगाने की क्षमता:** परमाणु तकनीक दूषित पदार्थों के लिए तेज, क्षेत्र-तैनाती योग्य स्क्रीनिंग परीक्षण और दूषित उत्पादों की उत्पत्ति का पता लगाने के तरीके प्रदान करती हैं।

लाभ

- **प्रमाणन और लेबलिंग कार्यक्रम:** प्रामाणिक खाद्य उत्पादों को प्रमाणित और लेबल कर पारदर्शिता और उपभोक्ता विश्वास को प्रोत्साहित करता है।
- **फाइटोसैनिटरी अनुप्रयोग:** रासायनिक उपचार के बिना कृषि उत्पादों में कीटों को निष्फल कर अंतर्राष्ट्रीय कीट क्वारंटाइन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।
- **प्रयोगशाला क्षमता:** परमाणु तकनीक जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते संदूषण स्वरूप की पहचान करने और प्रतिक्रिया करने के लिए प्रयोगशाला क्षमताओं को बढ़ाती है, लचीले खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के लिए मानक निर्धारित करती है।

भारत में प्रयुक्त विकिरण प्रौद्योगिकियाँ

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में किए गए अनुसंधान एवं विकास के आधार पर दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किए गए;
- पहला कृषक, लासलगाँव, नासिक, महाराष्ट्र में अवस्थित है, जो कि कम मात्रा विकिरण उपचार के लिए प्रयोगरत् है, ताकि ताजे उत्पादों (जैसे आम) के अंकुरण अवरोध और क्वारंटाइन उपचार की देखभाल की जा सके।
- दूसरा वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में (विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र, RPP) अवस्थित है, जो कि उत्पादों (जैसे मसाले, हर्बल उत्पाद और पशु आहार) के सूक्ष्मजीवी परिशोधन के उद्देश्य से उच्च मात्रा विकिरण के लिए प्रयोगरत् है।

आगे की राह

- परमाणु प्रौद्योगिकियाँ भूख से लड़ने, कुपोषण को कम करने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी और प्रायः अद्वितीय समाधान प्रदान करती हैं।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के पास सदस्य देशों को इन प्रौद्योगिकियों का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी है।
- परमाणु तकनीकों का उपयोग प्रक्रियाओं को विकसित करने और खाद्य मानकों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय निकाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस के साथ जुड़ने के लिए भी किया जाता है।

हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म

भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने जा रहा है, जिनके पास अपने खुद के लंबी उड़ान वाले, हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म (HAP) हैं।

संबंधित तथ्य

- HAP एक मानव रहित हवाई वाहन है। HAP सामान्यत: धरती से 18-20 किलोमीटर की ऊँचाई पर संचालित होता है, जिससे सभी हवाई यातायात और मौसम की समस्याएँ दूर रहती हैं और ड्रोन की तुलना में यह ज्यादा समय तक वहाँ रहने के लिए सुसज्जित है।
- NAL द्वारा विकसित HAP को 90 दिनों तक हवा में रहने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।
- **अनुप्रयोग:** निगरानी, नागरिक और सामरिक दोनों उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के नीचे की छवि बनाना।
- **सैटेलाइट बनाम HAPs:** एक सैटेलाइट में बहुत अधिक क्षमताएँ हो सकती हैं और वह वहाँ वर्षों तक रह सकता है, इसलिए HAPs सैटेलाइट की जगह नहीं लेंगे बल्कि उन्हें पूरक बनाएँगे।
- सैटेलाइट को अपनी कक्षीय उड़ान के लिए विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा ऐसा करता है। लेकिन HAP को ऑन-बोर्ड ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ कुछ प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होती है।

महत्त्व

- वायुमंडल में सबसे लंबे समय तक संभव मिशन और सैटेलाइट के बाद सबसे अधिक उपलब्ध ऊँचाई के कारण, HAP सबसे प्रभावी संचार और निगरानी उपकरण हैं।
- पिछले परीक्षण की तुलना में कम लागत वाले विकल्प होने के अलावा HAPs कई अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि कई उपयोग, मिशन पेलोड को बनाए रखने या अपग्रेड करने की संभावना।
- HAPs अंतरिक्ष वाहनों के समान दृष्टिकोण जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग और अत्याधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो निकट अंतरिक्ष की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं।

तृष्णा मिशन

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने उच्च-रिजॉल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन (तृष्णा) मिशन के लिए इंडो-फ्रेंच थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट पर विवरण प्रदान किया।

संबंधित तथ्य

- यह इसरो और फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी CNES के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- इसे क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर सतही ऊर्जा बजट के लिए पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, जैव-भौतिकीय और विकिरण चर की उच्च स्थानिक और उच्च लौकिक रिजॉल्यूशन निगरानी प्रदान करने के लिए निर्माण किया गया है।

उद्देश्य

- स्थलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने तथा तटीय और अंतर्देशीय जल में जल गुणवत्ता एवं गतिशीलता के उच्च-रिजॉल्यूशन अवलोकन के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल के ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी।
- यह महत्त्वपूर्ण जल और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करता है, जो मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और वाष्पोत्सर्जन निगरानी के माध्यम से कुशल जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका उद्देश्य शहरी ऊष्मा द्वीपों के व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधि और भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय विसंगतियों का पता लगाने और बर्फ पिघलने वाले अपवाह तथा ग्लेशियर की गतिशीलता की सटीक निगरानी में मदद करना है।
- इसका उद्देश्य एरोसोल ऑप्टिकल गहराई, वायुमंडलीय जल वाष्प और बादल कवर पर मूल्यवान डेटा प्रदान करना है।
- जलवायु निगरानी के लिए, इसका उद्देश्य सूखे, पर्माफ्रॉस्ट परिवर्तन और वाष्पोत्सर्जन दर जैसे प्रमुख संकेतकों को ट्रैक करना है।

जाइलिटोल (EXYLITOL)

हाल ही में, किए गए अध्ययन में पाया किया गया है कि लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर जाइलिटोल दिल के दौरे और स्ट्रोक सहित उच्च हृदय संबंधी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। 2023 में, अध्ययन में एरिथ्रिटोल नामक एक अन्य कम कैलोरी वाले स्वीटनर के लिए समान परिणाम मिले।

संबंधित तथ्य

- जाइलिटोल एक प्राकृतिक चीनी अल्कोहल है जो पौधों में पाया जाता है, जिसमें कई फल और सब्जियाँ शामिल हैं। इसका स्वाद मीठा होता है और इसे प्राय: चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- जाइलिटोल एक सफेद एल्कोहॉल ठोस पदार्थ है, जो जल में घुलनशील होता है। कृत्रिम स्वीटनर का प्रयोग आमतौर पर टूथपेस्ट और शुगर-फ्री च्युइंगगम में किया जाता है।
- इसे प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है।

डोननेमैब: अल्जाइमर की एक नई दवा

FDA ***ने सर्वसम्मति से मतदान किया कि अल्जाइमर रोग के उपचार में डोननेमैब के लाभ, जोखिमों से अधिक हैं।***

डोननेमैब

- एली लिली द्वारा बनाई गई दवा एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो मस्तिष्क में एमिलॉयड बीटा प्रोटीन प्लेक को लक्षित करती है, जो अल्जाइमर रोग की परिभाषित विशेषताओं में से एक है।
- डोननेमैब का उद्देश्य इन प्लाकों को हटाना और रोग की प्रगति को धीमा करना है। हालाँकि, इसके साइड इफेक्ट भी हैं जैसे कि मस्तिष्क में सूजन या रक्तस्राव।

- FDA द्वारा स्वीकृत अन्य समान एमिलॉयड-विरोधी दवाएँ लेकेम्बी और बायोजेन हैं।

अल्जाइमर रोग

- अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है।
- भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों में से अनुमानित 7.4% डिमेंशिया से पीड़ित हैं, जो लगभग 8.8 मिलियन व्यक्तियों के बराबर है।
- यह मुख्य रूप से मस्तिष्क को लक्षित करता है, जिससे कई प्रकार के दुर्बल करने वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो स्मृति, अनुभूति, व्यवहार और समग्र दैनिक कामकाज को प्रभावित करते हैं।
- अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का प्रमुख कारण है, जो 60-80% मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह व्यक्तियों, परिवारों और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर एक महत्त्वपूर्ण बोझ डालता है।
- वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, ऐसे कई उपचार विकल्प उपलब्ध हैं जो लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं।

पुष्पक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** (ISRO) **ने पुष्पक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान** (RLV LEX-03) **की लैंडिंग का तीसरी बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

परिचय:

- तीसरे प्रदर्शन वाहन को अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परखने के लिए प्रक्षेपित किया गया था - जब प्रक्षेपण वाहन के नीचे आते समय इच्छित कक्षा से विचलन की डिग्री उच्च होती है और जब अत्यधिक तीव्र पवन की स्थिति होती है।
- पुष्पक ने दूसरे प्रयोग से, बिना कोई संशोधन किए पंख वाले शरीर(विंग युक्त बॉडी) और उड़ान प्रणालियों का पुनः उपयोग किया।
- वाहन कई सेंसर जैसे कि जड़त्वीय सेंसर, रडार अल्टीमीटर, स्यूडोलाइट सिस्टम (एक ग्राउंड-आधारित पोजिशनिंग सिस्टम), साथ ही साथ NaVIC उपग्रह-आधारित पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करता है।
- **महत्त्व:** लॉन्च की लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन को उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लौटने तथा हवाई जहाज की तरह रनवे पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया है।
- प्रदर्शन ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण तकनीकों में से एक को मान्य किया - अनुदैर्ध्य और पार्श्व विमान त्रुटियों को ठीक करने के लिए एक उन्नत एल्गोरिदम।

स्तन कैंसर का पता लगाने हेतु microRNAs

*CSIR-**कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र** (CCMB) **के वैज्ञानिकों ने रक्त की एक बूँद से विभिन्न प्रकार के स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए संभावित रूप से लागत प्रभावी और गैर-आक्रामक विधि की पहचान की है।***

परिचय:

- **माइक्रोआरएनए (miRNAs):** शरीर में अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाएँ miRNA अणुओं द्वारा विनियमित होती हैं, जो 23-25 बेस छोटे गैर-कोडिंग RNA अणु होते हैं।
  - शोधकर्ताओं ने मानव कैंसर के नमूनों में माइक्रोआरएनए हस्ताक्षरों का विश्लेषण किया है और आक्रामक स्तन कैंसर से जुड़े miRNA की पहचान की है।
  - 107 आक्रामक डक्टल कार्सिनोमा के विभिन्न प्रकारों, ग्रेडों और चरणों के स्तरीकरण के लिए संभावित बायोमार्कर बनने के लिए योग्य हैं।
- **बायोमार्कर:** कैंसर कोशिकाएँ डीएनए/आरएनए को 'सर्कुलेटिंग न्यूक्लिक अम्ल (CNAs)' नामक परिसंचरण में पहुँचाती हैं और ये कैंसर के विकास के शुरुआती चरणों की पहचान करने के लिए कैंसर रोगियों के प्लाज्मा या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पता लगाने योग्य होती हैं।
  - इस सिद्धांत के आधार पर, पहचाने गए बायोमार्कर को एक तरल बायोप्सी प्रणाली में बनाया जा सकता है, जहाँ रक्त की एक बूँद से कैंसर का पता लगाया जा सकता है।
- **महत्त्व:** इस अध्ययन ने बायोमार्कर के रूप में miRNAs के अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया है और स्तन कैंसर के निदान में एक परिष्कृत, लागत प्रभावी और गैर-आक्रामक विधि विकसित करने में नए रास्ते प्रशस्त करेगा।
  - कैंसर का शीघ्र पता लगाने, वर्गीकरण और निगरानी के लिए बायोमार्कर की खोज आवश्यक हो गई है।

भाड़े के साइबर योद्धा

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव ने डिजिटल उपकरणों के हथियारीकरण में वृद्धि के बीच 'भाड़े के साइबर योद्धाओं' के बारे में चेतावनी दी थी।

परिचय:

- इस बात की चिंता बढ़ रही है कि साइबरस्पेस को नियंत्रित करने की सरकार की क्षमता तथाकथित 'भाड़े के साइबर योद्धाओं' की गतिविधियों से प्रभावित हो रही है - या निजी संस्थाएँ जो आक्रामक साइबर क्षमताओं को बनाने, बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए समर्पित हैं और जो नेटवर्क, कंप्यूटर, फोन या इंटरनेट से जुड़े उपकरणों पर जासूसी करने में सक्षम हैं।
- इस बढ़ते क्षेत्र का वर्णन करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 'भाड़े के साइबर योद्धाओं', 'सेवा के रूप में घुसपैठ', 'किराए पर निगरानी' या केवल 'निजी क्षेत्र के आक्रामक अभिकर्ता' शामिल हैं।

मुख्य खतरे:

- **साइबरस्पेस में दुर्भावनापूर्ण गतिविधि:** राज्य और गैर-राज्य दोनों ही अभिकर्ता दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों में संलग्न हैं। स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रायः उल्लंघन किया जाता है और आपराधिक संगठन, "भाड़े के साइबर योद्धाओं" के साथ मिलकर लगातार अवैध कार्य करते हैं।

- **धुंधली रेखाएँ:** नागरिक "हैक्टिविस्ट" लड़ाकों और नागरिकों के बीच की रेखा को तीव्रता से धुंधला कर रहे हैं। उनका व्यवहार ऑनलाइन भय और विभाजन को बढ़ावा देती हैं।
- **नई कमजोरियाँ:** डिजिटल उपकरणों को हथियार प्रणालियों के साथ एकीकृत करने से नई कमजोरियाँ उत्पन्न होती हैं। परिष्कृत मैलवेयर का प्रसार होता है, और AI-सक्षम साइबर ऑपरेशन खतरे को बढ़ाते हैं।
- **रैनसमवेयर:** रैनसमवेयर, एक महत्त्वपूर्ण खतरा है, जो सार्वजनिक और निजी संस्थानों, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालता है। 2023 में, कुल रैनसमवेयर भुगतान 1.1 बिलियन तक पहुँच गया।

प्रभाव और चुनौतियाँ:

- **विश्वास को कम करना:** दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियाँ विश्वास को कम करती हैं, सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर करती हैं और चुनावी प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं। वे हिंसा और संघर्ष के बीज बोते हैं।
- **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र:** दोनों क्षेत्रों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकारों को नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए, जबकि व्यवसायों को अपने संचालन और डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए।

रोग निदान हेतु मल्टी-ओमिक्स दृष्टिकोण

पिछले दशक में भारत में जीनोमिक्स के उपयोग में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

परिचय:

- तपेदिक के पुराने संकट से लेकर कैंसर, बच्चों में दुर्लभ आनुवंशिक विकार और यहाँ तक कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध तक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करने के लिए नए डेटासेट बनाने के प्रयास चल रहे हैं।
- शोधकर्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग कर और प्रोटीन (प्रोटिओमिक्स), कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति (ट्रांसक्रिप्टोमिक्स) और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले रासायनिक परिवर्तनों (एपिजेनोमिक्स) पर अन्य व्यापक डेटासेट के साथ उनकी सामग्री को जोड़कर रोगों से निपटने के लिए 'मल्टी-ओमिक्स' दृष्टिकोण विकसित करने में इनसे अधिक निष्कर्ष निकालने में सक्षम रहे हैं।

रोग-विशिष्ट प्रयास:

- **तपेदिक:** भारतीय तपेदिक जीनोमिक निगरानी संघ (InTGS) में तपेदिक के लिए आठ राज्यों को कवर करने वाली 10 रिपोर्ट इंडिया साइटें शामिल हैं, जिसका लक्ष्य सक्रिय रोगियों से लगभग 32,000 तपेदिक नैदानिक उपभेदों को अनुक्रमित करना और भारत में नैदानिक माइकोबैक्टीरियम तपेदिक उपभेदों का एक केंद्रीकृत जैविक भंडार विकसित करना है।
  - लक्ष्यों में आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण, उत्परिवर्तनों को दवा प्रतिरोध के साथ सहसंबंधित करना और उपचार परिणामों को अनुकूलित करना शामिल है।
- **दुर्लभ आनुवंशिक विकार:** भारत ने बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक विकारों (PRaGeD) के लिए एक अखिल-देशीय मिशन भी प्रारंभ किया है।
  - मिशन PRaGeD जागरूकता उत्पन्न करने, आनुवंशिक निदान करने, नए जीन या वेरिएंट की खोज करने और उनकी विशेषताएँ बताने, परामर्श प्रदान करने और भारत के बच्चों को प्रभावित करने वाली दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए नई चिकित्सा विकसित करने की योजना बना रहा है।
  - बाल चिकित्सा दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए आनुवंशिक निदान, नए जीन की खोज और चिकित्सा विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - आनुवंशिक विश्लेषण और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए IndiGen से डेटा एकीकृत करता है।
- **कैंसर:** भारतीय कैंसर जीनोम कंसोर्टियम (ICGC-भारत), बड़े अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जीनोम कंसोर्टियम (ICGC) का भाग है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है, जो भारतीय रोगियों में विभिन्न प्रकार के कैंसर में जीनोमिक असामान्यताओं को चिह्नित करने और जनसंख्या-विशिष्ट आनुवंशिक विविधताओं की पहचान करने की योजना बना रहा है, जो कैंसर के जोखिम और उपचार प्रतिक्रिया से जुड़े हैं।
  - इसका उद्देश्य जनसंख्या-व्यापी जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से बायोमार्कर, उपचार लक्ष्यों की पहचान करना और उपचार रणनीतियों को वैयक्तिकृत करना है।
  - भारतीय कैंसर जीनोम एटलस परियोजना, एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक-निजी-परोपकारी पहल, भारत में प्रचलित विभिन्न कैंसर प्रकारों में जीनोमिक परिवर्तनों की एक व्यापक सूची बनाने का प्रयास कर रही है।
- **रोगाणुरोधी प्रतिरोध:** जीनोमिक्स और मेटाजीनोमिक्स का उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से तपेदिक जैसे धीमी गति से बढ़ने वाले रोगाणुओं में।
  - प्रयोगशाला संवर्धन की आवश्यकता के बिना प्रतिरोध प्रोफाइल की पहचान कर लक्षित एंटीबायोटिक उपचारों की सुविधा प्रदान करता है।

अन्य विकास

- जनवरी 2024 में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 'जीनोम इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत 99 जातीय समूहों से 10,000 जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया।
  - इस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य भारतीय लोगों के लिए एक संदर्भ जीनोम विकसित करना है, जो कम लागत वाले निदान और अनुसंधान के लिए जीनोम-व्यापी और रोग-विशिष्ट 'जेनेटिक चिप्स' को डिजाइन करने में मदद करेगा।
- अक्टूबर 2020 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने कथित तौर पर छह महीनों में भारत में विविध जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1,008 व्यक्तियों के पूरे जीनोम का अनुक्रमण किया था।
  - यह प्रयास 'इंडीजेन' नामक मिशन का हिस्सा था - एक पायलट डेटासेट तैयार करना, जिसके साथ शोधकर्ता आनुवंशिक रोगों की महामारी विज्ञान का विश्लेषण कर सकें और उनके लिए किफायती स्क्रीनिंग दृष्टिकोण विकसित करने, उपचार को अनुकूलित करने और प्रतिकूल घटनाओं को कम करने में मदद कर सकें।

महत्त्व:

- एआई और एमएल एल्गोरिदम रोग जोखिमों की भविष्यवाणी करने, कैंसर का प्रारंभिक पता लगाने और उपचार स्तरीकरण के लिए व्यापक जीनोमिक डेटासेट का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं।
- मल्टी-ओमिक्स दृष्टिकोण रोग की समझ और चिकित्सीय विकास को बढ़ाने के लिए जीनोमिक्स को प्रोटिओमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और एपिजेनोमिक्स के साथ एकीकृत करता है।
- एआई के तेजी से विस्तार के साथ, अब मल्टी-ओमिक्स तक पहुँच और बिग डेटा उत्पादों का तेजी से विश्लेषण करना आसान है, यहाँ तक कि केवल मानक कम्प्यूटेशनल सुविधाओं के साथ भी और मल्टी-ओमिक्स आज भारत में नैदानिक विज्ञान के क्षेत्र में एक उभरती हुई तकनीक है।

डार्क नेट या डार्क वेब

हाल ही में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी** (NTA) **को 'डार्कनेट' से एक नए खतरे का सामना करना पड़ा, जिससे कर्मचारियों को परीक्षा सुरक्षा पर संदेह हुआ।

परिचय:

- इंटरनेट को एक महासागर के रूप में सोचिए, जिसे आगे सरफेस, डार्कनेट या डार्क वेब और डीप वेब में वर्गीकृत किया गया है।

सरफेस वेब (जिसे विजिबल वेब भी कहा जाता है):

- ये ऐसी वेबसाइट होती हैं, जिन्हें सर्च इंजन आसानी से इंडेक्स और एक्सेस कर सकते हैं, और ये आम लोगों के लिए खुले हैं तथा इनमें न्यूज आर्टिकल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म तक सब कुछ शामिल है।
- उदाहरण के लिए, जब आप Google पर खोज करते हैं, तब आप सरफेस वेब को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, यह पूरे वेब का केवल 10% भाग ही है।
- सरफेस वेब के उदाहरणों में न्यूज वेबसाइट, ब्लॉग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और शैक्षिक संसाधन शामिल हैं।

डार्कनेट या डार्क वेब:

- यह इंटरनेट की एक पटल है, जो केवल विशेष सॉफ्टवेयर और ओवरले नेटवर्क के माध्यम से ही एक्सेस की जा सकती है। यह ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है जिसे जानबूझकर छिपाया जाता है, एन्क्रिप्ट किया जाता है और प्रायः गुमनाम होता है।
- उपयोगकर्ता इसे टोर (द ऑनियन राउटर) ब्राउजर जैसे उपकरण का उपयोग कर एक्सेस करते हैं, जो रिले के नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करता है।
- अधिकांश डार्क वेब पेज गुमनाम और एन्क्रिप्टेड रूप से होस्ट किए जाते हैं।
- प्रारंभ में यह सुरक्षित और गुमनाम आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया, विशेष रूप से सरकारी और सैन्य उद्देश्यों के लिए, डार्कनेट दुर्भाग्य से आपराधिक उद्यमों का पर्याय बन गया है।
  - हथियारों और नशीले पदार्थों की बिक्री सहित अवैध लेन-देन, इसके अस्पष्ट भाग में वृद्धि करते हैं।

डीप वेब:

- इसमें ऐसी सामग्री शामिल है, जिसे सर्च इंजन सूचीबद्ध नहीं कर सकते। हालाँकि यह अदृश्य नहीं है, लेकिन यह पारंपरिक सर्च इंजन के लिए दुर्गम है।
- **डीप वेब सामग्री के उदाहरणों में शामिल हैं:**
  - **पासवर्ड-संरक्षित साइटें:** ऐसी वेबसाइटें जिन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है (जैसे, ईमेल खाते, ऑनलाइन बैंकिंग)।
  - **निजी डेटाबेस:** डेटाबेस में संगृहीत जानकारी जो सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं है।
  - **आंतरिक नेटवर्क:** कंपनी इंट्रानेट, शैक्षणिक डेटाबेस और सरकार से संबंधित पृष्ठ।
  - **गतिशील सामग्री:** डेटाबेस से उपयोगकर्ता प्रश्न सूची(खोज बॉक्स या फॉर्म) के आधार पर उत्पन्न पृष्ठ।
- हालाँकि, सर्च इंजन डीप वेब को सूचीबद्ध नहीं करते हैं, फिर भी डेटा उल्लंघनों या लक्षित हमलों के माध्यम से कुछ डेटा लीक हो सकता है।

अंतरिक्ष मैत्री मिशन

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड** (NSIL) **अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

परिचय

- स्पेस मैत्री (ऑस्ट्रेलिया-भारत की प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के लिए मिशन) नामक यह मिशन, अंतरिक्ष संचालन को बढ़ावा देने के लिए स्पेस मशीन कंपनी के समर्पण को दर्शाता है।
- **साझेदारी:** स्पेस मशीन कंपनी, एक ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय इन-स्पेस सर्विसिंग फर्म, ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा NSIL के साथ एक महत्त्वपूर्ण लॉन्च सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट:** यह अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई-डिजाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान है और स्पेस मशीन कंपनी का दूसरा अंतरिक्ष यान है, जिसे NSIL 2026 में अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) द्वारा लॉन्च करने वाला है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष संचालन में मलबे के प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और स्थिरता जैसी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी अंतरिक्ष संगठनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।

स्पेस मैत्री मिशन

इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) स्पेस मैत्री मिशन के अंतर्गत ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगी।

स्पेस मैत्री मिशन

- स्पेस मैत्री (ऑस्ट्रेलिया-भारत की प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के लिए मिशन) स्पेस मशीन्स कंपनी, एक ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय इन-स्पेस सर्विसिंग फर्म और एनएसआईएल के बीच साझेदारी के माध्यम से स्थायी अंतरिक्ष संचालन को बढ़ावा देता है।
- ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान, अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई-डिजाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान है जो 2026 में भारत के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का उपयोग करेगा।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मलबा प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और अंतरिक्ष संचालन में स्थिरता सुनिश्चित करने जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है।
- ऑस्ट्रेलिया और भारत में वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी अंतरिक्ष संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- पारस्परिक तकनीकी और अनुसंधान प्रगति को बढ़ावा देना।

8 समाज

नाता प्रथा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (NHRC) **ने 'नाता प्रथा' नामक परंपरा पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

नाता प्रथा से संबंधित तथ्य

- यह एक सामाजिक बुराई है, जिसकी तुलना वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों से की जा सकती है।।
- "नाता प्रथा" के अंतर्गत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समुदायों में लड़कियों को उनके परिवार द्वारा या तो स्टाम्प पेपर पर या अन्य तरीके से शादी के नाम पर दुर्व्यापार किया जाता है, जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है।
- यह प्रथा नाबालिगों के कल्याण, अधिकारों और क्षमता को कमजोर करती है तथा लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का कारण बन सकती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA) 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- यह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें अधिनियम द्वारा जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में सम्मिलित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक: WEF

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच** (WEF) **ने वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक (2024) का 18वाँ संस्करण प्रकाशित किया।

परिचय:

- यह वार्षिक रूप से चार प्रमुख आयामों अर्थात आर्थिक भागीदारी और अवसर; शैक्षिक उपलब्धि; स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास का मूल्यांकन करता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक परिणाम:** इस संस्करण में सम्मिलित सभी 146 देशों के लिए 2024 में वैश्विक लैंगिक असमानता स्कोर 68.5% पर पहुँच गया है।
  - इसका अर्थ यह है, कि औसतन, विश्व भर में अभी भी 31.5% लैंगिक असमानता है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है।
  - विगत् वर्ष सम्मिलित 143 देशों के आँकड़ों की तुलना में, लैंगिक असमानता को कम करने में और 0.1% अंकों की प्रगति हुई है, जो 68.5% से 68.6% हो गई है।
- **समता का समय:** वर्तमान आँकड़ों के अनुसार, पूर्ण समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे, जो 2030 के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लक्ष्य से लगभग पाँच पीढ़ियाँ आगे हैं।
  - पिछले संस्करण के बाद से सार्थक, व्यापक परिवर्तन का अभाव समानता प्राप्त करने की प्रगति की दर को प्रभावी रूप से धीमा कर देता है।
- **शीर्ष प्रदर्शक:** हालांकि किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त नहीं की है, इस संस्करण में सम्मिलित 97% अर्थव्यवस्थाओं ने अपने अंतराल का 60% से अधिक भाग कम कर दिया है।
  - 2006 में 85% की तुलना में यह एक महत्त्वपूर्ण सुधार है।
  - आइसलैंड (प्रथम, 93.5%), फिनलैंड (द्वितीय, 87.5%), नॉर्वे (तृतीय, 87.5%), स्वीडन (5वाँ, 81.6%), जर्मनी (7वाँ, 81%), आयरलैंड (9वाँ, 80.2%) और स्पेन (10वाँ, 79.7%) के साथ डेढ़ दशक से सूचकांक में अग्रणी रहा है।
- फिनलैंड एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसने लैंगिक असमानता को 90% से अधिक कम कर दिया है।
- वैश्विक स्तर पर, 146 देशों के सूचकांक में सूडान अंतिम स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान तीन स्थान नीचे फिसल कर 145वें स्थान पर आ गया है।
- श्रम-बल भागीदारी में लैंगिक समानता में कुछ सुधार हुआ है। 2006 से ट्रैक की गई 101 अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार, भागीदारी दर 2023 में 63.5% से बढ़कर 2024 में 65.7% हो गई है।

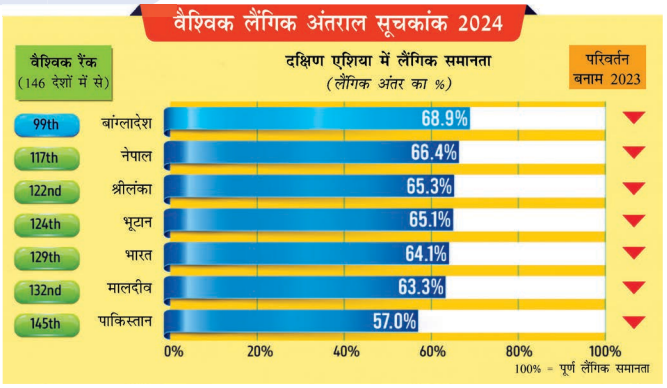

भारत का प्रदर्शन

- 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी वाले भारत ने 2024 में अपने लैंगिक असमानता का 64.1% कम कर दिया। हालाँकि, भारत मुख्य रूप से 'शैक्षिक प्राप्ति' और 'राजनीतिक सशक्तीकरण' मापदंडों में मामूली गिरावट के कारण दो स्थान फिसलकर 129वें स्थान (पिछले वर्ष 127वें स्थान पर) पर आ गया है, जबकि 'आर्थिक भागीदारी' और 'अवसर' स्कोर में थोड़ा सुधार हुआ है।
- माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने सर्वश्रेष्ठ लैंगिक समानता दिखाई।

- राजनीतिक सशक्तीकरण उप-सूचकांक में, भारत का स्थान राष्ट्राध्यक्ष सूचकांक में शीर्ष 10 में रहा, लेकिन संघीय स्तर पर, मंत्रिस्तरीय पदों (6.9%) और संसद (17.2%) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए इसके अंक अपेक्षाकृत कम रहे।
- दक्षिण एशिया में, भारत का स्थान बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद पाँचवाँ था, जबकि पाकिस्तान का अंतिम था।
- भारत बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को के साथ सबसे कम आर्थिक समानता वाले देशों में सम्मिलित है। इन सभी देशों में अनुमानित अर्जित आय में लैंगिक समानता 30% से कम दर्ज की गई।

भारत में लैंगिक असमानता

सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता

- **लिंग अनुपात:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार, भारत में समग्र लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएँ है।
  - हालाँकि, जन्म के समय लिंग अनुपात 929 पर बना हुआ है, जो जन्म के समय लिंग चयन की निरंतरता को दर्शाता है।
- **मातृ मृत्यु दर (MMR):** भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार, 2018-20 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु दर (MMR) प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 है।
- **कुपोषण:** NFHS-5 के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 18.7% महिलाएँ कुपोषित हैं, 21.2% महिलाएँ कम लम्बी हैं, और लगभग 53% महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिक) से पीड़ित हैं।
- **शिक्षा:** NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, महिलाओं में साक्षरता दर 70.3% है, जबकि पुरुषों के लिए यह लगभग 84.7% है।
- **लैंगिक आधारित हिंसा:** NCRB की 'क्राइम इन इंडिया' 2021 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। यह आँकड़ा केवल रिपोर्ट किए गए घटनाओं को दर्शाता है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।
- **बाल विवाह:** NFHS-5 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाएँ 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित थीं।

आर्थिक विषमता

- **रोजगार:** 2021-22 में PLFS (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) के अनुसार, कामकाजी उम्र (15 वर्ष और उससे ऊपर) की केवल लगभग 32.8% महिलाएँ श्रम बल में थीं।
- **अनौपचारीकीकरण:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में महिलाओं का 81.8% रोजगार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में केंद्रित है।
  - यह इंगित करता है कि भारत में अधिकांश महिला श्रमिक उच्च वेतन वाली नौकरियों में आने में सक्षम नहीं हैं।
- **मजदूरी में अंतर:** भारत में लिंगों के बीच मजदूरी का अंतर विश्व में सबसे व्यापक है। वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में औसतन महिलाओं को पुरुषों की आय का 21% भुगतान किया जाता था।

राजनीतिक विषमता

- **संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व:** वर्तमान में, सांसदों और विधायकों की कुल संख्या का लगभग 14% महिलाएँ हैं।
- **स्थानीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व:** अप्रैल 2023 के पंचायती राज मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग 46.94% महिलाएँ हैं।
  - हालाँकि, 'सरपंच-पति' संस्कृति के प्रचलन का आशय है कि यह आँकड़ा प्रभावी रूप से बहुत कम है।

वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड 12 करोड़ व्यक्तियों का विस्थापन

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 से मई 2024 तक वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड 12 करोड़ लोग बलपूर्वक विस्थापित स्थिति में रह रहे थे।

मुख्य निष्कर्ष

- **रिकॉर्ड विस्थापन:** मई 2024 तक बलपूर्वक विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 120 मिलियन हो गई, जो 2022 से लगभग 10% की वृद्धि है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 1.5% है।
- **उल्लेखनीय आँकड़े:** 2023 के अंत में 117.3 मिलियन लोगों को बलपूर्वक विस्थापित किया गया था।
  - सूडान में युद्ध के कारण दिसंबर 2023 तक 60 लाख से अधिक लोग पलायन कर गए।
  - गाजा में लगभग 1.7 मिलियन लोग, या कुल जनसंख्या का 75% से अधिक, विस्थापित हो चुके हैं।
  - फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या UNRWA के अधीन लगभग 6 मिलियन है, जिनमें से 1.6 मिलियन गाजा पट्टी में हैं।
- **वैश्विक वितरण:** सामान्य धारणा के विपरीत, 75% शरणार्थी और प्रवासी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में चले जाते हैं।
- **शरणार्थियों के आवेदन:** 2023 में सभी नए शरण आवेदन में से आधे पाँच देशों में दर्ज किए गए थे, जिनमें सबसे अधिक आवेदन (1.2 मिलियन) अमेरिका में प्राप्त हुए, इसके बाद जर्मनी (329,100), मिस्र, स्पेन और कनाडा का स्थान है।
- **कारण:** मुख्य कारणों में उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, और सार्वजनिक व्यवस्था में अव्यवस्था सम्मिलित हैं। विशेष रूप से संघर्ष एक महत्त्वपूर्ण कारक बना हुआ है, जिसमें सूडान की वर्तमान स्थिति और गाजा में युद्ध, प्रमुख विस्थापन के कारण बताए गए हैं।
- **अन्य प्रभावित क्षेत्र:** म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, हैती, सीरिया और आर्मेनिया भी विस्थापित लोगों के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु संबंधित जोखिमों का, विस्थापन प्रवृत्तियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जहाँ अत्यधिक मौसम की घटनाएँ विस्थापित जनसंख्या की कमजोरियों को बढ़ा देती हैं।

विश्व भर में विस्थापन और प्रवास के प्रभाव

- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **मानवीय संकट:** विस्थापन के कारण प्राय: लोगों को अधिक पीड़ा, जान-माल की हानि, मानसिक आघात और बुनियादी मानवाधिकारों का हनन होता है। शरणार्थियों और प्रवासियों को शोषण, दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - **आर्थिक तनाव:** मेजबान देश, विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले, बड़ी संख्या में नए लोगों के लिए पर्याप्त सेवाएँ और बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इससे सार्वजनिक संसाधनों और सामाजिक प्रणालियों पर दबाव पड़ सकता है।
  - **सामाजिक तनाव:** बड़े पैमाने पर प्रवासन कभी-कभी मेजबान समुदायों में सामाजिक तनाव, विदेशी लोगों के प्रति घृणा और भेदभाव का कारण बन सकता है। नए लोगों को एकीकृत करना एक चुनौती हो सकती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  - **राजनीतिक अस्थिरता:** विस्थापन और प्रवासन से मूल और गंतव्य दोनों देशों में राजनीतिक तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है।
- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - **आर्थिक विकास:** प्रवासी, श्रमिकों की कमी को पूरा करके, व्यवसाय शुरू करके और करों का भुगतान करके मेजबान देशों में आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।
  - **सांस्कृतिक संवर्धन:** प्रवास से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विविधता हो सकती है, जिससे समाज नए दृष्टिकोण, विचारों और परंपराओं से समृद्ध हो सकता है।
  - **कौशल और ज्ञान हस्तांतरण:** प्रवासी प्राय: मूल्यवान कौशल और ज्ञान लाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मेजबान देशों को लाभान्वित कर सकते हैं।
  - **जनसांख्यिकी संतुलन:** कुछ मामलों में, प्रवासन जनसांख्यिकीय चुनौतियों, जैसे वृद्ध होती आबादी, से निपटने में मदद कर सकता है।

संधियाँ और कार्यक्रम

- **1951 शरणार्थी सम्मेलन:** अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आधारशिला, जो यह तय करती है कि शरणार्थी कौन होता है और उन्हें कौन से अधिकार प्राप्त हैं तथा उनकी रक्षा के लिए देशों के दायित्वों को भी बताती है।
- **शरणार्थियों पर वैश्विक समझौता (GCR):** शरणार्थी संकटों से निपटने में विभिन्न देशों के बीच उत्तरदायित्व को समान और निर्धारित विधि से बाँटने की रूपरेखा।
- **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौता (GCM):** यह एक गैर-बाध्यकारी समझौता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर सहयोग में सुधार करना है।
- **UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त):** विश्व भर में शरणार्थियों की रक्षा और सहायता के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी।
- **IOM (अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन):** संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो सरकारों और प्रवासियों को प्रवासन पर सेवाएँ और सलाह प्रदान करती है।

आगे की राह

- **संघर्ष निवारण और समाधान:** विस्थापन के मूल कारणों, जैसे संघर्ष, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन को संबोधित करना, भविष्य के संकटों को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **मानवीय सहायता:** विस्थापित जनसंख्या को तत्काल सहायता प्रदान करना, जिसमें भोजन, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सम्मिलित है, जीवन बचाने और पीड़ा को कम करने के लिए आवश्यक है।
- **सतत् विकास:** मूल देशों में विकास कार्यक्रमों में निवेश करने से आर्थिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं और जीवन स्थितियों में सुधार हो सकता है, जिससे लोगों को पलायन करने के लिए प्रोत्साहन कम हो सकता है।
- **विधिक मार्ग और संरक्षण:** प्रवास के लिए विधिक रास्ते, जैसे कि पुनर्वास कार्यक्रम और कार्य वीजा, का विस्तार करके अनियमित प्रवास के लिए सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित विकल्प प्रदान किए जा सकते हैं। शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए विधिक सुरक्षा को मजबूत करना भी महत्त्वपूर्ण है।

स्कूल इन ए बॉक्स पहल

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** (ASDMA) **यूनिसेफ के सहयोग से बाढ़ प्रभावित राहत शिविरों में 6-18 वर्ष के बच्चों को "स्कूल इन ए बॉक्स" किट उपलब्ध करा रहा है।

संबंधित तथ्य

- इन किटों में शिक्षण सामग्री होती है, जो विस्थापन और आघात के बावजूद शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- यह पहल असम में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन की प्रतिक्रिया स्वरूप है, जिसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों पर विस्थापन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करना है।
- यह कार्यक्रम प्रारंभ में 6 वर्ष तक के बच्चों पर केंद्रित था, लेकिन अब इसमें बड़े बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें नोटबुक, ड्राइंग बुक, पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान की गई है।

लाभ

- **बच्चों की शैक्षिक निरंतरता:** यह सुनिश्चित किया जाता है कि विस्थापन के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और सामान्य स्थिति बनाए रख सकें।
- **विकासात्मक सहायता:** शिक्षण सामग्री विभिन्न आयु समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा आयु-उपयुक्त शैक्षिक गतिविधियों को सुनिश्चित करती है, जो संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास को समर्थन प्रदान करती हैं।
- **अधिकारिता:** बच्चों को ज्ञान और कौशल से लैस करने से उन्हें आपदा के बाद अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण करने में बल मिलता है।
- **सामुदायिक भवन:** यह पहल राहत शिविरों में बच्चों और परिवारों के बीच समुदाय की भावना और समर्थन को बढ़ावा दे सकती है, जिससे उन्हें जुड़ने और अनुभवों को साझा करने में मदद मिल सकती है।

- **सहनशील बनाना:** शैक्षिक निरंतरता सुनिश्चित करके, यह पहल ऐसे लचीले समुदायों के निर्माण में योगदान देती है, जो भविष्य की आपदाओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकें और उनसे निकल सकें।
- **सकारात्मक प्रभाव:** यह पहल बाल कल्याण और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा राहत प्रयासों के प्रति सकारात्मक सार्वजनिक धारणा और समर्थन में योगदान देती है।

सरोगेसी में मातृत्व अवकाश

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) नियम, 2024 को सरोगेसी के मामले में मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया गया है।

सरोगेसी के मामले में मातृत्व अवकाश: नवीनतम घटनाक्रम

- **सरोगेट माताओं के लिए मातृत्व अवकाश:** केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को अद्यतन किया गया है, ताकि सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली 'कमीशनिंग माताओं' को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सके।
  - अब यह दो से कम जीवित बच्चों वाली माताओं को भी बाल देखभाल अवकाश प्रदान कर रहा है।
  - अब सरोगेट माँ और कमीशनिंग माँ दोनों 180 दिनों का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी।
- यह प्रावधान तभी लागू होगा, जब उनमें से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों।
- **कमीशनिंग पिताओं के लिए पितृत्व अवकाश:** कमीशनिंग पिता, जो एक पुरुष सरकारी कर्मचारी है और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को बच्चे के जन्म के समय से छह माह के अंदर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
- **बाल देखभाल अवकाश:** वर्तमान नियमों के तहत संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए बाल देखभाल अवकाश की अनुमति है।
  - यह अवकाश महिला सरकारी कर्मचारियों और अविवाहित पुरुष सरकारी कर्मचारियों को उनके दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल, शिक्षा, बीमारी और अन्य आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- **"सरोगेट माँ"** का तात्पर्य उस महिला से है, जो कमीशनिंग माँ की ओर से बच्चे को जन्म देती है।
- कार्मिक मंत्रालय ने संशोधित नियमों में स्पष्ट किया है कि **"कमीशनिंग पिता"** का तात्पर्य सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के इच्छुक पिता से होगा।
- **"कमीशनिंग माँ"** का तात्पर्य सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे की इच्छित माता होता है।

महत्त्व और आवश्यकता

- पहले मातृत्व अवकाश सिर्फ उन्हीं माताओं को मिलता था, जो स्वयं बच्चे को जन्म देती थीं। लेकिन अब समाज बदल रहा है और परिवारों की संरचना भी अलग हो रही है। इसलिए अब कुछ मामलों में ऐसी माताओं को भी मातृत्व अवकाश दिया जाता है जो स्वयं बच्चे को जन्म नहीं देतीं।
- संशोधित नियमों में सरोगेसी से जुड़ी विशिष्ट परिस्थितियों को मान्यता दी गई है तथा इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य प्रसव के समय की महत्त्वपूर्ण अवधि के दौरान माताओं को सहायता प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना तथा नवजात शिशुओं के साथ उनके संबंध को सुदृढ़ बनाना है।
- यह सिविल सेवा क्षेत्र में लचीलापन बढ़ाने, कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने तथा कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

चुनौतियाँ

- हालाँकि, सरकार ने सरोगेसी व्यवस्था में मातृत्व अवकाश प्रावधान की आवश्यकता को स्वीकार करना आरंभ कर दिया है, फिर भी विभिन्न अधिकार क्षेत्रों या संगठनों के मध्य अस्पष्टता या अलग-अलग व्याख्याएँ हो सकती हैं।
- एक चिंता का विषय यह है कि सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली महिलाओं को कार्यस्थल पर संभावित भेदभाव या आक्षेप का सामना करना पड़ सकता है।
- सरोगेसी के लिए मातृत्व अवकाश के प्रशासन में व्यावहारिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- दस्तावेजों की आवश्यकताएँ, जैसे कि सरोगेसी व्यवस्था का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र, भिन्न हो सकती हैं और हमेशा वर्तमान अवकाश नीतियों के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं।

संबंधित अन्य कानून

- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने जैविक माताओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा दी।
  - इसने पहली बार दत्तक माता को मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया।
  - संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 5 को संशोधित किया गया, जिससे जैविक माताओं को प्रसव के बाद 26 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिल सकेगा, जो पहले केवल 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार थीं।
  - धारा 5 (4) में यह भी जोड़ा गया है कि तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाली सरोगेट या गोद लेने वाली माताएँ बच्चे को मां को सौंपने की तिथि से 12 सप्ताह की मातृत्व लाभ अवधि की पात्र होंगी।
- उल्लेखनीय बात यह है कि तीन महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को इस तरह के मातृत्व अवकाश की पात्रता नहीं है।

निष्कर्ष

- सरोगेसी के मामलों में मातृत्व अवकाश अलग चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिनके प्रभावी समाधान के लिए गहन विचार और सक्रिय उपाय की आवश्यकता होती है।
- कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करके, मजबूत भावनात्मक समर्थन प्रदान करके, भेदभाव का मुकाबला करके, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देकर, हितधारक एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं, जहाँ सभी माताओं को, चाहे उनके प्रसव का उपाय कुछ भी हो, आवश्यक समर्थन और मान्यता मिले, जिसकी वे पात्र हैं।
- अंततः, आधुनिक समाज में पारिवारिक गतिशीलता और प्रजनन अधिकारों के उभरते परिदृश्य को समझने के लिए समावेशिता और समझ को बढ़ावा देना आवश्यक है।

9 संस्कृति एवं इतिहास

अहिल्याबाई होल्कर

हाल ही में, क्रांतिकारी, रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती मनाई गई।

अहिल्याबाई होल्कर (1725 - 1795) से संबंधित तथ्य-

- **प्रारंभिक जीवन:** इनका जन्म 1725 ई० में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड के चौड़ी ग्राम में हुआ।
- 1754 में कुंभेर के युद्ध में अपने पति खाण्डे राव होल्कर की मृत्यु और बाद में अपने ससुर और बेटे की मृत्यु के पश्चात्, अहिल्याबाई ने स्वयं मालवा में होल्कर राजवंश को संभाला।
- उनको **पुण्यश्लोक** के रूप में जाना जाता है। पुण्यश्लोक वे शासक हैं, जिन्होंने लोगों को सभी प्रकार के अभावों से मुक्त किया।

प्रशासन

- 1795 तक के अपने शासनकाल के दौरान, उन्होंने उस समय मालवा में स्थिरता और शांति सुनिश्चित की जब मध्य भारत सत्ता संघर्ष का सामना कर रहा था।
- अहिल्याबाई के शासनकाल की विशेषता उत्कृष्ट शासन व्यवस्था थी, जिसने सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया।
- एक महिला और विधवा के रूप में अपनी सीमाओं को पहचानते हुए, उन्होंने एक विश्वसनीय सैनिक तुकोजी होल्कर को अपनी सेना का कमांडर नियुक्त किया और घुसपैठियों के विरुद्ध मालवा राज्य की रक्षा की तथा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में सेनाओं का नेतृत्व किया।

मालवा क्षेत्र

- मालवा पश्चिम-मध्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें वर्तमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग सम्मिलित हैं।
- भूवैज्ञानिक दृष्टि से, मालवा पठार सामान्यत: विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में स्थित ज्वालामुखीय उच्चभूमि को दर्शाता है।

इंदौर और महेश्वर का विकास

- अहिल्याबाई के शासनकाल में इंदौर एक समृद्ध व्यापारिक शहर में परिवर्तित हो गया।
- उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर (मध्य प्रदेश) में अपनी राजधानी स्थापित की।
  - होल्कर के शासनकाल में महेश्वर शहर एक साहित्यिक, संगीतमय, कलात्मक और औद्योगिक केंद्र बन गया।
  - उन्होंने वहाँ कपड़ा उद्योग स्थापित करने में सहायता की, जो अब प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ियों का घर है।

वास्तुकला में योगदान

- अहिल्याबाई हिंदू मंदिरों और धर्मशालाओं की संरक्षक थीं और उन्होंने अपने क्षेत्र में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया।
- उनकी भक्ति के कारण पूरे भारत में ज्योतिर्लिंगों (पवित्र शिव मंदिरों) का जीर्णोद्धार हुआ, जिसने हिंदू धर्म की स्थापत्य कला पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।
  - उन्होंने काशी (वाराणसी), गया और सोमनाथ सहित विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कराया।
- इन मंदिरों को आक्रमणों और मूर्तिभंजन से बचाने के लिए, उन्होंने एक निपुण रणनीति तैयार की मंदिर संरचनाओं के नीचे गुप्त मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित की गईं, जिससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत बन गई।

पुरातत्वविदों और संस्कृत विद्वानों द्वारा ऋग्वेद को समझने में सहयोग

पुरातत्वविदों का एक समूह अब ऋग्वेद के पाठ को समझने के लिए संस्कृत विद्वानों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

परिचय

- शोधकर्ताओं को इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है कि ऋग्वेदिक ग्रंथों में क्या उल्लेख है तथा उनमें से कितनी बातों को पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ सह-संबद्ध किया जा सकता है।
- **उद्देश्य:** इस शोध का उद्देश्य हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग के लोगों के बीच संभावित संबंध स्थापित करना है।
  - हड़प्पा बस्तियों की खुदाई में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों को सह-संबंधित करने के लिए ऋग्वेद पाठ में उल्लिखित बातों की स्पष्ट समझ महत्त्वपूर्ण है।

साक्ष्यों का सह-संबंध

- **पूजा अनुष्ठान:** राखीगढ़ी स्थल की खुदाई करते समय, हमें अनुष्ठान मंच और अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले। समानांतर रूप से, ऋग्वेदिक ग्रंथों में अग्नि पूजा का उल्लेख किया गया है।
- **वेदों की आयु:** वर्तमान में, वेदों की उत्पत्ति की अवधि के बारे में एक वाद-विवाद चल रहा है, इतिहासकारों का एक समूह मानता है कि वेदों की उत्पत्ति 1,500 ईसा पूर्व और 2,000 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। हालाँकि, इतिहासकारों का एक अन्य समूह मानता है कि वेद 2,500 ईसा पूर्व या 4,500 वर्ष प्राचीन है।
  - यह राखीगढ़ी स्थल पर परीक्षण किए गए पूर्ववर्ती हड़प्पाकालीन महिलाओं की हड्डियों के नमूनों से प्राप्त आनुवंशिक साक्ष्य की आयु से सुमेलित है।
- **सरस्वती नदी:** ऋग्वैदिक ग्रंथ में इस नदी का उल्लेख कम से कम 71 बार हुआ है।

- पुरातात्विक उत्खनन के दौरान, अधिकांश हड़प्पा बस्तियाँ सरस्वती नदी के तट पर पाई गईं।

- ऋग्वैदिक ग्रंथों में लोहे के उपयोग का उल्लेख नहीं है, इसलिए प्रारंभिक ऐतिहासिक बस्तियों के साथ सह-संबंध संभव नहीं है, जो बहुत बाद में आईं और 2,400 साल प्राचीन हैं (गंगा बेसिन और दक्कन क्षेत्र के पास)।

वैदिक युग

- वैदिक युग प्राचीन भारतीय इतिहास के उस काल को संदर्भित करता है, जिसकी विशेषता वेदों की रचना है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं।
- इसे सामान्यत: 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वैदिक युग के दौरान, भारतीय समाज का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। इस समय में समाज विभिन्न छोटे-छोटे कबीलों में बँटा हुआ था, जिनमें आर्य प्रमुख समूह थे। उन्होंने इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे देवताओं पर केंद्रित भजनों की रचना की और अनुष्ठान किए।
- **इन भजनों को अंतत: चार वेदों में संकलित किया गया:** ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद-
  - ऋग्वेद 1,028 भजनों का संग्रह है, जो 10 मंडलों में विभाजित है। वे सबसे प्रारंभिक रचनाएँ हैं और इसलिए भारत में प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती हैं।
  - सामवेद छंदों का एक संग्रह है, जो अधिकांशत: ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन गायन की सुविधा के लिए पद्य रूप में व्यवस्थित हैं।
  - यजुर्वेद दो संस्करणों में पाया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले अनुष्ठानों से परिपूर्ण है।
  - अथर्ववेद बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए जादुई मंत्रों और ताबीजों का एक संग्रह है।
- वैदिक युग के अंत के साथ ही उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ हुआ, जिसके दौरान ध्यान वेदों की कर्मकाण्डीय प्रथाओं को छोड़कर अधिक दार्शनिक अन्वेषणों की ओर चला गया, जैसा कि उपनिषदों में देखा गया है।

कोया जनजाति

हाल ही में, गोदावरी घाटी में कोया जनजाति को सांस्कृतिक संकट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि विशेष प्रवर्तन ब्यूरो की कार्रवाई के कारण महुआ शराब पीने की उनकी प्रिय परंपरा के लिए जोखिम उत्पन्न हो गया है।

कोया जनजाति के बारे में

- **भौगोलिक वितरण:** कोया मुख्य रूप से दक्षिण उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में रहते हैं। वे आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं।
- **पहचान और नाम:** कोया खुद को 'कोया' या 'कोइतर' कहते हैं, जिसका अर्थ होता है 'लोग'।
  - छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती बस्तर क्षेत्र में कोया लोगों को दोरला और माड़िया के नाम से जाना जाता है।
- परंपरागत रूप से कोया लोग पशुपालक और झूम खेती करने वाले लोग हैं। उनके पास गायों और बैलों के बड़े झुंड होते हैं।
- उनकी पारंपरिक प्रणाली के अनुसार चोम (या धन) का अर्थ मवेशी है, क्योंकि मवेशियों के बिना कोया का समाज में कोई स्थान नहीं है।
- **सांस्कृतिक समृद्धि:** कोया लोगों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, जिसमें रंग-बिरंगे नृत्य, संगीत, लोकगीत, कला और शिल्प सम्मिलित हैं।
  - उनके पारंपरिक समाज को सदियों के अस्तित्व और पड़ोसी समुदायों के साथ मेल-जोल से आकार मिला है।

छत्रपति शिवाजी के भव्य राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ

राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (NGMA) में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ की प्रदर्शनी प्रस्तुत की गयी।

छत्रपति शिवाजी महाराज

- वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और अपनी बहादुरी के साथ-साथ अपने सुशासन के लिए भी जाने जाते हैं।
- अपने जीवनकाल में, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के साथ गठबंधन और शत्रुता दोनों में भाग लिया।
- शिवाजी के प्रशासन की विशेषता एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, जिसमें राजा प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।
- उन्होंने राजस्व प्रणाली में सुधार किया, रैयतवाड़ी प्रणाली के पक्ष में जमींदार प्रणाली को समाप्त किया और भूमि अधिकारों की निगरानी के लिए उपाय लागू किए।

रायगढ़ किला

- रायगढ़ जिले में महाड़ से लगभग 25 किमी. दूर स्थित, रायगढ़ एक पहाड़ी किला है, जिसे पहले रायरी के नाम से जाना जाता था।
- शिवाजी महाराज ने 1656 में जावली के चंद्रराव मोरे से किले पर कब्जा किया था, जो आदिलशाही सल्तनत के अधीन आ गया था।
- किले ने न केवल शिवाजी को आदिलशाही राजवंश की सर्वोच्चता को चुनौती देने में मदद की, बल्कि अपनी शक्ति के विस्तार के लिए कोंकण की ओर जाने वाले मार्ग भी प्रशस्त किये।
- शिवाजी ने 1662 में किले का नाम बदलकर रायगढ़ रख दिया। 1664 तक यह किला शिवाजी की सरकार का मुख्यालय बन चुका था।
- उनका राज्याभिषेक 1674 में यहीं हुआ था, जब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इसी किले में महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित प्रतीक शिवाजी का 1680 में निधन हुआ था।

परंपरा

- भारतीय नौसेना के INS शिवाजी, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था) का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
- 1890 के दशक में बाल गंगाधर तिलक ने युवा महाराष्ट्रियों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया, ताकि शिवाजी का अनुकरण किया जा सके।

- भारतीय नौसेना का नया ध्वज और एडमिरल के कंधे के हिस्से का डिजाइन महान मराठा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है।

खीर भवानी मेला

हजारों कश्मीरी पंडित वार्षिक जेष्ठ अष्टमी उत्सव में भाग लेने के लिए खीर भवानी मंदिर में एकत्र हुए।

खीर भवानी मंदिर के बारे में-

- यह जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले के तुलमुल्ला क्षेत्र में चिनार के पेड़ों के बीच स्थित है।
- मंदिर एक पवित्र झरने के ऊपर बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपना रंग परिवर्तित करता है।
- देवी रागन्या देवी - देवी दुर्गा का अवतार - इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं।
- महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में महाराजा हरि सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया था।
- जेष्ठ अष्टमी पर मनाया जाने वाला वार्षिक खीर भवानी मेला गंदेरबल के तुलमुल्ला, कुपवाड़ा के टिक्कर, अनंतनाग के लक्तिपोरा ऐशमुकाम, माता त्रिपुरसुंदरी देवसर और कुलगाम के माता खीर भवानी मंजगाम के मंदिरों में आयोजित किया जा रहा है।

जोशीमठ और कोस्या कुटौली के नाम में परिवर्तन

केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के जोशीमठ का नाम परिवर्तित कर ज्योतिर्मठ और कोस्या कुटौली का नाम परिवर्तित कर परगना श्री कैंची धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

परिचय

- **जोशीमठ:** यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक गाँव है।
  - यह 6,150 फीट (1,875 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है और यह कई हिमालयी चढ़ाई अभियानों, ट्रैकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ जैसे तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार है।
  - यह हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्त्व का स्थान है।
  - यह 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख पीठों में से एक है। अन्य तीन पीठ गुजरात में द्वारका, ओडिशा में पुरी और कर्नाटक में श्रृंगेरी हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र को मूल रूप से ज्योतिर्मठ कहा जाता था, क्योंकि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अमर कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए यहाँ का दौरा किया था और उन्हें आत्मज्ञान (दिव्य ज्ञान ज्योति) प्राप्त हुआ था।
- **कोस्या कुटौली:** नैनीताल जिले की कोस्या कुटौली तहसील का नाम परिवर्तित कर बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
  - प्रतिदिन बड़ी संख्या में बाबा के भक्त दर्शन के लिए धाम पहुँचते हैं।
  - कैंची धाम को मानसखंड मंदिरमाला मिशन में भी सम्मिलित किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

- संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि को विनियमित करने की शक्ति देता है।
- विशेष रूप से, अनुच्छेद 3(e) कानून के माध्यम से किसी स्थान के नाम में परिवर्तन की अनुमति देता है। "संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है।"

श्रीनगर को 'विश्व शिल्प शहर' की मान्यता

श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद (WCC) द्वारा 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। इससे पूर्व जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को भारत से विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

परिचय

- WCC ने कश्मीर के विभिन्न शिल्प उत्पादों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें पेपर-मैश, हाथ से बुने हुए कालीन, पश्मीना शॉल, कानी और सोजनी का कार्य सम्मिलित है।
- यह उपलब्धि 2021 में शिल्प के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) क्रिएटिव सिटी के रूप में श्रीनगर की मान्यता के बाद प्राप्त हुई है।

विश्व शिल्प परिषद (WCC)

- विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 1964 न्यूयॉर्क में प्रथम विश्व शिल्प परिषद महासभा में की गई थी।
- विश्व शिल्प परिषद का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में शिल्प की स्थिति को मजबूत करना है।
- परिषद का उद्देश्य शिल्पकारों को प्रोत्साहन, सहायता और सलाह देकर उनके मध्य भाईचारा बढ़ाना है।

कामाख्या मंदिर

वार्षिक अम्बुबाची मेले के शुभारंभ के लिए देश भर से भक्त असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में एकत्र हो रहे हैं।

परिचय

- कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह असम में नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित है।
- यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जो देवी पार्वती का एक रूप हैं।
- अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह उत्सव देवी माँ कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है।
- **वास्तुकला:** इसे दो अलग-अलग शैलियों अर्थात् पारंपरिक नागर या उत्तर भारतीय और सारसैनिक या मुगल के संयोजन से तैयार किया गया था।

- इस प्रकार, भारत के इस प्रसिद्ध शक्ति तीर्थ पर अस्तित्व में आने वाला एक असामान्य संयोजन होने के कारण इसे वास्तुकला की नीलाचल शैली का नाम दिया गया है।

रज पर्व उत्सव

भारत की राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रज पर्व उत्सव में उपस्थित हुईं। यह पहला अवसर है, जब राष्ट्रपति भवन में रज पर्व मनाया गया।

परिचय

- यह ओडिशा का कृषि आधारित त्योहार है और यह सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है।
- तीन दिनों तक चलने वाला यह कृषि त्योहार मानसून के आगमन के दौरान मनाया जाता है। महिलाएँ और बच्चे इस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं।

ओडिशा के अन्य प्रमुख त्योहार

- **रथ यात्रा:** यह भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों का वार्षिक रथ उत्सव है, और यह राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या और अनुसरण की दृष्टि से यह सबसे बड़ा उत्सव है।
- **बालीयात्रा:** बालीयात्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दौरान, लोग तालाबों, नदियों और अन्य जल निकायों में कागज/कॉर्क की नावों को तैराकर 'बोइता बंदना' की रस्म निभाते हैं।
- **डोला पूर्णिमा:** होली के नाम से लोकप्रिय, यह त्योहार क्षेत्र के प्रत्येक घर में मनाया जाता है, जहाँ लोग एक-दूसरे को रंगों और मिठाईयों को बाँट-कर बधाई देते हैं।
- **माघ सप्तमी:** यह भी रथयात्रा के बाद ओडिशा का सबसे बड़ा त्योहार है।
- **छऊ उत्सव:** यह त्योहार राज्य की जीवंत आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाता है और ओडिशा के कला और शिल्प के क्षेत्र में आदिवासियों के योगदान को श्रद्धांजलि देता है।

कोझिकोड को यूनेस्को की मान्यता

हाल ही में, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को 'साहित्य का शहर' घोषित किया गया।

यूनेस्को मान्यता के बारे में

- इससे पहले, अक्टूबर 2023 में, कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) की 'साहित्य' श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था। यह शहर के गहन सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान को मान्यता देता है।
- कोझिकोड संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वैश्विक शहरों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है।

कोझिकोड की साहित्यिक विरासत

- कोझिकोड (ब्रिटिश शासन के दौरान कालीकट के नाम से जाना जाता था) में एक जीवंत साहित्यिक परंपरा है। यह फारसियों, अरबों, चीनी और यूरोपीय लोगों सहित विभिन्न सभ्यताओं के लिए तट के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था।
  - यह शहर एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है तथा यह वह स्थान है, जहाँ पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को-डि-गामा 1498 में पहली बार भारत पहुँचे थे।
- कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 प्रकाशन गृह हैं, यह प्रत्येक वर्ष 400 से 500 पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, जो साहित्य और ज्ञान के प्रति प्रेम को प्रोत्साहन देते हैं।
- शहर अपने लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पी.ए. ललिता पुरस्कार, एस.के. पोट्टेक्काट साहित्य पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार सभी ऐसे समारोह हैं, जो स्थानीय प्रतिभा को उजागर करते हैं और रचनात्मक नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
  - प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम. टी. वासुदेवन नायर का इस शहर से घनिष्ठ संबंध रहा है तथा उन्होंने इसके साहित्यिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

- इसका गठन 1945 में हुआ था, यह पेरिस में स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है।
- इसके 195 सदस्य देश और 10 सहयोगी सदस्य हैं। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है।
- यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान देता है।
- यह ज्ञान साझा करने और विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है, ताकि आपसी समझ तथा एक-दूसरे के जीवन के बारे में अधिक और सही जानकारी मिल सके।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN)

- इसकी स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिन्होंने रचनात्मकता को धारणीय शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है।
  - अब इसमें 100 से अधिक देशों के 350 शहर सम्मिलित हैं।
  - प्राग पहला शहर था, जिसे 2014 में यूनेस्को द्वारा "साहित्य का शहर" की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
  - कोझिकोड से पहले, यूनेस्को ने ग्वालियर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) में सूचीबद्ध किया था।
- इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता तथा तीव्र नगरीकरण जैसे जोखिमों के प्रति लचीलेपन को मजबूत करने के लिए प्रारंभ किया गया था।

'साहित्य का शहर' दिवस

- अगले वर्ष से 23 जून को कोझिकोड में 'साहित्य का शहर' दिवस मनाया जाएगा।
- इस दिन साहित्यिक उपलब्धियों के सम्मान में छह श्रेणियों में विशेष पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।

संत कबीर दास जयंती

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संत कबीर दास को उनकी जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय

- यह प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कबीर के जन्म का सटीक विवरण अस्पष्ट है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का अनुमान है कि इनका जन्म लगभग 1398 ई. में हुआ था।
- कबीर की स्थायी विरासत उनकी मार्मिक कविताओं में निहित है, जो सरल लेकिन गहन हिंदी में लिखी गई हैं।
- भक्ति आंदोलन से प्रभावित, उनकी रचनाएँ - जिन्हें 'भजन' और 'दोहा' के रूप में जाना जाता है - सार्वभौमिक प्रेम, सामाजिक न्याय और आत्म-साक्षात्कार के विषयों की खोज करती हैं।
  - वह अपने दो पंक्तियों वाले दोहे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता था।
- कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, साखी ग्रंथ, पंच वाणी;
- उनके कार्यों का बड़ा भाग पाँचवें सिक्ख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किया गया था।

कबीर की शिक्षाएँ

- कबीर की शिक्षाएँ प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण, वास्तव में तीव्र अस्वीकृति पर आधारित थीं।
- उनकी शिक्षाओं ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाहरी पूजा के सभी रूपों, पुरोहित वर्गों की प्रधानता और जाति व्यवस्था का सार्वजनिक रूप से उपहास किया।
- कबीर एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे, कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति या प्रेम है।

परंपरा

- कबीर की विरासत वर्तमान में भी कबीर पंथ के नाम से पहचाने जाने वाले संप्रदाय के माध्यम से चली आ रही है, जो एक धार्मिक समुदाय है तथा उन्हें पंथ का संस्थापक मानता है।
- कबीर दास जयंती कबीर की प्रेम, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव की स्थायी विरासत का सम्मान करती है।
- उनकी शिक्षाएँ, जो ईश्वर की एकता और धार्मिक विभाजन की निरर्थकता पर बल देती हैं, पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं।

सोमनाथपुरा में केशव मंदिर

कर्नाटक पर्यटन विभाग, मैसूर पर्यटन सर्किट के एक भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सोमनाथपुरा को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।

परिचय

- **स्थान:** केशव मंदिर होयसल स्मारक का भाग है, जो कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी के तट पर सोमनाथपुरा शहर में स्थित है।
- मंदिर का निर्माण 1268 ई. में होयसल राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा पूरा किया गया और इसकी प्राण-प्रतिष्ठा की गई।
- केंद्र में मुख्य मंदिर एक ऊँचे तारे के आकार के मंच पर है, जिसमें तीन सममित गर्भगृह हैं।
- यह एक त्रिकूट मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को तीन रूपों - जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल में समर्पित है।
- **महत्त्व:** 2023 में, सोमनाथपुरा मंदिर, हलेबिडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर और बेलूर स्थित चेन्नाकेशव मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

नालंदा विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।

परिचय

- भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की।

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय

- प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार और प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्त्वपूर्ण कलाकृतियाँ सम्मिलित हैं।
- कन्नौज के राजा हर्षवर्धन (7वीं शताब्दी ई.) और पाल शासकों (8वीं - 12वीं शताब्दी ई.) सहित विभिन्न शासकों ने इसे संरक्षण दिया था।
- 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा जलाए जाने से पहले यह 800 वर्षों तक फलता-फूलता रहा।
- इस स्थल के पतन के पश्चात् सबसे पहले सर फ्रांसिस बुकानन ने इसकी खोज की थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यवस्थित रूप से इसकी खुदाई और समेकन किया गया था।

शैक्षणिक पाठ्यक्रम

- नालंदा के पाठ्यक्रम में मध्यमक, योगाचार और सर्वास्तिवाद जैसे प्रमुख बौद्ध दर्शन के साथ-साथ वेद, व्याकरण, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान जैसे अन्य विषय भी सम्मिलित थे।
- चीनी विद्वान ह्वेनसांग (ह्वेन-त्सांग) ने 637 और 642 ई. में नालंदा का दौरा किया और शीलभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन किया।

10 विविध

संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 'चैंपियन' पुरस्कार

हाल ही में, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सी-डॉट) ने संयुक्त राष्ट्र संघ के WSIS 2024 'चैंपियन' पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार मोबाइल से जुड़े आपदा राहत संदेश प्रणाली (सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग) के लिए दिया गया है।

मान्यता और प्रभाव

- सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSIS)+20 फोरम 2024, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा आयोजित किया गया, तथा यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के साथ सह-आयोजित किया गया।
- यह सी-डॉट की सामाजिक प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- सी-डॉट ने अत्याधुनिक टेलीकॉम समाधान प्रदर्शित किए, जिनमें ITU-CAP आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और एआई-संचालित धोखा-धड़ी पहचान शामिल हैं।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (C-DOT)

- इसकी स्थापना 1984 में दूरसंचार विभाग के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में की गई थी।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ एक पंजीकृत 'सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान' है।

सी-डॉट का सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम

- **लगभग वास्तविक समय चेतावनी:** यह मंच सेलुलर नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल फोन को जीवन रक्षक आपातकालीन जानकारी प्रदान करता है।
- **भू-लक्षित बहु-खतरा चेतावनियाँ:** यह प्रणाली आपदाओं के दौरान समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हुए स्थान के आधार पर चेतावनी प्रदान करती है।
- **बहु-भाषा समर्थन:** चेतावनी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।
- **लागत प्रभावी और स्वचालित:** एक स्वदेशी समाधान जो आपदा जोखिम प्रबंधन को अनुकूलित करता है।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी

प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय:

- वे एक महान देशभक्त, शिक्षाविद्, सांसद, राजनेता, मानवतावादी और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रचारक थे।
- 1934 में श्यामा प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, जिससे उन्हें भारतीयों की शिक्षा के संबंध में अपने लक्ष्यों और आदर्शों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला।
- वे भारतीय जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी-बीजेपी, बीजेएस का उत्तराधिकारी राजनीतिक दल है) के संस्थापक थे।
- उन्होंने 1946 के चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया, क्योंकि सरदार पटेल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कांग्रेस कभी भी विभाजन को स्वीकार नहीं करेगी।
- वे बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री बने और बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा, महाबोधि सोसाइटी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए
- वे संविधान सभा के सदस्य भी थे।

बाल खाद्य गरीबी: प्रारंभिक बाल्यावस्था रिपोर्ट में पोषण की कमी।

यूनिसेफ ने बाल खाद्य गरीबी: प्रारंभिक बाल्यावस्था में पोषण की कमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

संबंधित तथ्य

- यह लगभग 100 देशों और विभिन्न आय समूहों में विश्व के सबसे कम उम्र के लोगों के बीच आहार की कमी के प्रभावों और कारणों का विश्लेषण करता है।
- रिपोर्ट निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित है, जहाँ बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले अधिकांश बच्चे होते हैं, और कुपोषण एवं अपर्याप्त विकास के लिए बाल खाद्य गरीबी के प्रभावों पर केंद्रित है।
- यह प्रारंभिक बाल्यावस्था में बाल खाद्य गरीबी की स्थिति, प्रवृत्तियों, असमानताओं और कारकों की जाँच करता है।
- यूनिसेफ बाल खाद्य गरीबी को बच्चों की प्रारंभिक बचपन (अर्थात जीवन के पहले पाँच वर्षों) में पौष्टिक और विविध आहार तक पहुँच और उपभोग करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है।

प्रमुख निष्कर्षों में सम्मिलित हैं:

- विश्व स्तर पर, चार में से एक बच्चा बचपन में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रह रहा है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 181 मिलियन है।

- लाखों माता-पिता और परिवार संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे छोटे बच्चों को उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक और विविध भोजन प्रदान कर सकें।
- वैश्विक खाद्य एवं पोषण संकट तथा स्थानीय संघर्ष और जलवायु संबंधी आघातों, विशेष रूप से कमजोर देशों में, बच्चों की खाद्य गरीबी को बढ़ा रहे हैं।
- बाल खाद्य गरीबी (CFP) को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास कमजोर हैं।
- गंभीर बाल खाद्य गरीबी दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, लेकिन समान रूप से नहीं दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन बच्चों में से दो-तिहाई (68 प्रतिशत) से अधिक बच्चे रहते हैं।

भारत में बाल खाद्य गरीबी की स्थिति

- **गंभीर खाद्य गरीबी:** यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 20 देशों में शामिल है, जो 2018-2022 के बीच गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले बच्चों की कुल संख्या का 65% भाग है।
- **असमानताएँ:** जबकि भारत ने पिछले दशक में गरीब और धनी परिवारों के बीच गंभीर CFP में अंतर को कम किया है, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर असमानताएँ अभी भी विद्यमान हैं।
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी:** बड़ी संख्या में बच्चे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित होते हैं, विशेष रूप से एनीमिया (आयरन की कमी) जो संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करता है।
- **शून्य-भोजन बच्चे:** 2023 में द लैंसेट चाइल्ड एंड एडलसेंट हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 5 साल से कम उम्र के 19.3% भारतीय बच्चों ने शून्य-भोजन दिनों का सामना किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने 24 घंटे की अवधि में कोई भोजन नहीं किया था। यह आँकड़ा सर्वेक्षण किए गए 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक है।

प्रभाव

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** CFP बच्चों में कुपोषण का प्रमुख कारण है, जो निम्नलिखित रूपों में प्रकट हो सकता है: बौनापन (आयु के अनुसार कम ऊँचाई), दुर्बलता (ऊँचाई के अनुसार कम वजन), और कम वजन (आयु के अनुसार कम वजन)।
- CFP से बचपन में होने वाली बीमारियों जैसे कि दस्त, निमोनिया और खसरा के जोखिम में वृद्धि हो जाती है तथा समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है।
- **मस्तिष्कीय विकास में बाधा:** विकास के महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान कुपोषण का मस्तिष्क विकास पर अपरिवर्तनीय प्रभाव हो सकता है, जिससे संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी हो सकती है।
- **उत्पादकता में कमी:** कुपोषित बच्चे कम उत्पादक वयस्क होते हैं, जिनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता कम होती है, जिससे उनकी आय की संभावनाएँ और समाज में आर्थिक योगदान सीमित हो जाता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल खर्चों में बढ़ोतरी:** CFP के कारण परिवारों और सरकार के लिए चिकित्सा उपचार और अस्पताल में भर्ती की बढ़ती आवश्यकता के चलते स्वास्थ्य देखभाल खर्च में वृद्धि होती है।
- **सामाजिक बहिष्कार और आक्षेप:** सी. एफ. पी. से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वे और अधिक हाशिए पर जा सकते हैं।
- **मानव पूँजी की हानि:** CFP राष्ट्र को उसकी सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति - मानव पूंजी से वंचित करता है।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बढ़ता भार:** कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती जरूरतों ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डाला, जिससे संसाधनों को अन्य आवश्यक सेवाओं से हटा दिया गया।

भारत में CFP से निपटने में चुनौतियाँ

- **आर्थिक असमानता:** स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ जनसंख्या का उच्च प्रतिशत बाल खाद्य गरीबी का मूल कारण है।
- **अपर्याप्त आहार सेवन:** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर परिवर्तन, जिनमें प्रायः आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, समस्या को बढ़ा देता है।
- **अपर्याप्त स्वच्छता:** उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो कुपोषण को और बढ़ा सकते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का अभाव:** डॉक्टरों और नर्सों की कम संख्या, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सीमित करती है। इसका अर्थ है कि कुपोषण से पीड़ित बच्चों को समय पर निदान या उपचार नहीं मिल पाता।

सिफारिशें:

- बाल कुपोषण को दूर करने के लिए, सरकारों और सहयोगियों को बच्चों की विविध और पौष्टिक आहार तक पहुँच में सुधार करने और गंभीर बाल खाद्य गरीबी को समाप्त करने के लिए कार्यों में निवेश करना चाहिए।
- यूनिसेफ राष्ट्रीय सरकारों, विकास और मानवीय सहयोगियों, दानदाताओं, नागरिक समाज और मीडिया, शैक्षणिक और शोध संगठनों से आग्रह करता है कि वे:
  - खाद्य वातावरण सुनिश्चित करके खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाना, पौष्टिक, विविध एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों को छोटे बच्चों पोषण के लिए सबसे सुलभ, किफायती तथा वांछनीय विकल्प बनाता है, और खाद्य और पेय उद्योग बच्चों को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचाने के लिए नीतियों का पालन करता है।
- स्वास्थ्य प्रणालियों का लाभ उठाकर आवश्यक पोषण सेवाएँ प्रदान करना, जिसमें बाल आहार पर परामर्श और सहायता सम्मिलित है, ताकि बाल कुपोषण को रोका जा सके और उसका उपचार किया जा सके, तथा कमजोर बच्चों को प्राथमिकता दी जा सके।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय करें, ताकि आय गरीबी का समाधान किया जा सके और सबसे कमजोर बच्चों तथा उनके परिवारों की खाद्य एवं पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके, जिसमें बाल खाद्य गरीबी के उच्चतम जोखिम वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए सामाजिक हस्तांतरण शामिल हो।

- बाल खाद्य गरीबी की व्यापकता और गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा प्रणालियों को मजबूत करना; नाजुक और मानवीय संदर्भों सहित बाल खाद्य गरीबी में वृद्धि का जल्द पता लगाना; और गंभीर बाल खाद्य गरीबी को कम करने में राष्ट्रीय और वैश्विक प्रगति पर नजर रखना।

अतिरिक्त जानकारी

- भारत ने वर्षों से पोषण कार्यक्रमों को लागू करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं जैसे कि
  - एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS),
  - मिड डे मील और
  - पोषण अभियान आदि।

भारत द्वारा की गई पहल

- **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS):** यह व्यापक कार्यक्रम छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण, विकास निगरानी, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और पूर्व-विद्यालय शिक्षा सहित सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है।
- **मिड डे मील योजना (MDMS):** इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त, पौष्टिक भोजन प्रदान करके स्कूली उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।
- **मिशन पोषण 2.0:** यह विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करते हुए मातृ पोषण और बच्चों को खिलाने के मानदंडों में सुधार पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):** NFSA का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से बच्चों सहित आबादी के एक बड़े भाग को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में महिला को पर्याप्त आराम मिल सके, इसके लिए वेतन हानि की आंशिक भरपाई के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करें।
- **खाद्य सुदृढ़ीकरण:** सरकार बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ चावल, गेहूँ का आटा और खाद्य तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दे रही है।

पूरी पढ़ाई देश की भलाई

गैर-सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू (CRY) ने एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, पूरी पढ़ाई देश की भलाई, आरंभ किया।

परिचय:

- यह सात सप्ताह तक चलने वाला अभियान है, जिसका उद्देश्य भारतीय स्कूलों में बालिकाओं की घटती भागीदारी को दूर करना है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) डेटासेट के अनुसार, 60 प्रतिशत से कुछ कम बालिकाएँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकित हैं।

महत्त्व:

- बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने से बालिकाओं की शादी में देरी, माँ और बच्चे के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और दीर्घावधि में उच्च आर्थिक लाभ के साथ मजबूत संबंध है।
- इसके अलावा, स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष बालिकाओं के लिए औपचारिक क्षेत्र में उच्च उत्पादकता और बेहतर रोजगार के अवसरों की ओर ले जाता है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत गरीबी का चक्र टूट जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024 को 'योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी' विषय के साथ मनाया जा रहा है।

संबंधित तथ्य

- जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया।
- इस अवसर पर आयुष मंत्रालय ने दृष्टिबाधित लोगों को सुविधापूर्वक योग सीखने और अभ्यास करने में सहायता देने के लिए ब्रेल लिपि में 'कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तक' का शुभारंभ किया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एक अद्वितीय पहल 'स्पेस के लिए योग' का आयोजन कर रहा है।

समयरेखा

- भारत के आग्रह पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 2014 में 69वें सत्र के दौरान अपनाए गए एक प्रस्ताव में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के रूप में घोषित किया।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में नई दिल्ली में मनाया गया था।
- 21 जून की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्त्व है।

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

17वीं लोकसभा का मूल्यांकन:

- 17वीं लोकसभा में 274 बैठकें हुईं, जो सभी पूर्ण कार्यकालों में सबसे कम है।
- 17वीं लोकसभा के दौरान प्रस्तुत किए गए अधिकांश विधेयक (58%) प्रस्तुत किए जाने के दो सप्ताह के अंदर ही पारित हो गए।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 93/178:** लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 94/179:** लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग, त्यागपत्र देना या पद से हटाना।
- **अनुच्छेद 95/180:** उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की लोकसभा/विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या पद के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले:

- **किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्ह (1993) मामला:** उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल उठाया जा सकता है। यह दुर्भावना, विकृति आदि जैसे आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा और अन्य (2020) मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधानसभाओं और संसद के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तीन महीने के अंदर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए।
- **नबाम रेबिया बनाम उपसभापति (2016) मामला:** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अध्यक्ष को हटाने का नोटिस लंबित है तो वह दलबदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से अक्षम है।
- **लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कुल 74 महिलाओं ने जीत दर्ज की है, जो 2019 में निर्वाचित 78 से थोड़ी कम है, लेकिन 1952 में भारत के पहले चुनावों की तुलना में 52 अधिक है।

भारत में तस्करी की स्थिति:

- NCRB के आँकड़ों के अनुसार, 2021 में मानव तस्करी के 6213 पीड़ितों को बचाया गया और उनमें से 3912 महिलाएँ थीं।
- सबसे अधिक पीड़ितों को ओडिशा (1290) से बचाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र (890), तेलंगाना (796) और दिल्ली (509) का स्थान रहा।

भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग:

- भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार दुनिया में 5वाँ सबसे बड़ा है और 2021-22 में 21.95 बिलियन डॉलर पर था, जिसमें उत्पादन 19.49 बिलियन डॉलर और आयात 2.46 बिलियन डॉलर था।
- तकनीकी वस्त्र भारत के कुल वस्त्र और परिधान बाजार का लगभग 13% भाग है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% का योगदान देता है।
- तकनीकी वस्त्र उत्पादों का भारत का निर्यात 2021-22 में बढ़कर 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 2021-22 में 2.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

भारत में बाल श्रम:

- यूनिसेफ के अनुसार, बाल श्रम हमारे कार्यबल का लगभग 13% है, या दूसरे शब्दों में, भारत में प्रत्येक 10 श्रमिकों में से 1 बच्चा है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 10.1 मिलियन बाल श्रमिक हैं। कुल बाल श्रमिक आबादी में लड़के लगभग 5.6 मिलियन और लड़कियाँ लगभग 4.5 मिलियन हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता (14%) शहरी क्षेत्रों (5%) की तुलना में लगभग तीन गुना है।
- अधिकांश बाल मजदूर (लगभग 70%) कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं, इसके बाद 20% सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं।
- उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 2.1 मिलियन।

एफडीआई प्रवाह:

- वित्त वर्ष 2024 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह घटकर पाँच वर्ष के निचले स्तर +44.42 बिलियन पर आ गया, जो विगत् वर्ष की तुलना में 3.5% कम है।
- **एफडीआई के शीर्ष स्रोत:** सिंगापुर +11.77 बिलियन के साथ शीर्ष निवेशक बना रहा, उसके बाद मॉरीशस (+7.97 बिलियन), संयुक्त राज्य अमेरिका (+4.99 बिलियन) और नीदरलैंड (+4.92 बिलियन) का स्थान रहा।
- **अग्रणी क्षेत्र:** कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था।
- **भौगोलिक वितरण:** महाराष्ट्र ने 15.11 बिलियन डॉलर के साथ सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित करना जारी रखा।
- **वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक:**
- फिनलैंड एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसने अपने लिंग अंतर का 90% से अधिक भाग कम कर लिया है।
- 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी वाले भारत ने 2024 में अपने लिंग अंतर का 64.1% भाग कम कर लिया है।

स्वयं परीक्षण (Test Yourself)

Objective Questions

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. अहिल्याबाई होल्कर के योगदान और विरासत पर चर्चा कीजिए, भारत में शासन और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके नेतृत्व पर प्रकाश डालिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

2. संत कबीर दास की शिक्षाओं और भारतीय समाज पर उनके स्थायी प्रभाव की जाँच कीजिए, आध्यात्मिकता और सामाजिक सद्भाव में उनके योगदान पर बल दीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

3. भारत में तंबाकू महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का आकलन कीजिए, जिसमें इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव, नियामक उपाय और सामाजिक निहितार्थ शामिल हैं। **(15 अंक, 250 शब्द)**

4. लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन कीजिए, चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और विधायी प्रभावशीलता पर लिंग समानता के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

5. भारत में बाल श्रम से निपटने के लिए प्रचलन, कारणों और प्रयासों की जाँच कीजिए, विधायी और सामाजिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

जीएस पेपर-II

6. हाल के रुझानों और प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली के गिरावट में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

7. भारतीय संसद में अध्यक्ष की भूमिका और यह संसदीय कार्यवाही एवं लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

8. भारतीय संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका और लोकतांत्रिक जाँच एवं संतुलन बनाए रखने में इसके महत्त्व का मूल्यांकन कीजिएँ **(10 अंक, 150 शब्द)**

9. निष्पक्ष परीक्षा प्रथाओं को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों और प्रभावशीलता की जाँच कीजिएँ **(15 अंक, 250 शब्द)**

10. भारत में मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की भूमिका और प्रभावशीलता का आकलन कीजिएँ **(10 अंक, 150 शब्द)**

11. ब्रिक्स समूह और इसके विस्तार के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए, वैश्विक भू-राजनीति और अर्थशास्त्र पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कीजिएँ **(15 अंक, 250 शब्द)**

12. हाल ही में हुए जी7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों और वैश्विक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए, प्रमुख समझौतों और विवादों पर प्रकाश डालिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

जीएस पेपर-III

13. चुनौतियों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में गिग अर्थव्यवस्था के उदय और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

14. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों को बढ़ाने में साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत के महत्त्व और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

15. राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार देने और उन्हें लागू करने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका और जिम्मेदारियों की जाँच कीजिएँ **(15 अंक, 250 शब्द)**

16. भारत के औद्योगिक और उपभोक्ता क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के विकास, अनुप्रयोगों और भविष्य की संभावनाओं का आकलन कीजिएँ **(10 अंक, 150 शब्द)**

17. वैश्विक जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने में जलवायु वित्त की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, इसके कार्यान्वयन और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कीजिएँ **(15 अंक, 250 शब्द)**

18. वैश्विक समुद्री संरक्षण और शासन को संबोधित करने में उच्च सागर जैव विविधता संधि की आवश्यकता और संभावित प्रभावों की जाँच कीजिएँ **(15 अंक, 250 शब्द)**

19. वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए इसके पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और आर्थिक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसके कारणों, प्रभावों और नीति उपायों का विश्लेषण कीजिएँ **(15 अंक, 250 शब्द)**

20. स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी), पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव तथा उनके उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयासों का वर्णन कीजिएँ **(10 अंक, 150 शब्द)**